गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

की 115 वीं बैठक

दिनांक	:	21–5–2008
समय	:	11–30 बजे
स्थान	:	कान्फ्रेन्स हाल गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

एक सुन्दर शहर–हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 21–5–08 की कार्यसूची।

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 08–12–07 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1–2
2–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 08–12–07 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	3–25
3–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 का प्रस्तावित आय व्ययक ।	26-56
4–	आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के लेखों की जॉच हेतु स्पेशल आडिट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	57-58
5–	निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर में हाईटैक टाउनशिप स्कीम एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति ।	59-65
6–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों में गेस्ट हाउस अनुमन्य किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उपविधि सं0 1047/8–3–08–73विविध/07, दिनांक 7 मार्च 2008 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	66-72
7–	इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मै0 कासिंग इन्फ्रा प्रा0लि0 कन्शार्सियम द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित डी0पी0आर0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	73-75
8–	गाजियाबाद महायोजना 2021 में प्रस्तावित मार्गो की चौड़ाई के निर्माण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	76-79
9–	गाजियाबाद महायोजना 2021 में प्रदर्शित नान कन्फर्मिग भू–उपयोग क्षेत्र में प्रधानतः आवासीय विकास के सन्दर्भ में आवासीय भू–उपयोग ही मानते हुए निर्धारित कियायें अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	80
10–	पटेलनगर योजना के डी–ब्लाक में भवन सं0 डी–99 व डी–110 के बराबर में रिक्त भूमि में नियोजित क्योस्क की भूमि को आवासीय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।	81
11–	राजस्व ग्राम भूरगढ़ी डासना में टैक्सटाइल प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भू–उपयोग महायोजना 2021 के अनुसार कृषि से औद्योगिक में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	82-89
12–	दिल्ली मेट्रों का दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तथा वैशाली से सी0आई0एस0एफ0 इन्दिरापुरम तक विस्तार ।	90-91
13–	कौशाम्बी योजना में सुविधाजनक दुकान उपलब्ध कराने हेतु तीन स्थानों पर भूखण्डों को आवासीय से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	92
14–	गाजियाबाद शहर में ठाकुरद्वारा, हापुड़ फ्लाई ओवर को सड़क के मध्य में बनाये जाने एवॅ लाई ओवर की लम्बाई 249 मीटर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।	93-94
15–	राजेन्द्र नगर आवासीय योजना में सबके लिये आवास कार्यक्रम में अन्तर्गत भवनों के	95-96

	निर्माण के सम्बन्ध में ।	
16–	एन0एच0–24 के किमी 8.00 से किमी 20.00 तक 4 लेन से 8 लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समानुपातिक आधार पर वित्त पोषण ।	97-99
17–	गाजियाबाद महायोजना 2021 में करैहड़ा गांव के निकट से हिण्डन नदी को पार करते हुए मोरटी गांव से होते हुए हिण्डन तटवर्ती बन्धा सड़क तक प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में ।	100
18–	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजनान्तर्गत नगर निगम के चयनित वार्डो के संतृप्तिकरण की कार्ययोजना चरण द्वितीय में कराये जाने वाले कार्य ।	101-102
19–	किराये पर उठी सम्पत्तियों जो स्टाफ को आवंटित है, को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	103
20–	प्राधिकरण द्वारा निर्मित किराये के भवनों के निस्तारण कर सीमा दिनांक 31.3.09 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	104
21–	आकांक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति लि0 को इन्दिरापुरम योजना में आवंटित 7900 वर्ग मीटर एवं 5100 वर्ग मीटर भूमि के मूल्य की गणना 60 प्रतिशत सेलेबल एरिया पर किये जाने के सम्बन्ध में।	105-107
22–	उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में।	108-115
23–	नेहरू नगर एवं सूर्य नगर योजना में निर्मित महिला छात्रावास के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	116-131
24–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को भू–अर्जन सम्बन्धी कार्यो के निस्तारण हेतु नियत वेतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।	132
25–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन खण्ड से सम्बन्धित कार्यो हेतु एक वाहन क्रय किये जाने विषयक ।	133
26–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिये लैण्ड बैंक बनाये जाने हेतु मेरठ रोड के पश्चिम साईड में भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में ।	134
27–	ग्राम मकनपुर के खसरा नं0 1342, 1343,एवं 1348 की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में ।	135-137
28–	ग्राम मकनपुर के खसरा नं0 507, 518, 519, 520, 522, 523 एवं 533 क्षेत्रफल 5–0–0 बीघा तथा 508, 531, 534, 550 क्षेत्रफल 3–5–0 बीघा कुल क्षेत्रफल 8–5–0 बीघा की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में ।	138-140
29–	ट्रान्सपोर्टनगर योजना के अन्तर्गत ग्राम चिकम्बरपुर के खसरा सं0–1/2, 2,5,6,7/2, 8/2, 9/2 एवं 2,3,4,0 10 की लगभग 3773 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में ।	141
30–	प्रताप विहार सेक्टर–11के अन्तर्गत एच–ब्लाक में चार मंजिले ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के नियोजन के सम्बन्ध में ।	142-143
31–	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 21–5–08 के अतिरिक्त मदों की कार्यसूची।

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
31–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन कार्य/ अतिक्रमण व्यवस्था हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	144
32–	राजेन्द्र नगर आवासीय योजना में सबके लिये आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु सेक्टर–2 में ई0एस0आई0 अस्पताल के पीछे खुला क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	145
33–	गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत एस0ई0जेड आई0टी0 हब एवं नालिज कारिडोर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ।	146-147
34–	प्रताप विहार आवासीय योजना में सेक्टर–12 के ब्लाक के–ए के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में ।	148-153
35–	गाजियाबाद नगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना ।	154/155
36–	एक से अधिक भूखण्डों का अमलगमेशन(सुपरटेक लिमिटेड)	156-162
37–	गाजियाबाद महायोजना 2021 में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में (बारातघर)	163-165
38–	गजानन एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा इन्जीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	166-167
39–	वैशाली योजना के ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड सं0–7 पर 2.5 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	168
40–	श्री दिगम्बर जैन सोसायटी द्वारा वैशाली योजना के भूखण्ड सं0–1 में स्कूल के भूखण्ड के साथ लगी सामुदायिक केन्द्र हेतु आरक्षित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ।	169
41–	संजयनगर योजना के अन्तर्गत बस टर्मिनल हेतु 7.50 मीटर चौड़े पहुच मार्ग का 12.00 मीटर किये जाने के सम्बन्ध में ।	170
42–	अम्बेडकर रोड (महायोजना मार्ग) की चौड़ाई पूर्व में लागू महायोजनाओं के अनुरूप दर्शित किये जाने के सम्बन्ध में ।	171
43–	श्री रोहित कुमार, अवर अभियन्ता की माता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक।	172
44–	प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये जाने वाली शैक्षिक उपयोग के भूखण्डों मे प्रवेश हेतु प्राधिकरण स्टाफ का कोटा निर्धारित किये जाने एवं फीस में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	173
45–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात अभियन्ताओं को लैपटाप उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	174
46–	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बंध में	175-229

मद संख्या : 1

विषय : प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 08–12–07 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 08–12–2007 का कार्यवृत्त की प्रति प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यगण को अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी थी । इस कार्यवृत्त पर नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा मद सं0 9 के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट की गयी है । नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद का पत्र दिनांक 2–1–08 बोर्ड के समक्ष अवलोनार्थ प्रस्तुत है । अन्य किसी सदस्य से कोई टीका प्राप्त नही हुई है । अतः बोर्ड बैठक दिनांक 08–12–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

गाजियाबाद नगर निगम

प्रेषक,

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम,
गाजियाबाद।

सेवा में,

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्रांकः सचिव/न.आ./800 दिनांकः 2.1.08

विषय :— गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 8.12.07 में रखे गये मद संख्या—9 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0—वी/प्र0अ0/07 दिनांक 20.12.07 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बतौर सदस्य बैठक में प्रतिभाग किया गया। मद संख्या—9 पर चर्चा के समय व्यक्त अपने मत को मैं लिखित रूप में निम्नवत् प्रेषित कर रहा हूँ, कृपया इसे कार्यवृत्त में शामिल करने का कष्ट करें।

"इस योजना से सम्बन्धित प्रोजैक्ट रिपोर्ट मे गाजियाबाद नगर निगम की भूमि को शामिल किया गया है। नगर निगम की भूमि के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार नगर निगम बोर्ड में है। इस लिये इस प्रोजैक्ट रिपोर्ट पर बतौर सदस्य मेरी आपत्ति है एवं सहमति नही है। प्रोजैक्ट रिपोर्ट से नगर निगम की भूमि को बाहर करते हुए पुनः प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये अथवा पूरी प्रोजैक्ट रिपोर्ट नगर निगम को प्रेषित की जाये ताकि इस पर माननीय नगर निगम बोर्ड का निर्णय प्राप्त किया जा सके"।

भवदीय

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

3

मद सं0–2

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 08–12–2007 की अनुपालन आख्या

मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 06–8–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 06–8–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से की गई ।	मद सं0 9 पर नगर आयुक्त द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी है, उनका पत्र प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अन्य मदों पर किसी सदस्य की कोई टीका प्राप्त नही हुई है।
2–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 06–08–2007 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 06–08–2007 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या बोर्ड द्वारा अवलोकित की गई ।	कार्यवाही वांछित नही है।
3–	शासनादेश सं0 63/9–आ– 3– 2000–100वि /97 दिनांक 27–2–2000 एवं 27–8–2002 के क्रम में सैल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस एवं बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में जारी	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सैल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 63/9–आ– 3– 2000–100वि /97 दिनांक 27–2–2000 मे प्रस्ताव के शर्त संख्या–1 से 14 तक व निम्नानुसार शर्तो को भी	बैठक में लिये गये निर्णयों को लागू करने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 4–2–08 प्रेषित कर दिया गया है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

		किये गये संशोधन अनुसार धारा–14 व 15 या तद्धीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उपविधियों अथवा निर्देशो के सम्बन्ध में।	समाहित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई :– 1– जहॉ तक स्ट्रक्चरल मानकों के आधार पर भवन की सुदृढता के सम्बन्ध में आई0आई0टी0 व इसके समकक्ष संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत् किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थाओं से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । 2– एक से अधिक कम्पनियों द्वारा एक टावर के उपयोग को अनिवार्य न किया जाये बल्कि उन्हे incentive दिया जाये कि वह एक टावर ही प्रयोग में लायें । 3– केवल साईलैन्ट जनरेटर भूतल पर स्थापित किए जायें । 4– प्रथम अनुज्ञा शुल्क के रूप में Initial money रू0 1.00 लाख की धनराशि ली जाये तथा प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण करने हेतु प्रथम अनुज्ञा शुल्क का 25 प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क लिया जाये ।		

सचिव
प्रा० वि० प्रा०
प्रयागराज

			5– जो धनराशि इस मद में प्राप्त हो, उसका उपयोग उसी क्षेत्र के विकास में किया जाये ।	
4–		प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत निजी निर्माताओं एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित की गयी, प्रस्तावित कालोनियों के अधूरे, प्रस्तावित कार्यो को प्राधिकरण वित्तीय स्रोत से कराने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निजी निर्माताओं एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित की गई प्रस्तावित कालोनियों के अधूरे, प्रस्तावित कार्यों को कराए जाने पर जितना व्यय होगा उसको क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय निवासी भी योगदान करें । उदाहरण के तौर पर 50 प्रतिशत धनराशि स्थानीय निवासियों से व 50 प्रतिशत धनराशि विकास शुल्क के रूप में प्राप्त की जा सकती है । आगामी बैठक में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये ।	प्राधिकरण सीमान्तर्गत स्थित निजी निर्माताओं द्वारा विकसित कालोनियों के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वे प्रस्तावित है जिसके उपरान्त ही कार्ययोजना तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
5–		दिल्ली में प्रस्तावित कामनवेल्थ गेम्स–2010 को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय भूखण्डों पर गैस्ट हाऊसेस की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सम्यर्क विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– 1– कॉमनवेल्थ गेम्स के दृष्टिगत दिल्ली तथा दिल्ली से लगे आवासीय क्षेत्रों में भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा गैस्ट हाऊसेज के माध्यम से अतिरिक्त कमरों की सुविधा सुनिश्चित	शासन से गेस्ट हाऊस अनुमन्य किये जाने हेतु नीति प्राप्त हो गयी है, जिसको अंगीकार करने हेतु किया जा रहा है।

सचिव
ग० वि० प्रा०
गाजियाबाद

			किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की सीमाओं से लगी हुई आवासीय कालोनियों में जोनिंग रेगूलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार अतिथि गृह के निर्माण गुण व दोष के आधार पर अनुमन्य किया जाये । 2–अतिथि गृह 24 मीटर या उससे अधिक चौडे मार्ग पर स्थित 400 वर्ग मीटर या उससे बडे आवासीय भूखण्डों पर आवासीय भवनों हतु अनुमन्य ग्राऊन्ड कवरेज एवं एफ0ए0आर0, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था तथा सुरक्षा सम्बन्धी अन्य प्राविधानों को सुनिश्चित करते हुए अनुमन्य किये जायेगें । 3–पर्यटन को बढावा देने हेतु कय योग्य एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता इस प्रकार के भूखण्डों में दी जानी उचित होगी परन्तु इस हेतु सक्षम स्तर से अर्थात शासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी । तदानुसार प्रस्ताव शासन को भेजा जाये । 4–वर्तमान में प्राधिकरण में इस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर जोनिंग रेगूलेशन्स के प्राविधानों के		

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

			अनुसार विशेष समिति के परीक्षणोपरान्त निर्णय लेने हेतु बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।		
6–	कोयल इन्क्लेव के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		सन्दर्भित योजना में वर्तमान भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है जिसको खारिज कराने हेतु प्रभावी पैरवी की जा रही है।
7–	गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आई.0टी0 जोन, एस0ई0जैड0 तथा एजूकेशनल हब स्थापित करने हेतु भूमि चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इन क्षेत्रों को मेट्रो रेल से जोडने का भी प्रस्ताव शामिल किया जायें ।		इस सम्बन्ध में गाजियाबाद नगर निगम की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु ट्रैफिक एण्ड ट्रान्सपोर्टेशन प्लान बनाया गया है, जिसका प्रजेन्टेशन शासन स्तर पर किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
8–	ग्राम नूरनगर में महायोजना मानचित्र 2021 में "ए" से "बी" तक प्रदर्शित 45 मीटर चौडी सडक को समाप्त करने के सम्बन्ध में।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उत्तर प्रदेश, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक एवं मुख्य अभियन्ता,गा0वि0 प्रा0 की एक समिति गठित की जाए जो सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी ।		सी0टी0सी0पी0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार स्थलीय सर्वेक्षण कराया गया है एवं स्थलीय स्थिति को एन0आर0एस0ए0 हैदराबाद से प्राप्त इमेजरी के आधार पर समिति के समक्ष रखा गया है। समिति की

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

				आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
9–	इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत मैसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (कन्सोर्सियम) द्वारा डी0पी0आर0 में स्वीकृत भूखण्ड सं0 जी0एच0–1 (क्षेत्रफल 44.96 एकड) के ग्रुप हाऊसिंग मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त एल0एम0सी0 तथा अन्य की भूमि को निकालते हुए अवशेष विकासकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि पर मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इस तरह के आगामी प्रकरणों पर मानचित्र स्वीकृति हेतु गठित तकनीकी समिति के माध्यम से निर्णय लिए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये ।		निर्णयानुपालन में 25 एकड़ से अधिकक्षेत्रफल के भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने विषयक पत्र दिनांक 14–1–08 शासन को प्रेषित कर दिया गया है।
10–	अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा विकसित अवन्तिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मीटर महायोजना मार्ग की चौडाई संशोधित करने के सम्बन्ध में।	चूँकि यह प्रकरण महायोजना में संशोधन से सम्बन्धित है, अत मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उत्तर प्रदेश, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक एवं मुख्य अभियन्ता,गा0 वि0 प्रा0 की एक समिति गठित की जाए जो सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी ।		समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण एवं एन0आर0एस0ए0 से प्राप्त इमेजरी समिति को उपलब्ध करा दी गयी है। समिति की आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
11–	गुलमोहर एन्क्लेव व आनन्द विहार कालोनी के मध्य स्थित महायोजना मार्ग की चौडाई के निर्धारण के सम्बन्ध में।	चूँकि यह प्रकरण महायोजना में संशोधन से सम्बन्धित है, अत मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उत्तर प्रदेश, मुख्य वास्तुविद एवं नगर		समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण एवं एन0आर0एस0ए0 से

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

			नियोजक एवं मुख्य अभियन्ता गा0वि0 प्रा0 की एक समिति गठित की जाए जो सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी ।	प्राप्त इमेजरी समिति को उपलब्ध करा दी गयी है। समिति की आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
12–		मोदीनगर में मुख्य मार्ग पर अक्सर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान हेतु एलीवेटिड रोड का प्रस्ताव।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मोदीनगर में मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम के समाधान हेतु जनहित में 3.5 कि0मी0 लम्बाई में 6 लेन की एलीवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इस कार्य में धन की व्यवस्था व अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करने हेतु श्री सुशील चन्द्र द्विवेदी, अधिशासी अभियन्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया ।	प्रकरण में परियोजना बनाकर प्रमुख सचिव नगर विकास उ0प्र0 शासन/निदेशक यूआईडीएसएसएमटी शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली को दिनांक 18–1–08 को भेजी जा चुकी है।
13–		आनन्द विहार, दिल्ली से वैशाली, गाजियाबाद तक मैट्रो रेल विस्तार हेतु प्रथम किश्त रू0 130.00 करोड अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	डी0एम0आर0सी0 द्वारा प्रेषित अंग्रेजी रूपान्तरण शासन के अनुमोदनार्थ दिनांक 11–3–08 को प्रेषित किया गया है।
14–		लाजपतनगर योजना में निर्मित भवन सं0 एफ0ए0–161 के विरूद्ध देय राशि पर देय ब्याज माफ करने पर विचार करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त पैनल ब्याज माफ करने का कोई ठोस औचित्य नहीं पाया गया, अतः ब्याज माफी विषयक प्रस्ताव निरस्त किया गया ।	कार्यवाही वांछित नही है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

15–		श्री मुकेश कुमार त्यागी को नेहरू नगर में आवंटित भूखण्ड के विकल्प में इन्द्रप्रस्थ योजना में भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।		प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं बोर्ड के सज्ञान में लाया गया कि श्री त्यागी को इन्दिरापुरम योजना में ई0डब्लू0एस0 भवन के बदले में परिवर्तन में नेहरूनगर में भूखण्ड संख्या 3एच/69–1 आवंटित किया गया । यह आवंटन पत्र दिनॉक 31–10–94 को इस शर्त के साथ जारी किया गया कि भूखण्ड पर अनाधिकृत कब्जा है और आवंटी को स्वयं ही हटाना होगा । अब आवंटी द्वारा भूखण्ड पर अनाधिकृत कब्जा को न हटा पाने पर पुनः उक्त भूखण्ड के बदले अन्यत्र भूखण्ड की मॉग की जा रही है । आवंटी द्वारा पूर्व में आवंटित भवन के विरूद्ध मात्र पंजीकरण धनराशि एवं नेहरूनगर में भवन के बदले परिवर्तित भूखण्ड के विरूद्ध मात्र परिवर्तन शुल्क ही जमा किया गया इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि जमा नही की गई है । अतः पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय दिनॉक 18–11–2006 पर पुर्नविचार करते हुए श्री मुकेश त्यागी को भूखण्ड संख्या		बोर्ड निर्णय अनुसार अनुपालन किया जा रहा है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

			3एच/69–1 नेहरूनगर के बदले अन्य किसी योजना में भूखण्ड न दिये जाने का निर्णय लिया गया ।	
16–	भूखण्ड सं0 4/2 सैक्टर–5 राजेन्द्र नगर की पट्टेदारी श्रीमती प्रमिला शर्मा को निर्माण अवधि बिना लैवी के बढाये जाने के सम्बन्ध में।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड निर्णय से आवंटी को सूचित किया जा चुका है।
17–	मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 को सी0एन0जी0 फिलिगं स्टेशन स्थापित करने हेतु संजयनगर एवं वैशाली योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी भूमि के आवंटन की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।		गाजियाबाद में सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों को प्रोत्साहन करने के उद्धेश्य से मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 जो कि भारत सरकार का उपक्रम है को संजयनगर व वैशाली योजना के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में आवासीय दर के 40 प्रतिशत पर भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया गया । बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि समान प्रकार के प्रकरणों में तदैव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।	आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर आवंटन पत्र निर्गत किया जा चुका है । मूल्य भी प्राप्त हो गया है।
18–	आकांक्षा राजस्व सहकारी आवास समिति लि0 को इन्दिरापुरम योजना में आवंटित 7900 वर्गमीटर एवं 5100 वर्ग मीटर भूमि		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में	प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

12

	के दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	पस्तुत किया जाये । प्रस्ताव का परीक्षण प्रचलित आवंटन नियमावली के अन्तर्गत किया जायेगा ।		
19–	राष्ट्रीय राजमार्ग–24 से न्यू हालैण्ड फैक्ट्री, नोएडा को जोडने वाले 6 लेन मार्ग का निर्माण कार्य।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि इस मार्ग से चूँकि ग्रेटर नोएडा को लाभ पहुँचेगा, अतः निर्माण लागत में उनकी सहभागिता हेतु अंशदान प्राप्त किए जाने हेतु उनसे अनुरोध कर लिया जाये ।		प्राधिकरण बोर्ड बैठक निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के भू–अर्जन अनुभाग द्वारा प्रेषित पत्र सं0 587/12/भू0आ0आ0/दिनांक 5.02.2008 के अनुक्रम में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पत्रांक ग्रै0नो0/परि0/2008/1707 दिनांक 15.04.2008 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण की 68 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 8.4.2008 के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु अंशदान धनराशि अंकन रू0 608.82 लाख का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। दिनांक 17.04.2008 को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की उपस्थिति में किये गये स्थल निरीक्षण के

सचिव
प्रा० वि० प्रा०
गौतमबुद्धनगर

13

				समय समयक विचारोपरान्त मार्ग निर्माण हेतु निर्धारित संरेखण में पड़ने वाली भूमि के अर्जन हेतु कार्यवाही गतिमान है।
20–	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत् कराये जाने वाले कार्य।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । वार्ड नम्बर 3 व 38 के अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर निर्णय ले लिया जाये ।		कार्ययोजना के अन्तर्गत वार्ड सं0 3,78 व 79 में पार्को का निर्माण तथा वार्ड सं0 78,79 में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।
21–	प्राधिकरण में प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग हेतु दो कमरे के चार मंजिले भवनों के मूल्याकंन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		अनुमोदित मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित भवनों के आवंटन हेतु दिनांक 10–1–08 से 10–3–08 तक की अवधि के लिये पंजिकरण भी रखा गया ।
22–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ योजना (कोयल एन्क्लेव) ग्राम ब्रहमपुर उर्फ भौपुरा की भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		बोर्ड के निर्णय के कम में किसानों से आपसी समझोते के आधार पर करार नियमावली के अनुसार करार पत्र भरवाकर जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

14

23–		ग्राम मकनपुर के खसरा नं0–507, 518,519,520,521,522,523 एवं 533 एवं 508,531,534 व 550 की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के परीक्षण हेतु सचिव, विशेष कार्याधिकारी व वित्त नियंत्रक की एक कमेटी गठित कर ली जाए ।		उक्त प्रस्ताव बोर्ड द्वारा गठित समिति की अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया जा रहा है ।
24–		ग्राम मकनपुर के खसरा नं0 1342, 1343 एवं 1348 की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के परीक्षण हेतु सचिव, विशेष कार्याधिकारी व वित्त नियंत्रक की एक कमेटी गठित कर ली जाए ।		उक्त प्रस्ताव बोर्ड द्वारा गठित समिति की अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया जा रहा है ।
25–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मधुबन व बापूधाम योजना हेतु ग्राम सदरपुर, नंगलापाठ, रसूलपुर, याकूबपुर, महिउद्दीनपुर, मैनापुर व मोरटा की लगभग 1234. 131 एकड भूमि का करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत् जिलाधिकारी द्वारा घोषित दर पर अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया । नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।		बोर्ड निर्णय अनुसार करार नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिकर जिसका अनुमोदन आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है, के अनुसार भू–स्वामियों से करार प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से प्रतिकर भुगतान कराने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

15

26–		भूखण्ड/भवन पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली मे आवंटित सम्पत्ति का अनुबन्ध/पट्टा विलेख/विक्रय विलेख नियत समय पर निष्पादित करा कर कब्जा प्राप्त न करने पर अतिरिक्त चौकीदारा शुल्क लगाये जाने के विषय में।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त इस सम्बन्ध में नोएडा में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटित परिसम्पत्तियों की रजिस्ट्री हेतु 03 माह की समयावधि देते हुए उन्हें नोटिसेज जारी किए जायें।		बोर्ड निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
27–		प्राधिकरण द्वारा निर्मित किराये के भवनों के निस्तारण की सीमा दिनांक 31–3–08 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पूर्व में अनुमोदित पैकेज के आधार पर वर्ष 2000 के मूल्यॉकन एवं शासनादेश के निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण की देय धनराशि एक मुश्त भुगतान करने पर 20 प्रतिशत छूट की सुविधा के साथ दिनॉक 28–2–2008 तक अन्तिम रूप से विक्रय किए जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि यदि निर्धारित अवधि तक किरायेदारों द्वारा भवन क्रय नहीं किये जाते हैं तो उनकी किरायेदारी समाप्त करते हुए वर्तमान मूल्यॉकन पर इन भवनों को नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जाये।		बोर्ड निर्णय अनुसार सभी आवंटियों को सूचित किया जा चुका है तथा इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी कराया गया है, जिसमें 38 आवंटियों द्वारा भवन का पूर्ण मूल्य रू0 98.42 लाख जमा कराकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कराई जा रही है। अभी तक लगभग 40 भवन विक्रय हेतु शेष रह गये है, जिनकी किरायेदारी समाप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सचिव
ग० वि० प्रा०
गाजियाबाद

16

28–	किराये पर उठी सम्पत्तियों जो स्टाफ को आवंटित हैं, को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया ।	प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
29–	किराये पर आवंटित भवन सं0 सी0सी0–2,कविनगर, गाजियाबाद के निस्तारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि वर्तमान मूल्यॉकन पर किरायादार भवन क्रय करना चाहता है तो उसे क्रय करने की सुविधा दी जाये अन्यथा किरायेदारी समाप्त करते हुए वर्तमान मूल्यॉकन पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जाये ।	बोर्ड निर्णय अनुसार धनराशि जमा करने हेतु आवंटी को सूचित किये जा चुका है, परन्तु धनराशि जमा न करके आवंटी द्वारा बोर्ड निर्णय के विष्द्ध माननीय उच्च न्यायालय मे रिट दाखिल की गयी है, जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है।
30–	केशव सेवा समिति, प्रताप विहार, गाजियाबाद को आंवटित भूमि का पट्टा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केशव सेवा समिति, प्रताप विहार को भूमि आवंटन आदि में की गई अनियमितताओं तथा आवंटन के विरूद्ध किए गए भू–उपयोग के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये व विधिक परीक्षणोपरान्त नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाये । 2– बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि केशव सेवा समिति के पक्ष में किये	प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन दिनांक 31–1–08 को निरस्त किया जा चुका है तथा आवंटन सम्बन्धी अनियमितता के सम्बन्ध में पुनः जांच अधिकारी सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को नामित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । समिति द्वारा माननीय उच्च

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

			गये आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाये तथा प्राधिकरण के अधिकारियों से दुरभि संधि कर रियायती दर पर आवंटित कराने का समिति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाये एवं दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये ।	न्यायालय में वाद सं0 11599/2008 दायर किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29–2–08 में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये है।
31–		प्राधिकरण की नन्दग्राम योजना में जे0के0जी0 हैप्पी स्कूल को आवंटित भूखण्ड की देयता पर ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा ब्याज माफी का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि एक माह के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने पर आवंटन निरस्त करते हुए नियमानुसार कब्जा वापिस ले लिया जाये ।	संस्था द्वारा आवंटित भूखण्ड के विरूद्व समस्त बकाया राशि ब्याज सहित जमा कर दी गयी है। भूखण्ड की लीजडीड निष्पादित की जा चुकी है ।
32–		हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण को रू0 50.00 करोड़ का ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	दिनांक 29–10–07 को ही ऋण दिया जा चुका है।
33–		श्री अनिल गर्ग, मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चिकित्सा बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	अनुपालन हो चुका है।
34–		श्री नरेश कपूर, सहायक लेखाकार के ईलाज पर	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार	अनुपालन हो चुका है।

सचिव
ग० वि० प्रा०
गाजियाबाद

	व्यय चिकित्सा बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	किया गया।		
35–	प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य मोबाईल के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।		अनुपालन हो चुका है।
36–	श्री वी0वी0 सिंह विश्वेन को आवंटित भूखण्ड सं0 एस0के0–2/197ए इन्दिरापुरम पर आरोपित ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में दण्ड ब्याज की वास्तविक गणना कर उसे माफ किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।		अनुपालन किया जा रहा है।
37–	भवन सं0 301, सतपुडा, कौशाम्बी अपार्टमेन्ट में देय ब्याज के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि आवंटी बाद में विकलांग हुए हैं तो विशेष परिस्थितियों मे दण्ड ब्याज की वास्तविक गणना कर उसे माफ किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।		बोर्ड निर्णय अनुसार कार्यवाही चल रही है।
38–	भवन सं0 सी–158 एल0आई0जी0 सिंगल स्टोरी नन्दनिकुन्ज के आवंटी श्री खेमराम को आवंटित भवन के विरूद्ध देय ब्याज में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में दण्ड ब्याज की वास्तविक गणना कर उसे माफ किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।		अनुपालन किया जा चुका है।
39–	श्री प्रीतम सिंह को इन्दिरापुरम योजना में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।	श्री प्रीतम सिंह द्वारा न तो पूर्व में एवं न ही परिवर्तित भूखण्ड के विरूद्ध देय धनराशि जमा की गई जिसके फलस्वरूप भूखण्ड		आवंटी को सूचित किया जा चुका है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

		का आवंटन निरस्त करते हुए अन्य को आवंटित किया जा चुका है एवं उसका विक्रय विलेख निष्पादित हो चुका है । श्री प्रीतम सिंह को भूखण्ड आऊट आफ टर्न आवंटित किया गया था और वर्तमान में आऊट आफ टर्न पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है, अतः श्री सिंह के भूखण्ड का आवटन/बहाली का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है ।		
40–	श्री नत्थूलाल के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद अपनी देखरेख में तहसील स्टाफ के माध्यम से आवेदक के भू अभिलेखों का परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही करे ।		जिलाधिकारी गाजियाबाद को बोर्ड निर्णय से अवगत करा दिया गया है।
41–	प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत् विकसित/अविकसित कालोनियों में विकास कार्यों के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।
42–	विजय नगर चैक पोस्ट से यू0पी0गेट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का चौडीकरण एवं तीन अण्डर पास का निर्माण कार्य ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

43–	हुण्डई शोरूम पर ग्रेड सेपरेटर एवं मेरठ रोड तिराहा पर प्रस्तावित सिंगनल फ्री क्लोवर लीफ के निर्माण की उपर्युक्ता पर पुनः विचार करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त Studies Reports का अध्ययन कर शहर के लिए एकीकृत ट्रान्सपोर्ट मैप तैयार किया जाये तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ट्रैफिक /ट्रान्सपोर्टेशन प्लान किसी अच्छे सलाहकार के माध्यम से एक माह के अन्दर तैयार कराया जाये । तदोपरान्त पुनः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।		निर्णय के अनुपालन के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा स्वयं ही ट्रैफिक/ट्रांस्पोर्टेशन प्लान तैयार कर इसका पावर प्वाईंट प्रजेन्टेशन प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के समक्ष किया गया था तदोपरान्त उनके विशिष्ट सुझावों का समावेश कर इसे पुनरिक्षण कर इसका प्रजेन्टेशन मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के समक्ष किया गया, तदक्रम में इसे अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
44–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत् मोदीनगर एवं मुरादनगर महायोजना क्षेत्र के विकास क्षेत्र पर बाह्य विकास एवं आन्तरिक विकास की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बाह्य एवं आन्तरिक विकास शुल्कों का परीक्षण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा कर लिया जाए तदोपरान्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।		शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है।
45–	महायोजना मार्ग के एलाईन्मेन्ट निर्धारण के	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह		इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

	सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि महायोजना मार्ग के एलाईमेन्ट में संशोधन के स्थान पर गॉव वालों से वार्ता कर सुविधानुसार एलीवेटिड रोड या अन्डर पास के प्रस्ताव पर विचार किया जाए जिसका व्यय विकासकर्ता कम्पनी से वसूला जाए ।		जा चुका है।
46–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या ।	बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या अवलोकित की गई ।		अनुपालन वांछित नही है।
47–	इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत न्याय खण्ड–1के भूखण्ड सं0 ए तथा बी के इमलगेशन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गई कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि महायोजना 2021 में इंगित घनत्व का उल्लघंन न हो । 2–बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावो के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर नियम बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।		मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र द्वारा अमलगमेशन के सम्बन्ध मे सुझाव प्राप्त हो गये है, जिसपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

22

48–	प्राधिकरण की कौशाम्बी योजना के व्यवसायिक भूखण्ड भूखण्ड संख्या सी–2 पर भू–आच्छादन के सम्बन्ध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वास्तविक क्षेत्रफल 10204.63 वर्ग मीटर जो आवंटी के पास है उतने क्षेत्रफल पर ही भवन उप विधि 2000 के अनुसार 40 प्रतिशत भू–आच्छादन अनुमन्य किया जाये । यदि आवंटी इससे सहमत न हो तो प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के विरूद्ध जमा धनराशि पर साधारण ब्याज देते हुए आवंटी को वापिस कर दी जाए एवं भूखण्ड का कब्जा वापिस प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कर लिया जाये ।		आवंटी के पक्ष में दिनांक 14–1–08 को भूखण्ड का विक्रय विलेख किया जा चुका है ।
49–	मल्टीलेवल पार्किंग बनाये जाने के सम्बन्ध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		मल्टीलेबल पार्किंग बनाये जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से ई0ओ0आई0 मांगे गये है ।
50–	सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों के मानकों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		अनुपालन किया जा रहा है ।
51–	कविनगर योजना में गाजियाबाद क्लब के निर्माण के सम्बन्ध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।		क्लब की बी0ओ0टी0 बेसिस पर चलाने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें मांगी गयी थी, जिसमें 10

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

23

						कम्पनियों द्वारा बिड्स डाले गये थे। निर्णय लिया गया कि समिति इच्छुक कम्पनियों के पावर प्वाईंट प्रजेन्टेशन कराकर देख जाये। प्रजेन्टेशन पर निर्णय लिये जाने हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की गयी:– 1. उपाध्यक्ष जी0डी0ए0 2. डायरेक्टर इण्डिया हैबिटेट सेन्टर नई दिल्ली। 3. श्री डी0ए0श्रीवास्तव, डिप्टी चीफ हुडको नई दिल्ली। 4. श्रीमती धोते असि0 प्रोफेसर एस0पी0ए0 नई दिल्ली। 5. सचिव0 जी0डी0ए0 6. सी0ए0टी0पी0 जी0डी0ए0। 7 मुख्य अभियन्ता, जी0डी0ए0। 8. वित्त नियंत्रक, जी0डी0ए0। समिति के समक्ष दिनांक 7–3–08 को 7 कम्पनियों द्वारा प्रजेन्टेशन दिये गये जिनपर निर्णय लिये जाने हेतु समिति की एक बैठक दिनांक 26–03–08 को आहत की गयी है। शोर्ट विस्टड तीन फर्मस की वित्तीय विड्स को

सचिव
ग० वि० प्रा०
प्रयागराज

				दिनांक 29–4–08 को समिति द्वारा खोला गया था । वित्तीय विड्स के आधार पर मैसर्स हैरिटेज क्लब की विड्स सर्वश्रेष्ठ पायी गयी ।
52–	प्राधिकरण द्वारा इन्दिराकुँज में आवंटित ई0डब्लू0एस0 भवनों की अवशेष देयता निर्धारित कर पट्टा विलेख निष्पादन के विषय में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनॉक 14–2–2007 में मद संख्या–8 पर लिये गये निर्णय की समय अवधि बढाये जाने के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त इन्दिराकुँज योजना में आवंटित भवनों के मूल्य की देयता में जमा धनराशि का संज्ञान न लेते हुए अवशेष देयता रू0 1.00 लाख से अधिक होने पर वास्तविक देयता रू0 1.00 लाख जो भी कम हो 31–3–2008 तक जमा कराकर रजिस्ट्री कराए जाने की शर्त पर समयावधि बढायी जाती है । इससे जितनी धनराशि की प्राधिकरण को क्षति होगी उसको अन्य योजनाओं पर लोड कर लिया जाए ।	अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है।
53–	गजानन ऐजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम कुशलिया के खसरा संख्या 1541, 1542, 1543, 1565, 1569 व 1571 की भूमि पर इंजीनियरिंग कालेज (टैक्निलकल ऐजूकेशनल संस्थान) के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित ।	औपचारिकतायें पूर्ण नही हो पायी है। अतः आगामी बैठक में रखा जायेगा।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

25

54–	इन्दिरापुरम योजना के न्याय खण्ड–1 के ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या इं0डी0 क्षेत्रफल 5303.80 वर्ग मीटर एवं खसरा नं0 1131 मि0 क्षेत्रफल 1960 वर्ग मीटर मकनपुर को आमेलन किये जाने के सम्बन्ध में ।		आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित ।		नीती के अनुमोदनोपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

सचिव
ग० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्याः 3

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्ष 2007–08 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 का प्रस्तावित आय व्ययक ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 का प्रस्तावित आय–व्ययक(बजट) प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

वित्तीय वर्ष 2007-2008 का वास्तविक

एवं

वित्तीय वर्ष 2008-2009 का प्रस्तावित

आय-व्ययक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

एक सुन्दर शहर-हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1-2
2.	संगठन एवं स्थापना	3
3.	उद्देश्य एवं कार्यकलाप	4-5
4.	बजट एक दृष्टि में	6
5.	राजस्व आय पक्ष	7-10
6.	राजस्व व्यय पक्ष	11-14
7.	राजस्व आय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ	15-22
8.	राजस्व व्यय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ	23-28

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2007-2008 का वास्तविक

एवं

वित्तीय वर्ष 2008-2009 का प्रस्तावित

आय-व्ययक

प्रस्तावना

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। दिल्ली की सीमा पर एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आवासीय/व्यवसायिक/ढाँचागत सुविधाओं को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने हेतु 9 मार्च, 1977 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का गठन हुआ।

गाजियाबाद एवं इसके आस पास औद्योगिक गति-विधियों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण रोजगार के नये आयाम बनते जा रहे हैं जिसके कारण आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को विकसित करने के उद्देश्य से बहुमंजिले भवनों की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया एवं ढाँचागत सुविधाओं के तहत सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति, जल निकासी, पार्कों का निर्माण, पथ प्रकाश व्यवस्था, फ्लाई ओवर का निर्माण, पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन बेल्टों का विकास किये जाने के पथ पर प्राधिकरण निरन्तर प्रयासरत् है।

दिल्ली में वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत दैनिक यात्रियों की आवागमन की सुविधाओं में सड़क मार्ग के अतिरिक्त मैट्रो रेल परियोजना को भी प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है। जिसका प्रस्ताव भी बोर्ड द्वारा पारित हो चुका है। समाज के कमजोर वर्ग के लिये प्राधिकरण द्वारा सस्ते भवन उपलब्ध कराये जाने की कड़ी में इस श्रेणी के भवनों का मूल्य रु. एक लाख तक सीमित रखा गया है।

प्राधिकरण शहर को सुन्दर एवं सुनियोजत विकसित करने का समग्र प्रयास कर रहा है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2007-08 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 का प्रस्तावित आय-व्ययक बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. संगठन एवं स्थापना :

1.	प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन–लखनऊ	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन लखनऊ	सदस्य
4.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य
5.	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ	सदस्य
6.	जिलाधिकारी, गाजियाबाद	सदस्य
7.	नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद	सदस्य
8.	श्री विजेन्द्र सिंह चौहान, सभासद नगर निगम	सदस्य
9.	श्री मुकेश गर्ग, सभासद नगर निगम	सदस्य
10.	श्री हरिमोहन, सभासद नगर निगम	सदस्य
11.	श्री प्रेमचन्द्र भारती, सभासद नगर निगम	सदस्य

3. उद्देश्य एवं कार्यकलाप

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्यत: दो कार्य है :–

1. नियोजन
2. विकास

उक्त कार्यों के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा अन्य कार्य भी किये जाते है, जो निम्नानुसार है :–

1. महायोजना (मास्टर प्लान) के अनुसार नियमित रूप से गाजियाबाद मास्टर प्लान, ट्रान्स हिण्डन मास्टर प्लान, लोनी/मोदीनगर क्षेत्र की आवासीय एवं व्यवसायिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. भवनों के मानचित्र, विभिन्न कालोनियों के अभिन्यास चित्र (ले–आउट प्लान) की स्वीकृति प्रदान करना।
3. अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करना।
4. विकसित किये गये क्षेत्रों में आवासों का निर्माण करना।
5. नगर के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्य करना।
6. जल सम्पूर्ति, सड़क निर्माण, पुल, उद्यान एवं मनोरंजन स्थलों के निर्माण के कार्यों के साथ–साथ उनके रखरखाब का कार्य करना।
7. प्राधिकरण सहकारी आवास क्षेत्र में भी अन्य सुविधायें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को जुटाने में भी कृत संकल्प है।

प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों के शासन के आदेशानुसार निम्नानुसार आरक्षण किया जा रहा है :–

1.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन–जाति	2 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
4.	रक्षा कार्मिक/सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो	5 प्रतिशत
5.	स्वतन्त्रता सैनानी, संसद सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य	5 प्रतिशत
6.	उ.प्र. विकास प्राधिकरण कर्मचारी/नगर निगम कर्मचारी, जल संस्थान कर्मचारी, हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	2 प्रतिशत
7.	विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे के 3 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी जाती है	
8.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	3 प्रतिशत

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

BUDGET AT A GLANCE

(RS.IN LACS)

NO.	DETAILS	ACTUAL FOR 2006-07	PROPOSED FOR 2007-08	ACTUAL FOR 2007-08	PROPOSED FOR 2008-09
1	OPENING BALANCE	95951.88	160409.26	160409.26	184233.04
2	RECEIPTS	100659.79	118375.00	74642.78	117299.00
3	TOTAL	196611.67	278784.26	235052.04	301532.04
4	EXPENDITURES	36202.41	190454.00	50819.00	224927.00
5	CLOSING BALANCE	160409.26	88330.26	184233.04	76605.04

FINANCE CONTROLLER SECRETARY VICE CHAIRMAN

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

REVENUE INCOME & EXPENDITURE BUDGET
REVENUE SIDE

(RS. IN LACS)

NO.	CODE	HEAD	ACTUAL FOR 2006-07	PROPOSED FOR 2007-08	ACTUAL 2007-08	PROPOSED FOR 2008-09
1	2	3	4	5	6	8
1		**INTEREST INCOME FROM PROPERTIES**				
	04010	INTEREST ON INSTALMENTS	91.27	100.00	856.94	4200.00
	04020	PENAL INTT. ON INSTALMENTS	4.11	5.00	149.23	100.00
		TOTAL (A)	**95.38**	**105.00**	**1006.17**	**4300.00**
2		**DEVELOPMENT CHARGES AND LEVIES**				
	05010	BUILDING PLANS SANCTION FEE	150.05	180.00	134.61	200.00
	05020	COMPOUNDING CHARGES	4105.64	5000.00	4908.89	5200.00
	05030	SURVEYOR'S LICENCE FEE	-	1000.00	0.00	100.00
	05040	PENALITY BY G.D.A.(NON-CONFORMING CHARGES)	0.05	5.00	0.10	10.00
	10	PENALTY BY COURT	20.48	25.00	12.62	25.00
	05050	DEVELOPMENT CHARGES	5367.30	8000.00	4332.51	8000.00
	05060	BETTERMENT CHARGES/METRO CESS	16.58	15000.00	2.90	16000.00
	05070	MALWA CHARGES	84.04	300.00	88.66	450.00
	05080	LAND USE CHANGE FEE	138.78	5000.00	1.13	5000.00
	05085	SUPERVISION CHARGES	557.36	800.00	396.54	975.00
	05090	COMPLETION CHARGES	0.86	50.00	0.03	50.00
	08	LEVY ON NON-CONSTRUCTION	34.02	50.00	46.12	60.00
	05095	OTHERS (F.A.R. , SUB-DIVISION CHARGES, LEGAL EXPENSES (PRIVATE BUILDER) & CONNECTIVITY CHARGES	5019.80	8000.00	6509.15	8000.00
		TOTAL (B)	**15494.96**	**43410.00**	**16433.26**	**44070.00**

3		**INCOME FROM PROPERTIES**				
	09	TRANSFER FEE	125.77	150.00	298.84	350.00
	01010	LEASE RENT	521.88	600.00	921.24	3000.00
	01020	BUILDING RENT	2.37	2.00	6.73	2.00
	01030	RENT OF SHOP	11.79	15.00	23.84	30.00
	01040	HIRE-CHARGES/BOOKING INCOME FROM COMMUNITY CENTRES,CONFERENCE HALL	9.38	10.00	9.61	10.00
	13	FREE HOLD CHARGES	2441.31	3000.00	783.77	900.00
	01050	OTHERS (CHOWKIDAR)	42.44	50.00	76.96	80.00
		TOTAL (C)	**3154.94**	**3827.00**	**2120.99**	**4372.00**
4		**OTHER INCOME FROM SALE/TRANSFER OF PROPERTIES**				
	02	SHARE OF REGISTRATION CHARGES ON TRANSFER/SALE OF PROPERTIES (2% STAMP DUTY)	-	6000.00	3952.79	4000.00
		TOTAL (D)	-	**6000.00**	**3952.79**	**4000.00**
5	04030	**INCOME FROM INVESTMENTS**				
		INTEREST ON TDR/FDR/LOAN	8146.81	9000.00	12619.46	13000.00
		INTEREST ON SB A/C	231.59	250.00	284.59	300.00
		TOTAL (E)	**8378.40**	**9250.00**	**12904.05**	**13300.00**
6	52	**RECOVERY FROM PROJECTS**				
	52010	CEMENT	398.00	500.00	286.16	700.00
	52020	STEEL	200.75	500.00	45.28	600.00
	52030	MAXFAULT	-	-	0.03	-
	52050	G.I. PIPE	2.08	10.00	5.93	25.00
		TESTING FEE , TEMP. DEDUCTIONS, PERMANENT DEDUCTION & OTHERS	27.70	100.00	40.25	100.00
		TOTAL (F)	**628.53**	**1110.00**	**377.65**	**1425.00**

7	06	**OTHER INCOMES**				
	06010	SALE OF MASTER PLAN BOOK/REGISTRATION	0.27	2.00	0.89	3.00
	06030	BOOK/TENDER FORM BROCHURES/OTHER FORMS	446.18	500.00	100.29	500.00
	06040	REGISTRATION OF CONTRACTORS/SUPPLIERS ARCHITECTS	797.46	1000.00	148.26	800.00
		TOTAL (G)	**1243.91**	**1502.00**	**249.44**	**1303.00**
	03	MISCELLANEOUS LIKE ROAD CUTTING/ROLLER WATER CHARGES	239.96	300.00	178.68	300.00
		TOTAL (H)	**239.96**	**300.00**	**178.68**	**300.00**
	11010	SECURITY DEDUCTED-CONTRACTORS	111.00	150.00	157.21	200.00
	11020	SECURITY FROM EMPLOYEES	-	1.00	0.01	1.00
	12	OTHERS (R.T.I. , MAINT., SERVICE,RESTORATIO CHARGES & SALE OF PLANTS)	528.43	700.00	148.90	700.00
		TOTAL (I)	**639.43**	**851.00**	**306.12**	**901.00**
8	07	**INCOME BY DEDUCTION (REFUND)**				
	07010	PLOT	0.05	3.00	0.00	3.00
	07020	BUILDING	0.90	2.00	86.34	10.00
		TOTAL (J)	**0.95**	**5.00**	**86.34**	**13.00**
9	50-51	**SALE OF PLOTS/LAND**				
	50010	SALE OF PLOTS-RESIDENTIALS	2102.16	2200.00	2506.22	9000.00
	50020	SALE OF PLOTS-COMMERCIAL	18082.41	20000.00	11553.71	12000.00
	50030	SALE OF PLOTS-BULK	9344.36	10000.00	1736.34	1500.00
	51010	SALE OF BUILDING-RESIDENTIALS	6447.03	7000.00	4078.00	3500.00
	51030	SALE OF BLG.-SHOPS/COMMERCIAL	3755.79	4000.00	2521.03	2000.00
	51040	OTHERS/BULK SALE (COMMERCIAL)	4492.39	5000.00	4045.42	3000.00
	51050	SALE OF RENTED PROPERTIES	144.24	100.00	279.45	100.00
		TOTAL (K)	**44368.38**	**48300.00**	**26720.17**	**31100.00**

10	54	**LOAN RECEIPTS**				
	a	DEBENTURES & BONDS	-	1.00	-	1.00
	b	STATE GOVERNMENT	-	1.00	-	1.00
	c	FINANCIAL INSTITUTION & BANKS	-	1.00	-	1.00
		TOTAL (L)	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
11	55	**RECOVERY OF LOANS**				
	55010	HOUSING LOAN	1.53	1.00	1.44	1.00
	55020	VEHICLE LOAN	1.19	1.00	0.00	1.00
		HPDA	0.00	0.00	0.00	5000.00
		TOTAL (M)	**2.72**	**2.00**	**1.44**	**5002.00**
12		**DEPOSITS AGST. WORKS AND PROPERTIES**				
	55	GOVERNMENT GRANTS	174.50	200.00	0.00	200.00
		TOTAL (N)	**174.50**	**200.00**	**0.00**	**200.00**
	011030	REGN. MONEY/EARNEST MONEY-PLOTS	24273.53	2000.00	156.92	5000.00
	011040	REGN. MONEY/EARNEST MONEY-BUILDINGS	1964.20	1500.00	10148.76	2000.00
	058	OTHER DEPOSIT AGAINST WORKS	-	10.00	0.00	10.00
		TOTAL (O)	**26237.73**	**3510.00**	**10305.68**	**7010.00**
		GRAND TOTAL (A TO O)	**100659.79**	**118375.00**	**74642.78**	**117299.00**

REVENUE INCOME & EXPENDITURE BUDGET
EXPENDITURE SIDE

(RS. IN LACS)

S.NO.	CODE	HEAD	ACTUAL FOR 2006-07	PROPOSED FOR 2007-08	ACTUAL 2007-08	PROPOSED FOR 2008-09
1	2	3	4	5	6	8
1	24	**ESTABLISHMENT COST**				
	24140	SALARY	1331.98	1600.00	1557.68	1800.00
	24150	WAGES				
	24160	PENSION FUND	49.37	60.00	46.94	60.00
	24170	C.P.F.	187.33	200.00	178.32	180.00
	24180	G.I.S.	1.58	3.00	5.77	6.00
	24190	MEDICAL REIMBURSEMENT	12.45	15.00	19.14	15.00
	24210	HONORARIUM	5.08	5.00	2.93	5.00
	24220	BONUS	22.31	25.00	25.29	25.00
	24230	LEAVE ENCASHMENT	0.25	15.00	0.22	5.00
	24250	G.P.F. / OTHERS	16.01	20.00	11.70	18.00
		TOTAL (a)	**1626.36**	**1943.00**	**1847.99**	**2114.00**
2	25	**TRAINING & WORK SHOP**	29.97	70.00	41.35	70.00
		TOTAL (b)	**29.97**	**70.00**	**41.35**	**70.00**
3	26	**VEHICLE RUNNING**				
	26010	REPAIR & MAINTENANCE	47.26	70.00	52.97	70.00
	26020	P.O.L.	107.18	120.00	84.26	100.00
		TOTAL (c)	**154.44**	**190.00**	**137.23**	**170.00**
4	31	**SURVEY EXPENSES**	1.42	100.00	7.36	100.00
		TOTAL (d)	**1.42**	**100.00**	**7.36**	**100.00**
5	27	**ADMINISTRATION COST**				
	27010	LEGAL EXPENSES (COURT)	132.46	150.00	151.16	175.00

27020	STATIONERY EXPENSES	33.01	40.00	82.55	60.00
27030	PRINTING	121.27	125.00	78.44	120.00
27040	UNIFORM	9.16	10.00	10.90	10.00
27050	TELEPHONE	54.48	60.00	67.48	75.00
27060	ELECTRICITY	25.90	30.00	10.50	35.00
27080	HOUSE & WATER TAX	24.57	30.00	15.55	30.00
27090	POSTAGE	3.14	10.00	12.06	15.00
27100	ENTERTAINMENT,REFRESHMENT & MEETIN	8.09	10.00	12.39	10.00
27110	AUDIT FEE	50.00	100.00	150.00	300.00
27120	LIBRARY NEWS PAPER ETC.	1.85	3.00	1.18	2.00
27130	PURCHASE OF REVENUE STAMPS	-	1.00	0.00	1.00
27140	EXPENSES ON V.C. DISCRETION	-	1.00	0.00	1.00
27150	SPORTS	1.31	5.00	0.40	5.00
27160	TRAVELLING CHARGES	25.10	30.00	31.51	35.00
29060	COMPUTER MAINTENANCE	69.16	80.00	87.17	80.00
27180	COMPUTER SOFTWARE	48.59	50.00	138.76	200.00
27190	PUBLICITY OF VARIOUS SCHEMES	1186.01	1200.00	1211.93	1500.00
27200	AWAS BANDHU U.P. GOVT.	10.00	10.00	10.00	10.00
27210	FUNCTION, INAUGURATIONS & WELCOME / FAREWELL	8.51	20.00	5.67	10.00
28	OFFICE EQUIPMENTS	5.55	10.00	12.07	10.00
27220	MISCELLANEOUS EXPENSES	42.47	50.00	28.39	40.00
	TOTAL (e)	**1860.63**	**2025.00**	**2118.11**	**2724.00**
6	**REPAIR & MAINTENANCE. (CIVIL,ELECT. ETC)**				
29010	OFFICE BUILDING	151.33	100.00	83.46	100.00
29020	RESIDENTIAL BUILDING	16.03	20.00	48.81	50.00

	29030	DRAINAGE	1.55	5.00	5.87	8.00
	29040	SEWAGE	13.01	20.00	10.17	20.00
	29045	WATER SUPPLY	63.48	70.00	51.99	70.00
	29050	ELECTRICITY	114.83	120.00	81.85	120.00
	29080	HORTICULTURE MAINTENANCE ETC.	466.51	500.00	640.81	800.00
	29090	OTHER BLG.,COMMUNITY CENTRES , HOST ETC	25.19	30.00	24.81	30.00
	29095	COLONIES OF DEV. AUTHORITY AREA	9.04	10.00	35.09	100.00
		TOTAL (f)	**860.97**	**875.00**	**982.86**	**1298.00**
7		**DEVELOPMENT/CONST. & OTHER CAPITAL EXP.**				
	70	LAND PAYMENTS	5556.02	24000.00	524.07	27000.00
		TOTAL (g)	**5556.02**	**24000.00**	**524.07**	**27000.00**
8	71	**PURCHASE OF FIXED ASSETS**				
	71010	MECHANICAL EQUIPMENTS	5.62	10.00	2.36	10.00
	71020	PURCHASE OF JEEP / CAR	23.29	10.00	14.18	10.00
		TOTAL (h)	**28.91**	**20.00**	**16.54**	**20.00**
9	72	**LAND DEVELOPMENT**				
10	73	**CONSTRUCTION COST**	7431.57	150000.00	9922.17	180000.00
11	74	**STORE**				
		TOTAL (i)	**7431.57**	**150000.00**	**9922.17**	**180000.00**
12		**LOANS & ADVANCES**				
	75	EMPLOYEES-LOANS	-	5.00	0.00	5.00
	76	ANY OTHER (TEMPRORY)	386.78	200.00	912.74	250.00
		ADVANCE TO HPDA (LOAN)	0	0.00	5000.00	0.00
		TOTAL (j)	**386.78**	**205.00**	**5912.74**	**255.00**
13	78	**REPAYMENT OF LOANS/INTEREST PAID**	373.29	10.00	11.71	10.00
		TOTAL (k)	**373.29**	**10.00**	**11.71**	**10.00**

14	79	**REFUND OF DEPOSITS**				
	79010	REFUND ON CANCEL/SURRENDER-PLOTS	116.87	100.00	104.72	100.00
	79020	REFUND ON CANCELLATION/SURRENDER-BUILDINGS	113.54	100.00	24.93	100.00
		REFUND ON CANCELLATION/SURRENDER-COMMERCIAL	-	500.00	0.00	500.00
	79030	COMPENSATION AS PER COURT	495.92	100.00	413.16	100.00
		TOTAL (I)	**726.33**	**800.00**	**542.81**	**800.00**
15	34	**REFUND OF SECURITY/REGN. AMOUNT**				
	34010	REFUND OF SECURITY TO CONTRACTORS	56.99	100.00	89.23	150.00
	34020	REFUND OF SECURITY TO EMPLOYEES	-	1.00	1.00	1.00
	34040	REGISTRATION/EARNEST MONEY	16925.41	10000.00	28441.47	10000.00
	34050	REFUND OF SECURITY ON COMMUNITY CENTRE GUEST HOUSE /ANY OTHER	0	5.00	0.43	5.00
		TOTAL (m)	**16982.40**	**10106.00**	**28532.13**	**10156.00**
16	80	FUTURE MAINTENANCE FACILITATION/ SERVICES PAID TO NAGAR NIGAM	**105.68**	**100.00**	**211.93**	**200.00**
	81	DEPOSIT WORKS/HPDA	77.64	10.00	10.00	10.00
	82	AVESTHAPANA	-	-	-	-
		GRAND TOTAL	**36202.41**	**190454.00**	**50819.00**	**224927.00**

राजस्व आय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ

1. ब्याज से आय

भवनों/भूखण्डों की किश्तों पर ब्याज (04010)

भवनों/भूखण्डों की किश्तों पर पैनल ब्याज (04020)

इस शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित शैड्यूल पर ब्याज एवम् विलम्ब से जमा किश्तो पर आवंटियों से अतिरिक्त लिये गये दण्ड ब्याज को दर्शाया जाता है। इन मदों में रु. 105.00 लाख के अनुमान के विपरीत वर्ष 2007-08 में रु. 1006.17 लाख की आय प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 4300.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

2. भवन नियन्त्रण विभाग की मदों से आय :

मानचित्र शुल्क से आय (05010)

प्राधिकरण में निर्मित होने वाले निजी एवं संस्थागत भवनों/फैक्टरियों/दुकानों के नक्शों को पास करने से जो शुल्क की राशि प्राप्त होती है, वह इस शीर्षक में दर्शायी जाती है। मानचित्र शुल्क मानचित्रों के जमा होने की संख्या पर निर्भर करता है। 2007-08 में आय लक्ष्य रु. 180.00 लाख के विरुद्ध रु. 134.61 लाख की प्राप्ति हुई है। वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 200.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

समाधान शुल्क : (05020)

इस उपलेखा शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आय भवनों के अनाधिकृत निर्माणों की संख्या तथा उनके शमन पर निर्भर करता है। ऐसे भवन जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार नहीं बनाये जाते है उन भवनों के निर्माणकर्ताओं से भवन के विचलन के आधार पर नियमानुसार समाधान शुल्क लिया जाता है। वर्ष 2007-08 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध रु. 4908.89 लाख की प्राप्ति हुई, वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 5200.00 लाख की आय का अनुमान रखा जा रहा है।

लाईसेंस शुल्क : (05030)

इस मद में प्राईवेट बिल्डर्स द्वारा जो कालोनियाँ विकसित की जा रही है उनमें शासन के निर्देशानुसार प्रति एकड़ की दर से लाईसेन्स फीस ली जानी प्रस्तावित है। तदानुसार इस मद में रु. 100.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

न्यायालय से प्रापत दण्ड से आय : (10)

अनाधिकृत निर्माणों के प्राधिकरण द्वारा चालान करने पर कुछ निर्माणकर्ता न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। न्यायालय द्वारा जो पैनल्टी निर्माणकर्ताओं पर लगायी जाती है, वह न्यायालय के माध्यम से पी.एल.ए. खाते में जमा हो रही है। अनुमान रु. 25.00 लाख के विरुद्ध रु. 12.62 लाख की प्राप्ति हुई है। वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 25.00 लाख की आय का प्राविधान प्रस्तावित है।

विकास शुल्क : (05050)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निजी बिल्डर्स द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं व प्राईवेट कालोनियों के विन्यास मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व नियमानुसार विकास शुल्क लिया जाता है। वर्ष 2007-08 आय आनुमान रु. 8000.00 के विरुद्ध रु. 4332.51 लाख की प्राप्ति हुई है। निजी बिल्डर्स द्वारा शासन की नीति के तहत होने वाले निर्माण/विकास कार्यों को दृष्टीगत रखते हुए, इस मद में 2008-09 के लिए पुनः रु. 8000.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है।

लेवी से आय : (08)

प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों पर नियमानुसार 5 वर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होता है, अन्यथा आवंटितयों से नियमानुसार प्रति वर्ष लेवी चार्ज की जाती है और आवंटन निरस्त किया जा सकता है। लेवी की देयता के दृष्टिगत इस मद से रु. 50.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था। जिसके विरुद्ध रु. 46.12 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 60.00 लाख का अनुमान रखा जा रहा है।

3. किराये से आय (01)

इस शीर्षक के अन्तर्गत किराये से प्राप्त आय की निम्नलिखित कुल 5 उपमदों को शामिल किया गया है :

हस्तान्तरण शुल्क/नामान्तरण : (09)

शासन की नीतियों के अनुसार अब अधिकतर सम्पत्तियों का निस्तारण फ्रीहोल्ड के आधार पर किया जा रहा है, जिससे आवंटियों को अपनी सम्पत्ति बेचने से प्राधिकरण से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्रेता सुविधानुसार नामांतरण के लिए सम्पत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत जमा कर नामान्तरण करा सकते है। इस मद के रु. 150.00 लाख के अनुमान के विपरीत रु. 298.84 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 350.00 लाख का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

लीज किराया : (01010)

प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड 90 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर विक्रय किये जाते है। पूर्व वर्षों में निर्धारित लीज किराया प्रत्येक वर्ष का आवंटियों को जमा करना होता था। शासनादेश संख्या 7695/11/5/80 नि. 86 दिनांक 23.10.86 के द्वारा भूखण्डों का लीज किराया उनकी कीमत का 10 प्रतिशत भूखण्ड का कब्जा देते समय ही प्राप्त करने की सुविधा लागू की गयी। तदोपरान्त आवंटी का 90 वर्ष तक कोई लीज किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी। तदानुसार 1986 से ही प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों एवं भवनों के कब्जे देने से पूर्व लीज किराया लिया जा रहा है। इस मद में रु. 600.00 लाख की आय अनुमान के विरुद्ध रु. 921.24 की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 3000.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित है।

भवनों का किराया : (01020)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा किराये पर आवंटित भवनों से प्राप्त धनराशि को दर्शाया जाता है। किराये के भवनों को शासन की नीति के तहत विक्रय

किया जा रहा है। इस वर्ष केवल अतिदेय की वसूली भी की जा रही है। अतः इस मद में रु. 2.00 लाख का आय अनुमान रखा गया था, जिसके विरुद्ध रु. 6.73 लाख की प्राप्ति हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 2.00 लाख आय का प्राविधान किया जा रहा है।

दुकानों का किराया : (01030)

इसी शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा किराये पर आवंटित दुकानों से प्राप्त धनराशि को दर्शाया जाता है। इस मद में रु. 15.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था, जिसके विरुद्ध रु. 23.84 लाख की प्राप्ति हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 30.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

सामुदायिक केन्द्र का किराया : (01040)

इस वर्ष के आय अनुमान रु. 10.00 लाख के विरुद्ध रु. 9.61 लाख की प्राप्ति हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीलय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 10.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

फ्री-होल्ड चार्जेज : (13)

इस वर्ष के आय अनुमान रु. 3000.00 लाख के विरुद्ध रु. 783.77 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 900.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

अन्य किराया : (01050)

इस मद के अन्तर्गत कार्यालय प्रांगण में स्थित साईकिल स्टैन्ड, कैन्टीन, यू.पी. बार्डर पर प्लाट/शेड, हापुड मार्ग पैट्रोल पम्पों के भूखण्ड, इन्दिरा प्रियदर्शनी पार्क आदि से प्राप्त आय को दर्शाया जाता है। इस मद में रु. 50.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 76.96 लाख की प्राप्त हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 80.00 लाख की आय प्रस्तावित है।

4. स्टाम्प ड्यूटी से आय : (02)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भूखण्डों/भवनों के पंजीकरण (रजिस्ट्री) के समय देय स्टाम्प ड्यूटी की कुल बिक्री का 2 प्रतिशत अंश का 1/3 भाग प्राप्त होता है। शेष दो हिस्से आवास विकास परिषद एवं नगर निगम को मिलते है। प्राधिकरण को यह राशि राजस्व परिषद इलाहाबाद से प्राप्त होती है। इस मद में प्रस्तावित अनुमान रु. 6000.00 लाख के विरुद्ध मार्च 2008 तक रु. 3952.79 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 4000.00 लाख का अनुमान रखा जा रहा है।

विनियोग पर ब्याज : (04030)

इसके अन्तर्गत ब्याज की वह राशि दर्शायी जाती है, जो प्राधिकरण के द्वारा विनियोग की गई राशि पर प्राप्त होती है तथा प्राधिकरण के बचत बैंक खातों से मिलती है। वर्ष 2007-08 में रु. 12904.05 लाख की प्राप्ति हुई, एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए रु. 13300.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

6. भण्डार की कटौतियाँ (52)

निर्माण सामग्री जैसे स्टील, सीमेंट, जी.आई. पाइप आदि का प्राधिकरण के केन्द्रीय भण्डार से ठेकेदारों को निर्गत की जाती है। ठेकेदारों के बिलों से निर्गत सामग्री के मूल्य की कटौती की जाती है, जिसको इस मद के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। यह मद वास्तव में आय की मद नहीं हे। इस मद में कुल कटौती रु. 1110.00 लाख के अनुमान के विरुद्ध रु. 377.65 लाख की रही है। चालू वर्ष में चल रहे निर्माण/विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 1425.00 लाख की आय का अनुमान है।

7. विभिन्न प्रपत्रों की बिक्री से आय : (06)

योजनाओं के ब्रोशर की बिक्री से आय : (06030)

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा योजनाओं से सम्बन्धित पंजीकरण टेण्डर पुस्तिका आदि के विरुद्ध प्राप्त मूल्य को दर्शाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में

प्राविधानित रु. 1502.00 लाख के विरुद्ध रु. 249.44 लाख की प्राप्ति हुई है, तदानुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 1303.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

प्राधिकरण क्षेत्र की कालोनियों से जल सम्पूर्ति/रखरखाव शुल्क : (03)

प्राधिकरण की वह कालोनियों जो अभी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हुई है, उनमें जल सम्पूर्ति, सीवरेज, सफाई आदि की रखरखाव व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जाती है। आवंटियों से रखरखाव हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इस मद में रु. 300.00 लाख की आय अनुमान के विरुद्ध रु. 178.68 लाख की प्राप्ति हुई, वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 300.00 लाख का अनुमान है।

जमानत/पंजीकरण से आय : (11)

ठेकेदारों की जमानत : 11010

ठेकेदारों के बिलों से नकद जमानत मद में की गई वसूली की गई धनराशि को दर्शाया जाता है। इस मद में रु. 150.00 लाख के अनुमान के विरुद्ध रु. 157.21 लाख की प्राप्ति हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 200.00 लाख का अनुमान है।

8. जमा किश्तों की वापसी पर कटौती से आय : (07)

भूखण्डों पर (07010)

भवनों पर (07020)

प्राधिकरण के नियम के अन्तर्गत निरस्तीकरण/सम्पत्ति स्वामी की प्रार्थना पर जो रिफण्ड किया जाता है वह राशि इस शीर्ष में दर्शायी जाती है। यह कटौतियाँ पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होती है। जिन भवनों/भूखण्डों के कब्जे पत्र जारी हो चुके है, उनमें रिफण्ड करते समय समस्त जमा राशि की नियमानुसार कटौती की जाती है। इस मद में रु. 5.00 लाख के विपरीत रु. 86.34 लाख की प्राप्ति हुई है। तदानुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 13.00 लाख का अनुमान रखा जा रहा है।

9. सम्पत्ति बिक्री से आय

भूखण्डों की बिक्री (50)
भवनों की बिक्री (51)

इस मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु प्राविधानित राशि रु. 48300.00 लाख आय का अनुमान रखा गया था, जिसके विपरीत रु. 26720.17 लाख की प्राप्ति हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 31100.00 लाख की आय में अनुमान किया जा रहा है।

10. ऋणों की प्राप्ति (54)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विगत दस वर्षों में हुडको/वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण नहीं लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अपने ही संसाधनों से निर्माण/विकास, अवस्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है एवं 2008-09 हेतु ऋण प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है। अतः इस मद में रु. 3.00 लाख का टोकन प्राविधान किया जा रहा है।

11. प्राधिकरण द्वारा दिये गये ऋण की वसूली : (55)

भवन निर्माण हेतु (55010)
वाहन क्रय हेतु (55020)

इस लेखा शीर्षक के अनतर्गत प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये गये भवन-निर्माण अग्रिम एवं वाहन क्रय अग्रिम की वसूली से प्राप्त होने वाली धनराशि को दर्शाया जाता है। इस मद में रु. 1.00 लाख की आय का अनुमान किया गया था, जिसके विपरीत रु. 1.44 लाख की प्राप्ति हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 1.00 लाख की आय का अनुमान रखा जा रहा है।

शासकीय अनुदान : (55)

वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु. 200.00 लाख के अनुदान का प्राविधान किया गया था, जिसके विरुद्ध रु. शून्य लाख की प्राप्ति हुई है। तदानुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 200.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

भूखण्डों का पंजीकरण : (11030)
भवनों का पंजीकरण : (11040)

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूखण्डो/भवनों एवं व्यवसायिक सम्पत्ति के विक्रय हेतु आवेदन के समय पंजीकरण से प्राप्त धनराशि को दर्शाया जाता है। इस वर्ष के आय अनुमान रु. 3510.00 लाख के विपरीत रु. 10305.68 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 7000.00 लाख की आय का प्राविधान किया जा रहा है।

डिपाजिट कार्य से आय : (58)

विभिन्न संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अपने निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा कराये जाने हेतु जो अग्रिम धनराशि दी जाती है, वह इस मद में दर्शाया जाती है। रु. 10.00 लाख के प्राविधान के विरुद्ध कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। तदानुसार इस मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 10.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

राजस्व व्यय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ

1. अधिष्ठान के वेतन भत्ते : (24)

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के नियमित, दैनिक वेतन व कान्ट्रैक्ट पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता आदि के व्यय को दर्शाया जाता है। वेतन के अतिरिक्त चिकित्सा-व्यय, मानदेय, बोनस, अवकाश नकदीकरण, अवकाश वेतन, पेन्शन अंशदान आदि अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय इसी मद में आते है। इस मद में कुल रु. 1943.00 लाख का प्राविधान विरुद्ध रु. 1847.99 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु इस मद में रु. 2114.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

2. रिसर्च, ट्रेनिंग, डिजाईन एवं परामर्श शुल्क : (25)

प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं पर बाहरी एजेन्सियों से परामर्श एवं आर्किटैक्ट आदि पर व्यय, बैलेन्स शीट बनवाने पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को किया गया भुगतान तथा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर किये गये व्ययों को इस मद में दर्शाया जाता है। इस मद में अधिकांश व्यय प्राधिकरण की योजना में डिजाईनिंग कार्य से सम्बन्धित आर्किटैक्ट की फीस का होता है। इस वर्ष व्यय अनुमान रु. 70.00 लाख के विरुद्ध रु. 41.35 लाख का व्यय हुआ है। पुलों एवं मेट्रो रेल की परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु इस मद में रु. 70.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

3. मशीनरी, संयत्र, जीप व स्टाफ कार आदि पर व्यय : (26)

मरम्मत पर व्यय (26010)

पैट्रोल, डीजल आदि पर व्यय : (26020)

प्राधिकरण के वाहनों, पम्प सैट तथा जनरेटर की मरम्मत एवं पैट्रोल, डीजल आदि के व्ययों को उपरोक्त मद में शामिल किया जाता है। इस वर्ष इन मदों के व्यय प्राविधान रु. 190.00 लाख के विरूद्ध रु. 137.23 लाख का हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु इस मद में रु. 170.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

4. सर्वे : (31)

नई योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व भूमि तथा क्षेत्र के सर्वे पर किया जाने वाला व्यय इस मद में दर्शाया जाता है। व्यय प्राविधान रु. 100.00 लाख के विरुद्ध रु. 7.36 लाख का व्यय हुआ है। प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले पुलों मैट्रो इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 100.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

5. कार्यालय प्रकीर्ण व्यय : (27)

इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कार्यालय के सामान्य कार्यकलापों के संचालन हेतु आवर्तक व्यय का प्राविधान किया जाता है। व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य से लेखन सामग्री, मुद्रण, यात्रा भत्ता, कर्मचारियों को वर्दी, दूरभाष, कार्यालय के विद्युत बिलों के भुगतान, कम्प्यूटर, सोफ्टवेयर डाक व रसीदी टिकट पर व्यय, सम्परीक्षा शुल्क, खेलकूद, पुस्तकालय पत्रिका एवं समाचार पत्रों पर व्यय, गृहकर एवं जलकर, विज्ञापन तथा विधि व्यय आदि का प्राविधान किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त जलपान एवं अतिथि स्वागत पर व्यय तथा राष्ट्रीय पर्वों पर होने वाले व्ययों के लिये प्राविधान किया जाता है। शासनादेश सं. 2713/9-आ-11 विविध/97 दिनांक 07.06.97 के तहत

रु. 10.00 लाख प्रतिवर्ष का भुगतान आवास बन्धु उ.प्र. शासन को किया जाना है। सुविधा की दृष्टि से इस शीर्षक में दर्शाया जाता है।

विगत वर्ष योजनाओं के प्रसारणों पर रु. 1200.00 लाख का व्यय प्राविधान किया गया जिसके विपरीत रु. 1211.93 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु इस मद में रु. 1500.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

विगत वित्तीय वर्ष कानूनी व्यय हेतु रु. 150.00 लाख का प्राविधान किया गया, जिसके विपरीत रु. 151.16 लाख का हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 175.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

कार्यालय लेखन सामग्री मद में रु. 40.00 लाख का व्यय प्राविधान के विपरीत रु. 82.55 लाख का हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 60.00 लाख का प्राविधान रखा गया है।

बिजली आपूर्ति के मद में रु. 30.00 लाख के प्राविधान के विपरीत रु. 10.50 लाख का हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु में रु. 35.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

प्राधिकरण के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा समपरीक्षा, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है, जिसके लिये शासन द्वारा निर्धारित फीस देय होती है। रु. 100.00 लाख का व्यय प्राविधान के विपरीत रु. 150.00 लाख का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 300.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है। यात्रा भत्ता मद में रु. 30.00 लाख के व्यय का प्राविधान के विपरीत रु. 31.51 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 35.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

इस प्रकार प्रकीर्ण व्यय मद के अन्तर्गत समस्त मदों को मिलाकर कुल रु. 2025.00 लाख के व्यय अनुमान के विरुद्ध रु. 2118.11 लाख का व्यय किया गया है। तदानुसार इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए रु. 2724.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

6. रख-रखाव पर व्यय : (29)

इस मद के अन्तर्गत कुल 9 उपमदें सम्मिलित है, जिसमें कार्यालय भवन, स्टाफ आवासीय भवन रख-रखाव, जलोत्सारण, सीवरेज, जल सम्पूर्ति, विद्युत रख रखाव, पार्क आदि के रख रखाव के व्यय को अलग-अलग दर्शाया गया है। इन समस्त उप मदों को मिलाकर रखरखाव मद पर कुल रु. 875.00 लाख के व्यय का प्राविधान के विपरीत कुल रु. 982.86 लाख हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 1298.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

7. भूमि अर्जन व्यय : (70)

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं हेतु भूमि अर्जन व्यय का प्राविधान इस मद में किया जाता है। व्यय प्राविधान रु. 24000.00 लाख के विरुद्ध रु. 524.07 का व्यय किया गया है। प्रस्तावित योजनाओं के अधिग्रहण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, इस मद में वित्तीय-वर्ष 2008-09 हेतु रु. 27000.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

8. मशीनरी, संयंत्र तथा स्टाफ कार का क्रय : (71)

इस मद में रु. 20.00 लाख के व्यय प्राविधान के विपरीत कुल व्यय रु. 16.54 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 रु. 20.00 लाख के व्यय का प्राविधान किया जा रहा है।

55

9. विकास कार्य/निर्माण/भण्डार : (72) / अवस्थापना (82)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के विकास निर्माण एवं स्टोर से सम्बन्धित कार्यों का व्यय दर्शाया जाता है, जिसमें भवन निर्माण, सड़कों का निर्माण, जल सम्पूर्ति, जलोत्सारण, वर्षा जल निकासी, विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था, वृक्षारोपण, हरित पट्टी एवं पार्क निर्माण एवं अवस्थापना आदि के व्यय सम्मिलित है। वर्ष 2007-08 में योजनाओं के विकास कार्यों हेतु रु. 150000.00 लाख का व्यय प्राविधान किया गया था, जिसके विपरीत तक रु. 9922.17 लाख का व्यय हुआ है। प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ने वाले कार्य एवं अवस्थापना के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न योजनाओं के अपूर्ण निर्माण एवं विकास कार्य, फ्लाई ओवर/आर.ओ.बी. तथा नई योजनाओं में विकास कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मैट्रो परियोजना पर होने वाले व्यय रु. 100000.00 लाख को दृष्टिगत रखते हुए, इस मद में रु. 180000.00 लाख के व्यय का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

10. जमा किश्तों की वापसी निरस्त व परित्याग पर : (79)

उक्त मदों के अन्तर्गत भूखण्डों तथा भवनों के आवंटन के पश्चात् जो आवंटी भवनों/भूखण्ड का परित्याग करते है अथवा प्राधिकरण द्वारा आवंटन अनियमित होने पर निरस्त किया जाता है, निरस्तीकरण उपरांत वापसी योग्य राशि इस मद के अन्तर्गत दर्शायी जाती है। कई मामलों में रिफण्ड के साथ-साथ न्यायालय के आदेश होने पर क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ती है। इस क्षतिपूर्ति के भुगतान को अलग उपमद में इसी मद में दर्शाया जाता है। इस मद में कुल रु. 800.00 लाख का व्यय प्राविधान किया गया था, जिसके विपरीत रु. 542.81 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 800.00 लाख का व्यय प्राविधान किया जा रहा है।

11. जमानत/पंजीकरण की वापसी : (34)

ठेकेदारों को : 34010

इस मद के अन्तर्गत ठेकेदारों के बिलों से जमानत मद में की गई नकद कटौतियों को अन्तिम बिल के पश्चात् कार्य सन्तोषजनक होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के सत्यापन उपरान्त वापसी को दर्शाया जाता है। रु. 100.00 लाख के व्यय प्राविधान के विरुद्ध रु. 89.23 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 150.00 लाख का व्यय का अनुमान प्रस्तावित है।

12. भवनों/भूखण्डों के पंजीकरण की वापिसी : (34040)

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण के समय प्राप्त आवेदन पत्रों में से असफल आवेदकों को जमा धनराशि वापस की जाती है। इस व्यय को उपरोक्त सम्बन्धित मद में दर्शाया जाता है। भवनों/भूखण्डों की पंजीकरण वापसी मदों में क्रमशः रु. 10000.00 लाख के विरुद्ध रु. 28441.47 लाख का व्यय हुआ है। मधुबन, बापू धाम, इन्दिरापुरम विस्तार तथा इन्दिरापुरम प्राईम योजनाओं के आवेदकों की धनराशि वापिसी को दृष्टिगत रखते हुये इस मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रु. 10000.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

मद सं0 4

विषय :– आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के लेखों की जॉच हेतु स्पेशल आडिट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

आयकर आयुक्त, गाजियाबाद के पत्र सं0 आडिट 142(2ए)/जीडीए/एसीआईटी–सर–1/गाजियाबाद/07–08/2134 दिनॉक 27–12–07 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के लेखों की जॉच हेतु स्पेशल आडिटर नियुक्त किया गया है ।

आयकर विभाग द्वारा पूर्व में भी कर निर्धारण वर्ष 2004–05 के लिये भी स्पेशल आडिटर नियुक्त किया गया था जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की गई है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयकर विभाग से सम्बन्धित चार याचिकाओं में स्थगन आदेश दिये हैं जिनकी कार्यवाही श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री निखिल कुमार, एडवोकेट तथा श्री मनोज जैन चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संयुक्त रुप से की जा रही है । इन रिट याचिकाओं की पैरवी हेतु श्री ध्रुव अग्रवाल को रु0 1.50 लाख प्रति तिथि की दर से किये जाने वाला भुगतान प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत है ।

वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के स्पेशल आडिटर नियुक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कार्यवाही हेतु श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता से राय एवं फीस की जानकारी चाही गई थी । पिछले अनुभव के आधार पर इस बार फीस की जानकारी प्रति पैरवी न लेकर " टर्न की बेसिस" पर पूरे वाद निस्तारण के लिये एक मुश्त मॉग की गई है । उनकी ओर से श्री मनोज जैन, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट ने फीस की जानकारी उपलब्ध करायी है जो निम्नानुसार है :–

1– श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता	रु0 15.00 लाख
2– श्री निखिल अग्रवाल, एडवोकेट	रु0 1.00 लाख
3– श्री मनोज जैन, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट	रु0 4.00 लाख
	रु0 20.00 लाख

फीस का भुगतान निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

1– रिट दायर करने के समय	20 प्रतिशत
2– प्रथम सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पर	20 प्रतिशत
3– चौथी सुनवाई के बाद	20 प्रतिशत
4– आठवी सुनवाई के बाद	20 प्रतिशत
5– अंतिम सुनवाई के बाद	20 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत क्लर्केज एवं यात्रा भत्ता आदि अन्य खर्च अलग से देय होगें । इस प्रकार प्रति पैरवी के आधार पर किये जाने वाले भुगतान के समक्ष सम्पूर्ण वाद के लिये एक मुश्त मॉगी गई धनराशि काफी कम प्रतीत होती है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में एवं आयकर निर्धारण वर्ष 2005–06 में संभावित करारोपण को दृष्टिगत रखते हुये श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता से माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही करायी जा रही है ।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

(1) 58

F.No. Audit 142(2A)/GDA/ACIT-Cir-1/GZB/07-08/2134

OFFICE OF THE
ASSTT. CONMMISSIONEROF INCOME TAX
CIRCLE-1, C.G.O. COMPLEX-I
HAPUR CHUNGI, GHAZIABZAD.

Dated: 27.12.2007

To

The Vice Chairman,
Ghaziabad Development Authority,
Hapur Road,
Ghaziabad.

Sub: Conducting of special audit u/s 142(2A) of I.T. Act, 1961 – Appointment of Auditor in the case of M/s. Ghaziabad Development Authority - A.Y. 2005-06 –

Kindly refer to this office letter dated 17/12/2007 on the above subject.

2. In view of the defects and complexity of the accounts as brought out in the letter dated 17/12/2007 and in the absence of proper/satisfactory explanation from your side, it has been considered necessary to get your accounts audited as defined in explanation below sub-section (2) of Section 288 of I.T. Act, 1961 for the above assessment year and obtain an audit report by the Accountant u/s 142(2A) of I.T.Act, 1961 nominated by the Commissioner of Income-tax, Ghaziabad. Accordingly you are hereby directed to get the accounts audited for the assessment year 2005-06 by M/s Rishi Kapoor & Co., 9 & 10, 1st Floor, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad u/s 142(2A) read with section 142(2B) (2C) and (2D) of I.T.Act, 1961 and to furnish the report of such audit in the prescribed form (Rule 14 A) of I.T. Rules and Form No. 6B for Audit Report u/s 142(2A) of I.T. Act, 1961 duly signed and verified by such Accountant within a period of 120 days from the date on which directions u/s 142(2A) is received by you.

1277/MC
28-12-07

(Arun Kumar)
Asstt. Commissioner of Income-tax,
Circle-1, Ghaziabad.

Even No. & Date :-

Copy for information to –

1. The Commissioner of Income Tax, Ghaziabad [Attn: ITO (T)]
2. The Addl. Commissioner of Income Tax, Range-1, Ghaziabad.
3. M/s Rishi Kapoor & Co., 9 & 10, 1st Floor, RDC, Ghaziabad.

Asstt. Commissioner of Income Tax,
Circle-1, Ghaziabad.

मद संख्या- 5

निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर में हाईटैक टाउनशिप स्कीम एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति -

1– **हाईटैक टाउनशिपः**

उ0प्र0 शासन द्वारा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से उ0प्र0 में हाइटैक टाउनशिप का विकास करने के लिये पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु शासनादेश संख्या 6067/9–आ–2–2003–34 विविध/03 दिनांक 22.11.03 के अधीन नीति घोषित की गई थी। उक्त नीति के अनुपालन में शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2712–आ–1–06 दिनांक 21.05.05 द्वारा **गाजियाबाद नगर** के लिये निम्न **दो** एवं शासनादेश संख्या 6913/8–06–51–रिट/06 दिनांक 28.11.06 द्वारा दादरी, **गौतमबुद्धनगर** के लिये **एक** विकासकर्ता/ कन्सोर्सियम कम्पनीं का चयन किया गया :–

क्र0सं0	विकासकर्ता/ कन्सोर्सियम कम्पनीं	विकास क्षेत्र
1–	उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0	गाजियाबाद
2–	मै0 सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0	गाजियाबाद
3–	मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सॉर्शियम)	गौतमबुद्धनगर

अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु के पत्र संख्या 290/आ0ब0–4/नियोजन/हाई–टाउनशिप/05 दिनांक 25 नवम्बर 2005 के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा **मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0** एवं **मै0 सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0** के साथ क्रमशः दिनांक **30.11.2005** व दिनांक **20.12.2005** को शासन द्वारा प्रेषित एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया। शासनादेश संख्या 6913/8–06–51–रिट/06 दिनांक 28.11.06 के अनुपालन में **मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सॉर्शियम)** के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन हेतु शासन द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कम्पीटेन्ट अथॉरिटी नामित किया गया है, जिसके क्रम में शासन द्वारा चयनित हाइटैक सिटी के विकास हेतु **मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सॉर्शियम)** के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक **13.12.2006** में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया।

मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा माह फरवरी 2006 में 4647.36 एकड़ भूमि पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात अपने प्रस्ताव को पुनरीक्षित करते हुए लगभग 1510 एकड़ भूमि पर योजना विकसित करने हेतु दिनांक 15.04.2006 को पुनः प्रस्ताव दिया गया। उक्त **1510** एकड़ भूमि में ग्राम **महरौली, बयाना, शाहपुर बम्हैटा, दुरियाई, डासना, सादिकपुर काजीपुर, नायफल** की भूमि सम्मिलित है। उक्त प्रस्ताव हाईटैक नीति के अनुसार पत्रांक 242/2006 दिनांक 17.05.2006 के द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को भू–अधिग्रहण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा 585.337 हैक्टेयर (1446.368 एकड़) भूमि की **धारा–4(1) की विज्ञप्ति** क्रमशः दिनांक **29.08.2006**, दिनांक 02.11.2006 व 28.12.2006 में जारी की जा चुकी है तथा 23.10 हेक्टेयर (57.087 एकड़) भूमि के पुर्नग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। विकासकर्ता द्वारा धारा–4(1) की विज्ञप्ति हेतु प्रतिकर की वांछित धनराशि रू0 39.19 करोड तथा धारा 6(17) की विज्ञप्ति हेतु आवश्यक 70% प्रतिकर की धनराशि में से र0 176.08 करोड दिनांक 17.11.2006 में जमा कराये जा चुके हैं।

मै0 सनसिटी प्रोजेक्टस प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 06.02.2006 में 3432.25 एकड़ भूमि पर, तत्पश्चात अपने प्रस्ताव को पुनरीक्षित करते हुये लगभग 1504 एकड़ भूमि पर योजना विकसित करने हेतु दिनांक 05.04.2006 को पुनः प्रस्ताव दिया गया जिसमें ग्राम **डासना, बयाना, सादतनगर इकला, नायफल, सादिकपुर काजीपुर** की भूमि सम्मिलित है। उक्त प्रस्ताव हाईटैक नीति के अनुसार पत्रांक 242/2006 दिनांक 17.05.2006 के द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अर्जन हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसका कुल **1502.02** एकड़ भूमि का संशोधित प्रस्ताव पुनः जिलाधिकारी को भेजा गया है। जिसके अनुसार 537.597 है0 (1327.86 एकड़) भूमि के अर्जन हेतु शासन द्वारा

एस0 के0 जमान
प्री0 एन0 टी0 पी0

धारा–4 (1) **की विज्ञप्ति** दिनांक **29 अगस्त, 2006** में जारी की गई है तथा 13.014 हेक्टेयर का पूरक प्रस्ताव है। 57.25 हेक्टेयर (141.465 एकड़) भूमि के पुर्नग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी गाजियाबाद को दिनांक 30.10.2006 में प्रेषित किया गया है। विकासकर्ता द्वारा धारा 4(1) की विज्ञप्ति हेतु प्रतिकर की वांछित धनराशि के विरुद्ध रू0 30.70 करोड दिनांक 31.07.2006 तक जमा कराये जा चुके हैं। **धारा 6(17) की विज्ञप्ति** हेतु विकासकर्ता द्वारा **कोई धनराशि जमा नहीं करायी गई है।**

उपरोक्त दोनो विकासकर्ताओं द्वारा टाउनशिप विकसित करने हेतु **कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0** प्राधिकरण में प्रस्तुत की गई। कार्यालय ज्ञाप संख्या 2258/आठ– 1–06–53 विविध/03 दिनांक 27.04.2006 में शासन द्वारा डी0पी0आर0 के परीक्षण/ संस्तुति हेतु गठित समिति द्वारा **समिति की बैठक दिनांक 01.07.2006 में** मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 तथा मैसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा **प्रस्तुत कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0** को कतिपय संशोधनों के साथ **सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई।** समिति की संस्तुति के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 20.07.2006 में दोनों निजी विकासकर्ताओं की कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

शासनादेश संख्या 2915/आठ–1–06–45 विविध/06 टीसी दिनांक 18 मई 2006, हाईटैक टाउनशिप नीति–2006 के प्रस्तर–6.13 में उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–154(2) के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु वर्तमान व्यवस्थानुसार मण्डलायुक्तों को अधिकृत किया गया है। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनियों मै0 उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 एवं मै0 सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर, टाउनशिप हेतु चिंहित भूमि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–154 के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण पर छूट हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर मुख्य साचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक **04.09.2006** में उपरोक्त दोनो विकासकर्ता कम्पनियों को **1500** एकड़ भूमि पर **छूट अनुमन्य किये जाने** का निर्णय लिया गया।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2006 के मद संख्या–35 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार मै0 उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 एवं मै0 सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 की योजनाओं के कुल **3000 एकड़ भूमि का भू–उपयोग कृषि भू–उपयोग से प्रस्तावित हाईटैक सिटी हेतु आवासीय न्यून घनत्व किये जाने** का प्रस्ताव प्राधिकरण के पत्र संख्या–520/नियो0अनु0/06 दिनांक **29.12.2006** के द्वारा शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

मै. उत्तम स्टील एण्ड एसोसिएट्स (कन्सोर्शियम)

उ0प्र0 शासन द्वारा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से उ0प्र0 में हाईटेक टाउनशिप का विकास करने के लिये पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु **शासनासदेश संख्या 6913/8-06- 51-रिट/06 दिनांक 28.11.2006 के अनुपालन में मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएटस (कन्सार्शियम)** के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 1500 एकड़ या अधिक भूमि के विकास हेतु **दिनांक 13.12.2006 में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया।** बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2006 में मद संख्या-5 पर शासन द्वारा चयनित हाईटैक सिटी के विकास हेतु मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सार्शियम) के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये एम.ओ.यू. पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स/(कन्शॉसियम) द्वारा तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर के **पांच ग्रामों बील अकबरपुर, भोगपुर, चमरावली रायगढ़, दत्तावली व कैमराला चक्रसैनपुर की 2504 एकड़ भूमि पर** हाइटैक सिटी की प्रस्तावना करते हुये दिनांक 20.01.2006 डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई है। **डी.पी.आर. में उल्लिखित पांचो ग्रामों का क्षेत्र गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है** वरन् ग्रेटर

सी0 ए0 टी0 पी0

नोयड़ा विकास प्राधिकरण फेस-2 में अधिसूचित हैं। उक्त ग्राम गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2007 में मद संख्या-23 पर रखा गया था। बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि "मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित हाईटैक टाउनशिप के प्रस्तावित समस्त राजस्व **ग्रामों को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये** तथा साथ ही शासन से यह अनुरोध भी कर लिया जाये कि उक्त के सम्बन्ध में एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड की सहमति भी प्राप्त कर ली जाये।"

बोर्ड के निर्णय के परिपेक्ष्य में उक्त ग्राम, गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 169/नि0अनु0/07 दिनांक 22.01.2007 के माध्यम से शासन को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके प्रतिउत्तर में **शासन द्वारा पत्र दिनांक 25.01.07 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पांच ग्रामों बील अकबरपुर, भोगपुर, चमरावली रायगढ़, दत्तावली व कैमराला चक्रसैनपुर को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा ग्रेटर नोयड़ा फेस-2 से बाहर किया जाना प्रस्तावित है परन्तु तत्सम्बन्धी सूचना अभी निर्गत होने की प्रक्रिया में है।** पुनः शासन को पत्र संख्या-206/नियोजन अनुभाग/07 दिनांक 21.02.2007 के माध्यम से पुनः शासन से अनुरोध किया 'गया कि पांचों ग्रामों को ग्रेटर नोयड़ा फेस-2 से निकालकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना शीघ्र जारी करने का कष्ट करें। इसके उपरान्त पत्र संख्या-207/ नियोजन अनुभाग/07 दिनांक 21.02.2007 के माध्यम से उपरोक्त ग्रामों का वर्तमान भू-उपयोग कृषि को परिवर्तित करके आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में भी अनुरोध किया गया। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 03.02.2007 के निर्णय के क्रम में विकासकर्ता को पुनः कन्सेप्चुअल संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में विकासकर्ता द्वारा संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत की गयी जो कि समिति की बैठक दिनांक 24.03.07 में विचारार्थ प्रस्तुत की गयी जिसके परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चयनित स्थल को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अधीन अधिसूचित किया जाना होगा। इस प्रकरण में दिनांक 21.01.08 को पुनः समिति की बैठक हुई जिसमें कन्सेप्चुवल डी.पी.आर. के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखे जाने की संस्तुति की गयी। प्रकरण पर सरकुलेशन के माध्यम से बोर्ड के अनुमोदन दिनांक 05.02.08 के उपरान्त कतिपय शर्तों के साथ कन्सेप्चुवल डी.पी.आर. प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में शासन से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त योजना से सम्बन्धित कार्य अब बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा देखा जाना है। अतः शासन द्वारा गठित समिति की अभियुक्तियाँ/ संस्तुतियाँ तथा कन्सेप्चुअल डी.पी.आर. एवं पत्राचार से सम्बन्धित सभी मूल अभिलेख प्राधिकरण के पत्र संख्या 719/एम.पी./08-09 दिनांक 22.04.08 के द्वारा बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं।

2– **इन्टीग्रेटिड टाउनशिपः**

उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति शासनादेश संख्या–2799/ 8–1–05–34 विविध/2003 दिनांक 21.05.2005 द्वारा घोषित की गई है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 5873/8–1–05–34 विविध/2003 दिनांक 29.12.2005 के अधीन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्गत उक्त शासनादेश द्वारा लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क, नगरीय विकास शुल्क, बाहय विकास शुल्क की गणना हेतु मापदंड, भूमि आवंटन/असेम्बली हेतु अधिकतम क्षेत्रफल, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, विकास कार्य की पूर्णता हेतु परफोरमेंस गारण्टी आदि का 'निर्धारण किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त शासनादेश के क्रम में इन्टीग्रेटिड हाऊसिंग स्कीम में निजी विकासकर्ताओं के

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

पंजीकरण की प्रक्रिया दिनांक 08.01.2006 में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापित करते हुए आरम्भ की गई थी। प्रथम चरण में प्राप्त 15 आवेदनों पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–5873/8–1–05–34 विविध/2003 टी0सी0–1 दिनांक 12.01.2006 में गठित समिति द्वारा विचार करते हुए 10 निजी विकासकर्ताओं को पंजीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निजी विकासकर्ताओं में से 7 को श्रेणी 'क' व '3' को श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त प्राधिकरण में प्राप्त 23 आवेदनों पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 01.07.2006 में 7 निजी विकासकर्ताओं को पंजीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 2 को श्रेणी 'क' में, 2 को श्रेणी 'ख' में तथा 3 को श्रेणी 'ग' के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। असफल 16 आवेदकों में से 2 आवेदकों को शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 22.07.2006 में श्रेणी 'क' में पंजीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। पंजीकृत किये गये निजी विकासकर्ताओं का विवरण निम्नानुसार है :–

समिति की बैठक दिनांक 01.02.06 में दी गयी स्वीकृति के क्रम में दिनांक 10.02.06 में पंजीकृत किये गये निजी निर्माताओं की सूची–

	कम्पनी/कन्सोर्सियम	श्रेणी
1–	क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0	'ए'
2–	शिप्रा एस्टेट प्रा0 लि0	'ए'
3–	सामग कन्सट्रक्शन लि0	'बी'
4–	अंसल प्रोपट्रीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	'ए'
5–	लैण्ड क्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0	'बी'
6–	अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0	'ए'
7–	एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा0 लि0	'ए'
8–	एस.एम.वी. एजेन्सीज प्रा0 लि0	'ए'
9–	एरेन्स कोलमेट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0	'ए'
10–	साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0	'बी'

समिति की बैठक दिनांक 01.07.2006 में दी गयी स्वीकृति के क्रम में दिनांक 20.07.06 में पंजीकृत किये गये निजी निर्माताओं की सूची

1–	यूनीटैक लिमिटेड, यूनीटैक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0	'ए'
2–	श्रेया डवलपवैल प्रा0 लि0	'बी'
3–	एन0आर0 बिल्डकौन प्रा0 लि0	'बी'
4–	ल्यूपिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0	'सी'
5–	बी0सी0सी0 बिल्डर्स प्रा0 लि0	'सी'
6–	कारनेशन प्रोजेक्टस प्रा0 लि0	'सी'

समिति की बैठक दिनांक 17.08.2006 में दी गयी स्वीकृति के क्रम में दिनांक 06.09.06 में पंजीकृत किये गये निजी निर्माताओं की सूची

1–	अन्तरिक्ष इंजीनियर्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन	'ए'
2–	मै0 नीतिश्री रियलटैक प्रा0 लि0	'ए'

एस0 के0
सी0 ए0 टी0 पी0

समिति की बैठक दिनांक 15.12.06 में दी गयी स्वीकृति के क्रम में दिनांक 22.12.2006 में पंजीकृत किये गये निजी निर्माताओं की सूची

1– उप्पल हाउसिंग प्रा0 लि0 'ए'

2– पार्श्वनाथ डवलपर्स प्रा0 लि0 'ए'

3– आर्चिड आइरियो रियल्टी प्रा0 लि0 'ए'

समिति की बैठक दिनांक 14.02.06 में दी गयी स्वीकृति के क्रम में दिनांक 22.02.07 में पंजीकृत किये गये निजी निर्माता

1– जय किशन एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. 'ए'

प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किये गये 22 निजी विकासकर्ताओं में से निम्न ग्यारह विकासकर्ताओं द्वारा लाइसेंस हेतु आवेदन किये गये–

1– क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0

2– अंसल प्रोपट्रीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0

3– सामग कन्सट्रक्शन लि0

4– एस.एम.वी. एजेन्सीज प्रा0 लि0

5– अग्रवाल एसोसिएट्स

6– एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा0 लि0

7– लैण्ड क्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0

8– साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0

9– ऑर्चिड आइरियो रियल्टी प्रा0लि0

10– एन.आर. बिल्डकौन प्रा.लि.

11– जय किशन एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि.

उपरोक्त क्र0सं0 1 से 5 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों पर लाइसेंस जारी करने हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या–5873/8–1–05–34 विविध/03/टी0सी0–1 दिनांक 12.01.2006 में गठित समिति द्वारा, दिनांक 13.05.2006 को आयोजित बैठक में विचार किया गया तथा समिति द्वारा क्रमांक–1 से 5 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ताओं को लाइसेंस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गई। समिति की संस्तुति के क्रम में क्रम संख्या 1 से 5 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ताओं को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 25.05.2006 में लाईसेंस जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्क्रम में दिनांक 29.05.2006 में लाईसेंस जारी किये गये।

क्रम संख्या–6 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ता **मै0 एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा0 लि0** से प्राप्त आवेदन पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 17.08.2006 में लाइसेंस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गई समिति की संस्तुति के क्रम में **मै0 एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा0 लि0** को 255 एकड़ भूमि का लाइसेंस जारी किये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 13.09.2006 में मद संख्या–4 पर प्रदान की गई है। तत्क्रम में दिनांक 20.09.2006 में लाइसेंस जारी किया गया।

एस0 के0 जमान
सी0 ए0 टी0 पी0

क्रम संख्या–7 व 8 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ता मै0 लैण्ड क्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0 एवं मै0 साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0 से प्राप्त आवेदनों पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 02.11.2006 एवं दिनांक 13.11.2006 में लाइसेंस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गई समिति की संस्तुति के क्रम में क्रम संख्या 7 व 8 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ताओं को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 18.11.2006 में मद संख्या–3 पर लाईसेंस जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्क्रम में दिनांक 25.11.2006 में लाईसेंस जारी किये गये।

क्रम संख्या–9 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ता **मै0 आर्चिड आइरियो रियल्टी प्रा0 लि0** से प्राप्त आवेदन पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 08.01.2007 में लाइसेंस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गई समिति की संस्तुति के क्रम में **मै0 आर्चिड आइरियो रियल्टी प्रा0 लि0** को 200 एकड़ भूमि का लाइसेंस जारी किये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2007 में मद संख्या–3 पर प्रदान की गई है। तत्क्रम में दिनांक 23.01.2007 में लाइसेंस जारी किया गया।

क्रम संख्या–1 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ता मै0 क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को जारी लाइसेंस के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 01.07.2006 में समिति की संस्तुति के अनुसार 494.37 एकड़ भूमि के स्थान पर 360 एकड़ भूमि का संशोधित लाइसेंस जारी किये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 20.07.2006 में मद संख्या–3 पर प्रदान की गई है। क्र0सं0–4 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ता मैसर्स एस.एम.वी. एजेन्सीज प्राईवेट लि0 द्वारा अपने लाइसेंस क्षेत्रफल को कम करते हुये 300 एकड़ भूमि के विकास हेतु एवं क्र0सं0–3 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ता सामग कन्सट्रक्शन लि0 द्वारा 72.90 एकड़ भूमि के विकास हेतु अपनी डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई। जिसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 13.09.2006 में किया जा चुका है।

क्र0सं0–1 से 5 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का शासनादेश संख्या संख्या–5873/8–1–05–34 विविध/2003 टी0सी0–1 दिनांक 12.01.2006 में गठित समिति की बैठक दिनांक 07.09.2006 में विचार किया गया। समिति द्वारा पांचो निजी विकासकर्ताओं को कार्यवृत्त में उल्लेखित अभियुक्तियों के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई, जिसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 13.09.2006 में किया जा चुका है तथा बोर्ड बैठक दिनांक 18.11.06 में डी.पी.आर. में संलग्न तलपट मानचित्रों की स्वीकृति विकासकर्ताओं की स्वामित्वाधीन भूमि की सीमा तक अनुमन्य की गयी।

क्र0सं0–7 पर उल्लेखित निजी विकासकर्ता **मै0 लैण्ड क्राफ्ट डवलपर प्रा0 लि0** द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. का परीक्षण शासनादेश संख्या 6168/8–1–06–53 विविध/2006 दिनांक 22.08.2006 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 15.12.2006 में किया गया। समिति द्वारा **मै0 लैण्ड क्राफ्ट**

सी0 के0 जैन
सी0 ए0 टी0 पी0

डवलपर प्रा0 लि0 की डी.पी.आर. पर कार्यवृत्त में उल्लेखित अभियुक्तियों के साथ सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई, जिसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2006 में किया जा चुका है। समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में मैसर्स लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई जो बोर्ड बैठक के निर्णय क्रम में विकासकर्ता को जारी की गई है। वर्तमान में क्र.सं. 1 पर उल्लेखित विकासकर्ता मै. क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (कन्सॉर्शियमद्ध) द्वारा अपनी योजना की पुनरीक्षित डी.पी.आर. प्रस्तुत की गयी है, जिस पर शासनादेश दिनांक 12.01.2006 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 17.04.2008 में विचार किया गया। समिति द्वारा कार्यवृत्त में उल्लखित अभियुक्तियों के साथ सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत है।

क्र.सं. 10 पर उल्लेखित विकासकर्ता मै. एन.आर. बिल्डकोन द्वारा 82 एकड़ भूमि के विकास के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया, प्राप्त आवेदन शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 14.02.2007 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें समिति द्वारा प्रकरण आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु संस्तुति की गई। तत्पश्चात क्र.सं. 11 पर उल्लेखित विकासकर्ता मै0 जय किशन एस्टेट डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा 183एकड़ भूमि के विकास के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया जिस पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 24.03.07 में विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु संस्तुति की गई। जिस पर बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 में उपाध्यक्ष/अध्यक्ष की अनुमति से लाईसेंस जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। ततक्रम में अध्यक्ष की अनुमति उपरान्त दिनांक 23.11.06 को मै. एन.आर. बिल्डकॉन प्रा.0लि. को 70.925 एकड़ भूमि के विकास हेतु लाईसेंस निर्गत किया गया तथा दिनांक 31.03.2008 को मै. जय किशन एस्टेट डवलपर्स प्रा0 लि0 को 182.69 एकड़ भूमि के विकास हेतु लाईसेंस निर्गत किया गया।

उपरोक्तानुसार हाईटैक सिटी तथा इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही का उपरोक्त विवरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

एस0 के0 जमान
सी0 ए0 टी0 पी0

सचिव
ग0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद

मद संख्याः 6

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों में गेस्ट हाउस अनुमन्य किये जाने हेतु उ.प्र. शासन द्वारा जारी उपविधि संख्या–1047/8–3–08–73विविध/07, दिनांक 07 मार्च, 2008 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

दिल्ली में होने वाले कॉमन वेल्थ गेम्स–2010 को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा होटलों/गेस्ट हाउसेस में अतिरिक्त कमरों की मांग अपने पत्र संख्याः 55/कॉमन वेल्थ गेम्स/07, दिनांक 03 जुलाई, 2007 द्वारा की गयी थी तथा यह भी अवगत कराया गया था कि गाजियाबाद, दिल्ली, एन.सी.आर. क्षेत्र का एक बड़ा एवं विकासशील नगर होने के कारण उक्त कॉमन वेल्थ गेम्स में बाहर से आने वाले अतिथियों हेतु अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी, जिसकों उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पत्र के माध्यम से दिये गये हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र में निर्मित/संचालित होटलों में कमरों की वर्तमान उपलब्धता एवं 2010 तक उपलब्ध होने वाले होटलों के कमरों की सूचना भारत सरकार के पर्यटन विभाग को भेज दी गयी थी। पर्यटन विभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र में गेस्ट हाउसेस को आवासीय क्षेत्रों में अनुमन्य किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तदानुसार में गत बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 एवं 08.12.2007 में दिल्ली में प्रस्तावित कॉमन वेल्थ गेम्स–2010 को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय भूखण्डों पर गेस्ट हाउसेज की अनुमन्यता हेतु प्रस्ताव रखा गया था। जिस पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1. कॉमन वेल्थ गेम्स 2010 के दृष्टिगत दिल्ली तथा दिल्ली से लगे आवासीय क्षेत्रों में भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा गेस्ट हाउसेस के माध्यम से अतिरिक्त कमरों की सुविधा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की सीमाओं से लगी हुई आवासीय कालोनियों में जोनिंग रेगूलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार अतिथि गृह के निर्माण गुण व दोष के आधार पर अनुमन्य किया जाये।
2. अतिथि गृह 24 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित 400 वर्ग मीटर या उससे बड़े आवासीय भूखण्डों पर, आवासीय भवनों हेतु अनुमन्य

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

ग्राउन्ड कवरेज एवं एफ.ए.आर., पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था तथा सुरक्षा सम्बन्धी अन्य प्राविधानों को सुनिश्चित करते हुए अनुमन्य किये जायेंगे।

3. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्रय योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता इस प्रकार के भूखण्डों में दी जानी उचित होगी, परन्तु इस हेतु सक्षम स्तर से अर्थात शासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।

4. वर्तमान में प्राधिकरण में इस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर जोनिंग रेगूलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार विशेष समिति के परीक्षणोपरान्त निर्णय लेने हेतु बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

उक्त निर्णय के कम में प्राधिकरण के पत्र संख्या–535/नियोजन अनुभाग/07, दिनांक 01.10.2007 द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था। शासन द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अतिथि गृह एवं पेइंग एकोमोडेशन के सम्बन्ध में मानचित्रों की स्वीकृति एवं भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–57 के अन्तर्गत भवन उपविधि, तद्नुसार शासनादेश संख्या–1047/8–3–08– 73विविध/07, दिनांक 07 मार्च, 2008 जारी किया गया है। शासन के निर्देशानुसार इसे अंगीकृत किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुकम में गत बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2007 के कम में शासन द्वारा अतिथि गृह के भवन मानचित्र की स्वीकृति एवं भवन निर्माण हेतु निर्धारित भवन उपविधि, तद्नुसार शासनादेश संख्या–1047/8–3–08–73विविध/07, दिनांक 07 मार्च, 2008 को अंगीकृत किये जाने एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में उक्त उपविधि के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर गेस्ट हाउसेज की अनुमन्यता किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

68

उपाध्यक्ष ग्रेटर कार्यालय
डा० वि० प्रा०
आवक सं० 394/वि०
07/03/08

संख्या : 1047 / 8–3–08–73विविध / 07

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक 7 मार्च, 2008

विषय :– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आवासीय भूखण्डों में गेस्ट हाउस की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

कॉमनवेल्थ गेम्स–2010 के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आवासीय भूखण्डों में गेस्ट हाउस की अनुमन्यता विषयक अपने पत्र संख्या : 535 / नियोजन अनु / 07, दिनॉक 01.10.07 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– चूँकि दिल्ली में होने वाले कामनवेल्थ गेम्स–2010 को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली के समीप उत्तर प्रदेश की सीमान्तर्गत गाजियाबाद विकास क्षेत्र में पर्यटकों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिथि गृहों (गेस्ट हाउसेज) एवं पेइंग गेस्ट एकमोडेशन को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

3– चूँकि गाजियाबाद महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स् के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में अतिथि गृह का निर्माण विशेष अनुमति (प्राधिकरण बोर्ड) से अनुमन्य किए जाने का प्राविधान है, जिस हेतु उपविधि निर्धारित नही है।

4– चूँकि पेइंग गेस्ट एकमोडेशन हेतु जोनिंग रेगुलेशन्स अथवा भवन उपविधि में व्यवस्था नहीं है।

5– अतएव प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अतिथि गृह एवं पेइंग गेस्ट एकमोडेशन के संबंध में मानचित्र की स्वीकृति एवं भवन निर्माण हेतु उ. प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 के अंतर्गत निम्नानुसार उपविधि निर्धारित की जाती है :–

(1) भूखण्ड का क्षेत्रफल

अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। यदि दो या अधिक भूखण्डों को मिलाकर अतिथि गृह का निर्माण प्रस्तावित किया जाता है, तब भी न्यूनतम 400–400 वर्ग मीटर के भूखण्डों का होना तथा उक्त भूखण्डों का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के नाम होना आवश्यक होगा, जिस हेतु नियमानुसार 'अमलगमेशन' शुल्क देय होगा।

T.P.
10/3/08
CATP

606/CRP
10/3/08

C.A.T.P.

AVAS-1//GO-13

OM : Pr Secy Housing FAX NO. :05222237210 Mar. 07 2008 08:10PM P5

(2) पहुँच मार्ग

अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 24.0 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होना चाहिए।

(3) सैट–बैक

भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सैट–बैक निम्नवत् होंगे :–

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सैट–बैक (मीटर)			
	सामने	पीछे	साइड–1	साइड–2
400 से 500 तक	4.5	4.5	3.0	–
500 से अधिक	6.0	6.0	3.0	1.5

(4) भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर.

भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अधिकतम भू–आच्छादन 50 प्रतिशत तथा 500 वर्गमीटर से अधिक होने पर 45 प्रतिशत अनुमन्य होगा। अतिथि गृह भवन के लिए अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा तथा नियमानुसार क्रय–योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा।

(5) भवन की ऊँचाई

अतिथि गृह के भवन की अधिकतम ऊँचाई 15.0 मीटर होगी।

(6) पार्किंग व्यवस्था

प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर न्यूनतम एक कार पार्किंग का प्राविधान किया जाना होगा। पार्किंग व्यवस्था हेतु अधिकतम दो बेसमेन्ट का निर्माण बिल्डिंग इन्वेलप लाइन तक इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि बेसमेंट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2.00 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा। बेसमेंट में आवास हेतु कोई कमरा/कम्पार्टमेन्ट, आदि सृजित नहीं किया जायेगा और यह केवल पार्किंग व्यवस्था, स्टोरेज एवं जनरेटर, इत्यादि स्थापित करने के प्रयोग में ही लाया जाएगा। जनरेटर ईको–फ्रेन्डली/साइलेन्ट (Silent) प्रकृति का होगा। पार्किंग व्यवस्था मैकेनिकल पार्किंग नार्म्स के अनुसार भी की जा सकेगी।

(7) अन्य अपेक्षाएँ

(I) 400 वर्ग मी. के भूखण्ड पर निर्मित अतिथिगृह में अधिकतम 15 आवासीय कमरे अनुमन्य होंगे और कमरे का न्यूनतम आकार 200 वर्ग फीट तथा बाथरूम कम टॉयलेट का न्यूनतम आकार 40 वर्गफीट होगा अर्थात बाथरूम कम टॉयलेट सहित एक आवासीय कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 240 वर्ग फीट होगा। बरामदा, रसोईघर जलपानगृह, प्रतीक्षा कक्ष, स्वागत कक्ष, पैसेज, लिफ्ट एवं सीढ़ियों इत्यादि हेतु सम्मिलित रूप से कुल तल क्षेत्रफल का न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल रखा जायेगा। भूखण्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग मी. से अधिक होने पर प्रत्येक अनुवर्ती 100 वर्ग मी. क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अतिथिगृह में निर्मित किए जाने वाले कुल कमरों की अधिकतम संख्या 20 होगी।

(ii) किसी भी अतिथि गृह के कुल तल क्षेत्रफल का अधिकतम 55 प्रतिशत क्षेत्रफल ही कमरों हेतु रखा जाएगा तथा शेष 45 प्रतिशत क्षेत्रफल दरामदा, रसोईघर, जल–पान गृह, प्रतीक्षा कक्ष, स्वागत कक्ष, पैसेज एवं सीढ़ियों, इत्यादि हेतु सम्मिलित रूप से रखा जाएगा।

(iii) अतिथि गृह केवल पर्यटकों/यात्रियों के ही निवास हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा इसमें कोई भी वाणिज्यिक उपयोग/क्रिया यथा–विवाह, जन्मदिन, कान्फ्रेन्स, इत्यादि जैसे कार्यक्रम आयोजित नही किए जायेंगे।

(v) निर्मित होने वाले भवन में विकास प्राधिकरण की प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा हेतु नियमानुसार भूकम्परोधी निर्माण, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी व्यवस्थाएँ रूफ–टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा लैण्डस्केपिंग के प्राविधान सुनिश्चित किए जाएंगे।

(8) अनुज्ञा की प्रक्रिया

(I) अतिथि गृह की अनुज्ञा जारी किए जाने हेतु किन्ही 02 प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके लिए 15 दिन की समय अवधि होगी। उक्त कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपत्ति एवं सुझाव के सम्बंध में सूचना प्राधिकरण के वेबसाइट पर भी दी जाएगी।

(II) अतिथि गृह के निर्माण हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 मई, 2008 होगी एवं निर्माण अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अधीन दिनांक 31.7.2008 तक निर्गत कर दी जाएगी।

(III) भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र दिनांक 30.9.2009 तक प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा आवेदक को, 03 माह के विलम्ब तक अनिर्माण शुल्क नियमानुसार देय होगा। यदि निर्माण फिर भी पूर्ण नही किया जाता है, तो निर्गत स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी।

(9) प्रभाव शुल्क

आवासीय भू–उपयोग में अतिथि गृह का निर्माण अनुमन्य किए जाने पर आवेदक द्वारा भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर, प्रचलित जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार प्रभाव शुल्क देय होगा।

(10) सेवाओं के मानक

(I) विद्युतीकरण

अतिथि गृह में प्रकाश व्यवस्था, एअर कन्डीशनिंग, हीटिंग, मैकेनिकल वैन्टीलेशन, रसोईघर एवं अन्य विद्युत उपकरणों में प्रयोग होने वाले विद्युत भार का आंकलन विद्युत विभाग से कराए जाने के उपरान्त ही निर्धारित क्षमता का लोड लेना होगा। प्रकाश व्यवस्था, एअर– कन्डीशनिंग, हीटिंग,

मैकेनिकल वैन्टीलेशन, लिफ्ट, आदि की प्लानिंग, डिजाइन एवं इन्स्टालेशन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया, 2005 के पार्ट–8 के अनुसार सुनिश्चित किए जाएंगे।

(II) जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन

जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम की प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण एवं इन्स्टालेशन नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2005 के पार्ट–9 सेक्शन 1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। रसोई, गेस्ट हाउस स्टाफ, विजिटर्स, इत्यादि की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जलापूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता का वाटर स्टोरेज अपेक्षित होगा। गर्म पानी के लिए विकास प्राधिकरण की प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की व्यवस्था भी की जानी होगी।

(ख) पेईंग गेस्ट एकमोडेशन

विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं में आवासीय भवनों पर पेइंग गेस्ट एकमोडेशन की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन देय होगी:–

1. भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मी. होगा।
2. कुल अनुमन्य/निर्मित एफ.ए.आर. (जो भी न्यूनतम हो) का अधिकतम 50 प्रतिशत तल क्षेत्रफल पेईंग गेस्ट एकमोडेशन के उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. पेईंग गेस्ट एकमोडेशन की अनुमति के लिए भवन स्वामी को सम्बंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिस हेतु "ऑन लाइन" पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी।
4. भवन स्वामी द्वारा पेइंग गेस्ट से वसूल किए जाने वाले किराये (टैरिफ) की 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान शुल्क के रूप में सम्बंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को किया जायेगा जिस हेतु इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त शुल्क से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण की अवस्थापना विकास कोष में जमा की जायेगी।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त उपविधि पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शंकर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

72

संख्याः 1047(3)/8-3-2008-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक (विकास), आवास बन्धु।

2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

7/3

(शंकर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

AVAS-3//GO-2

मद संख्या - 7

विषय: इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मै. क्रासिंग इन्फ्रा. प्रा.लि. कन्सार्शियम द्वारा प्रस्तुत पुन:रीक्षित डी.पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत मै. क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कन्सॉर्शियम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में श्रेणी-ए में पंजीकृत है। उक्त कन्सॉर्शियम को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25.05.06 में लिये गये निर्णयानुसार एन.एच.24 पर स्थित ग्राम डूंडाहेडा की 360 एकड़ भूमि क्रय /असेम्बली एवं विकास हेतु दिनांक 29.05.06 को लाईसेंस जारी किया गया था। कन्सॉर्शियम द्वारा प्रश्नगत भूमि पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रस्तुत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) दिनांक 13.09.2006 को प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से स्वीकृत की गयी थी। परन्तु योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि क्रय में उत्पन्न कठिनाईयों के दृष्टिगत एवं स्थल की स्थिति के अनुसार उक्त कन्सॉर्शियम द्वारा लाईसेंस की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए दिनांक 29.02.2008 को पुनरीक्षित डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुमोदन हेतु शासनादेश संख्या 6168/आठ-1-2006-53 विविध दिनांक 22.08.2006 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 17.04.2008 में विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा कार्यवृत्त में की गई अभ्युक्तियों एवं सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पुन:रीक्षित डी.पी.आर. पर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है। समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक के रूप में अवलोकनीय है।

कार्यवृत्त में उल्लखित अभियुक्तियों/सुझावों के अनुरूप डी.पी.आर. संशोधित किए जाने की शर्त के साथ की गई संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(ए०के० तायल)
अवर अभि०

एस० के० गौतम
नगर नियोजक

एस० के० जमान
सी० ए० ओ०

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मै. क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कन्सॉर्शियम द्वारा लाइसेंस अनुज्ञा प्रणाली के अधीन प्रस्तुत पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुमोदन हेतु शासनादेश संख्या 6168/आठ–1–2006–53 विविध, दिनांक 22.08.06 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 17.04.08 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1.	श्री एस.के.द्विवेदी, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	श्री एन. आर. वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.	सदस्य
3.	श्री अभय जायसवाल, वित्त नियंत्रक, गा.वि.प्रा.	सदस्य
4.	श्री एस.के. जमान, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, गा.वि.प्रा.	सदस्य

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) नीति के अधीन मै. क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कन्सॉर्शियम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में श्रेणी–ए के अन्तर्गत दिनांक 29.05.06 को पंजीकृत है। उक्त कन्सॉर्शियम को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25.05.2006 में लिये गये निर्णयानुसार एन.एच–24 पर स्थित ग्राम डूंडाहेडा, तहसील व जिला गाजियाबाद में 360 एकड़ भूमि क्रय/असेम्बली एवं विकास हेतु दिनांक 29.05.2006 को लाइसेंस जारी किया गया था। प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग गाजियाबाद महायोजना–2021 में प्रधानतः आवासीय मध्यम घनत्व है तथा आंशिक भूमि का भू–उपयोग महायोजना मार्ग, 60 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट व महायोजना ग्रीन तथा थोक व्यवसायिक है। कन्सॉर्शियम द्वारा प्रश्नगत भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. दिनांक 13.09.2006 को प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से स्वीकृत की गयी थी। परन्तु योजना के कियान्वयन के लिए भूमि कय में उत्पन्न कठिनाइयों के दृष्टिगत उक्त कन्सॉर्शियम द्वारा लाइसेंस क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये दिनांक 29.02.2008 को पुनरीक्षित डी.पी.आर. प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुसार योजना का क्षेत्रफल 360 एकड़ ही है।

कन्सॉर्शियम द्वारा पुनरीक्षित डी.पी.आर. के साथ योजना में शामिल सम्पूर्ण भूमि के खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल जिसमें ग्राम समाज/नगर निगम की भूमि भी सम्मिलित है, की तालिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें नये खसरा नम्बरों तथा योजना से हटाये गये खसरा नम्बरों का अलग–अलग विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। संशोधित लाइसेंस क्षेत्र की सीमाओं में पड़ने वाले खसरा नम्बरों तथा क्रय की गई भूमि के भू–स्वामित्व का परीक्षण एवं पुष्टि प्राधिकरण के अर्जन अनुभाग द्वारा कर ली गयी है।

2. पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6168/आठ–1–2006–53विविध, दिनांक 22.08.2006 द्वारा गठित समिति की बैठक उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.08 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आयोजित हुई। समिति द्वारा पुनरीक्षित डी.पी.आर. का परीक्षण नीति विषयक शासनादेश संख्या–2711/8–1–05–34विविध/2003, दिनांक 21.05.05, शासनादेश संख्याः 5873/8–1–05–34 विविध/2003, दिनांक 29.12.2005 एवं शासनादेश संख्या 2236/8–1–05–45 विविध/2006, दिनांक 28.04.2006 में निहित प्राविधानों तथा गाजियाबाद महायोजना–2021, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास

उपविधि तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के आलोक में किया गया, जिसकी परीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

2.1 शासनादेश संख्या 2236/8–1–06–45 विविध/06 दिनांक 28.06.2006 में निहित व्यवस्थानुसार डी.पी.आर. के अनुमोदन हेतु सम्पूर्ण योजना के क्षेत्रफल की न्यूनतम 60 प्रतिशत भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड कन्सॉर्शियम के पक्ष में होना चाहिए। पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुसार भूमि के स्वामित्व की स्थिति निम्नवत् है:–

(I)	भूमि का क्षेत्रफल जिसकी रजिस्टर्ड सेल डीड कन्सॉर्शियम एवं उसकी सहभागी कम्पनियों के पक्ष में है	220.38 एकड़
(II)	ग्राम समाज की भूमि	27.82 एकड़
(III)	अन्य निजी स्वामित्व की भूमि	111.80 एकड़
	योग	360.00 एकड़

2.2 योजना की 60 प्रतिशत भूमि का रजिस्टर्ड सेल–डीड कन्सॉर्शियम की सहभागी कम्पनियों के पक्ष में होने की पुष्टि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अर्जन अनुभाग द्वारा कर ली गयी है, जिसका प्रमाण–पत्र इस कार्यवृत्त के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2.3 प्रथम चरण में विकास प्राधिकरण द्वारा कन्सॉर्शियम के स्वामित्व में उपलब्ध 60 प्रतिशत भूमि के लिए ही विकास अनुज्ञा जारी की जायेगी, जबकि अवशेष भूमि यथा–ग्राम समाज, शासकीय स्वामित्व की भूमि, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा निजी स्वामित्व की भूमि का कन्सॉर्शियम के पक्ष में नियमानुसार पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/कय हो जाने के उपरान्त ही विकास अनुज्ञा जारी की जाएगी।

2.4 पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अनुसार योजना के कुल क्षेत्रफल में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण के पूर्व प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि विभिन्न उपयोगों विशेष रूप से पार्क एवं खुले स्थल तथा सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत आरक्षित भूमि नियोजन मानकों/पूर्व स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार है।

2.5 डिटेल्ड ले–आउट प्लान तथा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित मानचित्र प्रचलित बाइलॉज के अनुसार 1:1000 के पैमाने पर प्रस्तुत किए जाएं।

2.6 सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के एकत्रीकरण हेतु ले–आउट प्लान के अन्तर्गत उपयुक्त लोकेशन में मानक के अनुसार स्थल आरक्षित किया जाए।

2.7 शासनादेश संख्या : यू0ओ0–35/आठ–1–2006 दिनांक 25.04.2006 के अनुसार भूजल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पृथक नेटवर्क दर्शाया जाए तथा वर्षा जल संचयन के अन्तर्गत न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल वाटर बाड़ीज़ हेतु आरक्षित किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रश्नगत क्षेत्र की हाइड्रोज्यॉलाजी के आधार पर उपयुक्तता के सम्बन्ध में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2.8 गाजियाबाद क्षेत्र 'सीस्मिक जोन–4' के अन्तर्गत स्थित है, अतः डी.पी.आर. में भूकम्परोधी विकास एवं निर्माण व्यवस्था तथा डिजास्टर मैनेजमेंट सम्बन्धी प्रस्ताव दिये जाएं।

2.9 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुपालन में योजना का 'लैण्डस्केप' प्लान, जिसमें सड़कों, पार्क एवं खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु मानकों के अनुसार प्रस्ताव दिए गए हों, प्रस्तुत किया जाए।

2.10 भूखण्ड संख्या 11, 12, 14 व 15 के मध्य पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाए।

2.11 ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण 4 मंजिल से अधिक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा तथा आवश्यक इकाईयों हेतु प्रति यूनिट 30 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया के अनुसार आवश्यक भूमि ले–आउट में दर्शाई जाए।

2.12 भूखण्ड संख्या जी.एच.–6 के साथ नाले के किनारे प्रस्तावित 24 मीटर सड़क को 30 मीटर किया जाए।

2.13 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता, सुविधा एवं सुगम्यता के दृष्टिगत महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों एवं जन–सुविधाओं से सम्बन्धित इमारतों में अवरोधमुक्त परिसर के सृजन हेतु प्रस्ताव दिए जाएं।

2.14 योजना हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित/विस्थापित भू–स्वामियों/किसानों के पुनर्वास हेतु यदि कोई हो, के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार व्यवस्था की जानी होगी।

2.15 प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी।

2.16 प्रस्तावित टाउनशिप परियोजनान्तर्गत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु इम्पलीमेंटेशन शिड्यूल, सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा विकसित टाउनशिप का आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स सम्बन्धी विवरण उपलब्ध कराना होगा।

2.17 पुनरीक्षित डी.पी.आर. पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करने के उपरान्त योजना का डिटेल्ड ले–आउट प्लान प्राधिकरण द्वारा गहन परीक्षणोपरान्त स्वीकृत किया जाए। ले–आउट प्लान की स्वीकृति के समय कन्सॉर्शियम द्वारा विकास प्राधिकरण के साथ निर्धारित प्रपत्र पर पुनः 'डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' निष्पादित करना होगा एवं तत्समय 25 प्रतिशत भूमि जो 'परफार्मेन्स गारन्टी' के रूप में विकास प्राधिकरण द्वारा रोक कर रखी जाएगी, की स्थिति ले–आउट प्लान पर चिन्हित की जानी चाहिए अथवा उक्त भूमि के मूल्य के समतुल्य लागत की बैंक गारन्टी देनी होगी।

2.18 कन्सार्शियम द्वारा ले–आउट प्लान की स्वीकृति हेतु विकास अनुज्ञा शुल्क, निरीक्षण शुल्क, सिटी डेवलपमेन्ट चार्जेज, ट्रंक सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी चार्जेज तथा अन्य शुल्क प्राधिकरण को देय होंगे। इसके अतिरिक्त, नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए निर्धारित दरों पर शुल्क देय होंगे।

2.19 योजना के ले–आउट प्लान का इन्टीग्रेशन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित इस क्षेत्र के जोनल सरकुलेशन नेटवर्क प्लान से सुनिश्चित करना होगा।

2.20 पूर्व में स्वीकृत डी.पी.आर. एवं पुनरीक्षित डी.पी.आर. में दर्शाये गये तकनीकी विवरण में आंशिक परिवर्तन है, अतः पुनरीक्षित डी.पी.आर की स्वीकृति के पूर्व नये सर्विस ड्राईंग एवं डिजाइन प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने होंगे।

2.21 पूर्व में स्वीकृत ग्रुप हाऊसिंग के मानचित्रों को वर्तमान डी.पी.आर. के अनुसार पुनरीक्षित कर स्वीकृत कराना होगा।

2.22 ले आउट में दर्शाये गये अलग–अलग भूखण्डों पर किसी भी निर्माण से पूर्व नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

2.23 प्रस्तुत पुनरीक्षित डी.पी.आर. में एस.टी.पी. का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, अतः योजना स्थल पर विद्यमान एस.टी.पी. की क्षमता की पुष्टि के उपरान्त कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा, अन्यथा कन्सॉर्शियम द्वारा अपनी योजना के लिए अलग एस.टी.पी. का प्राविधान करना होगा।

2.24 एच.टी. लाईन के नीचे एवं ग्रीन बैल्ट में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

2.25 जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख प्राधिकरण को प्रस्तुत करने होंगे।

3. उपरोक्त अभ्युक्तियों एवं सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पुनरीक्षित डी.पी.आर. पर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने की संस्तुति की जाती है।

(एस.के. जमान)
मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(अनिल गर्ग)
मुख्य अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(अभय जायसवाल)
वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(एन.आर.वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उत्तर प्रदेश

(एस.के.द्विवेदी)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

मद संख्या - 8

विषय : गाजियाबाद महायोजना-2021 में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद महायोजना-2021 के संलग्न मानचित्र में ग्राम नूर नगर में 'ए' से 'बी' तक प्रदर्शित 45 मी. चौड़ी सड़क, अवन्तिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मी. चौड़ी सड़क तथा गुलमोहर एन्क्लेव एवं आनन्द विहार कालोनी के मध्य स्थित महायोजना मार्ग की चौड़ाई के निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2007 में क्रमशः मद संख्या-8, 10 व 11 पर विचारार्थ प्रस्तुत किए गए थे। बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में गठित समिति ने उक्त तीनों महायोजना मार्गों का निरीक्षण 10.1.2008 को किया था, जिसके आधार पर समिति द्वारा कतिपय सूचनायें एवं मानचित्र तैयार किए जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं सर्वेक्षण मानचित्रों का बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2007 में लिये गये निर्णय के क्रम में गठित समिति द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दिनांक 22.04.2008 को आयोजित बैठक में परीक्षण किया गया। प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त कार्यवृत्त में मद संख्या 8, 10 व 11 के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं :-

मद संख्या-8 ग्राम नूर नगर में महायोजना-2021 के मानचित्र में ए से बी तक प्रदर्शित 45 मीटर चौड़ी सड़क को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

सर्वे मानचित्र के अनुसार संदर्भित सड़क के भाग ए से बी पर किसी प्रकार का अधिकृत/ अनाधिकृत निर्माण विद्यमान नहीं पाये जाने के कारण समिति द्वारा इस सड़क को समाप्त करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया वरन् महायोजना-2021 में सी. डी.ए.ई. से प्रदर्शित इस महायोजना मार्ग को समाप्त करने हेतु गाजियाबाद नगर के प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन प्रस्ताव/ जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सर्कुलेशन सिस्टम को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी।

मद संख्या-10 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स0 लि0 द्वारा विकसित अवन्तिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत महायोजना मार्ग के सर्वेक्षण मानचित्र एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर समिति द्वारा यह पाया गया कि प्रस्तावित 45 मी. चौड़े महायोजना मार्ग के एलाइनमेंट में अनाधिकृत निर्माण हो जाने के कारण उक्त मार्ग की 45 मी. चौड़ाई बनाए रखना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है, अतः पूर्व में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अवंतिका योजना में प्रस्तावित 45 मी. चौड़े मार्ग के मूल एलाइनमेंट को यथावत रखते हुए अन्तिम बिन्दु जहां पर 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग को हापुड रोड से मिलाया जाना प्रस्तावित है, तक इस सड़क की कुल लम्बाई को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मानकों के आधार पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ इसकी चौड़ाई 30 मीटर किए जाने की संस्तुति की जाती है :-

1) पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान के अन्तर्गत सड़क की चौड़ाई 45 मी0 से 30 मी0 करने पर जो अतिरिक्त भूमि सम्बन्धित विकासकर्ता को उपलब्ध होगी, उसके द्वारा उतना ही क्षेत्रफल जन सुविधाओं यथा- सड़क, पार्क/सामुदायिक सुविधा के रूप में अवंतिका योजना के ले-आउट प्लान को पुनरीक्षित कराते हुए अन्यत्र आरक्षित करना

(ATP) एस० के० जमान
नगर नियोजक

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
गा० वि० प्रा०

होगा।

अथवा

उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त भूमि के लिए विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

2) प्राधिकरण के नियोजन एवं अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर उक्त सड़क का संशोधित एलाइनमेंट निर्धारित कर बोर्ड के अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या-11 गुलमोहर एन्क्लेव व आनन्द विहार कालोनी के मध्य स्थित महायोजना मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा प्रश्नगत मार्ग के प्रारम्भ से लगभग 100 मीटर की दूरी तक दोनों ओर अनाधिकृत निर्माण होने एवं सड़क की चौड़ाई 18 मीटर उपलब्ध होने तथा उसके आगे महायोजना 1962 के एलाइनमेंट के आधार पर सड़क के एक ओर गुलमोहर एन्क्लेव एवं दूसरी ओर महायोजना 1982 के एलाइनमेंट के आधार पर आनन्द विहार कालोनी के मानचित्र स्वीकृत होने के कारण एवं इस भाग में प्रश्नगत मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर उपलब्ध होने के दृष्टिगत समयक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर निम्नानुसार संस्तुति की गयी है।

1) प्रश्नगत सड़क की लम्बाई के दृष्टिगत न्यूनतम मानकों के आधार पर इसकी चौड़ाई 24 मी. रखना उचित होगा, जिसका संशोधित एलाइनमेंट प्राधिकरण के नियोजन एवं अभियंत्रण अनुभाग द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण मानचित्र एवं पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को संज्ञान में लेते हुए निर्धारित कर प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

2) भविष्य में इस सड़क के संशोधित एलाइनमेंट के अनुसार समस्त मानचित्र वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 12 मी. चौड़ाई सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत किए जाने होंगे तथा सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

उपरोक्तानुसार समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक के रूप में अवलोकनीय है। कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(ATP.)

एस० के० सिंघल
नगर नियोजक

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

गाजियाबाद महायोजना 2021 में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई में संशोधन हेतु प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2007 में लिए गए निर्णय के कम में गठित समिति की दिनांक 22.4.2008 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1.	श्री एन. आर. वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2.	श्री अनिल गर्ग, मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सदस्य
3.	श्री एस.के. जमान, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सदस्य
अन्य उपस्थितिः		
1.	श्री एस.के. गौतम, नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	
2.	श्री पी.के. जायसवाल, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	
3.	श्री एन.के. भाटिया, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	
4.	श्री ज्योति प्रसाद, सहायक नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	

गाजियाबाद महायोजना–2021 के संलग्न मानचित्र में ग्राम नूर नगर में 'ए' से 'बी' तक प्रदर्शित 45 मी. चौड़ी सड़क, अवन्तिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मी. चौड़ी सड़क तथा गुलमोहर एन्कलेव एवं आनन्द विहार कालोनी के मध्य स्थित महायोजना मार्ग की चौड़ाई के निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2007 में कमशः मद संख्या–8, 10 व 11 पर विचारार्थ प्रस्तुत किए गए थे। बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के कम में समिति ने उक्त तीनों महायोजना मार्गों का स्थल निरीक्षण 10.1.2008 को किया था, जिसके आधार पर समिति द्वारा कतिपय सूचनाएं एवं मानचित्र तैयार किए जाने की अपेक्षा गयी थी। तत्कम में प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर समिति की संस्तुतियां निम्नवत् हैं:–

मद संख्या–8 **ग्राम नूरनगर में महायोजना–2021 के मानचित्र 'ए' से बी तक प्रदर्शित 45 मीटर चौड़ी सड़क को समाप्त करने के सम्बन्ध में।**

समिति की पूर्व बैठक दिनांक 10.01.08 में दिये गये निर्देशानुसार तैयार सैटेलाइट इमेजरी आधारित अद्यतन सर्वे मानचित्र पर 'सुपरइम्पोज्ड' महायोजना–2021(प्रति संलग्न) के मानचित्र का समिति द्वारा अवलोकन/परीक्षण किया गया। उक्त सर्वे मानचित्र के अनुसार सन्दर्भित सड़क के भाग 'ए' से 'बी' पर किसी प्रकार का अधिकृत/अनाधिकृत निर्माण विद्यमान नही पाया गया। इसलिए समिति का मत है कि इस सड़क को समाप्त करना औचित्यपूर्ण नही है, परन्तु महायोजना मानचित्र पर C, D, A, E से प्रदर्शित 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग से लगभग 200 मीटर की दूरी पर इस मार्ग के समानान्तर चूँकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा एक अन्य 45 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, अतः इतनी कम दूरी पर 45 मीटर चौड़े दो मार्गों का होना औचित्यपूर्ण प्रतीत नही होता है। इसलिए महायोजना–2021 में C, D, A, E से प्रदर्शित

महायोजना मार्ग को समाप्त करने हेतु गाजियाबाद नगर के प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन प्रस्ताव/ज़ोनल डेवलपमेन्ट प्लान में प्रस्तावित सर्कुलेशन सिस्टम को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

मद संख्या–10 **अंसल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि. द्वारा विकसित अवंतिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मी. चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में।**

समिति द्वारा प्रश्नगत महायोजना मार्ग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सजरा मानचित्र, प्राधिकरण द्वारा इस सड़क से लगी हुई भूमि के स्वीकृत ले–आउट प्लान तथा सैटेलाइट इमेजरी आधारित अद्यतन सर्वेक्षण मानचित्र (प्रतियां संलग्न) का परीक्षण किया गया। सर्वेक्षण मानचित्र एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि प्रस्तावित 45 मी. चौड़े महायोजना मार्ग के एलाइनमेन्ट में अनाधिकृत निर्माण हो गए हैं, जिसके कारण उक्त मार्ग की 45 मी. चौड़ाई बनाए रखना व्यवहारिक प्रतीत नही होता है, अतः पूर्व में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अवंतिका योजना में प्रस्तावित 45 मी. चौड़े मार्ग के मूल एलाइनमेन्ट को यथावत रखते हुए अन्तिम बिन्दु जहां पर 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग को हापुड़ रोड से मिलाया जाना प्रस्तावित है, तक इस सड़क की कुल लम्बाई को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मानकों के आधार पर इसकी चौड़ाई 30 मी. निम्न प्रतिबन्धों के साथ किए जाने की संस्तुति की जाती है:–

(I) पूर्व स्वीकृत ले–आउट प्लान के अन्तर्गत सड़क की चौड़ाई 45 मी. से 30 मी. करने पर जो अतिरिक्त भूमि सम्बन्धित विकासकर्ता को उपलब्ध होगी, उसके द्वारा उतना ही क्षेत्रफल जन सुविधाओं यथा– सड़क, पार्क/सामुदायिक सुविधा के रूप में अवंतिका योजना के ले–आउट प्लान को पुनरीक्षित कराते हुए अन्यत्र आरक्षित करना होगा।

अथवा

उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त भूमि के लिए विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

(II) प्राधिकरण के नियोजन एवं अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर उक्त सड़क का संशोधित एलाइनमेन्ट निर्धारित कर बोर्ड के अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या–11 **गुलमोहर एन्कलेव व आनन्द विहार कालोनी के मध्य स्थित महायोजना मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में।**

समिति द्वारा प्रश्नगत महायोजना मार्ग ले–आउट प्लान एवं सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित अद्यतन सर्वे मानचित्र (प्रति संलग्न) का परीक्षण किया गया। प्रश्नगत सड़क जी.टी. रोड पर बने ओवर–ब्रिज से उत्तर की ओर जाती है, जिसकी चौड़ाई गाजियाबाद महायोजना–2021 में 45 मी. चौड़ी प्रस्तावित है। इस मार्ग के प्रारम्भ से लगभग 100 मी. की दूरी तक दोनों ओर अनाधिकृत पक्के निर्माण हैं तथा 100 मी. की दूरी में स्थल पर सड़क की विद्यमान चौड़ाई लगभग 18 मी. उपलब्ध है। इसी

मार्ग के बायीं ओर गुरूद्वारा निर्मित है और उसके आगे महायोजना–1962 के एलाइनमेन्ट के आधार पर सड़क पर एक ओर 'गुलमोहर एक्कलेव' का ग्रुप हाउसिंग मानचित्र एवं दूसरी ओर महायोजना–1982 के एलाइनमेन्ट के आधार पर आनन्द विहार कालोनी के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–47 से 54 तक भवन मानचित्र स्वीकृत है। फलस्वरूप इस भाग में प्रश्नगत सड़क की चौड़ाई अब केवल 12 मी. ही उपलब्ध है। इस मार्ग के अन्त में रेलवे लाइन गुजर रही है जिस पर आर.ओ.बी. का निर्माण सम्भव नही है। अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के आधार पर संस्तुतियॉ निम्नवत् है:–

(I) प्रश्नगत सड़क की लम्बाई के दृष्टिगत न्यूनतम मानकों के आधार पर इसकी चौड़ाई 24 मी. रखना उचित होगा, जिसका संशोधित एलाइनमेन्ट प्राधिकरण के नियोजन एवं अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण मानचित्र एवं पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को संज्ञान में लेते हुए निर्धारित कर प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(II) भविष्य में इस सड़क के संशोधित एलाइनमेन्ट के अनुसार समस्त मानचित्र वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 12 मी. चौड़ाई सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत किए जाने होंगे तथा सम्बन्धित भू–स्वामी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

2. उपरोक्त मद संख्या–10 व 11 के लिए की गई संस्तुति के अनुसार इन मार्गों की चौड़ाई के पुनः निर्धारण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अधीन कार्यवाही की जानी होगी।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(एस.के. जमान) मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	(अनिल शर्मा) मुख्य अभियन्ता गाजियाबादविकास प्राधिकरण	(एन.आर.वर्मा) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश

म . संख्या 4

विषयः–गाजियाबाद महायोजना–2021 में प्रदर्शित नोन कन्फारमिंग भू–उपयोग क्षेत्र में प्रधानतः आवासीय विकास के सन्दर्भ में आवासीय भू–उपयोग ही मानते हुये निर्धारित कियाएं अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद महायोजना–2001 के कृषि क्षेत्र में हुये अनधिकृत विकास को महायोजना–2021 में नोन कन्फारमिंग (अनाधिकृत विकास) के रूप में दर्शाया गया है। गाजियाबाद महायोजना–2021 में इस तरह का नोन कन्फारमिंग भू–उपयोग 6 जगह (यथा मेरठ रोड़ पर ग्राम सिहानी घूकना के निकट, ग्राम अर्थला के निकट ग्राम करहेड़ा के निकट, ग्राम भौंपुरा एवं पसौंडा के मध्य लाल कुंआ के निकट तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर डूडाहेड़ा के निकट) दर्षाया गया है।

महायोजना–2021 में इस तरह के अनाधिकृत विकास को नोन कन्फारमिंग भू–उपयोग दर्शाने के पीछे बोर्ड की यह मंशा थी कि इस तरह के भू–उपयोग को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल करने के उपरान्त ही विनियमित किया जायेगा। विनियमितिकरण की इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जहॉ एक तरफ प्राधिकरण को आर्थिक लाभ होगा वहीं दूसरी तरफ इस तरह के अनधिकृत विकास/निर्माण कार्य करने वाले लोगों की आर्थिक दण्ड देने हेतु बाध्य कर अनधिकृत विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जायेगा।

वर्तमान में मेरठ रोड़ पर ग्राम सिहानी के निकट दर्षाये गये नोन कन्फरमिंग भू–उपयोग में अधिकांश क्षेत्र आवासीय कियाओं के अन्तर्गत उपयोग में लाया जा रहा है। यह क्षेत्र मेरठ रोड़ से भी भली भॉति जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र में आवश्यक भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (यथा रोड़, नाली, बिजली, पानी) की सुविधा विद्यमान है। प्रश्नगत क्षेत्र में नियमानुसार मानचित्र विकास/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राधिकरणों में अनेक मानचित्र निस्तारण हेतु लम्बित पड़े हुये हैं। इस तरह के भू–उपयोग में जो विकास कर्ता/संस्था/व्यक्ति नियमानुसार विकास/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु इच्छुक है तो उस क्षेत्र में सुनियोजित विकास की प्रक्रिया के फैलाव कराये जाने के दृष्टिगत उनको प्रो.साहित किये जाने की आवश्यकता है। इस तरह के भू–उपयोग को आवासीय भू–उपयोग मानते हुये उसमें जहॉ पर भी नियमानुसार विकास/निर्माण कराया जा सकता है, वहॉ के मानचित्रों पर सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

सचिव
ग० वि० प्रा०
गाजियाबाद

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

मद संख्या 1(1)

विषय :– पटेल नगर योजना के डी–ब्लाक में भवन संख्या डी – 99 व डी –110 के बराबर में रिक्त भूमि में नियोजित क्योस्क की भूमि को आवासीय में परिवर्तन करने के संबन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की पटेल नगर आवासीय योजना वर्ष 1984–85 में नियोजित की गयी थी। योजना के डी ब्लॉक में भवनों का नियोजन करते समय भवन सख्या डी–99 व डी–110 के बराबर में क्योस्क का नियोजन किया गया था । अभियंत्रण खण्ड द्वारा क्योस्क की भूमि को भवन सख्या डी–99 व डी–110 के साथ जोडकर मूल्यांकन किया गया है। भवन अनुभाग द्वारा मूल्यांकन के आधार पर क्योस्क की भूमि की कीमत भवनों के आवंटी से प्राधिकरण में भवन की पूरी कीमत के साथ जमा करा ली गयी है।

आवंटी द्वारा बार बार अपने भवन की रजिस्ट्री के लिए अनुरोध किया जा रहा है। लेकिन क्योस्क की भूमि के आवंटन के संम्बन्ध में नियोजन अनुभाग में कोई जानकारी न होने के कारण भवन का साईट प्लान क्योस्क की भूमि को सम्मिलित करते हुए नही बनाया गया। आवंटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर भवन की सम्पूर्ण लागत (क्योस्क की भूमि सहित) प्राधिकरण में जमा करायी जा चुकी है। वर्तमान में भवन की कुल लागत उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए लगायी गयी है। परन्तु यह भूमि व्यवसायिक उपयोग की है तथा यह योजना भी नगर के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र के साथ ही लगी है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने पर विचार करते हुए योजना का तलपट मानचित्र संशोधित किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुक्रम में क्योस्क की भूमि को आवासीय में परिवर्तित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्या : 18

विषय :– राजस्व ग्राम भूरगढ़ी डासना में टैक्सटाइल प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भू–उपयोग महायोजना 2021 में निर्धारित के अनुसार कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

उद्योग बन्धु की बैठक दिनांक 11.03.08 में वीना इन्टरप्राइजेज, 1004 न्यू डेलही हाउस 27, बाराखम्बा रोड़ नई दिल्ली–110001 के प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि बीना इन्टरप्राइजेज राजस्व ग्राम भूरगढ़ी डासना के अन्तर्गत एन0एच0–24 से लगभग 900 मी0 की दूरी पर सिंचाई विभाग की नहर के साथ लगी भूमि पर एक टैक्सटाइल प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं तथा प्रकरण उद्योग बन्धु में विचाराधीन है (संलग्न परिशिष्ट–1)। यद्यपि वीना इन्टरप्राइजेज द्वारा अभी तक उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 के अधीन कोई मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वर्तमान में इनसे सम्बन्धित भूमि रिक्त है, परन्तु उक्त मार्ग पर पाँच अन्य औद्योगिक यूनिट अवैध रूप से बनी हैं, तथा कार्यरत हैं। इस भूमि पर पहुंचने हेतु नहर की पटरी पर 12 फुट चौड़ा पक्का मार्ग है, प्रश्नगत क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार कृषि क्षेत्र में स्थित है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि नहर के दूसरी तरफ का क्षेत्र हाईटैक सिटी हेतु आरक्षित है (संलग्न परिशिष्ट–2)।

औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन हेतु न्यूनतम 12 मी0 अर्थात 40 फुट चौड़े मार्ग की आवश्यकता होती है, जिस हेतु वीना इन्टरप्राइजेज के प्रतिनिधि श्री संजीव बुद्धिराजा द्वारा उद्योग बन्धु की बैठक दिनांक 27.02.08 में अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में चल रही औद्योगिक यूनिट के स्वामियों से सम्पर्क किया गया। वीना इन्टरप्राइजेज एवं अन्य सभी औद्योगिक यूनिटों के स्वामी अपनी–अपनी भूमि से आवश्यक भूमि मार्ग हेतु 12 मी0 चौड़े मार्ग हेतु निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं (संलग्न परिशिष्ट–3)।

वीना इन्टरप्राइजेज से सम्बन्धित भूमि जो कि खसरा नं0 2887, 2888, 2890 व 2891 भूरगढ़ी डासना के अन्तर्गत पड़ती है, से सड़क निर्माण हेतु नहर के किनारे से 40 फुट चौड़ाई तक भूमि छोड़ने की सहमति शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। (संलग्न परिशिष्ट–4)

प्राधिकरण में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 के अनुसार अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू–उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी। 201 से 400 मीटर लम्बी सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी और 401 से 1000 मीटर तक लम्बी सड़क की चौड़ाई 24 मीटर होगी तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बी सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी (संलग्न परिशिष्ट–5)। प्रश्नगत प्रकरण में 30 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता होगी। तदानुसार ही 30 मीटर मार्ग हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी तथा सिंचाई विभाग से भी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

अतः उद्योग बन्धु की बैठक दिनांक 11.03.08 में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में प्रस्ताव है कि एन0एच0–24 से ग्राम भूरगढ़ी डासना की भूमि, जोकि नहर से लगी है, के मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर करते हुए, प्रस्तावित उपरोक्त खसरा नम्बरानों के अन्तर्गत पड़ने वाली 3.7099 हे0 भूमि का भू–उपयोग महायोजना 2021 के अनुसार कृषि से बदलकर औद्योगिक में परिवर्तन, इस शर्त के साथ किया जाये कि नियमानुसार भू–परिवर्तन हेतु आवश्यक सुझाव एवं आपत्तियां एक माह में प्राप्त करने के उपरान्त ही, पक्ष द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राधिकरण में जमा कराया जायेगा, तदोपरान्त ही प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये। (संलग्न परिशिष्ट–2)।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
ना० वि० प्रा०
गाजियाबाद

वीना इन्टर प्राइजेज

परिशिष्ठ (1)/1

83

3/	वीना इंटर प्राइजेज, 1004 न्यू डेलही हाऊस, 27 बाहरखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001	डासना में टेक्सटाइल प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भू-उपयोग कृषि से औद्योगिक परिवर्तित कराये जाने के संबंध में	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	बैठक दिनांक 27.02.2008, इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि चूंकि भूमि के समक्ष 12 फुट की सडक है। जबकि यह सडक 12 मीटर चौडी होनी चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस सडक पर जो औद्योगिक इकाइयां है वे सडक के निर्माण हेतु अपनी भूमि देने के लिए तैयार है। आवास विभाग द्वारा कहा गया कि भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक से रिपोर्ट मांगी गयी है। निर्णय लिया गया कि सडक निर्माण के संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संबन्धित औद्योगिक इकाइयो के साथ एक बैठक का आयोजन कर भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में रखकर अनुमोदन कराया जाय। यह कार्य 10.03.08 के पहले करके उद्योग बन्धु को सूचित कर दिया जाय। इस विषय पर दिनांक 10.03.08 को एक अलग से बैठक आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। विशेष बैठक दिनांक 11.03.2008, श्री संजीव कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 से इकाई की भूमि 700 मीटर दूरी पर नहर के किनारे है जहाँ पर 12 फुट चौडा गलियारा है। जबकि नियमानुसार उद्योगो के स्थान के सामने 12 मीटर की सड़क वांछित है। उनके द्वारा यह भी इंगित किया गया कि स्थापित अन्य इकाइयो के पते व फोन नम्बर न होने के कारण इकाईयो के प्रवर्तको के साथ बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 27.02.2008 को उपाध्यक्ष,

				गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से इस विषय पर विस्तृत रूप से वार्ता की गयी थी उसके बावजूद सहायक अभियंता द्वारा इकाई के प्रवर्तको से बैठक करके सड़क के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर निर्णय नही लिया गया। यह निर्णय का उल्लघन है। अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संज्ञान में यह स्थिति लायी जाय। तय किया गया कि श्री संजीव कुमार गुप्ता सहायक अभियंता द्वारा 20.03.2008 तक प्रस्ताव तैयार करके बोर्ड में प्रस्तुत करने हेतु नोट तैयार कर ले जिस पर परिचालन के माध्यम से बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

PROPOSED LAND USE

8
4

परिशिष्ठ - 3(1)

8	वीना इंटर प्राइजेज, 1004 न्यू डेलही हाऊस, 27 बाहरखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001	डासना में टेक्सटाइल प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भू-उपयोग कृषि से औद्योगिक परिवर्तित कराये जाने के संबंध में	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद / आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	मेसर्स वीना इंटर प्राइजेज, नई दिल्ली का प्रत्यावेदन दिनांक 08.11.2007- प्रवर्तक द्वारा डासना जिला-गाजियाबाद में एक टेक्सटाइल परियोजना 200 करोड रूपये के पूंजी विनियोजन से स्थापित करायी जा रही है। जिस भूमि पर परियोजना की स्थापना करायी जा रही है उसका रकबा 9 एकड़ स्थिति ग्राम-भूरगढी, डासना खसरा संख्या-2890, 2888, 2887, 2891 है, जो मास्टर प्लान में कृषि दर्शाई गयी है। अनुरोध किया गया है कि इस भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक परियोजन हेतु परिवर्तित कराया जाय। बैठक दिनांक 26.12.07- इकाई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बताया गया कि फिलेम डिटिरेन्ट फैब्रिक्स उत्पादन की इकाई स्थापित की जा रही है जो भारत वर्ष में पहली इकाई होगी। इकाई के प्रवर्तक को परामर्शित किया गया कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सम्पर्क कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया दिया जाए। विशेष सचिव, आवास एवं अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूउपयोग कृषि से औद्योगिक परिवर्तित कराये जाने हेतु आख्या मांगी गई है। आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही करायी जायेगी। निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव शासन को 30 दिन में उपलब्ध करा दिया जाए। बैठक दिनांक 27.02.2008, इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि चूँकि भूमि के समक्ष 12 फुट की सडक है। जबकि यह सडक 12 मीटर चौडी होनी चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस सडक पर जो औद्योगिक इकाइयाँ है वे सडक के निर्माण हेतु अपनी भूमि देने के लिए तैयार है। आवास विभाग द्वारा कहा गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक से रिपोर्ट मांगी गयी है। निर्णय लिया गया कि सडक निर्माण के संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संबन्धित औद्योगिक इकाइयो के साथ एक बैठक का आयोजन कर भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में रखकर अनुमोदन कराया जाय। यह कार्य 10.03.08 के पहले करके उद्योग बन्धु को सूचित कर दिया जाय। इस विषय पर दिनांक 10.03.08 को एक अलग से बैठक आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

87
परिशिष्ट 3(2)

				विशेष बैठक दिनांक 11.03.2008. श्री संजीव कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 से इकाई की भूमि 700 मीटर दूरी पर नहर के किनारे है जहॉ पर 12 फुट चौडा गलियारा है। जबकि नियमानुसार उद्योगो के स्थान के सामने 12 मीटर की सड़क वॉछित है। उनके द्वारा यह भी इंगित किया गया कि स्थापित अन्य इकाइयो के पते व फोन नम्बर न होने के कारण इकाईयो के प्रवर्तको के साथ बैठक आयोजित नही की जा सकी। अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 27.02.2008 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से इस विषय पर विस्तृत रूप से वार्ता की गयी थी उसके बावजूद सहायक अभियंता द्वारा इकाई के प्रवर्तको से बैठक करके सड़क के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर निर्णय नही लिया गया। यह निर्णय का उल्लघन है। अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संज्ञान में यह स्थिति लायी जाय। तय किया गया कि श्री संजीव कुमार गुप्ता सहायक अभियंता द्वारा 20.03.2008 तक प्रस्ताव तैयार करके बोर्ड में प्रस्तुत करने हेतु नोट तैयार कर ले जिस पर परिचालन के माध्यम से बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही करें। **अपेक्षित कार्यवाही-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा** संबन्धित औद्योगिक इकाइयो के साथ सड़क के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आयोजित की गयी बैठक एवं लिये गये निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा।

परिशिष्ठ-5(1) 88

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

L 220733

IRREVOCABLE UNDERTAKING

Rakesh Bajaj S/o **Sh. R. P. Bajaj** aged about **43 years** R/o **81, Vigyan Vihar, Delhi – 110092** do hereby irrevocably undertake :

1. That in the capacity of / as the owner of Khasra Nos **2888 and 2890** in Village Bhoorgarhi in Dasna, Distt Ghaziabad which is adjacent to the road running adjacent to the Ganga Canal running from National Highway 24 to Dadri that in case required by any appropriate authority, I shall leave that portion of my land which is required by them to make the width of the road upto 40 ft from the edge of the bund of the said canal.

DEPONENT

Verification:

Verified at Delhi on solemn affirmation that the contents of Point No. 1 are true and correct to my knowledge and nothing has been concealed there from.

ATTESTED

NOTARY PUBLIC DELHI

DEPONENT

Place : New Delhi
Dated :

NOTARY KESHAV PRASAD DELHI GOVT. OF INDIA

9 APR 2006

89

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

DELHI

IRREVOCABLE UNDERTAKING

L 220736

Seema Bajaj W/o Sh. Rakesh Bajaj aged about 37 years R/o 81, Vigyan Vihar, Delhi – 110092 do hereby irrevocably undertake

That in the capacity of / as the owner of Khasra Nos. 2887 and 2891 in Village Bhoorgarhi in Dasna, Distt. Ghaziabad which is adjacent to the road running adjacent to the Ganga Canal running from National Highway 24 to Dadri that in case required by any appropriate authority, I shall leave that portion of my land which is required by them to make the width of the road upto 40 ft from the edge of the bund of the said canal.

DEPONENT

Verification:

Verified at Delhi on solemn affirmation that the contents of Point No. 1 are true and correct to my knowledge and nothing has been concealed there from

Place : New Delhi
Dated :

NOTARY GOVT. OF INDIA KESHAV PRASAD DELHI

ATTESTED

NOTARY PUBLIC DELHI

9 APR 2008

DEPONENT

परिशिष्ट -5-

भाग-3

सड़कें

आवासीय भू-उपयोग

आवासीय भू–उपयोग के विकास में सड़को एवं नालियों का नियोजन निम्नवत् किया जाएगा :–

(i) 200 मीटर तक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी तथा 201-400 मीटर तक 12 मीटर, 401-600 मीटर तक 18 मीटर एवं 600 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर होगी।

(ii) लूप–स्ट्रीट की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर तथा अधिकतम लम्बाई 400 मीटर होगी।

(iii) पार्क/खुले स्थल से सटी हुई 9 मीटर सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर रखी जा सकती है।

(iv) 9 मीटर चौड़ा मार्ग जो सीधा हो तथा एक छोर से बन्द हो (डेड–एण्ड–स्ट्रीट) वहाँ मोड के लिए न्यूनतम 7.5 मीटर की अर्द्ध व्यास वाले पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी ओर ऐसी सड़क की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर होगी। परन्तु 25 मीटर लम्बाई तक के डेड–एण्ड स्ट्रीट में कल–डी–सैक की आवश्यकता नहीं होगी।

टिप्पणी :

सार्वजनिक अभिकरणों के दुर्बल/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विशिष्ट आवासीय योजनाओं में वाहनों के उपयोग में आने वाले मार्ग (Motorable Roads) न्यूनतम 6.0 मीटर चौड़े होंगे। पैदल मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मार्ग के एक ओर भूखण्ड तथा दूसरी ओर खुला स्थान होने पर 3.0 मीटर तथा दोनों ओर भूखण्ड होने पर न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी। 3.0 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर तथा 4.5 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी। कोई भी आवासीय एकक 9.0 मीटर चौड़े मार्ग से 150 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगा।

(v) अन्य मार्गों की चौड़ाई महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना के अनुसार होगी।

2. अनावासीय भू-उपयोग (i) अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक कार्यालय एवं औद्योगिक भू-उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी। 201 से 400 मीटर लम्बी सड़क

मद संख्या :– 12

विषय :– दिल्ली मेट्रो का दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तथा वैशाली से सी.आई.एस.एफ. इन्दिरापुरम तक विस्तार।

गाजियाबाद नगर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। जिसके कारण दिल्ली में वर्तमान में आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि के मूल्य अत्याधिक होने के कारण गाजियाबाद शहर में लोग बहुतायत में बस रहे हैं। जिसकी वजह से गाजियाबाद की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जिससे गाजियाबाद की सड़कों पर यातायात का अत्याधिक दबाव बढ़ गया है। गाजियाबाद एक पुराना शहर होने के कारण सड़कों की चौड़ाई एक सीमा से अधिक नहीं बढाई जा सकती जो कि वर्तमान एवं भविष्य के यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त नही है। इसलिए उचित होगा कि सुगम यातायात की व्यवस्था हेतु सड़क परिवहन के अतिरिक्त अन्य विकल्पों पर विचार किया जाय।

गाजियाबाद नगर के सुनियोजित एवं सर्वागीण विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन नयी दिल्ली को विभिन्न पत्र प्रेषित किये गये एवं डी0एम0आर0सी0 के प्रबन्ध निदेशक श्री ई0 श्रीधरन के साथ विभिन्न बैठके पूर्व में की गयी, जिसमें शाहदरा–दिल्ली से गाजियाबाद तक दिल्ली मैट्रो रेल के गाजियाबाद विस्तार हेतु विस्तृत विचार विमर्श हुए। दिल्ली मेट्रो रेल के गाजियाबाद विस्तार का सर्वप्रथम प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 31.01.2004 में रखा गया था। जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया था। दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक दिल्ली मेट्रो रेल के गाजियाबाद विस्तार के कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005 में डी0एम0आर0सी0 से डी0पी0आर0 तैयार करायी गयी थी। डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

रूट – दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद
कुल लम्बाई –9.41 कि.मी. (एलीवेटिड)
कुल स्टेशनों की संख्या–07
अनुमानित लागत (वर्ष 2005 पर आधारित) – रू0 795 करोड़
समयावधि– वर्ष 2010 के मध्य तक

कतिपय कारणों से मैट्रो रेल के उक्त कोरिडोर पर डी0पी0आर0 से आगे की कार्यवाही नही हो सकी।

एस0 के0 जमान
सी0 ए0 टी0 पी0

सचिव
ग्रा0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद

उक्त परिपेक्ष्य में डी0एम0आर0सी0 के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर से वार्ता की गयी जिसके अनुसार वर्तमान में उक्त कोरीडोर पर पूर्व अनुमानित लागत रूपये 795 करोड़ से 20 प्रतिशत अतिरिक्त लागत आयेगी। अर्थात् इस कोरीडोर की वर्तमान अनुमानित लागत रूपये 954 करोड़ होगी।

इस परिपेक्ष्य में दिल्ली मैट्रो रेल का गाजियाबाद विस्तार के अन्तर्गत वर्तमान में आनन्द विहार से वैशाली (गाजियाबाद) तक मैट्रो रेल की व्यवस्था हेतु कार्य प्रगति पर है। जो कि वर्ष 2010 अर्थात दिल्ली में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स – 2010 से पूर्व पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ताकि उक्त का लाभ तत्समय पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव है कि मैट्रो रेल का विस्तार वसुन्धरा (आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनी) सेक्टर–2 से होते हुए इन्दिरापुरम में सी0आई0एस0एफ0 परिसर (एन.एच.–24) तक किया जाय। जिसकी कुल लम्बाई लगभग 7 कि.मी. है उक्त कोरिडोर पर कुल रूपये 700 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। मैट्रो रेल के इस कोरिडोर से वसुन्धरा, इन्दिरापुरम औद्योगिक क्षेत्र साईट – 4 आदि क्षेत्र लाभान्वित होंगें। भविष्य में एन0एच0–24 के सापेक्ष प्रताप विहार, लाल कुँआ होते हुए महरौली तक मैट्रो रेल का विस्तार किया जाना है उसके लिए यह कोरीडोर लिंक का कार्य करेगा। एन.एच.–24 पर विकसित होने वाली हाईटेक सिटी एवं इन्टिग्रेटिड टाउनशिप भी इससे लाभान्वित होगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी । अतः उचित होगा कि जिन–जिन विभागों को इसका सीधे लाभ होगा उनसे इस व्यय में सहभागिता करने का अनुरोध किया जाय।

अतः उपरोक्तानुक्रम में मैट्रो रेल का दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तथा वैशाली से वसुन्धरा होते हुए सी0आईएस0एफ0 परिसर, इन्दिरापुरम (एन. एच.–24) तक विस्तार का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय से विचारार्थ एवु अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 25 प्रतिशत एवं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 भी 25 प्रतिशत तथा विकास प्राधिकरण 50 प्रतिशत व्यय की जाने वाली धनराशि में सहभागिता करेंगें।

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद सं०-13

92

विषयः— कौशाम्बी योजना में सुविधाजनक दुकान उपलब्ध कराने हेतू तीन स्थानो पर भूखण्डो को आवासीय से व्यवसायिक भू—उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

कौशाम्बी आवासीय योजना लगभग 242 एकड में नियोजित है जिसके अन्तर्गत ग्रुप हाउसिगं, भूखण्डीय विकास एवं बाहरी मुख्य मार्गो पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भूखण्ड नियोजित किये गये थे। योजना के आन्तरिक क्षेत्रो में सुविधाजनक दुकानो हेतु भूखण्ड पर्याप्त मात्रा में नियोजित नही किये गये । अधिकाशं व्यवसायिक बाहरी मुख्य मार्गो पर ही स्थित है। आन्तरिक भाग में स्थानीय स्तर की सुविधाजनक दुकानो के अभाव के कारण योजना के विभिन्न भागो में आवासीय भवनो में ही छोटी—2 दुकाने अनाधिकृत रूप से बन रही है। इससे आसपास के क्षेत्र में अनेक समस्याये उत्पन्न होती है। उक्त समस्या के समाधान हेतु सुविधाजनक दुकानो के लिये योजना के दो—तीन भागो में कुछ रिक्त आवासीय भूखण्डो में अनुज्ञा प्रदान करने हेतु भू—उपयोग परिवर्तन करने पर विचार किया जा सकता है। इससे जहाँ एक ओर अनाधिकृत निर्माणो पर अंकुश लगेगा वहीं दूसरी ओर आवासीय क्षेत्र में सुविधा भी उपलब्ध करायी जा सकेगी तथा साथ ही साथ प्राधिकरण को भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क से लाभ भी हो सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा इसके लिये योजना के विभिन्न भागो में तीन स्थल चिन्हित किये गये है। जो मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किये गये है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः—

1. भूखण्ड स0—12B, 12C एवं 12D
2. भूखण्ड स0— KB-1,2,3,4,5
3. भूखण्ड स0— A-124,125,126,127 व 169,170,171

उसमें जिन भूखण्डो को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किया जायेगा उनसे भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क भी लिया जायेगा तथा समस्त प्रकिया जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति के पश्चात् ही की जायेगी।उक्त चिन्हित स्थलो पर सम्बन्धित भूखण्डो को अमलगमेट करते हुये अथवा स्वतन्त्र रूप से नियोजित रखते हुए सुविधाजनक दुकानो का निर्माण प्रचलित नियमो के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्डो का भू—उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एस० के० जमान
सी० ए० टी० पी०

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्याः 14

विषयः– गाजियाबाद शहर में ठाकुरद्वारा, हापुड़ फ्लाई ओवर को सड़क के मध्य में बनाये जाने एवॅ फ्लाई ओवर की लम्बाई 249 मीटर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद शहर में ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली से लाल कुँआ जाने वाले कैरिज वे में किया जाना प्रस्तावित था तथा एक तरफ का ट्रैफिक ही चलाया जाना प्रस्तावित था । स्थानीय नागरिकों, मार्केट के दुकानदारों द्वारा फ्लाईओवर निर्माण के फलस्वरूप होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति गठित की गयी । समिति द्वारा दिनॉकः 07.03.08 को स्थल का निरीक्षण किया गया है । समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये । (समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है)

1. फ्लाई ओवर का निर्माण एक तरफ न करके सड़क के मध्य में किया जाये जिससे फ्लाई ओवर निर्माण के पश्चात् दोनों तरफ दिल्ली से लाल कुँआ एवॅ लाल कुँआ से दिल्ली के यातायात के लिए पर्याप्त सर्विस रोड उपलब्ध हो सके ।
2. जस्सीपुरा मोड़, दिल्ली गेट, कैला भट्टा एवॅ एम0एम0जी0 अस्पताल पर यातायात का आवागमन सुचारू करने के लिए फ्लाई ओवर की लम्बाई 249 मीटर बढ़ाते हुए एम0एम0जी0 अस्पताल के सामने गेट तक फ्लाई ओवर के पिलर का निर्माण कर अस्पताल के गेट के आगे से डाउन कर शम्भूदयाल कॉलेज तक किया जाये ।

अतः उपरोक्तानुसार फ्लाई ओवर का सड़क के मध्य में निर्माण किये जाने से दोनों ओर यातायात के लिए पर्याप्त सर्विस रोड उपलब्ध रहेगी तथा 249 मीटर लम्बाई बढ़ाये जाने से दिल्ली गेट, कैला भट्टा, जस्सीपुरा मोड़ तथा एम0एम0जी0 अस्पताल का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सकेगा तथा फ्लाई ओवर का सम्पूर्ण उपयोग हो सकेगा । पूर्व स्वीकृत फ्लाई ओवर की कुल लम्बाई 514.398 मीटर थी जिसमें रैम्प पोर्शन की लम्बाई 340.10 मीटर(दिल्ली साइड में 175.60 मीटर, बुलन्दशहर साइड में 164.50 मीटर) तथा वायाडक्ट पोर्शन की लम्बाई 174.30 मीटर थी तथा कैरिजवे की चौड़ाई 7.50 मीटर थी ।फ्लाई ओवर की पूर्व स्वीकृत लागत 789.14 लाख थी ।

(ए. के. गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

वर्तमान में फ्लाई ओवर की वायाडक्ट पोर्शन की लम्बाई 249 मीटर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है और कैरिजवे की चौड़ाई 7.500 मीटर ही रहेगी । उपरोक्तानुसार कार्य कराने पर फ्लाई ओवर के निर्माण लागत में 582.51 लाख की वृद्धि प्रस्तावित है । इस प्रकार फ्लाई ओवर की कुल लागत 789.14 लाख से बढ़कर 1371.65 लाख हो जायेगी ।

उक्त फ्लाई ओवर के निर्माण का कार्य उ0प्र0 राज्य सेतु निगम को पूर्व बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिया गया था एवॅ उ0प्र0 राज्य सेतु निगम को रू0–170.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है । अतः स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों की फ्लाई ओवर निर्माण से होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के क्रम में ट्रैफिक के सुचारू आवागमन हेतु इस फ्लाई ओवर के निर्माण को सड़क के मध्य किये जाने एवॅ इसकी लम्बाई 249 मीटर बढ़ाये जाने की स्वीकृति एवॅ उपरोक्तानुसार कार्य की लागत में हुई वृद्धि धनॉक 582.51 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नकः

1. स्थानीय नागरिकों एवॅ व्यापारियों द्वारा दिये गये ज्ञापन की छायाप्रति ।
2. जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की छायाप्रति ।

अनिल गर्ग
मुख्य अभियन्ता
ना० वि० प्रा०

सचिव
ना० वि० प्रा०
गाजियाबाद

(ए० के० गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

मद संख्या– 15

विषय :–राजेन्द्रनगर आवासीय योजना में सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनो के निर्माण के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु नगरीय निर्बल आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 3150 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष गा0वि0प्रा0 द्वारा महायोजना सीमा के अन्तर्गत 3168 ई0डब्लू0एस0 चार मंजिले (भूतल + तीन तल) भवनों की निविदाएं स्वीकृत उपरान्त कार्यादेश निर्गत किये जा चुके है। इसी मध्य प्राधिकरण की कोयल इन्क्लेव आवासीय योजना में उपलब्ध भूमि के दृष्टिगत दिनांक 10 जनवरी–2008 से इन भवनों का पंजीकरण भी खोला गया है। परन्तु इसी मध्य इस योजना की भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरूप इस योजना में 792 ई0डब्लू0एस0 चार मंजिले भवनों का ले–आउट देने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। शासन के लक्ष्य की पूर्ति किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण की ही राजेन्द्रनगर आवासीय योजना के सेक्टर–2 में आर–जोन में 2.28 हेक्टेयर रिक्त भूमि उपलब्ध है। इस भूमि का विभागीय अधिकारियों एवं आर्कीटेक्ट द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी किया गया है। चूँकि उक्त रिक्त भूखण्ड के चारों तरफ का क्षेत्र पूर्णतया विकसित हो चुका है। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए स्थल पर ही निर्णय लिया गया कि यह भूमि अत्यन्त उपयोगी होने के कारण इस पर ई0डब्लू0एस0, एम0आई0जी0 व एच0आई0जी0 के 10 मंजिले भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाये तथा शासन के लक्ष्य ई0डब्लू0एस0 3150 एल0आई0जी0 3100, एम0आई0जी0 2500, एच0आई0जी0 1240 की पूर्ति कराई जाये। उक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए इस भूमि पर उपर्युक्त भवनों के सम्बन्ध में प्लानिंग कराई गयी है, जिसके अनुसार मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक के सुझाव के दृष्टिगत भू–अच्छादन–35 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0–2.00 के आधार पर ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के 560 भवन (भूतल + 9 तल) निर्माण हेतु उपलब्ध होते है एवं एम0आई0जी0 श्रेणी के 72 भवन (भूतल + 6 तल) तथा एच0आई0जी0 श्रेणी के 144 भवन (भूतल + 6 तल) इस भूमि पर बन सकते है। प्रत्येक ई0डब्लू0एस0 भवन (35.69 वर्ग मीटर) में दो कमरे, टॉयलेट, किचन एवं बालकनी तथा आवंटियों की पार्किंग सुविधा हेतु प्रत्येक ब्लाक में भूतल पर कवर्ड पार्किंग का भी प्राविधान किया गया है। एम0आई0जी0 भवन का क्षेत्रफल 89.63 वर्ग मीटर एवं एच0आई0जी0 भवन का क्षेत्रफल 115.27 वर्ग मीटर है।

उपर्युक्त के साथ–साथ ई0डब्लू0एस0 भवनों का आगणन भी तैयार कराया गया है जिसके अनुसार प्रति भवन निर्माण लागत लगभग रू0 2.84 लाख आती है। ई0डब्लू0एस0 (भूतल + 9 तल) भवनों का निर्माण 5 ब्लाक में करने का नियोजन है। प्रत्येक ब्लाक में भू–तल पर 4 भवन तथा प्रथम तल से 9 वें तल तक प्रत्येक तल...

...पर 12–12 भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है अर्थात प्रति ब्लाक में 112 भवन निर्मित किये जायेंगे इस प्रकार कुल 560 भवन 5 ब्लाक में बनाये जायेंगे। साथ ही प्रत्येक ब्लाक में सीढ़ी के साथ–साथ दो लिपट लगाने का प्राविधान भी है। ई0डब्लू0एस0 भवनों का विक्रय मूल्य रू0 2.00 लाख प्रति भवन तक सीमित करने की दृष्टि से रू0 2.00 लाख से आधिक्य निर्माण लागत तथा विकसित भूमि की लागत को इसी भूमि पर निर्मित किये जाने वाले एच0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 भवनों पर भारित कर इनके विक्रय मूल्य में समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उपर्युक्तानुसार "सबके लिए आवास" कार्यक्रम तथा "नगरीय निर्बल वर्ग आवास" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत 560 ई0डब्लू0एस0, 72 एम0आई0जी0 तथा 144 एच0आई0जी0 बहुमंजिले भवनों के निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

13/5/08

नीरज कुमार गुप्ता
सहायक अभियन्ता

13/05/2008

आर० एस० सरोज
अधिशासी अभियन्ता-4

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मदसंख्या 16 (97)

विषय - एन0एच0–24, के किमी 8.00 से किमी 20.00 तक 4 लेन से 8 लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समानुपातिक आधार पर वित्त पोषण ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर गाजियाबाद नगर में लाल कुंआ से यू0पी0गेट एन0एच0–24 पर यातायात के बढते घनत्व एवं वर्ष 2010 में हाने वाले राष्ट्रमण्डल खेल के दृष्टिगत जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा निर्देशित किया गया है, कि विजय नगर तिराहे से यू0पी0गेट तक लगभग 9.00 किमी की लम्बाई में एन0एच0–24 को चार लेने से आठ लेन में परिवर्तित किया जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियबाद ने पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राज मार्ग विभाग), ट्रान्सपोट भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एन0एच0 12037/59/2008–यू0पी0/एन0एच0 –II दिनांक 31.03.08 के क्रम में पत्र सं0 2944 दिनांक 04.04.08 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग– 24 के 8.00 किमी से 20 कि0मी0 सडक के 6 लेन के स्थान पर 8 लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में फन्ड आदि की व्यवस्था की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है उल्लेखनीय है दिनांक 03.03.08 को सचिव, सडक परिवहन एंव राजमार्ग विभाग मंत्रालय नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव लो0नि0वि0उ0प्र0, आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ और जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा प्रतिभाग किया गया था तथा उक्त बैठक में हुऐ विचार विर्मश के क्रम में ही पत्र दि0 31.03.08 मुख्य अभियन्ता, (सडक परिवहन एवं राजमार्ग विभाग नई दिल्ली) द्वारा अध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी गाजियाबाद को प्रेषित की गयी है। तद्नुसार उक्त एन0एच0 24 को लाल कुंआ चौराहे से यू0पी0 गेट तक लगभग 12 कि0मी0 लम्बाई में चार लेन से आठ लेन में परिवर्तित करने में अनुमानित रू0 9000.00 लाख व्यय सम्भवित है जिसमे सडक चौडीकरण व पांच कलवर्ट, हिण्डन नदी व हिण्डन कट केनाल पर बनाये जाने वाले पुल, किमी 14 से कि0मी0 8 के मध्य जनपद गाजियबाद व नोएडा के मध्य सुगम आवागमन हेतु तीन अन्डर पासेज के प्रस्तावित निर्माण शमिल है।

उल्लेखनीय है कि एन0एच–24 को चार लेन से केवल छः लेन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भविष्य में एन0एच0ए0आई0 का है तथा इस पर आने वाला व्यय एन0एच0ए0आई0 द्वारा ही वहन किया जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त शेष दो लेन का कार्य भी सम्प्रति एन0एच0ए0आई0 द्वारा करने हेतु दिनांक 03.03.2008 को आयोजित बैठक में सहमति व्यक्त की गयी है, परन्तु उस पर आने वाला अनुमानित व्यय भार रू0 4500.00 लाख के व्यय को समानुपातिक आधार पर गाजियबाद विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास विकास परिषद व नोएडा प्राधिकारण द्वारा जनहित में वहन किया जाना उचित होगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं इस रोड के साथ स्थित है। कार्य के सुचारू रूप से क्रियानव्यन हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उक्त परियोजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समानुपातिक आधार पर प्राधिकरण स्तर से जनहित में वित्त पोषण हेतु सहभागिता प्रदान किये जाने के लिये अनुमानित धनराशि रू0 1500.00 लाख का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष विचारोपरान्त अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0

सचिव
गा0 वि0 प्रा0

98

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्र संख्या 2944 /एस0टी0–डी0एम0 / 2008 दिनांक अप्रेल 4 ,2008

विषयः– राष्ट्रीय राज मार्ग –24 के 8–00 कि0मी0 से 20 कि0मी0 सड़क के 6 लेन के स्थान पर 8 लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में फन्ड आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभग) ट्रांसपोर्ट भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एनएच–12037 / 59 / 2008–यूपी / एनएच–।। दिनांक 31–3–2008 जो आपको सम्बोधित है तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठाकिंत है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें ,जिसकी छाया प्रति सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न भी की जा रही है। कृपया इस प्रकरण में उल्लिखित तथ्यो के सम्बन्ध मे शीघ्र ही यथोचित कार्यवाही कराते हुये सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि इस परियोजना के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ हो सकें। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दीपक अग्रवाल)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

85/PRO 4/4/08
167/28-6 15/4/08
129/CE 10-4-08
CE
CE 15/4/08

IMMEDIATE
By SPEED POST

99

R. B. SINGH
Chief Engineer
Telefax: 011-2371-6848

Government of India
भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
Ministry of Shipping, Road Transport & Highways
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)
(Department of Road Transport & Highways)
परिवहन भवन / Transport Bhawan
1, संसद मार्ग / 1, Parliament Street
Website : http://morth.nic.in

No.NH-12037/59/2008-UP/NH-II

दिनांक, नई दिल्ली–110001 the 31st March, 2008
Dated, New Delhi-110001

To

The Chairman,
Ghaziabad Development of Authority,
Ghaziabad,
UTTAR PRADESH

Sub.: Construction of additional 2 lanes over and above proposed 6 - laning of the stretch from km. 8.0 to 20.0 of NH-24 - arrangement of funds - reg.

Sir,

A meeting was held on 03.03.2008 under the Chairmanship of Secretary (RT&H) in the Ministry which was attended by the undersigned and Officers of State Government of UP namely Shri Ravindra Singh, Principal Secretary, UP PWD; Shri D. Chaudhry, Commissioner, Meerut; and Shri Deepak Agarwal, DM, Ghaziabad to discuss the financing of additional 2 lanes over and above proposed 6 – laning of the stretch from km. 8.0 to 20.0 of NH-24 by NHAI.

2. District Magistrate, Ghaziabad of State Government of UP assured during the meeting that Ghaziabad Development of Authority (GDA) may render financial assistance for the construction of additional 2 lanes over and above proposed 6 - laning of the stretch from km. 8.0 to 20.0 of NH-24.

3. Keeping in view the assurance given by DM, Ghaziabad, it has been decided to construct additional 2 lanes over and above proposed 6 - laning of the stretch from km. 8.0 to 20.0 of NH-24 in order to make the entire stretch of 12km length to 8-lane standard.

4. In view of above, it is requested, that the financing of additional 2 lanes over and above proposed 6 - laning of the stretch from km. 8.0 to 20.0 of NH-24 by GDA may please be confirmed for taking further necessary action in the matter.

Yours faithfully,
Sd/-
(R. B. Singh)
Chief Engineer
For Director General (RD)

Copy to: **Shri Deepak Agarwal, DM, Ghaziabad,** Collectorate Ghaziabad. He is requested to take up the matter of financing of cost for additional 2 lanes by GDA and forward necessary conformation in this regard to the Ministry for taking further necessary action in the matter.

R. B. Singh
(R. B. Singh)
Chief Engineer
For Director General (RD)

मद संख्या : 17

विषय : गाजियाबाद महायोजना 2021 में करैहड़ा गांव के निकट से हिण्डन नदी को पार करते हुए मोरटी गांव से होते हुए हिण्डन तटवर्ती बन्धा सड़क तक प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद महायोजना 2021 में करैहड़ा गांव के निकट से हिण्डन नदी को पार करते हुए मोरटी गांव से होते हुए हिण्डन तटवर्ती बन्धा सड़क तक प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित किये जाने हेतु दिनांक 17–4–08 को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन के साथ किये गये संयुक्त स्थल निरीक्षण के समय उक्त सड़क के निर्माण का निर्णय लिया गया था । इस सड़क के निर्मित हो जाने पर जी0टी0 रोड पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले वाहनों को लाभ होगा । इस प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 5.30 किलोमीटर है तथा इस 6 लेन चौड़े मार्ग के निर्माण की अनुमानित लागत रू0 50.00 करोड़ है एवं हिण्डन नदी पर ब्रिज गाईड बन्ध आदि की अनुमानित लागत 20.00 करोड़ है। उपरोक्त के क्रम में सड़क के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करने कन्सलटैन्ट के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार कराने तथा तदोपरान्त निविदा आमंत्रित कर कार्य कराये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

अनिल गर्ग
मुख्य अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0

सचिव
गा0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद

मद संख्याः– 18

प्रस्तावः– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजनान्तर्गत नगर निगम के चयनित वार्डो के संतृप्तिकरण की कार्य योजना चरण द्वितीय में कराये जाने वाले कार्य।

शासनादेश संख्या– 3636/9–07–97ज/07 दिनांक 17.10.2007 के द्वारा आदेशित किया गया है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना में चयनित नगर पंचायत के संतृप्तीकरण की कार्य योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद शहर के आठ नगर निगम वार्डो का चयन विकास हेतु किया गया है। नगर आयुक्त गाजियाबाद नगर निगम के पत्रांक संख्या 154/ए0एन0ए0 दिनांक 23.04.2008 द्वारा निम्न चयनित वार्डो की सूचना प्राधिकरण को दी गई है, यह वार्ड निम्नवत हैः–

1. वार्ड संख्या–58 वैशाली
2. वार्ड संख्या–67 विवेकानन्द नगर, कविनगर
3. वार्ड संख्या–04 शिब्बनपुरा हरवंश नगर
4. वार्ड संख्या–05 मालीवाडा–प्राणगढी
5. वार्ड संख्या–06 अकबरपुर–वहरामपुर
6. वार्ड संख्या–70 शहीदनगर
7. वार्ड संख्या–76 गांधीनगर–तुराबनगर
8. वार्ड संख्या–62 नेहरू नगर तृतीय

उपरोक्त अधिकृत वार्डो में प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्र का निर्माण तथा समस्त आठ वार्डो में प्राधिकरण द्वारा समस्त पार्को का सौन्दर्यकरण एवं पर्यावरण सुधार विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस कार्य योजना के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्रो का निर्माण कार्य, जिसमें अभियन्त्रण एवं विद्युतीकरण के साथ उद्यानीकरण का कार्य शामिल है। तथा पार्को में सुदृढीकरण, एंव नवीनीकरण के कार्य में चार दीवारी की मरम्मत, ग्रिल लगाना, पाथवे विकसित करना, बैन्च एवं झूले लगाना, डस्ट विन लगाना, जन सुविधा विकसित करना, माली हट बनाना, प्रकाश व्यवस्था करना, पेड, पौधे एवं घास रोपित करना, भूपरिदृस्यीकरण करना पार्को में पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण कार्य करना, सिंचाई व्यवस्था तथा एक वर्ष के रख रखाव कार्य शामिल है।

उपरोक्त आठ वार्डो में वार्ड संख्या–04 शिब्बनपुरा हरवंश नगर, वार्ड संख्या–5 मालीवाडा–प्राणगढी वार्ड संख्या–62 नेहरू नगर तृतीय में आशोक नगर संख्या–76 गांधीनगर–तुराबनगर में तुराबनगर, रामनगर, बागभटियारी, अर्जुननगर, व दयानन्दनगर पूर्व निर्मित कालौनी है। तथा वार्ड संख्या–06 अकबरपुर–वहरामपुर, वार्ड संख्या–70 शहीदनगर अनाधिकृत कालौनी हैं। इन चिन्हित अनाधिकृत एवं पूर्व निर्मित कालौनी के अन्तर्गत किसी प्रकार का कार्य प्राधिकरण स्तर से कराया जाना वर्तमान आवास नीती के अन्तर्गत नहीं है। इस सम्बन्ध में योजना कमैटी का निर्णय अपेक्षित है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

उक्त योजनान्तर्गत प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य तथा समस्त पार्को का सौन्दर्यकरण एवं पर्यावरण सुधार एवं एक वर्ष का रख–रखाव का कार्य किया जायेगा। जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। तथा शासन आदेश संख्या–3636/9–07–97ज/07 दिनांक 17.10.2007 के निर्देशानुसार शासन से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत कार्यो को दिनांक 31.03.2009 तक पूर्ण किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुक्रम में शासन की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा चयनित उपरोक्तानुसार आठ वार्डो में शासन आदेश संख्या–3636/9–07–97ज/07 दिनांक 17.10.2007 के निर्देशानुसार सामुदायिक केन्द्रो का निर्माण एवं समस्त पार्को का उद्यानिकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण तथा एक वर्ष की अवधि हेतु रख–रखाव कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्या : 19

विषय : किराये पर उठी सम्पत्तियों जो स्टाफ को आवंटित है, को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 2798/आठ–9–9–95–8–86 आवास अनुभाग दिनांक 16.06.93 के द्वारा किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। (संलग्नक–1) शासनादेश के अनुपालन में दिनांक 02.11.96 में मद संख्या 20 पर किराये पर उठी 746 सम्पत्तियों को विक्रय हेतु प्रस्ताव रखा गया था कि "अनुमोदित 10 वर्ष की आसान किस्तों में ब्याज सहित धनराशि ली गयी। इसके अतिरिक्त अन्य भवन जो किराये पर अधिकारियो/कर्मचारियों को दिये हुए हैं लेकिन स्टाफ हाउसिंग नहीं हैं। इसी शर्त पर उन्हें भी विक्रय कर दिया जाये। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 30.11.02 के मद संख्या 32 पर 94 भवनों को अमितव्ययी घोषित करते हुए विक्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे बोर्ड बैठक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (संलग्नक–2) उक्त प्रस्ताव में संजय नगर योजना के 43 भवन भी सम्मिलित थे तथा अधिकतर भवन विक्रय हो चुके है। इसके पश्चात बोर्ड बैठक दिनांक 20.02.03 में मद संख्या 62 पर 22 भवनों जो पूर्व में 94 भवनों के साथ सम्मिलित नहीं थे, को विक्रय हेतु प्रस्ताव रखा गया था जिस पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान तक उपरोक्तानुसार प्राधिकरण की कुल अमितव्ययी सम्पत्तियों के अन्तर्गत कुल भवनों की संख्या 862 हो जाती है। परन्तु उस समय स्टाफ के किराये के शेष 28 भवन पूर्व प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे। ये 28 भवन प्राधिकरण कर्मचारियों को किराये पर आवंटित है। इन सभी कर्मचारयों द्वारा पूर्व में विक्रय किये गये भवनों की भांति क्रय करने की प्रार्थना की जाती रही है। इन 28 भवनों को विवरण निम्न प्रकार है–

संजय नगर एन–6, एन–18, एन–22, एन–23, एन–27, एन–28, एन–49, एन–59, एन–77, एन–84, एन–92, एन–104, एन–114, एन–124, एन–131, एन–137, एन–167, एम–81, एम–425ए, बी–43, बी0एस0एच0एफ0–04, बी0एस0एच0एफ0–02 लाजपत नगर, सी0एच0एस0सी0–2 शास्त्रीनगर, एच0एस0एच0एफ0–2 नन्दग्राम, 303ए, बी–12, लोहिया नगर, सी–1 डासना रोड़, ई–61, डासना रोड़, कुल 28 भवन।

अतः इन 28 भवनों को शासनादेश संख्या 4872/97–अ–2–99 की बैठक 1998 दिनांक 04.11.99 एवं शासनादेश संख्या 4867/आठ–1–06–72 बैठक/98 दिनांक 03.08.06 (संलग्नक–3) के अनुसार अमितव्ययी घोषित करते हुए सभी कर्मचारियों की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अन्य कर्मचारियों की भांति मूल्यांकन कराते हुए स्टाफ क्वाटरों को विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। इससे इन भवनों का निस्तारण हो जायेगा एवं प्राधिकरण को भवनों का मूल्य प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व के रूप में वृद्धि हो जायेगी। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनय दत्त
रामनाम तिवारी
सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्या– 20

विषय : प्राधिकरण द्वारा निर्मित किराये के भवनों के निस्तारण की सीमा दिनांक 31/03/09 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या–4872/9–आ–/99 वैठक दिनांक 04/11/99 द्वारा किराये पर आवंटित प्राधिकरण की अमितव्ययी सम्पतियों के निस्तारण हेतु सम्पत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध मे निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा घोषित अमितव्ययी भवनो का मूल्याकंन वर्ष 2000 मे निर्धारित करते हुए किरायेदारो को क्रय करने हेतु आफर दिये गये। अधिकाशं आवंटियो द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाते हुए इन भवनो को वर्ष 2000 के मूल्याकंन पर क्रय किया जा चुका है। अनेक बार आवंटियों के प्राप्त प्रत्यावेदनों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा वर्ष 2000 के मूल्याकंन एवं उक्त शासनादेश के क्रम मे प्राधिकरण की देय धनराशि को एक मुश्त अदा करने पर 20 प्रतिशत की छूट की सीमा बढाई जाती रही है। अन्तिम बार बोर्ड बैठक दिनांक 08/12/07 मे उक्त मूल्याकंन एवं छूट की सीमा दिनांक 28/02/08 तक बढाई गई थी, जिसके फलस्वरूप कुल 38 भवनो का विक्रय हो चुका है तथा इस अवधि में विक्रीत भवनों से रूपये 98.42 लाख की आय हुई है। अभी भी लगभग 48 भवन विक्रय सूची हेतु शेष है, जिनसे रूपये 125 लाख प्राप्त होने की सम्भावना है। यह भवन लगभग 45 से 50 वर्ष पुराने निर्मित है एवं इनकी स्थिति वर्तमान मे सुदृढ नही है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 08/11/06 द्वारा किराये की सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रभावी प्रगति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

अतः इसी क्रम में यह प्रस्ताव है कि विक्रय हेतु शेष भवन, जिनका मूल्याकंन वर्ष 2000 के आधार पर अमितव्ययी सम्पत्ति की श्रेणी मे किया गया था, उन्हें बोर्ड द्वारा पूर्व मे अनुमोदित पैकेज के आधार पर वर्ष 2000 के मूल्याकंन एवं शासनादेश के निर्देशो के क्रम में प्राधिकरण की देय धनराशि एक मुश्त भुगतान करने पर 20 प्रतिशत छूट की सुविधा के साथ दिनांक 31/03/09 तक विक्रय करने का यदि निर्णय लिया जाता है तो इन अवशेष आवंटियों को वित्तीय संस्थानो अथवा बैको आदि से ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेंगा। प्रश्नगत सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे उपरोक्तानुसार निर्णय लिए जाने से एक ओर प्राधिकरण की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण हो सकेंगा, वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण को शेष धनराशि तथा स्टाम्प ड्यूटी के रूप मे राजस्व भी प्राप्त होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

सचिव
ग० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्याः 21

विषयः **आकांक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति लि. को इन्दिरापुरम् योजना में आवंटित 7900 वर्गमीटर एवं 5100 वर्गमीटर भूमि के मूल्य की गणना 60 प्रतिशत सेलेबल एरिया पर बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रभावी दर पर किये जाने के सम्बन्ध में।**

आकांक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति को विभिन्न चरणों में क्रमशः 5 एकड़, 2.5 एकड़, 13000 वर्गमीटर (7900 वर्गमीटर एवं 5100 वर्गमीटर) भूमि आवंटित की गयी है, 13000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन पूर्व में आवंटित 7.5 एकड़ भूमि की भांति नियम व शर्तों पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु मूल्य की गणना का आधार प्लोटिड पर न करते हुए ग्रोस क्षेत्रफल पर परिवर्तित कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया, जिसका समिति द्वारा लगातार पत्राचार के माध्यम से विरोध किया गया एवं सिविल कोर्ट, गाजियाबाद में वाद संख्या–953/2005 भी दायर कर किया गया जिसमें प्रकरण को निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा 7900 वर्गमीटर भूमि का आवंटन, प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.09.2005 एवं 5100 वर्गमीटर भूमि का आवंटन प्राधिकरण बोर्ड बैठक 06.08.2007 में निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में दिनांक 08.12.2007 को मद संख्या–18 पर एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर प्रचलित आवंटन नियमावली के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। तत्क्रम में अद्यावधिक स्थिति निम्नवत् है :–

1. सर्वप्रथम दिनांक 03.06.1999 को समिति को 5 एकड़ भूमि बल्क सेल के आधार पर आवंटित की गयी। बोर्ड प्रस्ताव पर निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गयीः–

   "चूँकि ग्रोस क्षेत्रफल की भूमि के आवंटन पर ही विचार किया जाना है तथा जिसमें सड़क एवं पार्क आदि की भूमि समिति द्वारा छोड़ी जायेगी और आन्तरिक विकास कार्य भी समिति द्वारा स्वयं किया जायेगा। अतः भूमि का आवंटन वर्तमान दर के 60 प्रतिशत (सेलेबल एरिया) पर गणित किया जायेगा एवं उसमें से आन्तरिक विकास व्यय की दर कम करते हुए आवंटन दर आगणित की जायेगी।"

2. तत्पश्चात 2.5 एकड़ भूमि भी उसी दर व उन्हीं शर्तों पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2000 को आवंटित की गयी।

3. उपर्युक्त के अनुसार भूमि दर की गणना का आधार पर निम्नवत् स्वीकृत थाः–

		:	(5+2.5) एकड़ अर्थात 30375 वर्गमी.
(क)	कुल भूमि	:	18225 वर्गमीटर
(ख)	60 प्रतिशत सेलेबल एरिया	:	2500 रूपये प्रति वर्गमीटर
(ग)	सेक्टर रेट	:	670/– रूपये प्रति वर्गमीटर
(घ)	आन्तरिक विकास शुल्क	:	1830/– रूपये प्रति वर्गमीटर
(ड.)	आवंटन दर (ग–घ)	:	3,33,51,750.00
(च)	भूमि का कुल मूल्य (डXख)	:	

14/5/08 14/5/08 14.5.08

उपरोक्तानुसार ही पत्र संख्या–561/व्यव. अनुभाग/2000, दिनांक 13.09.2000 के द्वारा समिति को दर एवं भूमि मूल्य सूचित करते हुए मांग–पत्र निर्गत किया गया। समिति द्वारा मांग–पत्र के अनुसार मूल्य जमा कराते हुए भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2005 को करा ली गयी है।

4. समिति को 13000 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि के आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 31.01.2005 को मद संख्या–101 पर निम्नानुसार रखा गया है:–

"वर्तमान में समिति द्वारा पुनः यह अनुरोध किया गया है कि लगभग 13000 वर्गमीटर भूमि, जो उनको पूर्व में आवंटित भूमि के साथ है, पूर्व की भांति नियम/शर्तों के साथ उन्हें दे दी जाय।"

उक्त प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

"प्रस्ताव विचार–विमर्श उपरान्त इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि भूमि का आवंटन वर्तमान आवासीय दर पर किया जाये। चूंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि न्यायालय में लम्बित थी। अतः यह भी शर्त रखी जाय कि सोसायटी द्वारा किसी भी प्रकार से जमा धनराशि पर ब्याज का दावा नहीं किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लें कि इस भूमि का प्रयोग आवासीय हो।"

उपरोक्त निर्णय के क्रम में दिनांक 09.03.2005 को प्राधिकरण से जारी पत्र में 13000 वर्गमीटर भूमि 5500/– प्रति वर्गमीटर की दर से 7,15,00,000.00 एवं 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज के साथ कुल मूल्य 8,00,80,000.00 की मांग की गयी। प्रस्ताव 7.5 एकड़ में निर्धारित नियम/शर्तों की भांति सेलेबल क्षेत्रफल पर आवंटित किये जाने पर था परन्तु मांग–पत्र ग्रोस एरिया पर जारी हुआ, जिसका समिति द्वारा विरोध किया गया एवं भुगतान न करने के कारण दिनांक 23.06.2005 को आवंटन निरस्त हो गया। जिसके विरूद्ध समिति द्वारा माननीय न्यायालय में वाद संख्या–953/05 (सिविल कोर्ट) भी दायर किया गया।

5. समिति के बार–बार अनुरोध करने पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.09.2005 को 7900 वर्गमीटर भूमि वर्तमान सेक्टर दर पर वाद वापस लेने की शर्त पर बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:–

"विस्तृत विचार–विमर्श प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त आवंटित भूमि का मूल्य इन्दिरापुरम् योजना के वर्तमान सेक्टर दर से आंकलित किया जाय तथा समिति को वाद वापस लेना होगा।"

14/5/08 14/5/08 14.5.08

उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा पुनः विरोध किया गया तथा दिनांक 13.01.2006 को मद संख्या–17 पर पुनः एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें इन्दिरापुरम् की प्रभावी सेक्टर दर 5000/–प्रति वर्गमीटर से आन्तरिक विकास शुल्क रू. 1340 घटाने पर अवशेष राशि 3660 व 10 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज जोड़कर रू. 4026/– प्रति वर्गमीटर की दर से मूल्य लिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर निम्न निर्णय लिया गयाः–

"विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया, परन्तु प्राधिकरण से भूमि का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व समिति को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि पर कोई ब्याज की मांग नहीं की जायेगी तथा न्यायालय में चल रहे वाद को उनके द्वारा वापस लेने पर ही भूमि दी जाय।"

समिति को 7900 वर्गमीटर भूमि के विषय में निम्नवत् गणनानुसार मांग–पत्र जारी किया गयाः–

(क)	सेक्टर दर	:	5000 रूपये प्रति वर्गमीटर
(ख)	इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क	:	500 रूपये प्रति वर्गमीटर
(ग)	आन्तरिक विकास शुल्क	:	1320.45 रूपये प्रति वर्गमीटर
(घ)	देय भूमि पर (क+ख–ग)	:	4179.55=4180रूपये प्रति वर्गमीटर
(ड.)	कुल भूमि मूल्य	:	7900X4180= 3,30,22,000.00

6. समिति द्वारा उपरोक्त मांग–पत्र में देय धनराशि 3,30,22,000.00 जमा की जा चुकी है। किन्तु समिति द्वारा लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि इसकी गणना का आधार मूल आवंटन दिनांक 03.06.1999 में स्वीकृत नियम/शर्तों के अनुरूप ही होना चाहिए। इस प्रथम आवंटन की गणना के आधार पर भूमि मूल्य की गणना निम्नवत् होती है :–

(क)	कुल ग्रोस भूमि	:	7900 वर्गमीटर
(ख)	60 प्रतिशत सेलेबल भूमि	:	4740 वर्गमीटर
(ग)	सेक्टर रेट	:	5000 रूपये प्रति वर्गमीटर
(घ)	आन्तरिक विकास मूल्य	:	1320.45 रूपये प्रति वर्गमीटर
(ड.)	नेट दर (ग–घ)	:	3679.55 रूपये प्रति वर्गमीटर
(च)	इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क 10ड का	:	367.955 प्रति वर्गमीटर
(छ)	कुल प्रभावी दर (ड+च)	:	4047.505 प्रति वर्गमीटर अर्थात रूपये 4048.00 प्रति वर्गमीटर
(झ)	भूमि का मूल्य (छXख)	:	रूपये 1,91,87,520.00

न्यायालय में दायर वाद संख्या–953 सन् 2005 आकांक्षा सहकारी समिति बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.04.2007

14/5/08 14/5/08 14.5.08

द्वारा अतिरिक्त भूमि किसी अन्य को आवंटित न करने के आदेश के साथ यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये।

7. समिति के अनुरोध एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 में समिति को पूर्व में आवंटित 13000 वर्गमीटर भूमि में से उपरोक्त आवंटित 7900 वर्गमीटर भूमि की अतिरिक्त अवशेष 5100 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव मा. न्यायालय के बाहर समझौता द्वारा वाद निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से पूर्व आवंटित 7900 वर्गमीटर दर पर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

"विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया कि समिति केवल अपने सदस्यों को भूखण्ड विकास कर उपलब्ध करायेगी तथा मल्टीस्टोरी ग्रुप हाऊसिंग भवनों का निर्माण नहीं करेगी।"

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत स्वीकृत निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् गणना कर पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है :–

(क)	कुल ग्रोस भूमि	:	5100 वर्गमीटर
(ख)	60 प्रतिशत सेलेबल भूमि	:	3060 वर्गमीटर
(ग)	सेक्टर रेट	:	5000 रूपये प्रति वर्गमीटर
(घ)	आन्तरिक विकास मूल्य	:	1320.45 रूपये प्रति वर्गमीटर
(ड.)	नेट दर (ग–घ)	:	3679.55 रूपये प्रति वर्गमीटर
(च)	इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क 10 प्रतिशत (ड) का	:	367.955 प्रति वर्गमीटर
(छ)	कुल प्रभावी दर (ड+च)	:	4047.505 प्रति वर्गमीटर अर्थात रूपये 4048.00 प्रति वर्गमीटर
(ज)	भूमि का मूल्य (छxख)	:	रूपये 1,23,86,880.00

9. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.09.2005 व 13.01.2006 द्वारा आवंटित 7900 वर्गमीटर भूमि एवं प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 द्वारा आवंटित 5100 वर्गमीटर भूमि दिनांक 06.08.2007 को प्रभावी दर पर प्रथम आवंटन दिनांक 03.06.1999 के नियम एवं शर्तों के आधार पर उपरोक्त गणना क्रमांक–6 एवं 8 के अनुसार आवंटन–पत्र जारी करने के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14/5/08 14/5/08 14.5.08 14.5.08

मद संख्याः 22

विषयः उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं में माननीय विधान सभा/ विधान परिषद सदस्यों के भूखण्ड आवंटित किये जाने के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जो निम्न प्रकार है :-

कमांक	माननीय विधायकगणों का नाम	पदनाम	विधानसभा क्षेत्र
1.	श्री के0के0 सचान	विधायक	मडियाहूँ, जौनपुर
2.	श्री आसिफ खॉ "बब्लू"	विधायक	शाहाबाद, हरदोई
3.	श्री आदित्य पाण्डेय	विधायक	जहानाबाद, फतेहपुर
4.	श्री विनोद सिंह	विधायक	बिहार, प्रतापगढ़
5.	श्री सूर्यभान	विधायक	छानबे, मीरजापुर
6.	श्री आनन्द सेन यादव	विधायक	मिल्कीपुर, फैजाबाद
7.	श्री शेखर तिवारी	विधायक	सदर औरैया
8.	श्री दाऊद अहमद	विधायक	पिहानी, हरदोई
9.	श्री ममतेश शाक्य	विधायक	सोरो, एटा
10.	श्री दद्दू प्रसाद	मंत्री	मानिकपुर, चित्रकूट
11.	श्री योगेन्द्र सागर	विधायक	बिल्सी, बदायूँ
12.	श्री रजीत सिंह	विधायक	सदस्य विधान परिषद
13.	चौ0 गजेन्द्र सिंह	विधायक	अनूपशहर, बुलन्दशहर
14.	श्री राजपाल सिंह	विधायक	मोदीनगर, गाजियाबाद
15.	श्री चन्द्रवीर सिंह	विधायक	सरधना, मेरठ
16.	डा0 सूरज पाल सिंह	विधायक	फतेहपुर सीकरी, आगरा
17.	श्री कुटियारी लाल दुबेश	विधायक	आगरा पश्चिम
18.	श्री नरायन सिंह	मंत्री उद्यान	एतमापुर, आगरा
19.	चौ0 महेन्द्र सिंह	विधायक	कोल, अलीगढ
20.	श्री जुल्फिकार अहमद भुट्टो	विधायक	आगरा कैन्ट
21.	श्री रविन्द्र कुमार (कोल्हू)	विधायक	नागल, सहारनपुर,
22.	श्री मनोज चौधरी	विधायक	देवबन्द, सहारनपुर
23.	श्री महिपाल सिंह माजरा	विधायक	नुकड, सहारनपुर

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

24.	श्री रोशन लाल वर्मा	विधायक	निगोही, शाहजहाँपुर
25.	श्री जितेन्द्र कुमार (बब्लू)	विधायक	बीकापुर, फैजाबाद
26.	मो0 इरशाद खाँ	विधायक	सरोजनीनगर, लखनऊ
27.	श्री बाला प्रसाद अवस्थी	विधायक	धौरहरा, लखीमपुर खीरी
28.	डा0 हरगोविन्द भार्गव	विधायक	सिधौली, सीतापुर
29.	श्री निर्मल वर्मा	विधायक	सीसवां, सीतापुर
30.	श्री संजीव दरियाबादी	विधायक	सीसामऊ, कानपुर
31.	कु0 मीता गौतम	विधायक	फतेहपुर, बाराबंकी
32.	श्री भगेलू राम	विधायक	कादीपुर, सुल्तानपुर
33.	श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय	विधायक	करछना, इलाहाबाद
34.	श्री भगवान सिंह कुश्वाहा	विधायक	खेरागढ़, आगरा
35.	श्री पंडित मधुसूदन शर्मा	विधायक	बाह, आगरा
36.	श्री सुनील कुमार चित्तौड़	विधायक	विधान परिषद सदस्य,आगरा
37.	श्री अजय यादव	विधायक	पटियाली, एटा
38.	श्री गणेश शंकर पाण्डेय	विधायक	विधान परिषद सदस्य, गोरखपुर
39.	श्री वासुदेव सिंह (बाबा)	विधायक	सिकारपुर, बुलन्दशहर
40.	श्रीमती प्रतिभा शुक्ला	विधायक	चौबेपुर, कानपुर
41.	श्री अरशद खाँ	विधायक	पूरनपुर, पीलीभीत
42.	श्री राम शिरोमणि शुक्ला	विधायक	वीरापुर, प्रतापगढ
43.	श्री रंगनाथ मिश्र	मंत्री	औराई, सन्तरविदासनगर–भदोही
44.	श्री ताहिर हुसैन सिद्दीकी	विधायक	फर्रूखाबाद
45.	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	विधायक	अगौता, बुलन्दशहर
46.	श्री हाजी अलीम	विधायक	बुलन्दशहर सिटी
47.	श्री अनिल कुमार	विधायक	चरथावल, मुजफ्फरनगर
48.	श्री जगपाल सिंह	विधायक	हरोडा, सहारनपुर
49.	श्री रिजवान अहमद खाँ	विधायक	काठ, मुरादाबाद
50.	श्री नन्दगोपाल गुप्ता, नन्दी	मंत्री	मंत्री संस्थागत वित्त (इलाहाबाद)
51.	श्री हसरत उल्ली शेखानी	विधायक	कासगंज, एटा
52.	श्रीमती मिथलेश कुमारी	विधायक	कानपुर देहात

सा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

53.	श्री राजबली जैसल	विधायक	मेजा, इलाहाबाद
54.	श्री अकीलुर्रहमान खॉ एडवोकेट	विधायक	बहजोई, मुरादाबाद
55.	श्री अनीस अहमद खॉ उर्फ फूल बाबू	राज्यमंत्री	वीसमपुर, पीलीभीत
56.	श्री कुवेर सिंह	विधायक	जलेसर, एटा
57.	श्री गुरू प्रसाद मौर्य	विधायक	नबाबगंज, इलाहाबाद
58.	श्री नीरज कुशवाहा	विधायक	जलालाबाद, शाहजहॉपुर
59.	श्री यशपाल सिंह	राज्य मंत्री	सेवहारा, विजनौर
60.	श्री राम प्रसाद चौधरी	मंत्री	कप्तानगंज, बस्ती
61.	श्री दूधराम	विधायक	नगर पूरब बस्ती
62.	श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	विधायक	बस्ती सदर
63.	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	विधायक	रामनगर, बस्ती
64.	श्रीमती अर्चना सरोज	विधायक	सन्तरविदासनगर, भदोही
65.	श्री पंकज कुमार	विधायक	बहरा, मुजफ्फरनगर
66.	श्री कुलदीप सिंह गंगवार	विधायक	कायमगंज, फर्रूखाबाद
67.	श्री कैलाश सिंह राजपूत	विधायक	उमर्दा, कन्नौज
68.	श्री संग्राम सिंह	राज्य मंत्री	नबाबगंज बाराबंकी
69.	श्री भगवान दास	विधायक	खलीलाबाद, सन्तकवीर नगर
70.	श्री इमरान मसूद	विधायक	मुजफ्फरनगर
71.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र	विधायक	अतरौलिया, आजमगढ़
72.	श्री अरविन्द सिंह	विधायक	छिबरामऊ, कन्नौज
73.	श्री तौफिक अहमद	विधायक	सिद्धार्थनगर
74.	श्री विजय कुमार उर्फ विजय यादव	विधायक	ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद
75.	श्री अनिल कुमार अहिरवार	विधायक	चरखारी, महोबा
76.	श्री अजय सिंह	विधायक	कोच, जालौन
77.	श्री छोटे सिंह	विधायक	कापली, जालौन
78.	श्री संजय त्रिपाठी	विधायक	102, प्रतापगढ़
79.	श्री त्रिभुवन दत्त	विधायक	जहॉगीरगंज, अम्बेडकर नगर
80.	डा0 राजकुमार गौतम	विधायक	जमनिया, गाजीपुर
81.	श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र मटियारी	विधायक	गौरीगंज, सुल्तानपुर
82.	श्री राजेश कुमार गौतम	विधायक	पैला, लखीमपुर खीरी

सचिव
ग० वि० प्रा०
गाजियाबाद

83.	श्री अशोक राणा	विधायक	धामपुर, विजनौर
84.	श्री सिनोद कुमार शाक्य	विधायक	दातागंज, बदायूँ
85.	श्री यशपाल सिंह चौहान	विधायक	सिकन्दराराऊ, हाथरस
86.	श्री जगदीश नारायण राय	मंत्री	लयालसी, जौनपुर
87.	श्री गुलाम मोहम्मद खॉन	विधायक	कैसरगंज, लखनऊ
88.	श्री विश्वम्भर सिंह यादव	विधायक	बवेरू, बॉदा
89.	श्री सुभाष यादव	विधायक	द्वावा, बलिया
90.	श्री धूराराम	विधायक	रसड़ा बलिया
91.	चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी	विधायक	बरनावा, बागपत
92.	श्री उमेश पाण्डेय	विधायक	नत्थूपुर, मऊ
93.	श्री राजेन्द्र कुमार	विधायक	मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ
94.	श्री भगवान पाठक	विधायक	सिकन्दरपुर, बलिया
95.	श्री विजयपाल सिंह	विधायक	फरीदपुर, बरेली
96.	श्री केदारनाथ वर्मा	विधायक	सीयर, बलिया
97.	श्री फरहत हसन उर्फ हाजी शब्बन	विधायक	हसनपुर, जे0पी0 नगर
98.	श्रीमती मंजू सिंह	विधायक	सदर बलिया
99.	श्री रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी	विधायक	वरसठी, जौनपुर
100.	श्री गिरीश चन्द्र	विधायक	चन्दौसी, मुरादाबाद
101.	श्री अकबर हुसैन	राज्य मंत्री	कुन्दरकी, मुरादाबाद
102.	श्री प्रवीण पटेल	विधायक	झूँसी, इलाहाबाद
103.	मौ0 ताबिश खॉ	विधायक	खेसरहा, संतकवीर नगर
104.	श्री शिव शंकर चौहान	विधायक	बासडीह, बलिया
105.	श्री अमेरिका प्रधान	विधायक	सादात, गाजीपुर
106.	श्री विजय कुमार	विधायक	जखनिया, गाजीपुर
107.	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	मंत्री	फर्रूखाबाद
108.	श्री गेंदालाल, चौधरी	विधायक	सासनी, महामायानगर
109.	श्री जमुना निषाद	मंत्री	पिपराईच, गोरखपुर
110.	श्री धर्म प्रकाश भारतीय	विधायक	ग्वालियर रोड, आगरा
111.	श्री राघव लखनपाल शर्मा	विधायक	सहारनपुर
112.	श्री हाजी शाहनवाज राना	विधायक	बिजनौन

सचिव
ग0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद

113.	डा0 राम सिंह	विधायक	गंगीरी, अलीगढ़
114.	श्रीमती अमिता सिंह	विधायक	105, अमेठी, सुल्तानपुर
115.	श्री राजेश यादव	विधायक	तिलहर, शाहजहॉपुर
116.	पं0 आर0के0 शर्मा	विधायक	32, आवला, बरेली
117.	श्री हरिओम	राज्य मंत्री	माधवगढ, जालौन
118.	श्री अशोक कंसल	विधायक	मुजफ्फरनगर
119.	श्री सुनील कुमार शर्मा	विधायक	गाजियाबाद शहर
120.	श्री अनिल शर्मा	विधायक	खुर्जा–बुलन्दशहर
121.	श्री राकेश धर त्रिपाठी	विधायक / मंत्री	हडिया, इलाहाबाद
122.	श्री राम सेवक सिंह पटेल	विधायक	विनावर, बदायूँ
123.	श्री शिव गणेश लोधी	विधायक	94, सतांव, रायबरेली
124.	कुँ0 फतेह बहादुर सिंह	विधायक / मंत्री	पनियारा, महाराजगंज
125.	श्री कादिर राणा	विधायक	मोरना, मुजफ्फरनगर
126.	श्री राज कुमार रावत	विधायक	गोकुल, मथुरा
127.	श्री मुस्लिम खॉ	विधायक	उसहैत, बदायूँ
128.	श्री मनीष जायसवाल	वि.प.सदस्य	बस्ती, सिद्धार्थनगर
129.	डा0 धर्म सिंह सैनी	विधायक / मंत्री	सरसावां, सहारनपुर
130.	श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला	विधायक	नौगढ़, सिद्धार्थनगर
131.	श्री नकुल दूबे	विधायक / मंत्री	महोना, लखनऊ
132.	श्री विवेक कुमार सिंह	विधायक	बॉदा सदर
133.	श्री रंजीत सिंह	एम.एल.सी.	उन्नाव
134.	श्री मोहम्मद गाजी	विधायक	अफजलगढ़, बिजनौर
135.	श्री अलाउद्दीन	विधायक	गैसड़ी, बलरामपुर
136.	श्री वारिस अली	विधायक	नानपारा, बहराईच
137.	श्री कृष्ण कुमार ओझा	विधायक	फखरपुर, बहराईच
138.	श्री बृजेश सौरभ	विधायक	गढवारा, प्रतापगढ़
139.	श्री विनोद कुमार हरित	विधायक	शिवाल खास, मेरठ
140.	श्री योगेश वर्मा	विधायक	हस्तिनापुर, मेरठ
141.	श्री श्याम सिंह पटेल	एम.एल.सी.	मिर्जापुर / सोनभद्र
142.	श्री जरमीन अन्सारी	विधायक	लहरपुर, सीतापुर

सचिव
उ० वि० प्रा०
लखनऊ

143.	श्री चन्द्रदेव राम यादव	विधायक / मंत्री	मुबारकपुर, अजमगढ़
144.	श्री संजय कपूर	विधायक	विलासपुर, रामपुर
145.	श्री अब्दुल मन्नान	विधायक / मंत्री	सण्डीला, हरदोई
146.	श्री प्रदीप कुमार	विधायक	गुन्नौर, बदायूँ
147.	श्री अरूण कुमार यादव	विधायक	फूलपुर, आजमगढ़
148.	श्री उदय लाल मौर्य	विधायक	चिरई गॉव, वाराणसी
149.	श्री रमेश गौतम	विधायक	डिक्सिर, गौण्डा
150.	श्री महेश चन्द्र त्रिवेदी	विधायक	डेरापुर, कानपुर देहात
151.	श्री दीनानाथ पाण्डेय	विधायक	सैदपुर, गाजीपुर
152.	श्री सत्यनारायण जैसल	विधायक	राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
153.	श्री भीमराव अम्बेडकर (एड.)	विधायक	लखना, इटावा
154.	श्री वाचस्पति	विधायक	सिराथू, कौशाम्बी
155.	श्री बिरजूराम	विधायक	केराकत, जौनपुर
156.	श्री योगराज सिंह	विधायक	खतौली, मुजफ्फरनगर
157.	चौ0 सत्यपाल सिंह	विधायक	खैर, अलीगढ़
158.	श्री लखीराम नागर	विधायक	खरखौंदा, बागपत, मेरठ
159.	श्री बलबीर सिंह	विधायक	कांधला, मुजफ्फरनगर
160.	श्री अनिल कुमार मौर्य	विधायक	राजगढ़, मिर्जापुर
161.	श्री प्रदीप माथुर	विधायक	मथुरा सिटी, मथुरा
162.	श्री लल्लन प्रसाद यादव	वि.प.सदस्य	जौनपुर
163.	श्री ओम प्रकाश सिंह	विधायक	चुनार, मिर्जापुर
164.	श्री दिनेश प्रसाद मिश्र	विधायक	कर्वी चित्रकूट
165.	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	विधायक	महोबा
166.	श्री कमलेश चन्द दिवाकर	विधायक	बिल्होर, कानपुर
167.	डा0 रघुनाथ प्रसाद शंखवार	विधायक	भोगनीपुर कानपुर देहात
168.	श्री होराम सिंह	विधायक	जेवर, गौतमबुद्धनगर
169.	श्री कुलदीप सिंह सेंगर	विधायक	बगरामऊ उन्नाव
170.	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	विधायक	कैन्ट, लखनऊ
171.	श्री जुगल किशोर	वि.प.सदस्य	
172.	श्री राम प्रकाश कुशवाहा	विधायक	घटमपुर, कानपुर

सचिव
उ० वि० प्रा०
लखनऊ

173.	श्री कृपा शंकर सिंह	विधायक	भगवन्तनगर, उन्नाव
174.	श्री राधे लाल रावत	विधायक	हसनगंज, उन्नाव
175.	श्री सतवीर सिंह गुजर	विधायक	दादरी, नोएडा
176.	श्री मोहम्मद इकबाल	विधायक	चाँदपुर, बिजनौर
177.	श्री राम सेवक सिंह पटेल	वि.प.सदस्य	
178.	श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट	विधायक	चकिया, चन्दौली
179.	श्री राम प्रकाश यादव	विधायक	जसराना, फिरोजाबाद
180.	श्री नसरूद्दीन सिद्दीकी	विधायक	फिरोजाबाद, सिटी
181.	श्री अमरेश कुमार शुक्ला	विधायक	रामनगर, बाराबंकी
182.	श्री राकेश बाबू एडवोकेट	विधायक	टुण्डला, फिरोजाबाद
183.	श्री छत्रपाल सिंह गंगवार	विधायक	बहेड़ी, बरेली
184.	श्री सतीश महाना	विधायक	कैन्ट कानपुर
185.	डा0 ए0आर0 उस्मानी	विधायक	श्रीनगर, लखीमपुर खीरी
186.	श्री सुरेश सिंह पटेल	विधायक	गंगापुर, वाराणसी
187.	श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी	विधायक	शहर उत्तरी, वाराणसी
188.	श्री पशुपतिनाथ राय	विधायक	दिलदारनगर, गाजीपुर
189.	श्री सी0एम0 प्रसाद (चन्द्रमणी)	विधायक	दुद्धी, सोनभद्र
190.	श्री प्रजा पालन वर्मा	विधायक	सदर एटा
191.	श्री मोहम्मद रमजान	वि.प.सदस्य	
192.	श्री डी0पी0 यादव	विधायक	सहसवान, बदायूँ
193.	श्रीमती उमलेश यादव	विधायक	विसोली, बदायूँ
194.	श्री राजाराम त्यागी	विधायक	बछरावाँ, रायबरेली
195.	श्री शारदा प्रसाद	विधायक	सदर चन्दौली
196.	डा0 नैपाल सिंह	वि.प.सदस्य	
197.	श्री धनन्जय सिंह	विधायक	रारी, जौनपुर
198.	श्री दद्न मिश्र	विधायक	मिगना, श्रावस्ती
199.	श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित	विधायक	डिबाई, बुलन्दशहर

शासनादेश संख्या–5140/9–आ–1–99/699डीए/1998 दिनॉक 18 नवम्बर, 1999, 5402(1)/9–आ–1–2000–609डीए/1999 दिनॉक 29–12–2000 एवं 4458/आठ–1–07–103

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

जीडीए/06 दिनॉक 27 दिसम्बर,2007 के प्राविधानों के अनुसार विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में भवन/भूखण्ड का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्राविधान है। यह सुविधा केवल वर्तमान सदस्यों को ही दी जाय और उनसे यह बचनबद्धता ले ली जाय कि उन्हें पूर्व में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/उत्तर प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण से भवन/भूखण्ड का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर नहीं हुआ है। यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
ग्रा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्याः 23

विषयः नेहरू नगर एवं सूर्य नगर योजना में निर्मित महिला छात्रावास के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 14.02.2007 में मद संख्या–6 पर नेहरू नगर/सूर्य नगर के महिला छात्रावास के सम्बन्ध में आफर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया, जिसमें निम्न निर्णय लिया गयाः–

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्थित कार्यकारी महिला छात्रावासों से नियम व शर्तें प्राप्त कर उनके परीक्षण व उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति गठित कर ली जायेः–

1. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सुश्री संगीता यादव, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
3. अधिशासी अभियन्ता, व्यवसायिक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यह भी निर्देश दिये गये कि नेहरू नगर व सूर्य नगर योजना के कार्यकारी महिला छात्रावास की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् रखते हुए नेहरू नगर योजना में स्थित महिला छात्रावास की लीज डीड पूर्व निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाये।

उपरोक्त के कम में दिल्ली में स्थित छात्रावासों से सम्बन्धित नियम/शर्तें प्राप्त कर ली गयी हैं परन्तु प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा गठित समिति की सदस्या श्रीमती संगीता यादव अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सदस्य नहीं हैं। उनके स्थान पर अन्य सदस्य नामित किया जाना है। तत्पश्चात गठित समिति नगर निगम, दिल्ली द्वारा निर्मित नियम व शर्तों का परीक्षण कर निर्णय लेगी, जिसमें अग्रिम एक वर्ष का समय लगने की सम्भावना है। तब तक नेहरू नगर में स्थित महिला छात्रावास को पूर्व निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन अग्रिम एक वर्ष के लिए बढ़ायी जानी उचित होगी।

अतः उपरोक्तानुसार सुश्री संगीता यादव, सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्थान पर अन्य समिति का सदस्य नामित किये जाने एवं नेहरू नगर स्थित महिला छात्रावास की पूर्व निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन अग्रिम एक वर्ष के लिए लीज बढ़ाये जाने हेतु निर्णयार्थ व अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

Annexure –'A'

RULES & REGULATIONS
2006-07

WORKING WOMEN'S HOSTEL
SECTOR-IX, ROHINI, DELHI-110085.

Short Title

These rules are called **'Hostel Allotment Rules, MCD'**; they are made in the interest of efficient and orderly management of the hostel, for the welfare and security of the residents for the healthy hostel atmosphere.

A brief introduction:

A three-storied Working Women Hostel is set up by the MCD on a plot measuring 1610 Sq. M. in Sector IX, Rohini, Delhi-110085. It consists of three categories of accommodation as under: -

i) Ordinary Rooms- Single occupancy room of 3.35X2.40 sq.mtr. size with common toilet of 4 rooms. Total Rooms – F.F.-24, S.F.-24.

ii) semi-Deluxe Rooms- Single occupancy rooms size 3.35x2.80 sq.mt. with attached toilets. Total 6 rooms at S.F.

iii) deluxe Rooms- single occupancy rooms size 3.35X4.80 sq.mt. with attached toilets. Total 4 rooms on F.F.

The hostel is situated at the prominent place having fully secured for women. Market facility is available very close to the hostel. The hostel is also approachable by Delhi Metro. The hostel is having sufficient open space, spacious kitchen, dining hall, common room and parking place. The hostel is to be run by an NGO of repute who will be taking care of all inmates of the hostel and will be managed by ladies staff only.

Rules & Regulations:

Main object :

To provide accommodation for working women who can live in a family atmosphere amongst the inmates coming from various parts of the country to the cosmopolitan city of Delhi having no safe place to stay, on getting an employment.

TERMS & CONDITIONS

1. **Eligibility condition:-**
   i) For ordinary rooms, employees on the posts equivalent to non-gazatted status will be eligible.
   ii) For semi-deluxe rooms, Group- B officers and above will be eligible.
   iii) For deluxe rooms, officers in the grade of under Secretary and equivalent will be eligible.

2. **Application for admission**

   Admission to the Hostel is restricted to single ladies (married or unmarried) in employment in Govt. Semi-Govt., Local Bodies and reputed firms. Applications must be made to Hostel Authorities on the prescribed form which is available on payment of Rs.20/- and must be accompanies by the following:

(d) A registration free of Rs. 20/- (non-refundable)
(e) Three recent passport size photographs.
(f) An undertaking from the local guardian and also the employer for paying the dues of MCD Hostel in the event of non-payment of such dues by the occupant.

* An incomplete application in respect of the above, is liable to be rejected.

3. Selection of candidates

(a) The Hostel is open to working women of all casts and creeds. The selection for admission to the Hostel shall be made by the Governing Body of the Hostel,. A candidate may be called for interview at her own expenses and also be asked to produce any additional documents, which the Governing Body may consider necessary. The decision of the governing Body shall be final. The candidates, will be informed about her selection and if she fails to occupy the accommodation within the specified time, the offer will be treated as cancelled automatically.

(b) The maximum period of stay in the Hostel of the selected candidate will be for a period of 3 years only after which the candidate will have to vacate the accommodation. A resident is not allowed to change her room or seat unless prior written permission from the Hostel authorities is obtained for it.

(c) A bed, a chair and also a built-in-cup board is provided for each resident. No furniture belonging to the resident will be allowed in the Hostel without prior permission from the Hostel authorities.

4. Maintenance of Hostel premises, furniture etc.

(a) The resident shall be responsible for the proper upkeep of furniture and fittings etc., any damage to these including the glass panes of electric fittings is to be made good by the residents concerned.

(b) No resident shall remove any furniture or other fittings from the allotted places.

(c) No residents should refrain from instigating and influencing other to support them on any matter affecting the Committee. they shall not refuse to expect any communication addressed to them, such actions shall be considered grave indiscipline and the resident will be dismissed forthwith without notice.

5. Hostel Charges and payments.

a. Hostel charges as fixed by the MCD will be payable by each resident and these are subject to revision unilaterally as and when considered necessary without any prior notice. The Schedule of rates in force at the time of allotment is available in the Hostel office. Board details of the charges presently fixed are as under:-

S. No.	Category of room	Admission fee	Monthly rent
1.	Ordinary	Rs. 100/-	Rs. 1000/-
2.	Semi Deluxe	Rs. 200/-	Rs. 1500/-
3.	Deluxe	Rs. 300/-	Rs. 2500/-

(b) In addition to above, charges for water and electricity will be paid by the inmates on monthly basis @ Rs._____.

(c) **Extra charges for late payment** : Monthly room charges and other charges must be paid in advance latest by 10th of each month. Late fee at the rate of Rs.10/- per day will be charged for payment made after that day.

(d) Failure to make payments till the end of the month shall result in cancellation of allotment and the resident shall have to vacate the premises

(e) Licence fee for car parking, if available is Rs.100/- and for scooter etc. Rs.50/- per month.

(f) Rs.50/- for Identity Cards will be charged at the time of admission to the Hostel.

6. Security deposit :-

(a) A sum of equal to 3 months licence fee will be taken as security to be paid at the time of joining the hostel at deposit. The deposit will be refunded at the time of leaving the Hostel on surrendering the deposit receipt duly charged.

(b) Security deposit will be refunded when the residents leaves the hostel & submits NOC duly signed by the Warden & Supdt.

(c) Any amount due to Hostel towards damages to hostel's property or failure to pay monthly fees will be deducted from the deposit.

(d) The security deposit will be forfeited if the hosteller leaves the hostel without proper notice in writing.

7. Inspection of rooms.

The room will be liable to be inspected by the Hostel Authorities at any time. These will also be open for inspection by the members of the Governing Body.

8. Attendance.

Daily attendance will be taken by the Hostel Manager at a specific time, fixed by her. A resident returning to Hostel after that time must report to the Manager.

9. Hostel Gate

(a) Residents are expected to be in the Hostel premises by 10.00 p.m. each day. Hostel Gate will close at 10.00 p.m. every day.

(b) Return to Hostel after the gates have been closed will be treated as default and will be viewed with seriousness. In exceptional cases only the gates will be opened for a resident retuning after the scheduled time that too with the permission of the Hostel Manager. Such resident will sign on 'Late Night Register' kept with the Hostel Security person. The must give the time of returning with reasons for the same.

(c) No resident will be allowed to go out of the Hostel after 10.00 p.m. without the permission of the Hostel Manager. Such resident will also sign the 'Late Night Register' indicating reasons for leaving the Hostel at the late hour.

10. Absence from hostel during Holidays or on leave:-

i. Any resident proposing to spend a night or some days out shall inform the Hostel Manager before hand, giving the telephone number, address, if any, where she could be contacted in case of emergency/urgency.

ii. Application for leave must be submitted on the prescribed performa.

iii. In the event of resident not returning on the due date without any written notice, she will forefeit the right of accommodation and the Governing body will have the right to allot the room to other applicants after waiting for seven days.

iv. Any resident absenting herself from hostel without prior permission or intimation on phone in case of emergency will be liable to leave the hostel and lose her deposit amount.

11. Telephone or STD calls.

No resident will be allowed to make or receive calls on the office telephone [illegible] the Manager of the Hostel, that too only in case of

12. Catering arrangements.

a. Catering arrangements will be available for the inmates on payment. Membership of mess will be compulsory.

13. Medical aid :-

Any case of illness shall be reported to the Hostel Authorities immediately. If necessary, the resident will be shifted to the hospital at the discretion of the Hostel Manager. All expenses incurred on any medical assistance (including transport charges and medicines) provided to any resident will be borne by the resident herself.

14. Valuable and cash

No responsibility will be taken by the Hostel Management for loss of cash or valuables or any other articles belonging to any resident. Inmates will themselves be responsible for the safety or their cash, valuable and other belongings.

15. Visiting hours.

Visiting hours for the guests will be from 6.30 p.m. to 7.30 p.m. daily and on Sunday and Gazetted Holidays from 9.00 a.m. to 12.00 noon in the lounge. No visitors will be allowed to go beyond permitted area including living rooms and common rooms etc.

16. Pets

Residents are not allowed to keep pets in the Hostel Premises.

17. Termination of stay

Residents intending to leave the Hostel for good must give 14 days notice to be counted from the date such notice is received in the Hostel office or pay full charges for the period in lieu of the notice. All charges must be paid in full as per prescribed schedule before termination of stay. Any resident who becomes unemployed will give the intimation in writing to the Hostel Warden immediately and such unemployed resident will be allowed to continue to stay in the Hostel for a maximum period of 2 months only on payment of all the charges as per the prescribed schedule of rates.

18. Charges on Departure:-

Notice :- Any resident desirous of leaving the hostel is required to give a month's Notice in writing to the Supdt. or a month's fee in lieu thereof. A month in this respect is the period as explained as below and notice must be given within 1st to 5th of a month:-

The charges at the time of departure will be as follows:-

1. Departure between 1st and 15th of the month: half month chares.
2. Departure between 16th and 31st of any month Full month charges.
3. If in the opinion of the Governing body any inmates stay in the Hostel.

19. Period of stay

a. Admission of the resident is valid for 3 years only.
b. One-year extension may be granted on the recommendation of the Governing Body in very special and hard case.

20. Miscellaneous

a. A resident is a mere license and has exclusive possession of the room allotted to her. The Management and the control of the Hostel premises is with the Governing Body of Hostel.
b. A resident uses the premises with the express and tacit permission of the

drunkenness and other unseemly behaviour and also on account of breach of any of the condition set forth in these rules. The decision of the Governing Body on the question whether there has been any such breach or not, shall be final and binding on the residents.

21. **Alcoholic drinks, Drugs & Gambling prohibited.**

No inmate shall be allowed to use any kind of intoxicants/drugs within the premises. No intoxicant liquor or drugs of any kind will be allowed to be brought in the Hostel premises.

22. **Gambling**

Gambling within the premises is strictly prohibited.

23. **Other charges**

Electric/electronics gadget like TV, Video, Geysers heaters will be allowed to be used only on payment of additional electricity charges to be fixed by the Governing Body.

Note :- A candidate selected for admission to the Hostel shall buy one more copy of the booklet of rules. On the front page of this second copy she will write "I have read the rules and undertake to abide by them". The signed copy will be kept in her file as proof of her having read the rules.

MANAGER

Annexure-'B'

Agreement

This agreement to hand over the working women hostel at Sector –IX Rohini for management is executed on this _____ of _____. Between the President of India, acting through Director (CSD), Municipal Corporation of Delhi, (hereinafter referred to as the "MCD" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include his successors in office and assigns) on the one Part and the _____ _____ (hereinafter for brevity referred to as _____ which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include its successor, administrators, executors, representatives and assigns) on the other part.

Whereas the Municipal Corporation of Delhi having appreciated the difficulties faced by worming women, decided to construct a Working Women Hostel at Sector-IX, ROHINI, Delhi.

(i) To provide safe shelter to women living apart from families and are in employment in NCT of Delhi.

(ii) To maintain safe and secure environment for the working women.

(iii) To provide accommodation to working women who are being trained for employment or working.

(iv) To manage the hostel with the aim of providing affordable accommodation at reasonable rates approved by Municipal Corporation of Delhi.

(v) The management will provide compulsory mess facility, library, reading room, visitor's room, recreation hall, indoor, & outdoor games in the hostel.

(vi) To provide inmates meals at reasonable rates- Meals should be nutritious and prepared in clean and hygienic environment.

(vii) The management will not show discrimination/special preference to any working women on grounds of caste, creed or religion.

Whereas in order to establish the hostel and put it in running condition, MCD will constitute an Governing Body (G.B.) in the following manner:

(i) Powers of the Governing Body:-

The Governing Body will provide infrastructure to the _____ (Second party) including fixture, furniture for rooms, office, dining room, common room etc. and utensils and vessels for kitchen as may be approved by Municipal Corporation of Delhi. The Governing Body will call open tenders wherever

Whereas the details of the building will be annexed in the handing/taking over report at the time of handing over possession and shall be deemed to be part of this Agreement.

Whereas the details of the furniture and fixtures, if purchased at a subsequent date shall be noted in the handing/taking over report and be deemed to be part of this agreement.

Now Municipal Corporation of Delhi is signing this Agreement with _____ to manage the day to day running of the Worming Women Hostel for a period of three years w.e.f. the date of being handed over premises for management as per terms and conditions hereinafter mentioned:

TERMS & CONDITIONS

* **Governing Body will run the hostel to accommodate approximately 58 working women alongwith Day Care facility to accommodate approximately 30 children.**

1. Eligibility condition:-

i) For ordinary rooms, employees on the posts equivalent to non-gazatted status will be eligible.

ii) For semi-deluxe rooms, Group- B officers and above will be eligible.

iii) For deluxe rooms, officers in the grade of under Secretary and equivalent will be eligible.

2. Application for admission

Admission to the Hostel is restricted to single ladies (married or unmarried) in employment in Govt. Semi-Govt., Local Bodies and reputed firms. Applications must be made to Hostel Authorities on the prescribed form which is available on payment of Rs.20/- and must be accompanies by the following:

(a) Two letters of reference, from persons holding responsible position.

(b) A certificate of health from the Govt/Mpl.Hospital/Dispensary.

(c) A letter from the employer giving details of pay and all allowances (Dearness, House rent, Conveyance etc.).

(d) A registration free of Rs. 20/- (non-refundable)

(e) Three recent passport size photographs.

(f) An undertaking from the local guardian and also the employer for paying the dues of MCD Hostel in the event of non-payment of such dues by the occupant.

* An incomplete application in respect of the above, is liable to be rejected.

3. Selection of candidates

(a) The Hostel is open to working women of all casts and creeds. The selection for admission to the Hostel shall be made by the Governing Body of the Hostel,. A candidate may be called for interview at her own expenses and also be asked to produce any additional documents, which the Governing Body may consider necessary. The decision of the governing Body shall be final. The candidates, will be informed about her selection and if she fails to occupy the accommodation within the specified time, the offer will be treated as cancelled automatically.

(b) The maximum period of stay in the Hostel of the selected candidate will be

(c) A bed, a chair and also a built-in-cup board is provided for each resident. No furniture belonging to the resident will be allowed in the Hostel without prior permission from the Hostel authorities.

4. Maintenance of Hostel premises, furniture etc.

(a) The resident shall be responsible for the proper upkeep of furniture and fittings etc., any damage to these including the glass panes of electric fittings is to be made good by the residents concerned.

(b) No resident shall remove any furniture or other fittings from the allotted places.

(c) No residents should refrain from instigating and influencing other to support them on any matter affecting the Committee. they shall not refuse to expect any communication addressed to them, such actions shall be considered grave indiscipline and the resident will be dismissed forthwith without notice.

5. Hostel Charges and payments.

a. Hostel charges as fixed by the MCD will be payable by each resident and these are subject to revision unilaterally as and when considered necessary without any prior notice. The Schedule of rates in force at the time of allotment is available in the Hostel office. Board details of the charges presently fixed are as under:-

S. No.	Category of room	Admission fee	Monthly rent
1.	Ordinary	Rs. 100/-	Rs. 1000/-
2.	Semi Deluxe	Rs. 200/-	Rs. 1500/-
3.	Deluxe	Rs. 300/-	Rs. 2500/-

b. In addition to above, charges for water and electricity will be paid by the inmates on monthly basis @ Rs._____.

c. **Extra charges for late payment** : Monthly room charges and other charges must be paid in advance latest by 10th of each month. Late fee at the rate of Rs.10/- per day will be charged for payment made after that day.

d. Failure to make payments till the end of the month shall result in cancellation of allotment and the resident shall have to vacate the premises. The Governing Body in that case will have a right to re-enter without the intervention of the Court and shall not be responsible for the loss of any belonging of the defaulting resident.

e. Licence fee for car parking, if available is Rs.100/- and for scooter etc. Rs.50/- per month.

f. Rs.50/- for Identity Cards will be charged at the time of admission to the Hostel.

6. Security deposit :-

i) A sum of equal to 3 months licence fee will be taken as security to be paid at the time of joining the hostel at deposit. The deposit will be refunded at the time of leaving the Hostel on surrendering the deposit receipt duly charged.

ii) Security deposit will be refunded when the residents leaves the hostel & submits NOC duly signed by the Warden & Supdt.

iii) Any amount due to Hostel towards damages to hostel's property or failure to pay monthly fees will be deducted from the deposit.

iv) The security deposit will be forfeited if the hosteller leaves the hostel without proper notice in writing.

7. Inspection of rooms.

The room will be liable to be inspected by the Hostel Authorities at any time.

8. **Attendance.**

Daily attendance will be taken by the Hostel Manager at a specific time, fixed by her. A resident returning to Hostel after that time must report to the Manager.

9. **Hostel Gate**

(a) Residents are expected to be in the Hostel premises by 10.00 p.m. each day. Hostel Gate will close at 10.00 p.m. every day.

(b) Return to Hostel after the gates have been closed will be treated as default and will be viewed with seriousness. In exceptional cases only the gates will be opened for a resident retuning after the scheduled time that too with the permission of the Hostel Manager. Such resident will sign on 'Late Night Register' kept with the Hostel Security person. The must give the time of returning with reasons for the same.

(c) No resident will be allowed to go out of the Hostel after 10.00 p.m. without the permission of the Hostel Manager. Such resident will also sign the 'Late Night Register' indicating reasons for leaving the Hostel at the late hour.

10. **Absence from hostel during Holidays or on leave:-**

(a) Any resident proposing to spend a night or some days out shall inform the Hostel Manager before hand, giving the telephone number, address, if any, where she could be contacted in case of emergency/urgency.

(b) Application for leave must be submitted on the prescribed performa.

(c) In the event of resident not returning on the due date without any written notice, she will forefeit the right of accommodation and the Governing body will have the right to allot the room to other applicants after waiting for seven days

(d) Any resident absenting herself from hostel without prior permission or intimation on phone in case of emergency will be liable to leave the hostel and lose her deposit amount.

11. **Telephone or STD calls.**

No resident will be allowed to make or receive calls on the office telephone without special permission from the Manager of the Hostel, that too only in case of emergency and on cash payment of telephone charges.

12. **Catering arrangements.**

Catering arrangements will be available for the inmates on payment. Membership of mess will be compulsory.

13. **Medical aid :-**

Any case of illness shall be reported to the Hostel Authorities immediately. If necessary, the resident will be shifted to the hospital at the discretion of the Hostel Manager. All expenses incurred on any medical assistance (including transport charges and medicines) provided to any resident will be borne by the resident herself.

14. **Valuable and cash**

No responsibility will be taken by the Hostel Management for loss of cash or valuables or any other articles belonging to any resident. Inmates will themselves be responsible for the safety or their cash, valuable and other belongings.

15. **Visiting hours.**

Visiting hours for the guests will be from 6.30 p.m. to 7.30 p.m. daily and on Sunday and Gazetted Holidays from 9.00 a.m. to 12.00 noon in the lounge. No visitors will be allowed to go beyond permitted area including living rooms and common rooms

17. Termination of stay

Residents intending to leave the Hostel for good must give 14 days notice to be counted from the date such notice is received in the Hostel office or pay full charges for the period in lieu of the notice. All charges must be paid in full as per prescribed schedule before termination of stay. Any resident who becomes unemployed will give the intimation in writing to the Hostel Warden immediately and such unemployed resident will be allowed to continue to stay in the Hostel for a maximum period of 2 months only on payment of all the charges as per the prescribed schedule of rates.

18. Charges on Departure:-

Notice :- Any resident desirous of leaving the hostel is required to give a month's Notice in writing to the Supdt. or a month's fee in lieu thereof. A month in this respect is the period as explained as below and notice must be given within 1st to 5th of a month:-

The charges at the time of departure will be as follows:-

1. Departure between 1st and 15th of the month: half month chares.
2. Departure between 16th and 31st of any month Full month charges.
3. If in the opinion of the Governing body any inmates stay in the Hostel.

19. Period of stay

11. Admission of the resident is valid for 3 years only.
12. One-year extension may be granted on the recommendation of the Governing Body in very special and hard case.
13. At the end of 4 years, no extension will be granted under any circumstances whatsoever and the period of stay will be treated as unauthorized and the inmate shall have to pay double the rent of the room as damage charges plus 20% interest for unauthorized period of stay.

20. Miscellaneous

(a) A resident is a mere license and has exclusive possession of the room allotted to her. The Management and the control of the Hostel premises is with the Governing Body of Hostel.

(b) A resident uses the premises with the express and tacit permission of the Governing Body. A resident is bound to move any other room when called upon to do so by the Manager.

(c) The resident has to leave the Hostel immediately on cancellation of licence to stay due to default in payment of Hostel charges or on disciplinary grounds e.g. drunkenness and other unseemly behaviour and also on account of breach of any of the condition set forth in these rules. The decision of the Governing Body on the question whether there has been any such breach or not, shall be final and binding on the residents.

21. Alcoholic drinks, Drugs & Gambling prohibited.

No inmate shall be allowed to use any kind of intoxicants/drugs within the premises. No intoxicant liquor or drugs of any kind will be allowed to be brought in the Hostel premises.

22. Gambling

Gambling within the premises is strictly prohibited.

23. Other charges

...ic gadget like TV, Video, Geysers heaters will be allowed to ... electricity charges to be fixed by the

Functions, Duties, Rights and Powers of Governing Body:-

(1)

(a) The Governing Body will approve/ratify all admissions made to the hostel by the _____.

(b) Information of voluntary discharge from the hostel will also be submitted to the Governing Body. However, if an inmate is to be discharged due to non-observance of rules and breach of code /of conduct as stipulated in the prospectus the case for discharge will have to be submitted to the Governing Body for approval.

(c) Mess charges and room rent proposals as drawn by the _____ shall be approved by the Governing Body after which these will be forwarded by the Governing Body to the MCD for approval.

(d) The annual prospectus shall also be approved by the Governing Body after which it shall be submitted to the MCD for final approval.

(e) The Governing Body shall be apprised of grievances or complaints submitted by the residents and redressal of the same.

(f) The Governing Body shall appoint a Chartered Accountant for doing the annual bank reconciliation and also for preparing the monthly balance sheet duly certified by the auditors.

(g) The Governing Body as set up hereunder shall not have any jurisdiction over appointment of staff/contractors for running of any of the services of the hostel. These shall be managed at the sole discretion of the _____.

(2) Any grievance regarding the decision of the Governing Body in this regard can be referred to the Director (CSD) who will give his decision. Any party aggrieved by this Director's orders may appeal to the Commissioner, MCD within one month of receipt of orders Commissioner's orders in this regard shall be final and no further appeal shall lie there from.

(3) The staff agencies for catering, security etc, engaged by the _____ shall be the responsibility of the _____ only and neither their appointment nor terms and conditions there of shall be referred to the Governing Body set up as

Due indemnification in this regard will be taken from _____.

(4) The management will provide compulsory mess facility. It shall also provide library, reading room, visitor's room, recreation hall, indoor and outdoor games in the hostel.

(5) The organization will be responsible for the sanitation, security and general maintenance of the hostel and garden including day to day maintenance of electrical, civil and plumbing installations etc.

(6) The department will install electricity meter for the building and also separate submitters for each room as may be required, _____ will pay the water and electricity charges as fixed by the Delhi Jal Board, PWD electrical and maintenance unit of the building/BSES respectively. However, the meters will remain in the name of the Community Services Department, Working Women's Hostel, Sector-IX, Rohini.

(7) Property tax will be borne by the MCD.

(8) The _____ shall use the premises in conformity with the rules and bye-laws of the Municipal Corporation of Delhi, Delhi Development Authority and other local authorities.

(9) _____ shall not make or permit to be made any structural alterations or additions in the premises without the previous consent in writing of CSD/MCD.

(10) The MCD through its duly authorized agent and workmen, upon making prior appointment with _____ shall from time to time or as may be deemed necessary entering upon the premises in order to review the sate and condition thereof and to carry out the repairs for which the Municipal Corporation of Delhi is liable in accordance with the covenants in that behalf hereinafter contained and in doing so to cause as little inconvenience as possible to the occupants. Should the inspecting officer not be a lady, the officer shall be accompanied by a lady officer of the MCD approved by the Addl. Commissioner (CSD).

(11) _____ shall take all reasonable care of the premises and maintain them in good condition, reasonable wear and tear and damage by fire, earthquake, storm, floods, tempest, war, civil commotion, riot, act of GOD or other irresistible forces always excepted.

during the term by and act of negligence on the part of the _____ or his employees, servants or agents.

(13) The _____ shall be responsible for the upkeep and maintenance of working parts of plumbing and electrical fittings and fixtures, such as the float mechanisms or toilet cisterns, wall and electrical switches, thermostats and elements in hot water geysers, all leaks in plumbing fixtures (expecting major faults such as burst pipes or defects such as air locks which might require modifications to the piping system which shall be the responsibility of the MCD), The maintenance of ceiling fans, wall lights and fire fighting equipments etc. For the purpose, a joint inspection after every six months will be conducted by a term consisting of Officers from CSD, Engg. Deptt. of MCD & _____ to confirm that no major fault has taken place in the building.

(13.1) As & when such major repair requirement arises, it shall just be reviewed by Governing Body and their recommendations forwarded to Municipal Corporation of Delhi. Provided that for these agenda would be drawn up and a Senior Engg. Deptt. official be nominated to attend as special invitee.

(14) The _____ shall be responsible for the general upkeep of the interior and exterior of the premises.

(15) All painting, polishing, snowcem, for interior and exterior as required by the _____, shall be carried out by the _____ at his own cost.

(16) _____ shall not assign, subject or part with the possession of the premises or any part thereof.

(17) _____ shall keep and maintain the garden in good and proper condition during the currency of the Agreement.

(18) The premises of the hostel will not be utilized by the _____ for any purpose other than the running and managing of a working women hostel. The dining room, kitchen shall not be used for any other function or purpose other than those pertaining to the day to day affairs of the hostel. No restaurant or café shall be permitted to be run except as may be included in the day-to-day functioning of the mess only for occupants.

(19) Maintenance and upkeep of fixtures and furniture including computer, TV, VCR, curtains, cots, tables, chair, vessels, utensils provided by the Director (CSD) for running the hostel will be the responsibility of the

(20) At expiration of the said Agreement, the Agreement shall stand terminated and the _____ shall hand over the premises as they are now, reasonable wear and tear and damage by fire, earthquake, storm, floods, tempest, war, civil war or civil commotion, riot, act of GOD or other irresistible forces always expected.

(21) Nothing in the foregoing clauses shall be deemed to impose any liability upon the _____ to insure the premises or any part thereof against fire or any other risk whatsoever, or to pay, repay or indemnify the _____ in respect of any premium accruing on any existing policy of insurance relating to the premises or any part thereof of any such policy that may hereafter be taken out by MCD.

(22) For the allotment of rooms and the stay of the women _____ will be following the Hostel Allotment Rules, MCD 2006-07 framed by the Department and enclosed herewith as Annexure-I and prepare the prospectus on the same lines after obtaining the approval of the MCD.

(23) The MCD reserves the right to cancel the Agreement with the organization prior to expire of three years after giving one month notice if (a) it is found that the premises or a part thereof is being used for any purpose other than for a worming women hostel; (b) the dues pertaining to water electricity payable by _____ are not being paid regularly; (c) withholds any information with regard to the accounts of the hostel; and (d) violates the rules and regulations with regard to allotment of accommodation (e) if any of the clauses of the abvoe agreement are violated.

(23.1) The Department can take over the management themselves after serving one month's notice to which the _____ will be required to give satisfactory reply within the said period of one month, failing which the Department shall be free to enter upon the premises and run the hostel directly or through any other NGO as may be decided by the MCD. The staff liability shall not be taken. No load liability shall be taken.

(24) Any dispute with regard to interpretation of the above shall be referred to the Commissioner MCD or his nominee whose decision shall be final and binding on both the parties.

(25) The _____ will submit an annual and also quarterly balance sheet of the accounts of the said hostel duly audited by a

(26) The Department can undertake suo moto inspection at any time and hold enquiry on any complaint as may be submitted with regard to the functioning of the Working Women Hostel. Any direction given in this regard shall be binding upon the _____.

(27) The token license fee of rupees one shall be charged.

Parties to the above agreement set their hands as under on the day and year first above written.

(First party)
for and on behalf of
the President of India

Witness :
1.....
.....
2.....
.....

Signature .....
Name .....
Director Community Services Deptt. ,
Municipal Corporation of Delhi.

(Second Party)
For and on behalf of the

(_____)
Authorized Signatory

Witness :
1.....
.....
2.....
.....

Signature .....
Name .....
Director Community Services Deptt. ,
Municipal Corporation of Delhi.

मद संख्या : 24

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को भू–अर्जन सम्बन्धी कार्यो के निस्तारण हेतु नियत वेतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वर्तमान में मधुबन बापूधाम, इन्दिरापुरम, इन्दिरापुरम प्राईम कोयल एन्क्लेव आदि योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है तथा अन्य नयी योजनाओं हेतु भी भूमि का अर्जन किया जाना है । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भू–अर्जन के कार्यो के निस्तारण हेतु कोई योग्य अनुभवी अधिकारी न होनें के कारण कार्यो को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने के लिये इस कार्यालय के पत्र सं0 302/प्रशा0 अनु0/ 2007 दिनांक 31 दिसम्बर 2007 द्वारा शासन तथा आयुक्त एवं राजस्व सचिव से प्राधिकरण में एक तहसीलदार की तैनाती हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक शासन से किसी तहसीलदार की तैनाती न होने के फलस्वरूप प्राधिकरण के कार्यो में व्यवधान हो रहा है। पूर्व में इस कार्यालय में तहसीलदार श्री एस0पी0एस0 अरोड़ा से रू0 5000/– प्रतिमाह पारिश्रमिक पर कार्य लिया जा रहा था। चुंकि वर्तमान में महगाई को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य हेतु न्यूनतम रू0 10000/– प्रतिमाह पारिश्रमिक से कम पर किसी तहसीलदार से कार्य लिया जाना उचित प्रतीत नही होता है ।

अतः प्राधिकरण में भू–अर्जन के कार्यो के निस्तारण हेतु रू0 10000/– प्रतिमाह नियत वेतन पर सेवा निवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्या : 25

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन खण्ड से सम्बन्धित कार्यो हेतु एक वाहन कय किये जाने विषयक ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यो हेतु अक्सर प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत आना जाना पड़ता है, जिसके लिये एक तेज दौड़ने वाले बड़े वाहन की आवश्यकता थी । प्राधिकरण की प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता थी । प्राधिकरण की प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार एक स्कार्पियो कय की गयी है । अतः कय की गयी स्कार्पियों की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु एवं अवलोकनार्थ प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

JE (Pool) EE Pool

XE (Pool)

14/3/08
EE (P)

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद सं0 26

विषय :– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिए लैण[illegible]
रोड़ के पश्चिम साईड में भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद महायोजना 2021 में मेरठ रोड़ एवं जी0टी0 रोड़ के उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, होलसेल मार्केट, सामुदायिक सुविधाओं एवं ग्रीन बेल्ट आदि भू–उपयोग हेतु भूमि आरक्षित है। इस क्षेत्र में इन्टीग्रेटिड टाउनशिप एवं प्राइवेट बिल्डर्स को भूमि विकसित किये जाने हेतु शासन द्वारा निजी पूंजी निवेशकर्ताओं हेतु शासनादेश जारी किये गये हैं तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली मास्टर प्लान रोड़ एवं जोनल प्लान के अनुसार आरक्षित रोड़ की भूमि अधिग्रहण कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा रोड़ों का निर्माण कराया जाना है।

उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिहानी, सद्दीकनगर, नूरनगर, मकरमतपुर सिकरौड़, मोरटी, भोवापुर, मोरटा, धरगल, शाहपुर निज मोरटा, अटोर व नगला फिरोजपुर मोहन की भूमि पड़ती है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्तमान में कोई लैण्ड बैंक नहीं है। इस क्षेत्र में मास्टर प्लान रोड़, जोनल प्लान के अनुसार मार्क रोड़ एवं आवासीय प्रयोजन के लिए लगभग 1500 हे0 भूमि का अधिग्रहण कराया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में जो भूमि अधिग्रहित की गयी है, वह भी प्रतिकर का निर्धारण न होने के कारण प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए इस क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है। यदि इस क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है तो बीच–बीच में अनाधिकृत निर्माण एवं सलम एरिया विकसित होने की प्रबल सम्भावना है तथा निजी पूंजी निवेशकर्ताओं द्वारा किये जा रहे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण आशंकाएं हैं। इसलिए इस क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले इन्टीग्रेटिड टाउनशिप एवं स्वीकृत मानचित्र वाली भूमि तथा भू–अर्जन प्रस्ताव भेजने से पूर्व प्रस्तुत मानचित्रों से प्रभावित भूमि को छोड़ते हुए लगभग 1500 हेक्टेअर भूमि के अधिग्रहण कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

14/3/08 14/3/08 14/03/08 14/3/08 14.3.08

सचिव
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद संख्या 27

विषय: ग्राम मकनपुर के खसरा नं0 1342, 1343 एव 1348 की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 8/12/07 में मद संख्या 24 पर रखे गये प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में सचिव, विशेष कार्याधिकारी व वित्त नियन्त्रक की कमेटी की आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न कर बोर्ड के समक्ष समिति की आख्या के अनुसार खसरा नम्बर 1242, 1243 व 1248 की 3--2--0 बीघा अर्थात 6351 वर्ग गज भूमि के विषय श्री वेद प्रकाश के प्रत्यावेदन पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रेषित है ।

सचिव
ग्रे० वि० प्रा०
आगरा

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 8/12/07 के मद संख्या 24 पर प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के परीक्षण हेतु सचिव, विशेष कार्याधिकारी एवं वित्त नियन्त्रक की एक कमेटी गठित कर दी जाय । प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी की आज बैठक हुई जिस पर प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया जो निम्न है :–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम आवासीय योजना हेतु वर्ष 1989 में 1295 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसके लिये भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत धारा–4 की अधिसूचना दिनांक 16/8/88, धारा–6/17 की अधिसूचना 22/2/89 को जारी होकर प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 7/7/89 को प्राप्त किया गया । उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1342, 1343 व 1348 क्षेत्रफल 3–2–0 बीघा भूमि के विषय में सिविल जज के न्यायालय में वाद संख्या 866/89 वेद प्रकाश आदि बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया जिसका प्राधिकरण द्वारा प्रतिवाद किया गया तथा माननीय प्रथम अपर सिविल जज, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 21/1/98 को वादी का वाद इस आशय से अज्ञप्त किया कि वादी को बल पूर्वक विधि विरूद्ध ढंग से बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल करने व विवादित सम्पत्ति पर स्थित आबादी के निमार्ण को विधि विरूद्ध ढंग से ध्वस्त किये जाने से निषिद्ध किया जाता है जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय में अपील संख्या F.A. 151/98 जीडीए बनाम वेद प्रकाश प्रस्तुत की गयी जो अभी विचाराधीन है । श्री वेद प्रकाश के प्रत्यावेदन पर दिनांक 8/12/07 को मद संख्या 24 पर यह प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पूर्व दृष्टान्तों का उल्लेख करते हुए रखा गया ।

श्री वेद प्रकाश द्वारा अपने प्रत्यावेदन में सुपरटेक, आईकॉन आदि के प्रकरणों में आउट–ऑफ–कोर्ट समझौता करते हुए अन्य प्रकरणों की भॉति विकास शुल्क अदा कर भूमि आवंटन का अनुरोध किया है ।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में दिनांक 13/9/06 के मद संख्या 11 पर धर्मवीर, लिखीराम आदि के प्रकरण का उल्लेख किया गया है । उक्त प्रकरण भी इसी ग्राम की समान अधिसूचना से सम्बन्धित अर्जन प्रकिया के सन्दर्भ में न्यायालय सिविल जज व अपर जिला जज द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन द्वितीय अपील में समझौते के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा न्यायालय में विचाराधीन वाद में विवादित भूमि की 50 प्रतिशत भूमि वर्तमान सेक्टर दर पर भू–स्वामियों को समस्त देय धनराशि एकमुश्त जमा करने की शर्त पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था तथा आवंटन से पूर्व भू–स्वामियों को किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को वापिस लेने की शर्त रखी गयी थी । यद्यपि उक्त प्रकरण में लिया गया निर्णय श्री लिखी राम व अन्य को मान्य न होने के कारण उनके द्वारा समस्त भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया था जिसके निर्णय हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित है ।

इस प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उपयोग न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण प्राधिकरण वर्ष 1989 (लगभग 19 वर्ष) से नहीं कर पा रहा है । पूर्व दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में कुल भूमि का मात्र 50 प्रतिशत भूमि ही आवासीय सेक्टर दर पर आवंटित की जानी है तथा 50 प्रतिशत भूमि प्राधिकरण अपनी योजनाओं में उपयोग कर सकेगा । इस प्रकार न्यायालय में विचाराधीन वाद भी समाप्त हो जायेगा । वर्तमान में प्राधिकरण के पास कोई लैण्ड बैंक उपलब्ध नहीं है जिससे वह अपनी वित्तीय लक्ष्य को पूरा कर सके । वर्ष 2004 में जो भूमि अधिग्रहीत करायी गयी है उसका एक बड़ा भाग स्थगन आदेश से प्रभावित है तथा शेष प्रतिकर निर्धारण में विलम्ब होने के कारण उपयोग नही हो पा रहा है । वर्तमान परिस्थितियों में आपसी सहमति से ही भूमि प्राप्त करना उचित है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्राधिकरण हित एवं न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए आउट–ऑफ–कोर्ट इस शर्त के साथ समझौता करने पर विचार किया जा सकता है कि भू–स्वामी को न्यायालय में दायर वाद में समझौता दाखिल करते हुए प्राधिकरण की अर्जन प्रकिया को स्वीकार करना होगा, उसे 50 प्रतिशत भूमि आवासीय सेक्टर दर पर आवंटित की जायेगी तथा 50 प्रतिशत भूमि प्राधिकरण को अपनी योजना के अनुसार उपयोग करने में भू–स्वामी को कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः आख्या बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

(हीरा लाल) विशेष कार्याधिकारी	(अभय जायसवाल) वित्त नियन्त्रक	(राज कुमार सचान) सचिव

मद संख्या 28

विषयः ग्राम मकनपुर के खसरा नं0 507, 518, 519, 520, 522, 523 एवं 533 क्षेत्रफल 5–0–0 बीघा तथा 508, 531, 534, 550 क्षेत्रफल 3–5–0 बीघा कुल क्षेत्रफल 8–5–0 बीघा की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 8/12/07 में मद संख्या 23 पर रखे गये प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के कम में सचिव, विशेष कार्याधिकारी व वित्त नियन्त्रक की कमेटी की आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न कर बोर्ड के समक्ष समिति की आख्या के अनुसार खसरा नम्बर 507, 518, 519, 520, 522, 523 एवं 533 क्षेत्रफल 5–0–0 बीघा तथा 508, 531, 534, 550 क्षेत्रफल 3–5–0 बीघा कुल क्षेत्रफल 8–5–0 बीघा अर्थात 24956.25 वर्ग गज भूमि के विषय श्री लिखी राम के वारिसान श्री जगदीश आदि द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर निर्णय लिये जाने हेतु बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रेषित है ।

सचिव
ना० वि० प्रा०
गाजियाबाद

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 8/12/07 के मद संख्या 23 पर प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के परीक्षण हेतु सचिव, विशेष कार्याधिकारी एवं वित्त नियन्त्रक की एक कमेटी गठित कर दी जाय । प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी की आज बैठक हुई जिस पर प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया जो निम्न है :–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम आवासीय योजना हेतु वर्ष 1989 में 1295 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसके लिये भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत धारा–4 की अधिसूचना दिनांक 16/8/88, धारा–6/17 की अधिसूचना 22/2/89 को जारी होकर प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 14/6/89 को प्राप्त किया गया । उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 507, 518, 519, 520, 522, 523 एवं 533 क्षेत्रफल 5–0–0 बीघा तथा 508, 531, 534, 550 क्षेत्रफल 3–5–0 बीघा कुल क्षेत्रफल 8–5–0 बीघा या 24956.25 वर्ग गज भूमि के विषय में सिविल जज के न्यायालय में वाद संख्या 805/89 व 804/89 लिखी राम बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया जिसका प्राधिकरण द्वारा प्रतिवाद किया गया तथा माननीय प्रथम अपर सिविल जज, गाजियाबाद द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध निर्णित हुआ जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा जिला जज के न्यायालय में अपील संख्या 30/99 व 42/99 जीडीए बनाम जगदीश दायर है जो अभी विचाराधीन है तथा प्राधिकरण न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहा है । श्री जगदीश आदि द्वारा प्रत्यावेदन प्राधिकरण के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि अन्य प्रकरणों की भॉति आउट–ऑफ–कोर्ट समझौता कर लिया जाय ।

श्री लिखी राम के वारिसान जगदीश आदि द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन मे लिखी राम धर्मवीर, फतेह सिंह आदि के प्रकरणों की भॉति आउट–ऑफ–कोर्ट समझौता करते हुए अन्य प्रकरणों की भॉति विकास शुल्क अदा कर भूमि आवंटन का अनुरोध किया है ।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में दिनांक 13/9/06 के मद संख्या 11 पर धर्मवीर, लिखीराम आदि के प्रकरण का उल्लेख किया गया है । उक्त प्रकरण भी इसी ग्राम की समान अधिसूचना से सम्बन्धित अर्जन प्रकिया के सन्दर्भ में न्यायालय सिविल जज व अपर जिला जज द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन द्वितीय अपील में समझौते के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा न्यायालय में विचाराधीन वाद में विवादित भूमि की 50 प्रतिशत भूमि वर्तमान सेक्टर दर पर भू–स्वामियों को समस्त देय धनराशि एकमुश्त जमा करने की शर्त पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था तथा आवंटन से पूर्व भू–स्वामियों को किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को वापिस लेने की शर्त रखी गयी थी । यद्यपि उक्त प्रकरण में लिया गया निर्णय श्री लिखी राम व अन्य को मान्य न होने के कारण उनके द्वारा समस्त भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया था जिसके निर्णय हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित है ।

इस प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उपयोग न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण प्राधिकरण वर्ष 1989 (लगभग 19 वर्ष) से नहीं कर पा रहा

है । पूर्व दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में कुल भूमि का मात्र 50 प्रतिशत भूमि ही आवासीय सेक्टर दर पर आवंटित की जानी है तथा 50 प्रतिशत भूमि प्राधिकरण अपनी योजनाओं में उपयोग कर सकेगा । इस प्रकार न्यायालय में विचाराधीन वाद भी समाप्त हो जायेगा । वर्तमान में प्राधिकरण के पास कोई लैण्ड बैंक उपलब्ध नहीं है जिससे वह अपनी वित्तीय लक्ष्य को पूरा कर सके । वर्ष 2004 में जो भूमि अधिग्रहीत करायी गयी है उसका एक बड़ा भाग स्थगन आदेश से प्रभावित है तथा शेष प्रतिकर निर्धारण में विलम्ब होने के कारण उपयोग नही हो पा रहा है । वर्तमान परिस्थितियों में आपसी सहमति से ही भूमि प्राप्त करना उचित है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्राधिकरण हित एवं न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए आउट–ऑफ–कोर्ट इस शर्त के साथ समझौता करने पर विचार किया जा सकता है कि भू–स्वामी को न्यायालय में दायर वाद में समझौता दाखिल करते हुए प्राधिकरण की अर्जन प्रकिया को स्वीकार करना होगा, उसे 50 प्रतिशत भूमि आवासीय सेक्टर दर पर आवंटित की जायेगी तथा 50 प्रतिशत भूमि प्राधिकरण को अपनी योजना के अनुसार उपयोग करने में भू–स्वामी को कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः आख्या बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

(हीरा लाल)
विशेष कार्याधिकारी

(अभय जायसवाल)
वित्त नियन्त्रक

(राज कुमार सचान)
सचिव

मद संख्या: 29

विषय: ट्रान्सपोर्टनगर योजना के अन्तर्गत ग्राम चिकम्बरपुर के खसरा संख्या– 1/2, 2,5,6,7/2, 8/2, 9/2 एवं 2,3,4 व 10 की लगभग 3773 वर्ग मीटर भूमि के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के लिए ग्राम चिकम्बरपुर की 44.3512 एकड़ भूमि की धारा–4(1) दिनॉक 9–2–62 तथा धारा–6 दिनॉक 24–5–65 को करायी गयी थी। इस योजना में प्राधिकरण द्वारा कुल 44 एकड़ भूमि का अर्जन कराया गया था जिसमें से प्राधिकरण को 29.28 एकड़ भूमि का ही कब्जा प्राप्त हुआ था। इस कब्जा प्राप्त भूमि के अधिकांश भाग पर मौके पर अनाधिकृत निर्माण बने हुए है तथा भूमि भू–स्वामियों एवं अन्यों के कब्जे में है। उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि के स्वामी श्रीमती कमला देवी द्वारा एक प्रत्यावेदन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में समझौता हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रत्यावेदन में ग्राम चिगम्बरपुर के खसरा संख्या–1/2, 2,5,6,7/2, 8/2, 9/2 एवं 2,3,4 व 10 से सम्बन्धित है। उपरोक्त में से खसरा संख्या–3 रकबा 1–15–0 खसरा संख्या–4 रकबा 1–5–0 बीघा व खसरा संख्या–10 रकबा 1–1–4 बीघा भूमि का कब्जा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दिनॉक 27–12–69 को प्राप्त हो चुका है। शेष खसरा नम्बरान 1/2, 2,5,6,7/2, 8/2, 9/2 पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त खसरा नम्बरानों पर आज दिनॉक तक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रार्थिनी श्रीमती कमला देवी आदि की रिट याचिका संख्या– 34703/02 में स्थगन आदेश प्रभावी है। प्राधिकरण द्वारा श्रीमती कमला देवी की भूमि पर अब तक कोई निर्माण/विकास कार्य नहीं कराया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रकरणों में जिनमें बिना अर्जन किये प्राधिकरण द्वारा भूमि प्रयोग कर ली गयी है, उसमें विकास व्यय लेते हुए 50 प्रतिशत भूमि दिये जाने का प्राविधान है। प्रार्थिनी की 2060 वर्ग मीटर भूमि ऐसी है जिस पर प्राधिकरण को अभी कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा 1713 वर्ग मीटर भूमि ऐसी है जिस पर प्राधिकरण को दिनॉक 27–12–69 में कब्जा प्रापत हो चुका है। चूँकि स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण प्राधिकरण इस भूमि पर कोई विकास कार्य/निर्माण कार्य नहीं करा पा रहा है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी भूमि के बदले उसकी आधी भूमि की मॉग की गयी है परन्तु प्राधिकरण द्वारा निम्न शर्तो के अधीन उक्त भूमि के सम्बन्ध में समझौते हेतु विचार किया जा सकता है:–

1– आवेदक को न्यायालय से समस्त वाद वापस लेने होंगे।

2– आवेदक की जिस भूमि का कब्जा अभी जी0डी0ए0 को हस्तान्तरित नहीं हुआ है उस भूमि की आधी भूमि दी जायेगी तथा जिसको वर्तमान सेक्टर दर पर आवंटित किया जायेगा।

3– आवेदक को उपरोक्त सन्दर्भित समस्त भूमि 3773 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा प्राधिकरण को देना होगा।

4– आवेदक को उसकी भूमि का कोई प्रतिकर भुगतान नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14/3/08 14/3/08 14/3/08 14/3

सचिव
ग्रा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

मद सं0 30

विषय :– प्रताप विहार सेक्टर–11 के अन्तर्गत एच–ब्लाक में चार मंजिले ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के नियोजन के सम्बंध में।

उ0प्र0 शासन द्वारा नगरीय निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0. भवनों के निर्माण हेतू गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 3150 भवनों का लक्ष्य दिया गया है लक्ष्यों कि प्राप्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में प्राधिकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रताप विहार सैक्टर–11 के एच–ब्लाक के अन्तर्गत स्थित रिक्त भूमि पर चार मंजिले ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का नियोजन किया जाना है। संदर्भित स्थल 250'–00'' चौड़ी प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड पर स्थित है। उक्त भूमि में से पूर्व में 2636.56 वर्ग गज भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा लैंड पॉलिसी के अन्तर्गत श्री जगपाल सिंह यादव को आवंटित की गयी है। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये श्री जगपाल सिंह यादव को आवंटित भूमि पर भी ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का नियोजन किया गया है। श्री जगपाल सिंह यादव को आवंटित उक्त भूमि के बदले अन्यत्र भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रताप विहार सैक्टर–11 के अन्तर्गत एच–ब्लाक में चार मंजिले भवनों का नियोजन ग्रुप हाउसिंग मानते हुए किया गया हैं जिसका पार्ट ले आउट प्लान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है (संलग्नक परिशिष्ट–1) जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

भूमि का कुल क्षेत्रफल	–	38616.00	वर्ग मीटर
ग्रीन/पार्क का क्षेत्रफल	–	8145.00	वर्ग मीटर (21.10%)
नर्सरी स्कूल का क्षेत्रफल	–	2000.00	वर्ग मीटर (5.17%)
सुविधाजनक दुकाने	–	648.00	वर्ग मीटर (1.67%)
सड़क का क्षेत्रफल	–	14360.00	वर्ग मीटर (37.19%)
भवन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	–	13446.00	वर्ग मीटर (34.82%)
भवनों की संख्या	–	952	नग
भवन (एक इकाई) का आच्छादित क्षे0	–	31.58	वर्ग मीटर

अतः उपरोक्तानुक्रम में प्रताप विहार सैक्टर–11, एच–ब्लाक में चार मंजिले ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के नियोजन एवं पार्ट ले आऊट प्लान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
गाजियाबाद विकास प्रा.
गाजियाबाद

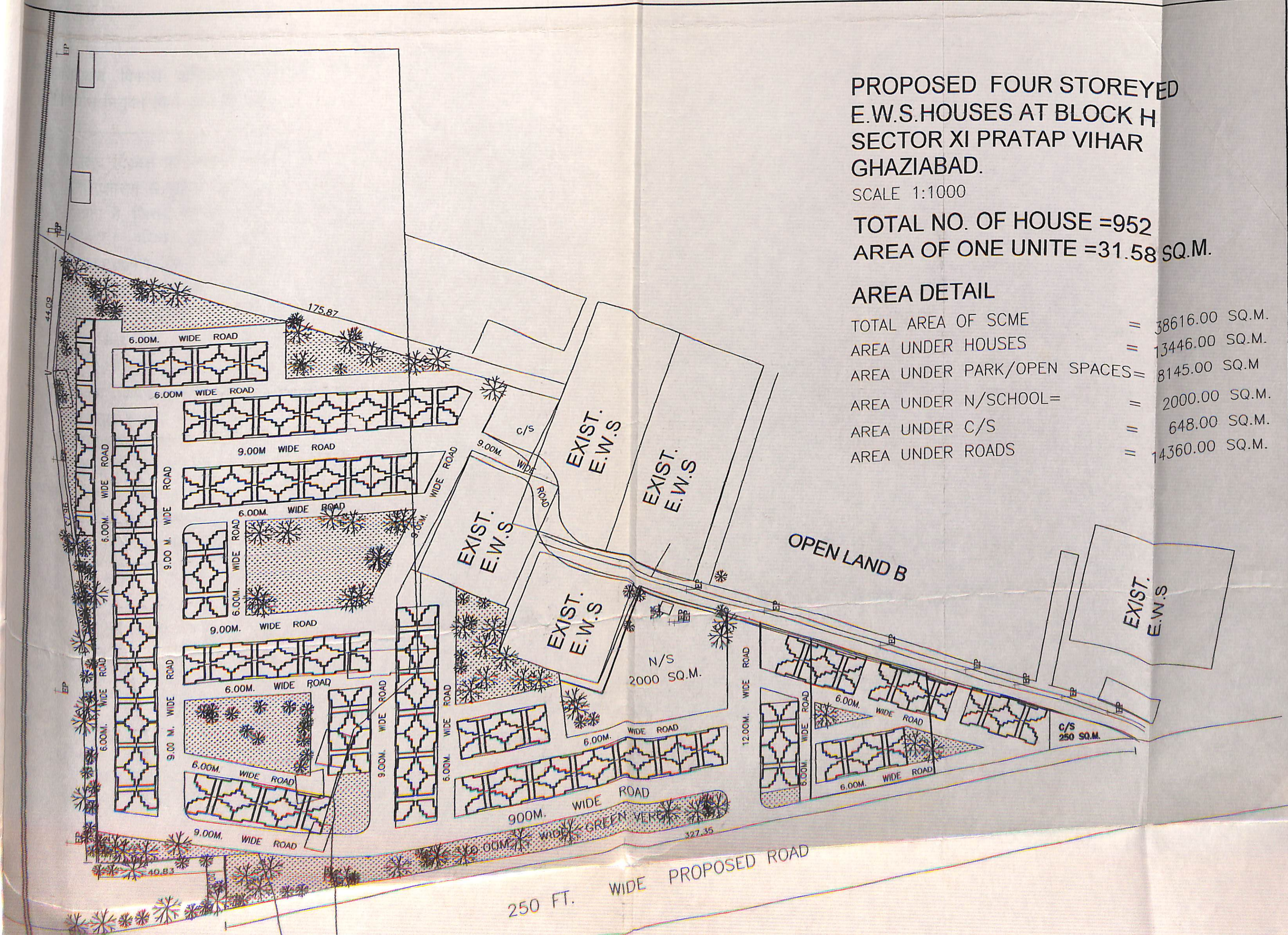
PROPOSED FOUR STOREYED
E.W.S.HOUSES AT BLOCK H
SECTOR XI PRATAP VIHAR
GHAZIABAD.
SCALE 1:1000
TOTAL NO. OF HOUSE =952
AREA OF ONE UNITE =31.58 SQ.M.
AREA DETAIL
TOTAL AREA OF SCME = 38616.00 SQ.M.
AREA UNDER HOUSES = 13446.00 SQ.M.
AREA UNDER PARK/OPEN SPACES= 8145.00 SQ.M
AREA UNDER N/SCHOOL= = 2000.00 SQ.M.
AREA UNDER C/S = 648.00 SQ.M.
AREA UNDER ROADS = 14360.00 SQ.M.
OPEN LAND B
EXIST. E.W.S
N/S 2000 SQ.M.
C/S 250 SQ.M.
6.00M. WIDE ROAD
9.00M WIDE ROAD
9.00 M. WIDE ROAD
12.00M. WIDE ROAD
900M. WIDE ROAD
GREEN VERGE
175.87
327.35
44.09
40.83
250 FT. WIDE PROPOSED ROAD

मद सख्या : 31

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य / अतिक्रमण व्यवस्था हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य/ अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समय समय पर जिला प्रशासन से पुलिस बल की माग की जाती है, किन्तु पुलिस बल समय पर उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण प्रवर्तन/ अतिक्रमण सम्बन्धी अभियान प्रभावित एवं बाधित होते हैं । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ने भी अपने पत्र सं0 मीमो/आर0–एस0एस0पी0/06 दिनांक 30–12–06 द्वारा प्राधिकरण को यह सुझाव दिया गया था कि "उचित होगा कि अतिक्रमण/ प्रवर्तन अभियान हेतु 100 होमगार्डस अतिरिक्त भी पुलिस बल की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है तो समय पर जी0डी0ए0 के भुगतान के आधार पर प्राधिकरण अपने स्तर से व्यवस्था कर ले । इसके आवश्यकतानुरूप पुलिस बल उपलब्ध करा दिया जायेगा ।"

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मे प्रवर्तन/ अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य लगातार चलता रहता है तथा कभी–कभी समय पर पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाता है । जिस कारण अभियान प्रभावित होते हैं । अतः प्राधिकरण की अवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गत बोर्ड बैठक दिनांक 6–8–07 में छः माह के लिये 25 होमगार्ड रखे गये थे । यह व्यवस्था प्राधिकरण के लिये हितकर/प्रभावी सिद्ध हुई है । अतः आगामी व्यवस्था हेतु पुनः छः माह के लिये 25 होमगार्डस प्राधिकरण से भुगतान के आधार पर प्रवर्तन/ अतिक्रमण अभियानों के लिये विचारार्थ प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

18.5.08 Insp
Inspector Police
G.D.A.

मद संख्या– 32

विषय :– राजेन्द्रनगर आवासीय योजना में सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनो के निर्माण हेतु सेक्टर–2 में ई.एस.आई. अस्पताल के पीछे 'खुला क्षेत्र' हेतु आरक्षित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा सबके लिए आवास कार्यक्रम तथा नगरीय निर्बल वर्ग आवास कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य निर्धारित किये गये है। विशेष रुप से निर्बल आय वर्ग को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण को लगभग 3150 ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण करने हेतु शासन द्वारा लगातार कडे निर्देश दिये जा रहें है। प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय योजनाओं में इतने भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं में रिक्त भूमि को चयनित किया गया। राजेन्द्रनगर सेक्टर–2 की उक्त सन्दर्भित भूमि विगत कई वर्षो से अतिक्रमित थी जिसे प्राधिकरण द्वारा विशेष प्रयासो से अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। उक्त भूमि का वर्तमान भू–उपयोग तलपट मानचित्र के अनुसार खुला क्षेत्र है। उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नवत् है –

प्रश्नगत स्थल राजेन्द्रनगर आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में खुला क्षेत्र के रूप में आरक्षित है। प्राधिकरण की राजेन्द्रनगर आवासीय योजना लगभग 30 वर्ष पुरानी है तत्समय के नियमो के क्रम में खुला क्षेत्र 10 प्रतिशत रखे जाने का प्राविधान था। उसी के क्रम में सेक्टर–2 के खुले क्षेत्र का आगणन कराया गया जिसमें सन्दर्भित खुले क्षेत्र की भूमि के अतिरिक्त पार्क,खुला क्षेत्र एवं ग्रीन का अनुपात योजना के कुल क्षेत्रफल का 10.90 प्रतिशत है। सन्दर्भित खुले क्षेत्र की भूमि पर अभियन्त्रण खण्ड की प्रस्तावना के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निर्बल वर्ग आवासीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 भवन तथा सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0आई0जी0 व एच0आई0जी0 भवनो का नियोजन किया गया है। सन्दर्भित खुले क्षेत्र की भूमि के समतुल्य भूमि प्राधिकरण की आगामी मधुबन, बापूधाम एवं कोयल इन्कलेव आवासीय योजना में आरक्षित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी योजना के समीप लगभग 40 एकड क्षेत्रफल में एक बडा लोहिया पार्क भी प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। जिससे नगर के समग्र (ओवर ऑल) ग्रीन एरिया का सन्तुलन बना रहेगा।

उपरोक्तानुसार नगरीय निर्बल वर्ग आवास कार्यक्रम तथा सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति के दृष्टिगत राजेन्द्रनगर सेक्टर–2 में ई.एस.आई. अस्पताल के पीछे 'खुला क्षेत्र' हेतु आरक्षित भूमि का भू–उपयोग खुला क्षेत्र से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप राजेन्द्रनगर सेक्टर–2 के तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 33

विषय :– गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अर्न्तगत ,एस.ई.जेड.,आई.टी. हब एवं नॉलिज कोरीडोर स्थापित किये जाने के संबन्ध मे

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यू0पी0 आई0टी0 नीति–2004 एवं एस0ई0 जेड नीति–2005 लागू की गयी है। इसी परिपेक्ष्य में एस0ई0जेड एवं आई0टी0 पार्क हेतु प्रदेश के अन्य नगरों के साथ–साथ गाजियाबाद को भी चयनित किया गया है। प्रदेश के चहुँमुखी विकास के दृष्टिगत एवं गाजियाबाद नगर में विभिन्न भू–उपयोगो में विकसित हो रही नई कियाओ के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा एस0ई0जैड0 आई0टी0 पार्क एवं एजुकेशनल हब प्रस्तावित किये जाने हेतु भूमि का चयन किया गया है परन्तु उक्त भूमि अन्य भू–उपयोगो में होने के कारण सन्दर्भित क्षेत्र का भू–उपयोग परिवर्तन भी किया जाना आवश्यक होगा प्रश्नगत तीनो कियाओं हेतु चन्हित भूमि को महायोजना मानचित्र–2021 पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

उपरोक्त हेतु एक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनॉक–8.12.07 मे बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया था जिसे बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त स्वीकार किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इन क्षेत्रो को मेट्रो रेल से जोडने का भी प्रस्ताव शामिल किया जाये। स्थलीय सर्वेक्षण के आधार पर पूर्व प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव निम्नानुसार है–

1.(अ) डासना में दिल्ली –मुरादाबाद रेलवे लाईन पर आई.टी. हब हेतु लगभग 850 एकड भूमि चिन्हित की गई है जिसका वर्तमान भू–उपयोग आंशिक रूप से संस्थागत ग्रीन व कृषि है जिसे आई0टी0 हब भू–उपयोग में परिवर्तित किया जाना है।

(ब) राजस्व ग्राम मोरटा की लगभग 434 एकड भूमि जिसका वर्तमान भू–उपयोग महायोजना–2021 के अनुसार हल्का एवं लघु उधोग है, को भी आई.टी.हब हेतु चिन्हित किया गया है।

2. राजस्व ग्राम मोरटा में उपरोक्त भूमि से लगी अन्य कृषि भू–उपयोग एवं संस्थागत ग्रीन भू–उपयोग की लगभग 970 एकड भूमि को एस0ई0जेड0 हेतु चिन्हित किया गया है। इस भूमि का भू–उपयोग भी एस0ई0जेड0 भू–उपयोग में परिवर्तित किया जाना है।

3. उपरोक्त दोनो पाकेट के मध्य में कृषि भू–उपयोग की लगभग 1152 एकड भूमि पर एजुकेशनल कोरीडोर (संस्थागत क्षेत्र) चिन्हित किया गया है। उक्त भूमि का भू–उपयोग भी कृषि भू–उपयोग भी संस्थागत क्षेत्र भू–उपयोग में परिवर्तित किया जाना है।

इस बोर्ड बैठक में दिल्ली मेट्रो के गाजियाबाद विस्तार के अर्न्तगत दिलशाद गार्डन दिल्ली से नया बस अडड्ा गाजियाबाद तथा वैशाली से सी.आई.एस.एफ. इन्दिरापुरम् (एन.एच.–24) हेतु मेट्रो रेल का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा गया है। प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद नगर का यातायात एवं परिवहन का एक प्रजेन्टेशन प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसका मुख्य सचिव स्तर पर भी प्रस्तुतीकरण किया गया था। उक्त प्रस्ताव में मेट्रो रेल का एन. एच.–24 के समान्तर वैशाली से इन्दिरापुरम्, प्रताप विहार, एन.एच.–24 पर प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड एवं हाईटेक सिटी योजनाओं के साथ डासना क्षेत्र तक प्रस्तावित किया गया है तथा मेट्रो रेल का दूसरा कोरीडोर दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा होते हुए मेरठ रोड (एन.एच.–58) पर एजुकेशनल हब तक प्रस्तावित किया गया है। जिससे यह सम्पूर्ण क्षेत्र मेट्रो रेल सुविधा से लाभान्वित हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार एस0ई0जेड0, आई0टी0 हब एवं नॉलिज कोरीडोर (संस्थगत क्षेत्र) स्थापित किये जाने के फलस्वरूप गाजियाबाद महायोजना–2021 में यथोचित संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0 34

विषय :– प्रताप विहार आवासीय योजना में सेक्टर–12, के ब्लाक–के, ए, के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बंध में।

एन.एच.–24 से सटी प्राधिकरण की प्रताप विहार आवासीय योजना जो वर्तमान में काफी विकसित हो चुकी है, में सेक्टर–12 के ब्लाक के0ए0 के अन्तर्गत विशेषाधिकरी (एच) के पत्र संख्या 1169/भूखण्ड अनुभाग/07 दिनाक 20.02.2007 के क्रम में पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 में रखा गया था। जिसमें बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पार्क की भूमि को यथावत रखते हुऐ अन्यत्र भूखण्ड उपलब्ध कराये जायें, तदानुपालन में स्थल पर कूछ अन्य भूमि को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराया जिस पर पुनः नियोजन के फलस्वरूप 12 भूखण्ड 90 वर्ग मी0 के तथा 39 भूखण्ड 49वर्ग0 मी0 के, तथा एक भूखण्ड 76 वर्ग मी0 का नियोजित किये गये। जिसकी विस्तृत आख्या निम्नवत है :–

तत्कालीन विशेषाधिकारी (एच0) द्वारा भेजे गये पत्र संख्या 1169/भूखण्ड अनुभाग/07 दिनांक 20.02.2007 के अनुसार 150 व0मी0 के 25, 112, व0मी0 के 125 एवं 90 व0मी0 के 125 भूखण्ड आवंटित बताये गये थे। आवंटन के अनुसार प्रताप विहार के ब्लाक के0ए0 में आंशिक संशोधन हेतु भी लिखा गया था। उसी क्रम में प्रताप विहार सैक्टर–12 के ले–आउट प्लान में संशोधन करते हुए 153 वर्गमी0 (व्यवसायिक क्रम आवासीय) के 9, 150 व0मी0 के 31, 112 व0मी0 के 126 एवं 90 व0मी0 के 125 आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किये गये थे, 90 व0मी0 के 125 भूखण्डों में से 24 भूखण्ड पार्क की भूमि में प्रस्तावित करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 के मद संख्या –8 पर रखा गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त पार्क भूमि में प्रस्तावित 24 भूखण्डों के नियोजन को व्यवहारिक नहीं पाया गया तथा पार्क के भाग को छोड़कर अन्य सृजित भूखण्डों हेतु संशोधित पार्ट ले–आउट प्लान पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

उसके उपरान्त प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड एवं अभियन्त्रण खण्ड के संयुक्त प्रयासों से पार्क के साथ कुछ भूमि खाली करायी गयी, अवैध कब्जे से खाली करायी गयी भूमि पर 12 भूखण्डों (भूखण्ड संख्या के0ए0–166 से के0ए0–177) का नियोजन किया गया। पूर्व स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार भी इस भूमि पर यही भूखण्ड संख्या के0ए0–166 से 177 ही नियोजित थे। पार्क की भूमि में प्रास्तावित 24 भूखण्डों में से 12 भूखण्डों हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त शेष 12 भूखण्डों के आवंटियों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अवैध कब्जे से मुक्त भूमि जो संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शित है, पर 90 व0मी0 के 12 भूखण्ड 49 व0मी0 के 39 भूखण्ड तथा 76 व0मी0 का एक भूखण्ड नियोजित किये गये।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न तलपट मानचित्र, जिसमें 90 वर्ग मी. के 12 भूखण्ड(के0ए0–154 से के0ए0–165 तक), 49 वर्ग मी. के 39 भूखण्ड(बी0एच0–1/86 से बी0एच0–1/124 तक) तथा 76 वर्ग मी. का एक भूखण्ड(बी0एच0–1/85) के संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

150

PROPOSED PART LAYOUT PLAN OF KA BLOCK, PRATAP VIHAR, SECTOR -XII

NET AREA OF THE SCHEME	=71801.00 Sqm.
TOTAL AREA OF THE PLOTS	=32151.00 Sqm.
TOTAL AREA OF THE ROAD	=19241.00 Sqm.
TOAL AREA OF THE PARK/GREEN	=17731.00 Sqm.
TOTAL AREA OF THE COMMERCIAL	=2678.00 SqM.

TOTAL NO. OF PLOTS =295

SIZE	AREA	Nos.
A	153.00 SqM.	09
B	150.00 SqM.	35
C	112.50 SqM.	126
D	90.00 SqM.	125

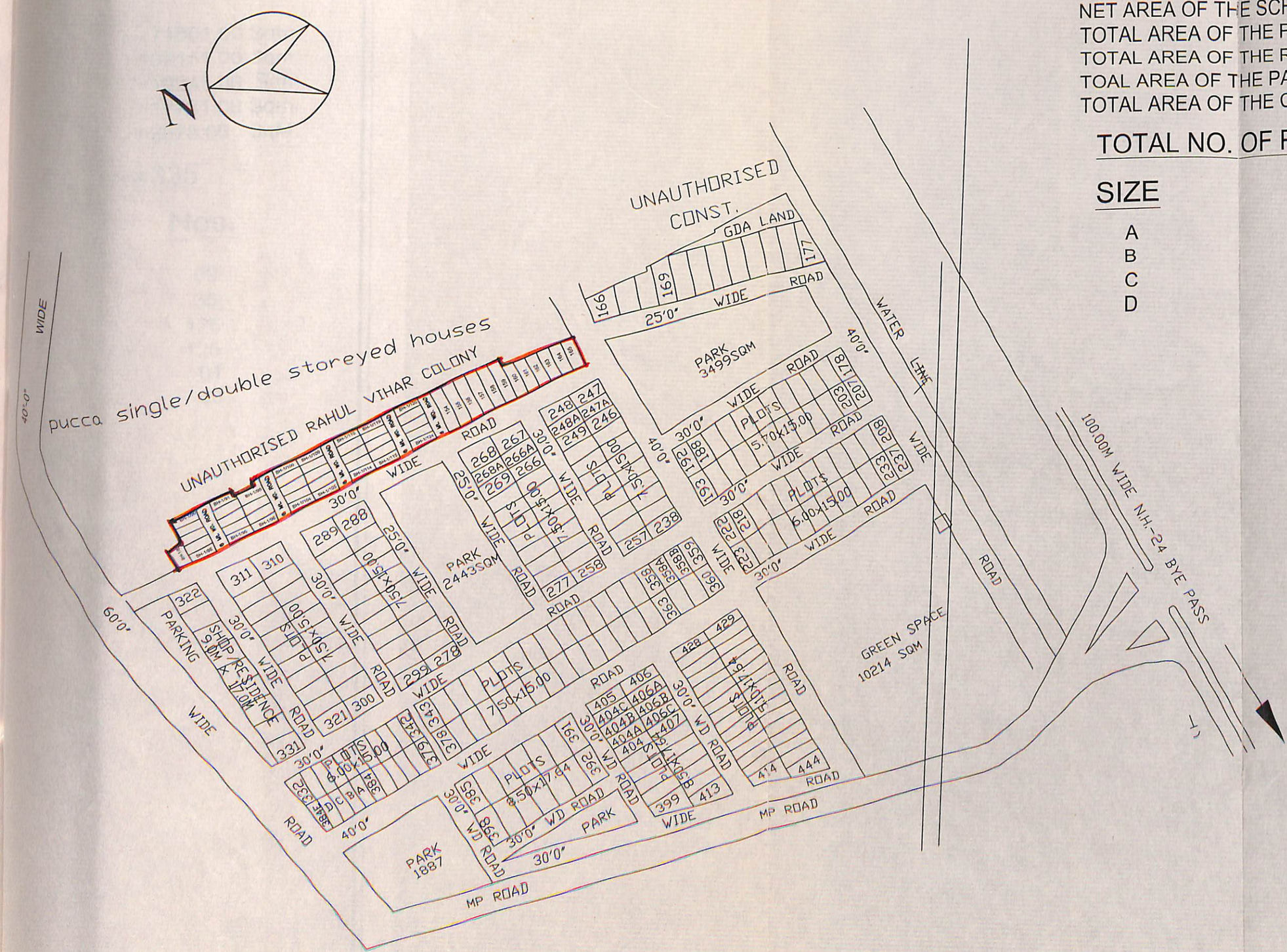

Town Planner. C.A.T.P. Secy. V.C.

A.T.P.

151

PROPOSED PART LAYOUT PLAN OF KA BLOCK, PRATAP VIHAR, SECTOR -XII

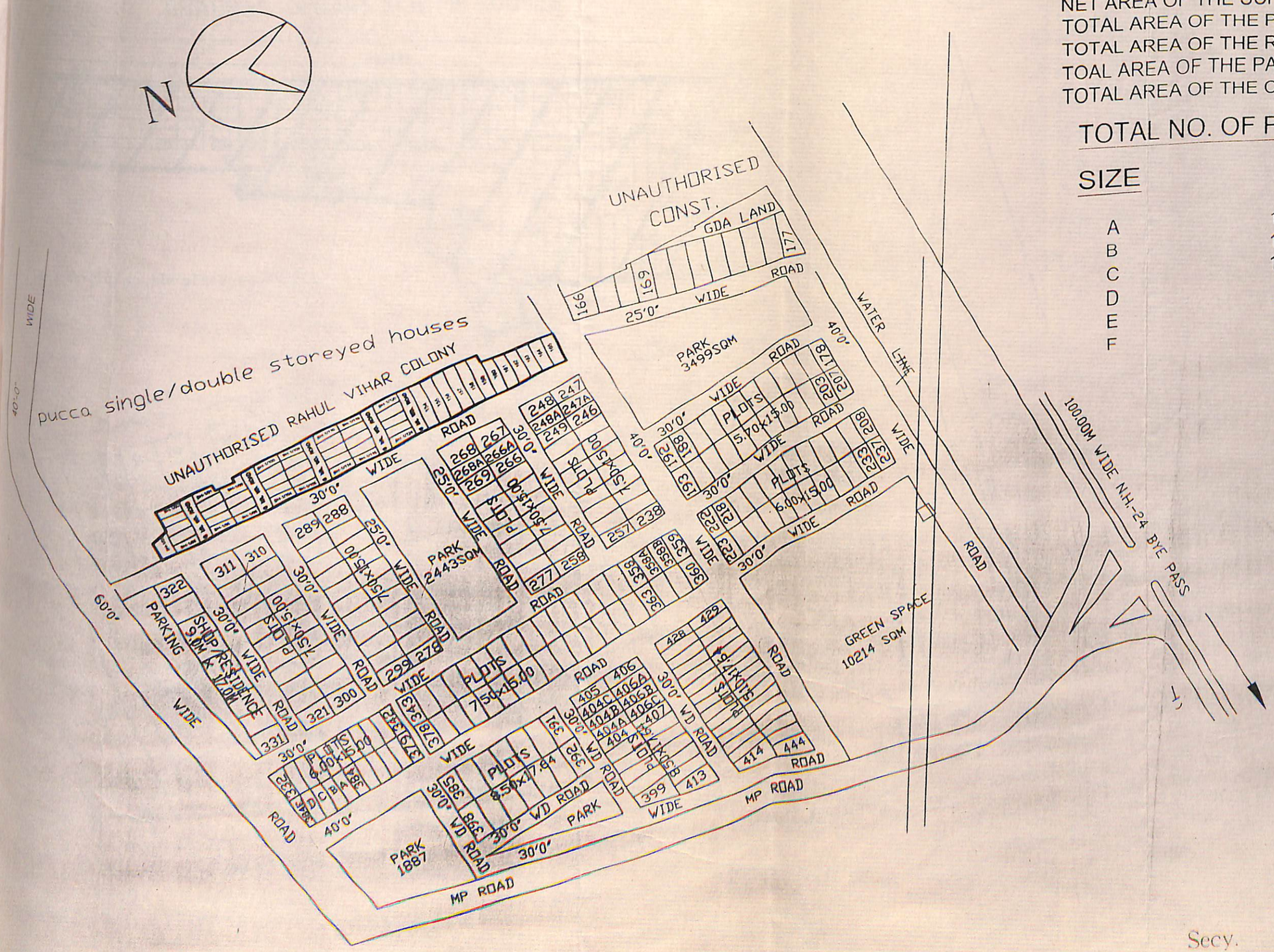

NET AREA OF THE SCHEME		=71801.00 Sqm.
TOTAL AREA OF THE PLOTS		=32151.00 Sqm.
TOTAL AREA OF THE ROAD		=19241.00 Sqm.
TOAL AREA OF THE PARK/GREEN		=17731.00 Sqm.
TOTAL AREA OF THE COMMERCIAL		=2678.00 SqM.
TOTAL NO. OF PLOTS		=335
SIZE	AREA	Nos.
A	153.00 Sqm.	09
B	150.00 Sqm.	35
C	112.50 Sqm.	126
D	90.00 Sqm.	125
E	76.00 Sqm.	01
F	49.00 Sqm.	39

A.T.P. Town Planner. C.A.T.P. Secy. V.C.

(14)

152

REVISED PROPOSED PART LAYOUT PLAN OF PRATAP VIHAR SCHEME

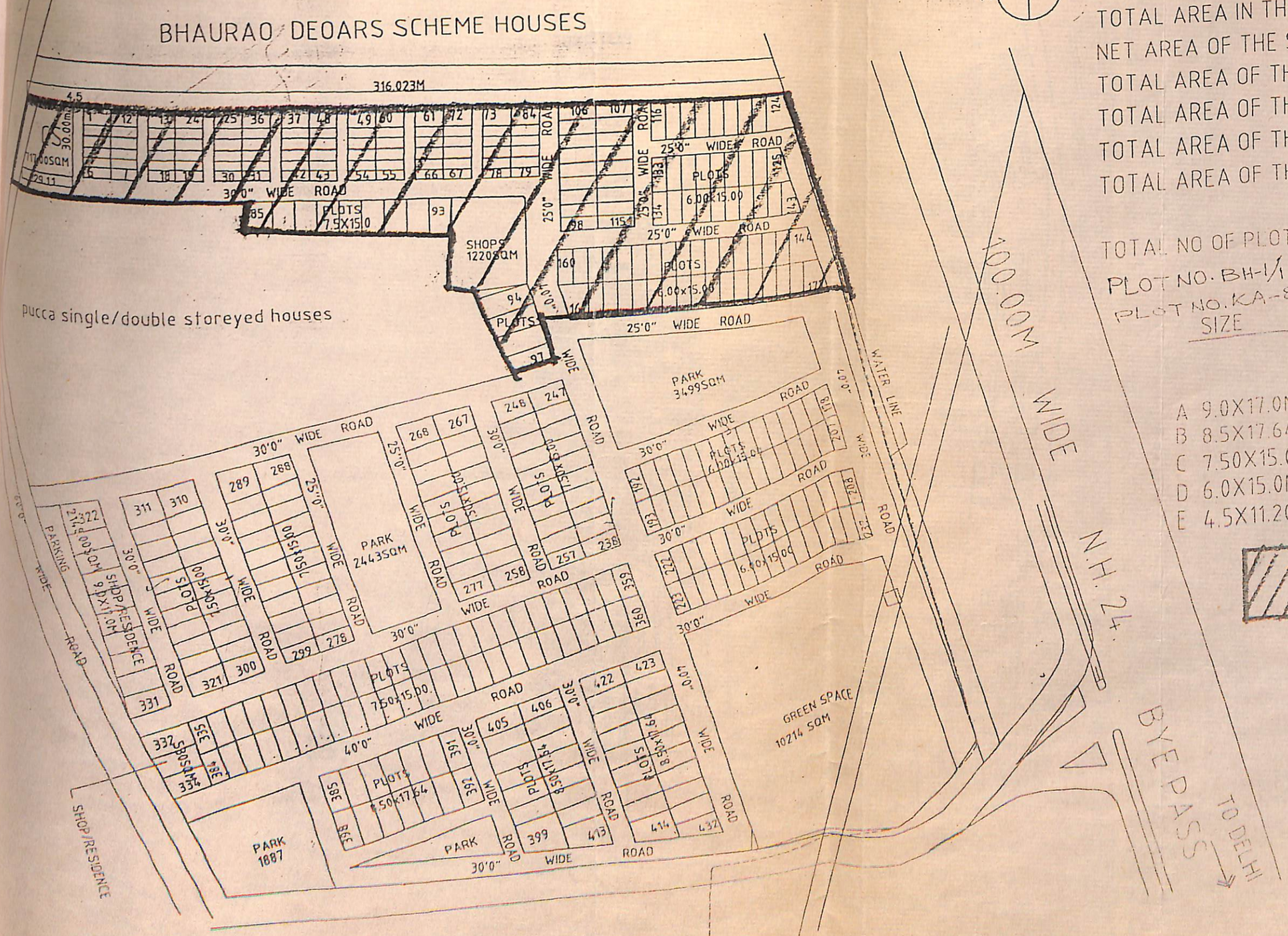

pucca single/double storeyed houses

N

TOTAL AREA OF THE SCHEME= 11.94 Ha.
TOTAL AREA IN THE UNAUTHORISED= 21513.00 SQM
NET AREA OF THE SCHEME= 97487.00 SQM
TOTAL AREA OF THE PLOTS= 40807.00 SQM
TOTAL AREA OF THE ROAD= 33203.00 SQM
TOTAL AREA OF THE PARK/GREEN= 18862.00 SQM
TOTAL AREA OF THE COMMERCIAL= 4615.00 SQM

TOTAL NO OF PLOTS = 432
PLOT NO. BH-1/1 TO BH-1/84.
PLOT NO. KA-85 TO KA-432.

	SIZE	AREA	NOS
A	9.0X17.0M	153.00SQM	13
B	8.5X17.64M	150.00SQM	48
C	7.50X15.0M	112.50SQM	147
D	6.0X15.0M	90.00SQM	140
E	4.5X11.20M	50.00SQM	84

विवादित एवं अवैध कब्जा ग्रस्त भूमि

29.10.03
T.P.

C.A.T.P.

SECY

OSD(CS)

V.C

LAY OUT PLAN OF PRATAP VIHAR SCHEME

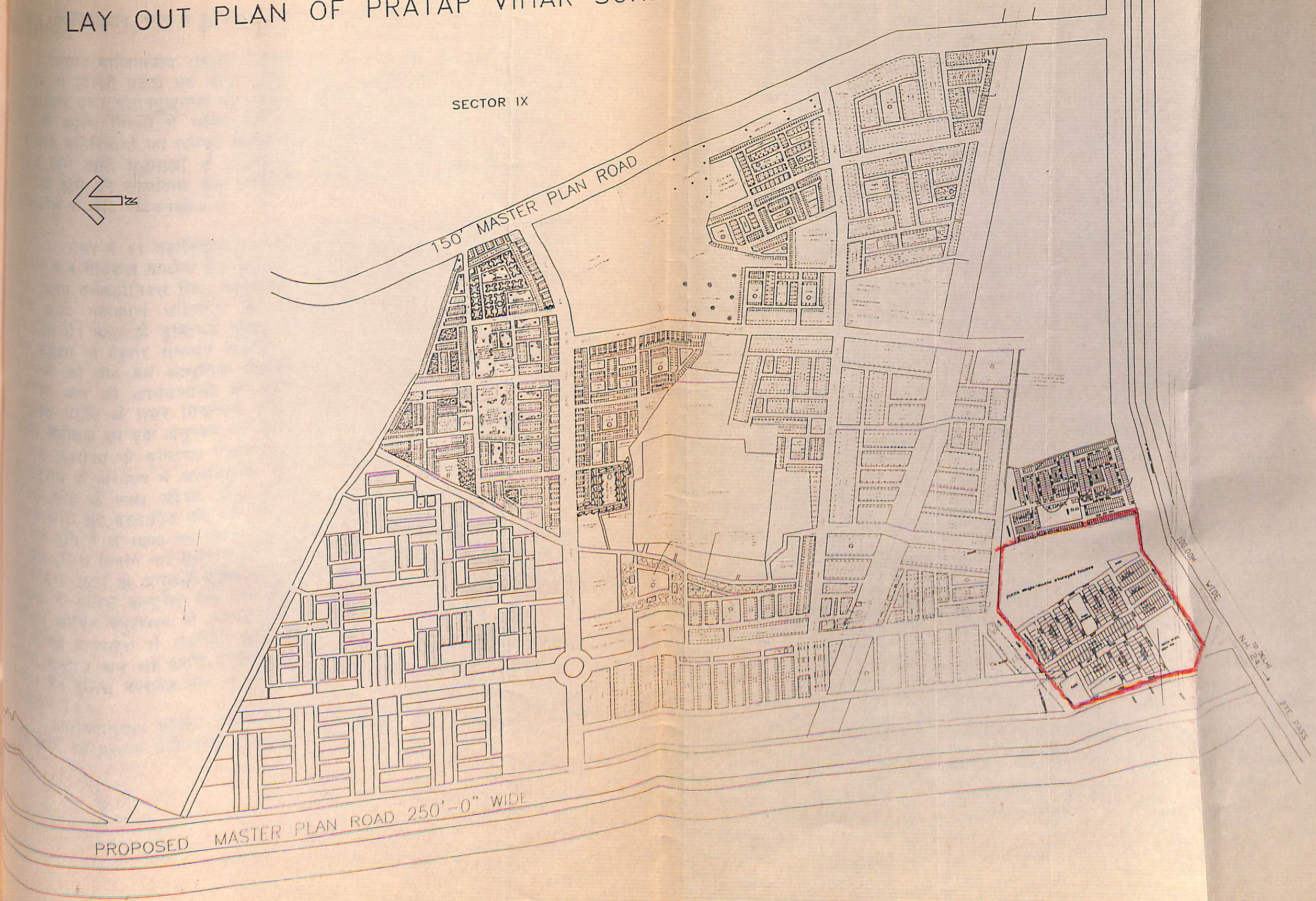

मद संख्या : 35

विषय : गाजियाबाद नगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना के संबंध में।

जनपद गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है तथा जनपद से दिल्ली प्रदेश एवं पॉच जनपद क्रमशः बागपत, मेरठ, ज्योतिबाफुलेनगर, बुलन्दशहर तथा गौतमबुद्धनगर की सीमाऐं मिलती है। दिल्ली का सीमावर्ती जनपद होने के कारण दिल्ली में घटित होने वाली राजनैतिक, साम्प्रदायिक, आतंकवादी एवं अन्य गतिविधियों का जनपद गाजियाबाद पर सीधा प्रभाव पड़ता है एवं वहॉ पर घटित होने वाली घटनाओं के कारण इस जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। यह अति संवेदनशील एवं साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है।

नगर में 11 महाविद्यालय, 2 पालिटैक्निक, 12 निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज व 4 मेडिकल कालेज है। जनपद में हिण्डन एयरफोर्स, सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि0, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि0, आरडीनेन्स फैक्ट्र मुरादनगर सेना का अस्त्र प्रजनन केन्द्र आदि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं। कामनवैल्थ गेम्स का आयोजन 2010 में प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एजेन्सीयों से सम्पर्क बनाये रखने हेतु एवं अन्य प्रदेशों से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एवं पुलिस कार्यप्रणाली में सूचनाओं को तीव्र एवं आधुनिक विधियों द्वारा आदान प्रदान तथा वर्तमान नगर नियन्त्रण कक्ष की कार्यप्रणाली को सुगम सुचारू एवं आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक पद्धति के नगर नियन्त्रण कक्ष की आवश्यकता है। उक्त कम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का एक अनुरोध पत्र दिनांक 16.05.08 भी प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत रखते हुए तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के अनुरोध के परिपेक्ष्य में अत्याधुनिक नगर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना हेतु हिण्डन तटबन्ध रोड के साथ जी.टी. रोड के निकट की भूमि महायोजना मानचित्र पर अंकित करते हुए प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि नगर निगम के भू–स्वामित्व की है। इस भूमि में से 1000 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम हेतु उ0 प्र0 पुलिस विभाग को हस्तानान्तरित की जानी होगी। इस भूमि का भू–उपयोग महायोजना–2021 के अनुसार हरित पट्टी है यद्यपि जोनिंग रेगुलेशन में उल्लेखित कियओं में पुलिस कन्ट्रोल रूम का उल्लेख नहीं है, अपितु वायरलैस केन्द्र की स्थापना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार हरित पट्टी में अनुमन्य है। पुलिस कन्ट्रोल रूम में भी वायरलैश से संबंधित उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है। अतः पुलिस कन्ट्रोल रूम को हरति पट्टी में अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जा सकता है। पुलिस कन्ट्रोल रूम के भवन का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार पुलिस नियन्त्रण कक्ष हरित पट्टी के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या : 35

विषय : गाजियाबाद नगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना के संबंध में।

जनपद गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है तथा जनपद से दिल्ली प्रदेश एवं पॉच जनपद क्रमशः बागपत, मेरठ, ज्योतिबाफुलेनगर, बुलन्दशहर तथा गौतमबुद्धनगर की सीमाऐं मिलती है। दिल्ली का सीमावर्ती जनपद होने के कारण दिल्ली में घटित होने वाली राजनैतिक, साम्प्रदायिक, आतंकवादी एवं अन्य गतिविधियों का जनपद गाजियाबाद पर सीधा प्रभाव पड़ता है एवं वहॉ पर घटित होने वाली घटनाओं के कारण इस जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। यह अति संवेदनशील एवं साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है।

नगर में 11 महाविद्यालय, 2 पालिटैक्निक, 12 निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज व 4 मेडिकल कालेज है। जनपद में हिण्डन एयरफोर्स, सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि0, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि0, आरडीनेन्स फैक्ट्र मुरादनगर सेना का अस्त्र प्रजनन केन्द्र आदि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं। कामनवैल्थ गेम्स का आयोजन 2010 में प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एजेन्सीयों से सम्पर्क बनाये रखने हेतु एवं अन्य प्रदेशों से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एवं पुलिस कार्यप्रणाली में सूचनाओं को तीव्र एवं आधुनिक विधियों द्वारा आदान प्रदान तथा वर्तमान नगर नियन्त्रण कक्ष की कार्यप्रणाली को सुगम सुचारू एवं आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक पद्धति के नगर नियन्त्रण कक्ष की आवश्यकता है। उक्त कम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का एक अनुरोध पत्र दिनांक 16.05.08 भी प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत रखते हुए तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के अनुरोध के परिपेक्ष्य में अत्याधुनिक नगर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना हेतु हिण्डन तटबन्ध रोड के साथ जी.टी. रोड के निकट की भूमि महायोजना मानचित्र पर अंकित करते हुए प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि नगर निगम के भू-स्वामित्व की है। इस भूमि में से 1000 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम हेतु उ0 प्र0 पुलिस विभाग को हस्तानान्तरित की जानी होगी। इस भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2021 के अनुसार हरित पट्टी है यद्यपि जोनिंग रेगुलेशन में उल्लेखित कियओं में पुलिस कन्ट्रोल रूम का उल्लेख नहीं है, अपितु वायरलैस केन्द्र की स्थापना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार हरित पट्टी में अनुमन्य है। पुलिस कन्ट्रोल रूम में भी वायरलैश से संबंधित उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है। अतः पुलिस कन्ट्रोल रूम को हरति पट्टी में अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जा सकता है। पुलिस कन्ट्रोल रूम के भवन का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार पुलिस नियन्त्रण कक्ष हरित पट्टी के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0 36

विषय: एक से अधिक भूखण्डों के अमलगमेशन हेतु नियमावली के सम्बन्ध में।

एक से अधिक भूखण्डों के अमलगमेशन के सम्बन्ध में गत बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव दिनांक 08.12.2007 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर नियम बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1720//वनि(1)/गाजियाबाद/07-08 दिनाक 28.01.2008 अमलगमेशन नियमावली प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गई है जिसमें निम्नानुसार नियमों को प्रतिपादित करने की संस्तुति की गयी है।

1. अमलगमेशन हेतु प्रस्तावित समस्त भूखण्ड एक ही भू-उपयोग के अन्तर्गत होने चाहिए, भिन्न प्रकृति के भू-उपयोगों के भूखण्डों का अमलगमेशन अनुमन्य नही होना चाहिए ।
2. अमलगमेशन हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का स्वामित्व एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में होना चाहिए ।
3. अमलगमेशन हेतु प्रस्तावित भूखण्डों में प्रत्येक भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होना चाहिए ।
4. अमलगमेशन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड को न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क से पहुँच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ।
5. विद्यमान सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होने पर भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर अनुमन्य होनी चाहिए । विद्यमान सडक की चौड़ाई 18 मीटर एवं उससे अधिक होने पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिले भवन निर्माण (डेन्सिटी/तल क्षेत्रफल) हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
6. अमलगमेशन अनुमन्य किये जाने की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या: 2438/9-आ-98-60 एल.यू.सी./96, दिनांक 13.10.1988 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अधीन प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर ले-आउट प्लान में संशोधन की कार्यवाही की जानी चाहिए । इस हेतु आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव

स्वीकृति के उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी स्थानीय समाचार पत्र मे प्रकाशित कराई जानी चाहिए ।

7. अमलगमेशन के परिणामस्वरूप सम्बन्धित भूखण्ड पर ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण यथास्थिति महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार ही अनुमन्य होना चाहिए ।

8. अमलगमेशन के उपरान्त सम्बन्धित भूखण्ड पर ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण के फलस्वरूप भूखण्डीय विकास की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर आवासीय इकाईयों की संख्या अधिक होगी अथवा कुल तल क्षेत्रफल अधिक होगा जिसके कारण विद्यमान, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ेगा, अतः अमलगमेशन हेतु वर्तमान दर पर आंकलित आंतरिक एवं वाह्य विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में आवेदक से लिया जाना चाहिए ।

9. अमलगमेशन हेतु आवेदक द्वारा सम्बन्धित भूमि के वर्तमान सैक्टर रेट/सर्किल रेट (जो भी लागू हों) के 5 प्रतिशत मूल्य के बराबर अमलगमेशन फीस देय होनी चाहिए ।

10. अमलगमेशन के उपरान्त समेकित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., पार्किंग, आदि की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण अनुमन्य होना चाहिए ।

अतः उपरोक्तानुक्रम में मै0 सुपरटैक लि0 के भूखण्ड संख्या- ई.डी. क्षेत्रफल 5303.80 वर्ग मीटर एवं खसरा नं0 1131मि0 क्षेत्रफल 1960 वर्ग मीटर है इस बड़े भूखण्ड पर पूर्व में ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। विकास कर्ता द्वारा इस भूखण्ड के पीछे की ओर रिक्त पड़ी 1960 वर्ग मीटर भूमि बाद में क्रय की गई है जिसके अमलगमेशन का प्रस्ताव गत बोर्ड बैठक दिनांक 08.12.2007 में रखा गया था । अमलगमेशन के प्रस्ताव पर एकरूपता के दृष्टिगत एक नियमावली तैयार करने हेतु सी0टी0सी0पी0 को निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में सी0टी0सी0पी0 का पत्र दिनांक 28.01.2008 प्रस्ताव के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है। इस नियमावली के अनुरूप मै0 सुपरटैक लि0 के उपरोक्त भूखण्डों में अमलगमेशन के प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है जिसे अमलगमेशन किये जाने पर विचार किया जा सकता है । अतः सी0टी0सी0पी0 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को नियमावली का रूप देते हुए एवं प्रश्नगत अमलगमेशन का प्रस्ताव को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

158

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

7, बन्दरियाबाग, लखनऊ–226001

दिनांकः 28 जनवरी, 2008

संख्याः 1720/वनि(1)/गाजियाबाद/07–08,

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः एक से अधिक भूखण्डों के 'अमालगमेशन' हेतु नियम/उपविधि बनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 8.12.2007 के कार्यवृत्त का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके मद संख्या–47 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 'अमालगमेशन' हेतु भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा विस्तृत परीक्षण कर नियम बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः 3001/9–आ–3–2001/19 विविध/2001, दिनांक 29 अगस्त, 2002 के अनुसार भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग अथवा बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नही है। विभिन्न नगरों में 'पोटेन्शियल लोकेशन्स' में ऐसी भूमि/भूखण्ड उपलब्ध हैं, जिन पर एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित निर्माण वित्तीय दृष्टि से 'वॉयबल' न होने के कारण उनका उपयोग नही हो पा रहा है। अतः ऐसी लोकेशन्स में यदि एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर बड़ा भूखण्ड पुनर्गठित किया जाता है, तो उक्त भूखण्ड के बढ़े हुए क्षेत्रफल के आधार पर भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के अनुसार निर्माण होने से भूमि का समुचित/इष्टतम उपयोग सम्भव हो सकेगा।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत नियोजन के दृष्टिकोण से भूखण्डों के 'अमालगमेशन' की अनुज्ञा सामान्य रूप से दिया जाना उचित नही है, बल्कि निम्न नियमों के अधीन दी जानी चाहिएः–

(I) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित समस्त भूखण्ड एक ही भू–उपयोग के अन्तर्गत होने चाहिए, भिन्न प्रकृति के भू–उपयोगों के भूखण्डों का 'अमालगमेशन' अनुमन्य नही होना चाहिए।

(II) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का स्वामित्व एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में होना चाहिए।

(III) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित भूखण्डों में प्रत्येक भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होना चाहिए।

(IV) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित भूखण्ड को न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क से पहुँच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(V) सड़क की विद्यमान चौड़ाई 12 मीटर होने पर भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर अनुमन्य होनी चाहिए। सड़क की विद्यमान चौड़ाई 18 मीटर एवं उससे अधिक होने पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिले भवन निर्माण की अनुमति अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर देय होनी चाहिए। विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित निर्माण (डेन्सिटी/तल क्षेत्रफल) हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें यथा–जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं।

(VI) 'अमालगमेशन' अनुमन्य किये जाने की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्याः 2438/9–आ–3–98–60 एल.यू.सी./96, दिनांक 13.10.1998 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अधीन प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर ले–आउट प्लान में संशोधन की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस हेतु आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने के लिए कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जानी चाहिए।

(VII) 'अमालगमेशन' के परिणामस्वरूप सम्बन्धित भूखण्ड पर ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण यथास्थिति महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग के अनुसार ही अनुमन्य होना चाहिए।

(VIII) 'अमालगमेशन' के उपरान्त सम्बन्धित भूखण्ड पर ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण के फलस्वरूप भूखण्डीय विकास की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर आवासीय इकाईयों की संख्या अधिक होगी अथवा कुल तल क्षेत्रफल अधिक होगा जिसके कारण विद्यमान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दवाब बढ़ेगा, अतः 'अमालगमेशन' हेतु वर्तमान दर पर आंकलित आंतरिक एवं वाह्य विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में आवेदक से लिया जाना चाहिए।

(IX) 'अमालगमेशन' हेतु आवेदक द्वारा सम्बन्धित भूमि के वर्तमान सेक्टर रेट/सर्किल रेट (जो भी लागू हों), के 5 प्रतिशत मूल्य के बराबर 'अमालगमेशन' फीस देय होनी चाहिए।

(X) 'अमालगमेशन' के उपरान्त समेकित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैक, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., पार्किंग, आदि की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण अनुमन्य होना चाहिए।

4. कृपया उपरोक्त नियमावली को प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत कर बोर्ड की संस्तुति शासन के अनुमोदनार्थ अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

28.1.08

(एन.आर. वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28.1.08

(एन.आर. वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

8/12/07 159

		संख्या 1541, 1542, 1543, 1565, 1569 व 1571 की भूमि पर इंजीनियरिंग कालेज (टैक्निलकल ऐजूकेशनल संस्थान) के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	
54–		इन्दिरापुरम योजना के न्याय खण्ड–1 के ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या इं0डी0 क्षेत्रफल 5303.80 वर्ग मीटर एवं खसरा नं0 1131 मि0 क्षेत्रफल 1960 वर्ग मीटर मकनपुर को आमेलन किये जाने के सम्बन्ध में ।	आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित ।

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(एस0 के0 द्विवेदी),
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(आर0 के0 सचान),
सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित
ह0/–
(शंकर अग्रवाल),
अध्यक्ष– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

8-12-2007

160

मद सं0 54

विषयः इन्दिरापुरम योजना के न्यायखण्ड--1 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 इं0डी0 क्षेत्रफल 5303.80 वर्ग मी0 एवं खसरा नं0 1131 मि0 क्षेत्रफल 1960 वर्ग मीटर मकनपुर को आमेलन किये जाने के सम्बंध में।

गाजियावाद विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित भूखण्ड सं0 ई.डी. न्यायखण्ड--1 इन्दिरापुरम क्षेत्रफल 5303.80 वर्ग मी0 ग्रुप आउसिंग हेतु मै0 सुपर टेक लि0 को आवंटित किया गया था। जिस पर दोनों भुखण्डों के आमेलन के पश्चात मै0 सुपरटेक लि0 द्वारा पूर्व में ग्रुप आउसिंग हेतु मानचित्र सं0 1503.80/टी0एच0ए0/जी0एम0/06 स्वीकृत कराया गया था। पक्ष द्वारा खसरा नं0 1131 मि ग्राम मकनपुर की ही क्षेत्रफल 1960 वर्ग मी0 भूमि निजी भूस्वामी से क्रय की गयी है जो अनियोजित इररेगुलर आकार एवं भूखण्ड सं0 ई0डी0 के साथ लगती है। जो संलग्न मानचित्र में अलग--अलग रंगों द्वारा दर्शायी गयी हैं। भूखण्ड सं0 ई0डी0 एवं खसरा नं0 1131मि मकनपुर के उचित नियोजन की दृष्टि से उपरोक्त आमेलन संयुक्त भूखण्ड पर सुनियोजित विकास हेतु उचित है। संयुक्त भूखण्ड पर भू-आच्छादन एफ0ए0आर0 एवं सैट बैंक नियमानुसार ही अनुमन्य किये जायेंगे। पूर्व में निर्धारित भूमि की सर्किल दरों पर 5 प्रतिशत आमेलन शुल्क एवम् विकास शुल्क आदि नियमानसुार पक्ष द्वारा देय होगा।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण की भूमि के साथ निजी भूमि के आमेलन पर शासन द्वारा पूर्व में ऐसे प्रकरण पर आमेलन किये जाने पर अनापत्ति दी गयी है तथा बोर्ड में रख कर निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः उक्तानुक्रम में ही उपरोक्त 5 प्रतिशत आमेलन शुल्क के साथ भूखण्ड-सं0 ई0डी0 न्याय खण्ड-1 इन्दिरापुरम एवं खसरा नं0 1131 मि0 के आमेलन किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संख्या–5823 / 8–3–2006–219एल.ए. / 2006

प्रेषक,

के.एल.मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10 नवम्बर, 2006

विषयः प्राधिकरण द्वारा नियोजित भूखण्ड संख्या–जी.एस.–5 अहिंसा खण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम के साथ खसरा नम्बर–526 / 1 ग्राम महीउद्दीनपुर, कनावनी की 11450 वर्ग मीटर भूमि का "एमलगमेशन" (Amalgamation) किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–759 / नियो.अनु. / 2006 दिनांक 7.11.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि अहिंसा खण्ड द्वितीय के ग्रुप–हाउसिंग भूखण्डों के पीछे की ओर केवल प्रश्नगत भूखण्ड को छोड़कर अवशेष भाग को नियोजित करते हुए उन पर ग्रुप–हाउसिंग के मानचित्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस भू–भाग को अनियोजित छोड दिया जाता है तो यहाँ पर अवैध निर्माणों की सम्भावना बनी रहेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर इस भूखण्ड के अतिरिक्त अन्य कोई पहुँच मार्ग भी नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत प्रश्नगत भूखण्डों के "एमलगमेशन" (Amalgamation) किये जाने में प्राधिकरण की संस्तुति के दृष्टिगत सिद्धान्ततः कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। यदि प्रश्नगत "एमलगमेशन" (Amalgamation) से प्राधिकरण की योजना के नियोजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उक्त भूखण्डों के "एमलगमेशन" (Amalgamation) के संबंध में नियमानुकूल निर्णय प्राधिकरण बोर्ड में रखकर लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.एल.मीना)
सचिव।

162

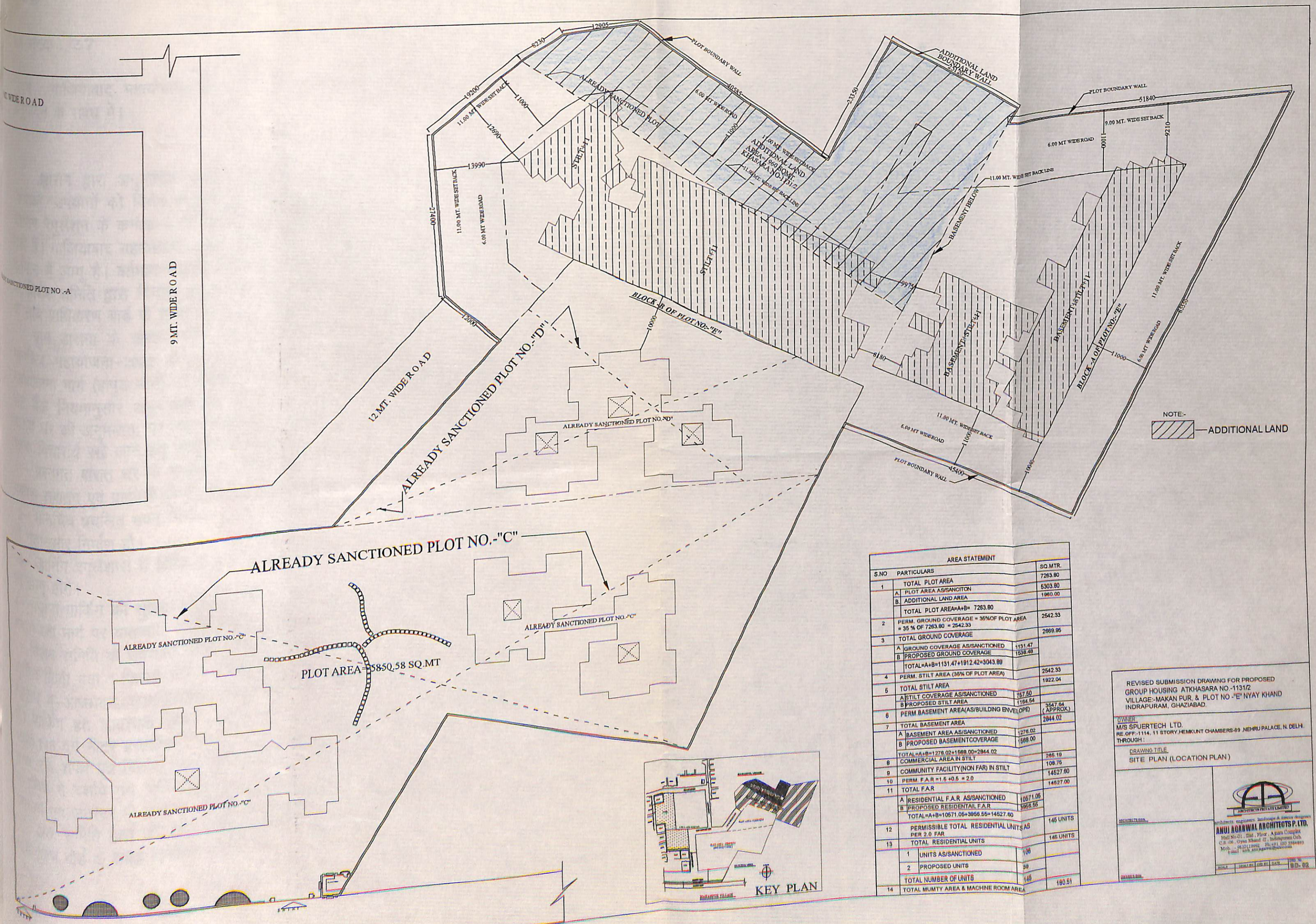

AREA STATEMENT				SQ.MTR.
S.NO	PARTICULARS			
1	TOTAL PLOT AREA			7263.80
	A.	PLOT AREA AS/SANCITON		5303.80
	B.	ADDITIONAL LAND AREA		1960.00
		TOTAL PLOT AREA=A+B= 7263.80		
2	PERM. GROUND COVERAGE = 35%OF PLOT AREA = 35 % OF 7263.80 = 2542.33			2542.33
3	TOTAL GROUND COVERAGE			2669.96
	A	GROUND COVERAGE AS/SANCTIONED	1131.47	
	B	PROPOSED GROUND COVERAGE	1538.49	
		TOTAL=A+B=1131.47+1912.42=3043.89		
4	PERM. STILT AREA (35% OF PLOT AREA)			2542.33
5	TOTAL STILT AREA			1922.04
	A	STILT COVERAGE AS/SANCTIONED	757.50	
	B	PROPOSED STILT AREA	1164.54	
6	PERM.BASEMENT AREA(AS/BUILDING ENVELOPE)			3547.64 (APPROX.)
7	TOTAL BASEMENT AREA			2844.02
	A	BASEMENT AREA AS/SANCTIONED	1276.02	
	B	PROPOSED BASEMENTCOVERAGE	1568.00	
		TOTAL=A+B=1276.02+1568.00=2844.02		
8	COMMERCIAL AREA IN STILT			285.19
9	COMMUNITY FACILITY(NON FAR) IN STILT			108.75
10	PERM. F.A.R =1.5 +0.5 = 2.0			14527.60
11	TOTAL F.A.R			14527.00
	A	RESIDENTIAL F.A.R AS/SANCTIONED	10571.05	
	B	PROPOSED RESIDENTAIL F.A.R	3956.55	
		TOTAL=A+B=10571.05+3956.55=14527.60		
12	PERMISSIBLE TOTAL RESIDENTIAL UNITS AS PER 2.0 FAR			145 UNITS
13	TOTAL RESIDENTIAL UNITS			145 UNITS
	1	UNITS AS/SANCTIONED	106	
	2	PROPOSED UNITS	39	
		TOTAL NUMBER OF UNITS	145	
14	TOTAL MUMTY AREA & MACHINE ROOM AREA			180.51

REVISED SUBMISSION DRAWING FOR PROPOSED GROUP HOUSING ATKHASARA NO.-1131/2 VILLAGE:-MAKAN PUR, & PLOT NO -"E" NYAY KHAND INDRAPURAM, GHAZIABAD.

OWNER :
M/S SPUERTECH LTD.
RE.OFF:-1114, 11 STORY,HEMKUNT CHAMBERS-89 ,NEHRU PALACE, N. DELHI.
THROUGH :

DRAWING TITLE
SITE PLAN (LOCATION PLAN)

ARCHITECTS SIGN.

OWNER'S SIGN.

ANUJ AGARWAL ARCHITECTS P. LTD.

SD- 02

मद संख्या : 37

विषय : गाजियाबाद महायोजना–2021 में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों के अनुमोदन के संबंध में।

शासन द्वारा अनुमोदित जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत प्रमुख भू–उपयोग में कतिपय क्रियाओं/उपयोगों को विशेष अनुमति से अनुमन्य की श्रेणी में रखा गया है। जिसके संबंध में जोनिंग रेगुलेशन के क्रमांक–4 में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षायें निर्धारित की गयी है। गाजियाबाद महायोजना–2021 शासन द्वारा दिनांक 14.06.05 में स्वीकृत की गयी है जो वर्तमान में लागू है। वर्तमान महायोजना के अनुसार भू–उपयोग के संबंध में प्राप्त निम्न प्रकरण पर विशेष समिति द्वारा दिनांक 30.08.2007 को जांचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर निम्न शर्तो के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है:–

ग्राम डासना के खसरा नम्बर 507 में बारात घर के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र महायोजना–2021 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग (हापुड मार्ग) पर स्थित है। प्रस्तुत मानचित्र हेतु भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0 एवं सेट बैंक नियमानुसार अनुमन्यता की सीमा के अन्तर्गत है। समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल पर बारात घर की अनुमन्यता पर गहन विचार विमर्श उपरान्त निम्न शर्तो के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु संस्तुति की गयी।

1– प्रश्नगत बारात घर के भूखण्ड के अगल–बगल के आवासीय प्रयोग के भूखण्डों/भवनों में प्रकाश संवातन एवं प्राईवेसी किसी भी दशा में प्रभावित न हो।

2– मानचित्र प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप तथा स्थल पर भी तदानुसार निर्माण हो।

3– जोनिंग रेगूलेशन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाओं से संबंधित प्रतिबन्ध भी लागू होंगे।

4– पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता पर भी विचार कर लिया जाये। जिससे 45 मीटर चौडे महायेजना मार्ग पर यातायात बाधित न हो एवं पार्किंग सुविधा का क्षेत्रफल भी बढाया जाये।

विशेष समिति के उपरोक्त निर्णय से आवेदक को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 04.10.07 द्वारा सूचित किया गया । जिसके प्रति उत्तर में आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमें भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0 एवं सेट बैंक नियमानुसार अनुमन्यता की सीमा के अन्तर्गत है। पार्किंग हंत आवश्यक क्षेत्रफल 358.58 वर्ग मीटर के सापेक्ष पार्किंग का क्षेत्रफल बढाकर 1624.148 वर्ग मीटर प्रस्तावित किया गया है। जैसा कि संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित है। आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र दिनांक 15.11.2007 भी दिया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मानचित्र में दर्शाये गये पार्किंग क्षेत्रफल के अनुसार ही स्थल पर पार्किंग का प्राविधान किया जायेगा एवं जनरेटर भी साउण्ड प्रूफ लगाया जायेगा।

अतः समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत संशोधित मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

गाजियाबाद महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अर्न्तगत विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के प्रकरण पर विचार हेतु दिनांक 30.8.2007 को सम्पन्न समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1. श्री एस0के0जमान, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक जी0डी0ए0
2. श्री विजेन्द्र विकमादित्य अधीक्षण, अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
3. श्री आर0पी0पाण्डेय विशेषाधिकारी, जी0डी0ए0
4. श्री राजेश नाथ मिश्र सहयुक्त नियोजक, एन0सी0आर0 नियोजन सैल,गाजियाबाद
5. श्री एस0के0गौतम नगर नियोजक, जी0डी0ए0
6. श्री एन0के0भाटिया सहायक अभियंता, जी0डी0ए0

दिनांक 30.8.2007 को गाजियाबाद महायोजना–2021 के अर्न्तगत जोनिंग रेगुलेशन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं की अनुमन्यता के प्रकरण पर आहूत बैठक में प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि श्री संजीव मलिक व अनिता मलिक द्वारा ग्राम डासना, के खसरा संख्या–507 में बारातघर के निर्माण की स्वीकृति हेतु भवन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद महायोजना–2021 के अनुसार उक्त भू–खण्ड आवासीय भू–उपयोग के अर्न्तगत स्थित है। प्रश्नगत भू–खण्ड संख्या–507 का क्षेत्रफल 2254.00 वर्गमीटर है, जो 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग (हापुड मार्ग)पर स्थित है। मार्गाधिकार से प्रभावित क्षेत्रफल 166.03 वर्गमीटर को घटाने के उपरान्त भू–खण्ड का क्षेत्रफल 2087.97 वर्गमीटर शेष रहता है। प्रस्तुत मानचित्र हेतु भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं सैटबैक्स नियमानुसार अनुमन्यता की सीमा के अर्न्तगत हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा संलग्न किये गये विवरण में अंकित है। समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल पर बारातघर की अनुमन्यता पर गहन विचार–विमर्श कर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमन्यता प्रदान करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया :–

1. प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कराया जाना होगा कि प्रश्नगत बारातघर के भू–खण्ड के अगल–बगल के आवासीय प्रयोग के भू–खण्डों/भवनों में प्रकाश, संवातन एवं प्राइवेसी किसी भी दशा में प्रभावित न हो।
2. प्रश्नगत बारातघर अनुमन्य किये जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुरूप हो तथा स्थल पर भी तदानुसार निर्माण हो।
3. गाजियाबाद महायोजना–2021 के प्रतिवेदन में वर्णित जोनिंग रेगुलेशन्स मे विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाओं से संबंधित प्रतिबन्ध भी लागू होंगे।
4. बारातघर की आवश्यकतानुसार पर्याप्त पार्किंग की सुविधा की उपलब्धता पर भी प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया जाये, जिससे 45 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग पर यातायात बाधित न हो ।

उपरोक्त के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड विचार करना चाहे।

पार्किंग सुविधा का क्षेत्रफल (Space) बढ़वाये जाने पर विचार किया जावे

30/8/07
(राजेश नाथ मिश्र)
सहयुक्त नियोजक
एन0सी0आर0 सैल,
गाजियाबाद।

(विजेन्द्र विकमादित्य)
अधीक्षण अभियंता
उ0प्र0, जल निगम
गाजियाबाद।

(आर0पी0 पाण्डेय)
विशेषाधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

165

संख्या: 5451/9–आ–1–29विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

श्री जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 28 नवम्बर, 2002

आवास अनुभाग–1

विषय: 'बारात घर'/'उत्सव भवन' के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

आप अवगत हैं कि 'बारात घर'/'उत्सव भवन' एक महत्वपूर्ण जन सुविधा है जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहों के लिए किया जाता है। परन्तु आवासीय क्षेत्रों के नियोजन में इस जन सुविधा की लम्बे समय से उपेक्षा के कारण जनता को वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बहुधा सड़कों अथवा पार्कों का उपयोग करने पर विवश होना पड़ता है जिसके फलस्वरूप आस–पास के क्षेत्र में यातायात प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है तथा जन–सामान्य को अन्य असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। 'बारात घर'/'उत्सव भवन' की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में प्राविधान न होने के कारण आवासीय क्षेत्रों में 'बारात घर' की अनुज्ञा प्रदान करने में विकास प्राधिकरणों को भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त नए आवासीय क्षेत्रों तथा पूर्व विकसित कालोनियों में 'बारात घर'/'उत्सव भवन' के निर्माण की अनुज्ञा निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ दिए जाने का निर्णय लिया गया है :–

2.1 अनुमन्यता :
'बारात घर'/'उत्सव भवन' का निर्माण महायोजनान्तर्गत सामान्यतः सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं उपयोग में आमन्य होगा जबकि 'व्यवसायिक' उपयोग में न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर तथा निर्मित क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, लघु एवं मध्यम उद्योग भू–उपयोगों में विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आऊट प्लान में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित/आरक्षित स्थलों पर भी अनुमन्य होगा। भवन का मानचित्र बात घर/उत्सव भवन के प्रयोजनार्थ अभिकल्पित एवं स्वीकृत होना भी अनिवार्य है।

2.2	भूखण्ड का क्षेत्रफल :	
	(क) आवासीय क्षेत्र में	: 1500 वर्ग मीटर
	(ख) अन्यत्र अनुमन्य क्षेत्रों में	: 2000 वर्ग मीटर
2.3	भूखण्ड का न्यूनतम फ्रंटेज	: 24 मीटर
2.4	सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	: 18 मीटर
2.5	अधिकतम भू–आच्छादन	: 30 प्रतिशत
2.6	अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.)	: 1.00
2.7	भवन की अधिकतम ऊँचाई	: 15 मीटर
2.8	सैट बैक	: 'बारात घर'/'उत्सव भव' पृथकीकृत (detached) भवन के रूप में होगा तथा

भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सैट–बैक निम्नानुसार होंगे:–

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम सैट–बैक (मीटर में)			
	अग्र	पृष्ठ	साईड–1	साईड–2
▪ 2000 तक	12	4.5	4.5	3
▪ 2000 से अधिक	12	5	5	5

2.9 पार्किंग :

प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.25 कार पार्किंग स्थल जिसका क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर होगा, की व्यवस्था भूखण्ड के अन्दर करनी होगी। 'ड्राइव–वे' तथा वाहनों के मुड़ने हेतु अतिरिक्त स्थल का प्रावधान करना होगा।

2.10 बेसमेन्ट :

'बिल्डिंग इन्वेलप लाईन' (सैट–बैक लाईन के अन्तर्गत) के बराबर अथवा भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत दोनों में जो भी कम हो, पर बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा जिसे पार्किंग एवं सर्विसेज, आदि के उपयोग में लाए जाने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी।

2.11 अनुज्ञा की प्रक्रिया :

नई योजनाओं/अनुमोदित होने वाले ले–आउट प्लान्स में बारात घर/'उत्सव भवन' हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार पहले ही अपेक्षित संख्या में भूखण्डों का चिन्हीकरण किया जाएगा और बारात घर के निर्माण की अनुज्ञा केवल इस प्रयोजन हेतु चिन्हित/आरक्षित भूखण्डो पर ही दी जाएगी। विद्यमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यम से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति/ निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी तथा बारात घर/उत्सव भवन अनुमन्य किए जाने पर आवेदक से आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रभाव शुल्क (Impact Fees) भी लिया जाएगा।

3. कृपया उपर्युक्त मानकों के अंगीकरण का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित कराने के उपरान्त शासन के अनुमोदनार्थ यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ओ. एस. गिल)
सचिव

संख्या 545/(1)/9–आ–1–29विविध/98 (आ.)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा. आवास एवं नगर विकास मंत्री उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
3. अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, यू.पी.आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन।
6. आवास निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

मद संख्या : 38

विषय: गजानन एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम कुशलिया के खसरा सं0 1541, 1542, 1543, 1565, 1569 व 1571 की भूमि पर इंजीनियरिंग कॉलेज (टैक्नीकल एजूकेशनल संस्थान) के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

शासन द्वारा अनुमोदित जोनिंग रेगूलेशन के अंर्तगत प्रमुख भू–उपयोगों में कतिपय क्रियाओं/उपयोगों को विशेष अनुमति से अनुमन्य की श्रेणी में रखा गया है। जिसके सम्बन्ध में जोनिंग रेगूलेशन में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओ हेतु अपेक्षाएँ निर्धारित की गई है। गाजियाबाद महायोजना 2021 शासन द्वारा दि0 14.07.2005 को स्वीकृत की गई है। जो वर्तमान में लागू है। वर्तमान महायोजना के अनुसार भू–उपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तुत प्रकरण पर विशेष समिति द्वारा दिनांक 7.12.07 को जॉचोपरान्त शर्तो के साथ उपयुक्त पाये जाने पर प्राधिकरण बोर्ड के विचार हेतु संस्तुत किया गया है।

तदनुक्रम में गजानन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम कुशलिया गाजियाबाद के खसरा सं0 1541, 1542, 1543, 1565, 1569 व 1571 की भूमि पर इन्जीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र का प्रकरण पूर्व बोर्ड बैठक दि0 8.12.07 में विचारार्थ रखा गया था जिसे बोर्ड द्वारा औपचारिकता में पूर्ण न होने के कारण आगामी बोर्ड बैठक मे रखने हेतु स्थगित कर दिया गया।

भू–अर्जन अनुभाग की आख्या दिनांक 27.11.07 के अनुसार संदर्भित भूमि का क्षे0 49680 वर्गमी0 है जिस पर संस्था का स्वामित्व है। उक्त भूमि का अर्जन प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

संदर्भित भूमि का भू–उपयोग महायोजना 2021 के अनुसार कृषि प्रदर्शित है। उक्त भू–उपयोग में जोनिंग रेगूलेशन के प्राविधानों के अनुसार इन्जीनियरिंग कॉलेज (टैक्नीकल एजुकेशनल संस्थान) विशेष अनुमति से अनुमन्य की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। उपरोक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत भू–आच्छादन 10 प्रतिशत एवं एफ0ए0आर0 0.15 अनुमन्य है। आवेदक संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार ही भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0 व सैट बैक, नियमानुसार अनुमन्यता की सीमा के अन्तर्गत रखते हुए ही मानचित्र प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त क्रम में विशेषसमिति की बैठक दि0 7.12.2007 में जांचोपरान्त इन्जीनियरिंग कॉलेज की अनुमन्यता पर गहन विचार विमर्श उपरान्त निम्न शर्तो के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु संस्तुति की गयी है :–

1– प्रस्तावित स्थल गंगाजल परियोजना जल संयन्त्र हेतु बनाये गये मार्ग पर स्थित है। यह मार्ग जी. डी.ए. द्वारा वित्त पोषित है। अतः नियमानुसार इसका कनैक्टिविटी चार्ज लिये जायेंगे तथा जलनिगम से उक्त भाग को प्रयोग करने की अनापत्ति भी प्राप्त करनी होगी। इस मार्ग की चौडाई 15 मी0 उपलब्ध है।

2– आवेदकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु नियमानुसार समस्त आधारभूत अवस्थापना सुविधायें यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, खुले स्थान तथा पार्किंग आदि की व्यवस्था स्वयं की जायेगी, विद्युत आपूर्ति हेतु यू.पी.पी.सी.एल. से विद्युत कनेक्शन ले लिया गया है, इसके अतिरिक्त जनरेटर्स आदि की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

3– किसी भी प्रमुख जोन मे विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सैट बैक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि, भविष्य में मार्ग विस्तार/पार्किंग, इत्यादि हेतु आवश्यकता पडने पर प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

4– कृषि भू–उपयोग मे नियमानुसार अनुमन्य भू–आच्छादन 10 प्रतिशत एवं एफ0ए0आर0 0.15 ही देय होगा।

विशेष समिति के उपरोक्त निर्णय के क्रम में आवेदक संस्था द्वारा शपथ–पत्र दिया गया है कि वे समिति की उपरोक्त समस्त शर्तो का अनुपालन करेगें तथा विभिन्न विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगें।

भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0 व सैट बैक नियमानुसार अनुमन्यता की सीमा के अन्तर्गत है। पार्किंग हेतु न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पार्किंग हेतु प्रस्तावित किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार मानचित्र में दर्शाये गये पार्किंग के क्षेत्रफल अनुसार ही स्थल पर पार्किंग का प्राविधान किया जायेगा तथा जनरेटर भी साउन्डप्रूफ लगाया जायेगा।

वर्तमान में स्थल पर संस्था द्वारा कुछ निर्माण कार्य कर लिये गये है जो अनुमन्य सीमान्तर्गत है तथा शमन को परिधि में आते है।

अतः समिति द्वारा की गई संस्तुति के परिपेक्ष्य में गजानन एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम कुशलिया के खसरा सं0 1541, 1542, 1543, 1565, 1569 व 1571 की भूमि पर इन्जीनियरिंग कॉलेज (टैक्नीकल एजुकेशनल संस्थान) के निर्माण हेतु मानचित्र, शमन सहित स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0– 39

विषयः वैशाली योजना में ग्रुप हाऊसिग के भूखण्ड सं0–7 सेक्टर–3 पर 2.5 एफ.ए. आर. अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की वैशाली आवासीय योजना में 30 मी0 चौडी सडक पर दोनो ओर लगभग एक–एक एकड क्षेत्रफल के भूखण्ड ग्रुप हाऊसिंग के नियोजित है। पूर्व में इन सभी भूखण्डो को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से 2.5 एफ.ए.आर.निर्धारित किया गया था। उसके बाद शासन स्तर से एक शासनादेश सं0–1831/9–आ–3–2001(अ.ब. विशिष्ठ/02) दिनांक–15.5.02 जारी किया गया था जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि अवस्थापना सुविधाओ की विशिष्टियॉ का अभिकल्पन 2.5 एफ.ए.आर. के सापेक्ष होने के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र संस्था (यथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद) से ऑकलन कराने के उपरान्त बोर्ड मे रखकर निर्णय लिया जा सकता है।

इसी कम मे एक बिल्डर श्री राकेश चावला ने प्राधिकरण से भूखण्ड सं0–7 सेक्टर–3, वैशाली योजना में नीलामी के माध्यम से कय किया गया था। प्रश्नागत भूखण्ड पर 1.5+0.5(कय योग्य एफ.ए.आर.) पर मानचित्रों की स्वीकृति दी गयी है। वर्तमान में स्थल पर निर्माण कार्य जारी है। आवेदक द्वारा अन्य भूखण्ड स्वामियो को 2.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य किये जाने के संदर्भ में ही अपने भूखण्ड पर भी 2.5 एफ.ए. आर. अनुमन्य किये जाने की प्रार्थना की गयी है। पूर्व में इस मार्ग पर स्थित अन्य भूखण्ड पर 2.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य किया गया है तथा इसी मार्ग पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अन्य प्रकरणो में 2.5 एफ.ए.आर. हेतु अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता का प्रमाण पत्र भी दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुकम में भूखण्ड सं0–7 सेक्टर–3 पर 2.5 एफ.ए.आर की अनुमति का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जा सकता है कि नियमानुसार 0.5एफ.ए.आर कय किये जाने हेतु शासनादेशानुसार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से मानचित्रो की स्वीकृति से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0 40

विषय :– श्री दिगम्बर जैन सोसाईटी द्वारा वैशाली योजना के भूखण्ड संख्या–2 सेक्टर 1, वैशाली में स्कूल के भूखण्ड के साथ लगी सामुदायिक केन्द हेतु आरक्षित भूमि में से भूमि के आवंटन के सम्बंध में।

प्राधिकरण की वैशाली आवासीय योजना के अर्न्तगत पूर्व में दिगम्बर जैन सोसाईटी को एक भूखण्ड संख्या–2 का आवंटन स्कूल हेतु किया गया था। यह स्कूल वैशाली योजनाके ले–आउट प्लान में समूदायिक सुविधाओं हेतु नियोजित भूमि पर स्थित है। सोसाईटी को भूखण्ड आवंटन के पश्चात जो भूमि शेष बची थी, उस पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया गया है। संस्था के प्रेसीडेन्ट श्री एस.डी. जैन द्वारा स्कूल को सीनियर सैकेन्डरी लेविल तक अपग्रेडेशन/एक्सटेंशन करने हेतु समीप की सामुदायिक सुविधओं की भूमि में से 3000 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन की मॉग की है। मान्यवर काशीराम जी योजना के अन्तर्गत 200 व्यक्तियों के लिए समुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु न्यूनतम 1500 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल की आवश्यकता आंकलित की गयी है। वर्तमान में समुदायिक केन्द्र लगभग 7629.00 वर्ग मीटर भूमि पर बना है। यदि उक्त भूमि में से इन्हे 3000 वर्ग मीटर भूमि आवन्टित करने का निर्णय लिया जाता है तो सामुदायिक केन्द्र हेतु केवल 4629.00 वर्ग मीटर भूमि ही अवशेष रह जाती है। जैसा कि मानचित्र में प्रदर्शित है।

अतः उपरोक्तानुकम में सामुदायिक केन्द्र हेतु आरक्षित 7629.00 वर्ग मीटर भूमि में से 3000 वर्ग मीटर भूमि श्री दिगम्बर जैन सोसाईटी द्वारा संचालित मोर्डन स्कूल को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या : 41

विषय : **संजयनगर योजना के अन्तर्गत बस टर्मिनल/टैक्सी स्टैण्ड हेतु 7.5 मी0 चौडी पहुँच मार्ग को 12.00 मी0 किये जाने के सम्बन्ध में**

संजयनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत बस टर्मिनल हेतु नियोजित भूमि में से मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 सी0एन0जी0 फिलिग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 1485.00 वर्ग0मी0 भूमि आवंटित किये जाने का एक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड दिनांक 22.1.07 में रखा गया था, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया था उक्त प्रकरण में दो आपत्तियॉ प्राप्त हुई थी।

उक्त कम में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु उपाध्यक्ष द्वारा गठित समिति की दिनॉक 07.09.07 को बैठक आहुत की गयी जिसकी सूचना आपत्ति कर्ताओ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 271/नियो.अनु./07 व 272 दिनॉक 03.09.07 के माध्यम से दी गयी थी। उक्त बैठक में कोई भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही हुआ। समिति द्वारा उक्त आपत्तियों को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया एवं सम्यक विचार विमर्श उपरान्त आपत्तियॉ निक्षेपित कर दी गयी। स्थलानुसार अभियन्त्रण खण्ड से प्राप्त मापो के अनुसार बस टर्मिनल की भूमि में से सी0एन0जी0 आउट लेट हेतु 1480.7 वर्ग मीटर नियोजित करने पर पूर्व नियोजित बस टर्मिनल के लिए पहुँच मार्ग मात्र 7.50 मीटर चौडा रह जाता है जो कि आवगामन एवं मानको की दृष्टि से पर्याप्त सुविधा जनक नही है। इसलिए इस मार्ग को 7.50 मीटर से बढाकर 12.00 मीटर करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी स्थल के निकट नियोजित पेट्रोल पम्प भूखण्ड के पीछे विद्युत सब-स्टेशन भूखण्ड नियोजित है चूँकि पेट्रोल पम्प के निकट ही सी0एन0जी0 आउट-लैट का भूखण्ड नियोजित किया गया इसलिए सुरक्षा एवं नियोजन की दृष्टि से विद्युत सब-स्टेशन पर उचित प्रतीत नही होता है इसलिए विद्युत सब-स्टेशन के स्थान पर इस भूखण्ड का भू-उपयोग व्यवसायिक किया जाना उचित प्रतीत होता है उक्त के संबंध में भू-उपयोग की सम्पूर्ण प्रकिया नियमानुसार अपनायी जानी होगी। उक्त संशोधन करने से अन्य सम्पत्तियो एवं सुविधाओ पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा, अपितु जन सामान्य को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

अतः उपरोक्तानुसार संजयनगर योजना के अन्तर्गत बस टर्मिनल हेतु 7.50 मी0 चौडी पहुँच मार्ग को 12.00 को चौडा किये जाने तथा विद्युत सब-स्टेशन के भू-उपयोग को व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या : 42

विषय: **अम्बेडकर रोड (महायोजना मार्ग) की चौड़ाई पूर्व में लागू महायोजनाओं के अनुरूप दर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।**

गाजियाबाद की प्रथम महायोजना वर्ष 1962 में लागू की गयी थी। महायोजना लागू करते समय अम्बेडकर मार्ग की चौड़ाई मेरठ रोड तिराहे से चौधरी मोड तिराहे तक दो भागों में निर्धारित की गई थी। जो कि मेरठ रोड तिराहे से कालका गढी मार्ग तक 30 मीटर व कालका गढी चौराहे से चौधरी मोड चौराहे तक 24 मी. निर्धारित की गयी थी। महायोजना 1962 व महायोजना 2001 तक इस मार्ग की चौड़ाई उपरोक्तानुसार निर्धारित थी।

इस मार्ग पर प्राधिकरण की योजना, अम्बेडकर रोड, पटेलनगर, लोहियानगर, नेहरूनगर, अतिरिक्त सिहानी गेट स्थित है जो कि प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है इस मार्ग पर समस्त भवनों का निर्माण पूर्व में स्वीकृत महायोजनाओं पर ही आधारित है तथा उपरोक्त योजनाओं के तलपट मानचित्र भी इसी आधार पर स्वीकृत किये गये हैं तदनुसार से भवन मानचित्रों की स्वीकृतियाँ भी की गयी है।

महायोजना 2021 में अम्बेडकर रोड की चौड़ाई 45 मीटर दर्शित होने के कारण इस मार्ग पर स्थित समस्त भवनों के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र व वर्तमान में प्रस्तुत मानचित्रों की स्वीकृति प्रभावित हो रही है तथा इस मार्ग पर प्रस्तावित कई मानचित्र लम्बित पड़े हैं महायोजना-2021 लागू करते समय स्पष्ट उल्लेख किया गया था ''किसी मार्ग की चौड़ाई घटाई नहीं गयी है, तथा यथावत रखी गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में महायोजना मार्ग की चौड़ाई पूर्व लागू महायोजनाओं एवं स्वीकृत तलपट मानचित्रों को दृष्टिगत रखते हुए मेरठ रोड तिराहे से कालका गढ़ी चौराहे तक 30 मीटर तथा कालका गढ़ी चौराहे से चौधरी मोड़ तक 24 मीटर पूर्व की भांति दर्शित किये जाने के फलस्वरूप गाजियाबाद महायोजना-2021 के मानचित्र में यथोचित संशोधन किया जाना होगा। बोर्ड के अनुमोदनोपरांत जनता से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अतः अम्बेडकर मार्ग की चौड़ाई उपरोक्तानुसार पूर्व में लागू महायोजना के अनुरूप दर्शित किये जाने के फलस्वरूप गाजियाबाद महायोजना-2021 के मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

J.E. A.E.

मद संख्या : 42

विषय: **अम्बेडकर रोड (महायोजना मार्ग) की चौड़ाई पूर्व में लागू महायोजनाओं के अनुरूप दर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।**

गाजियाबाद की प्रथम महायोजना वर्ष 1962 में लागू की गयी थी। महायोजना लागू करते समय अम्बेडकर मार्ग की चौड़ाई मेरठ रोड तिराहे से चौधरी मोड तिराहे तक दो भागों में निर्धारित की गई थी। जो कि मेरठ रोड तिराहे से कालका गढी मार्ग तक 30 मीटर व कालका गढी चौराहे से चौधरी मोड चौराहे तक 24 मी. निर्धारित की गयी थी। महायोजना 1962 व महायोजना 2001 तक इस मार्ग की चौड़ाई उपरोक्तानुसार निर्धारित थी।

इस मार्ग पर प्राधिकरण की योजना, अम्बेडकर रोड, पटेलनगर, लोहियानगर, नेहरूनगर, अतिरिक्त सिहानी गेट स्थित है जो कि प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है इस मार्ग पर समस्त भवनों का निर्माण पूर्व में स्वीकृत महायोजनाओं पर ही आधारित है तथा उपरोक्त योजनाओं के तलपट मानचित्र भी इसी आधार पर स्वीकृत किये गये हैं तदनुसार से भवन मानचित्रों की स्वीकृतियाँ भी की गयी है।

महायोजना 2021 में अम्बेडकर रोड की चौड़ाई 45 मीटर दर्शित होने के कारण इस मार्ग पर स्थित समस्त भवनों के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र व वर्तमान में प्रस्तुत मानचित्रों की स्वीकृति प्रभावित हो रही है तथा इस मार्ग पर प्रस्तावित कई मानचित्र लम्बित पड़े हैं महायोजना-2021 लागू करते समय स्पष्ट उल्लेख किया गया था "किसी मार्ग की चौड़ाई घटाई नहीं गयी है, तथा यथावत रखी गयी है।

अत: उपरोक्त के क्रम में महायोजना मार्ग की चौड़ाई पूर्व लागू महायोजनाओं एवं स्वीकृत तलपट मानचित्रों को दृष्टिगत रखते हुए मेरठ रोड तिराहे से कालका गढ़ी चौराहे तक 30 मीटर तथा कालका गढ़ी चौराहे से चौधरी मोड़ तक 24 मीटर पूर्व की भांति दर्शित किये जाने के फलस्वरूप गाजियाबाद महायोजना-2021 के मानचित्र में यथोचित संशोधन किया जाना होगा। बोर्ड के अनुमोदनोपरांत जनता से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अत: अम्बेडकर मार्ग की चौड़ाई उपरोक्तानुसार पूर्व में लागू महायोजना के अनुरूप दर्शित किये जाने के फलस्वरूप गाजियाबाद महायोजना-2021 के मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

J.E. A.E.

मद स0 43

विषय : श्री रोहित कुमार, अवर अभियन्ता की माता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक।

श्री रोहित कुमार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से कार्यरत हैं । इनकी माता श्रीमती पुष्पलता को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके कारण इनका ईलाज गणेश हास्पिटल नेहरूनगर में चल रहा था तथा डाक्टर की सलाह पर इन्हें फोर्टिस हास्पिटल में ले जाना पड़ा । इनके द्वारा उनके ईलाज पर कुल रू0 7,01,836.00 व्यय किया गया, जिसका भुगतान प्राधिकरण से किये जाने का अनुरोध किया गया है । इनके द्वारा भेजे गये बिल रू0 7,01,836.00 को सत्यापन हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नियुक्त डा0 संजीव अग्रवाल को भेजा गया था । डा0 अग्रवाल द्वारा भेजे गये बिल रू 7,01,836.00 के विरूद्ध रू0 3,11,464.00 को भुगतान योग्य पाया गया है । प्राधिकरण की पूर्व बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मात्र रू0 2,50,000--00 तक के मेडिकल बिलों का भुगतान का अधिकार उपाध्यक्ष को है तथा इससे अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया जाना है ।

अतः श्री रोहित कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत उनकी माता के ईलाज से सम्बन्धित मेडिकल बिल रू0 3,11464.00 का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं०-44

प्रस्तावः–प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये जाने वाली शैक्षिक उपयोग के भूखण्डों में, प्रवेश हेतु प्राधिकरण स्टाफ का कोटा निर्धारित किये जाने एवं फीस में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को रियायती दरों पर भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। प्रायः यह देखने में आया है कि स्थानांतरण के पश्चात तैनात स्टाफ द्वारा उक्त शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों के प्रवेश के समय बहुत कठिनाई का अनुभव किया जाता है। शैक्षिक सत्र के मध्य हुए स्थानांतरण के प्रकरण में यह स्थिति और विषम हो जाती है। समस्या के समाधान के दृष्टिगत प्राधिकरण स्टाफ द्वारा इन शैक्षिक उपयोग के भूखण्डों के आवंटन की शर्तों में प्रवेश के समय प्राधिकरण का कोटा निर्धारित किये जाने एवं फीस में छूट की मांग का समावेश करने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है। स्टाफ की यह मांग व्यवहारिक एवं विचारणीय है।

अतः प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर शैक्षणिक संस्थाओं को आवंटित भूखण्डों में प्रवेश के समय 5 प्रतिशत कोटा निर्धारित किये जाने तथा फीस में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने की शर्त का समावेश प्राधिकरण की आवंटन नियमावली में किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः– 45

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात अभियन्ताओं को लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 द्वारा शासनादेश संख्या–3892/आठ–1–06–505 एबी/06 दिनांक 21.06.06 के द्वारा मैसर्स बिरला सॉफ्ट लि0 द्वारा विकास प्राधिकरणों के लिए विकसित किये गये इन्टीग्रेटिड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज (आई0ए0एस0पी0) के इम्पलिमेन्टेशन हेतु निर्देश दिये गये हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तत्कम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेट वर्किंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्तमान में मैसर्स बिरला सॉफ्ट लि0 द्वारा अभियन्ताओं को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य प्रगति पर है। अवर अभियन्ताओं द्वारा प्राप्त किये जा रहे प्रशिक्षण का प्राधिकरण हित में उपयोग करने की दृष्टि से उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा मांग की गई है कि सभी कार्यरत अभियन्ताओं को लैप टॉप (कम्प्यूटर) उपलब्ध कराये जाये। प्राधिकरण पर पूर्ण वित्तीय भार न पड़े इसको देखते हुए कम्प्यूटर के मूल्य के 25 प्रतिशत सब्सिडी प्राधिकरण द्वारा वहन करते हुए अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा वहन की जायेगी। यह 75 प्रतिशत धनराशि लाभान्वित होने वाले अभियन्ता ब्याज रहित मासिक किश्त के रूप में भुगतान करने, जिसकी कटौती अधिकतम रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से उनके वेतन से प्राधिकरण द्वारा काटने हेतु अभियन्ता संघ द्वारा अनुरोध किया गया है।

अतः कार्य में गुणवत्ता लाने, सूचनाओं का संकलन करने, ड्राइंग व डिजाइन तैयार करने में सुगमता लाने, समयबद्ध कार्यो का समय सीमा में सम्पादन कराने, कार्यो की प्रगति/सूचनाएं एक हीं पटल से उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं को लैपटॉप उपलबध कराने, जिसके मूल्य की 25 प्रतिशत सब्सिडी प्राधिकरण द्वारा देते हुए अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि की वसूली लाभान्वित होने वाले अभियन्ता से ब्याज रहित मासिक किश्त के रूप में करने, जिसकी कटौती अधिकतम रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से उनके वेतन से प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

o/c

मद संख्याः 46

विषयः प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 19 स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनांक 22.05.2006 से 21.05.2007 तक योजना प्रकाशित की गयी थी। इन स्कूल भूखण्डों के निस्तारण हेतु समिति की संस्तुति बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 को प्रस्तुत की गयी थी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि "सेक्टर दरों में तत्काल प्रभाव से वृद्धि एवं आवेदन पत्र मांगे जाने की अवधि एक वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण बोर्ड द्वारा पूर्व में गठित समिति की आख्या/संस्तुति को निरस्त किया गया एवं निम्नानुसार समिति गठित करने का अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
2. विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
3. वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
4. अधिशासी अभियन्ता (व्यवसायिक), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु पुनः यथाशीघ्र विज्ञापन निकाल कर नई सिरे आवेदन–पत्र प्राप्त कर किये जायें। पूर्व में जिन लोगों ने इस योजना में आवेदन दिये थे उनसे नये नियम व शर्तों के अन्तर्गत निर्णय लिये जाने हेतु नियत समय में लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय तथा अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायें। जिन आवेदन–पत्रों में कमियां हैं उन्हें कमियां दूर करने के लिए एक नियत अवधि में अन्तिम अवसर प्रदान किया जाय। तदानुसार पुराने व नये आवेदन पत्रों में नियमानुसार जांच व परीक्षण कर नवगठित समिति द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय।"

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के कम में दिनांक 20.08.2007 से दिनांक 20.09.2007 तक योजना प्रकाशित कर नये आवेदन–पत्र मांग लिये गये, जिसमें कुल 67 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया। पूर्व में दिनांक 22.05.2006 से 21.05.2007 तक 145 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था। इन आवेदकों से सहमति प्राप्त करने के बाद तथा नये आवेदकों को मिलाते हुये कुल 154 आवेदकों को उनके मूल प्रपत्रों सहित साक्षात्कार हेतु दिनांक 26.12.2007 से 29.12.2007 तक बुलाया गया। गोविन्दपुरम् योजना में पूर्व में निरस्त किये गये स्कूल भूखण्ड के आवेदक को भी मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 25.02.2008 को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। साक्षात्कार में कुल 127 आवेदकों ने भाग लिया। तदोपरान्त 03 आवेदकों ने

अपनी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड ले लिया, इस प्रकार कुल 124 आवेदन–पत्रों पर समिति द्वारा विचार किया गया। साक्षात्कार उपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार हेतु समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गयीः–

योजना के विज्ञापन में पात्रता हेतु निम्न शर्तें रखी गयीं थीं:–

1(अ) शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

1(ब) संस्था नियमानुसार सम्बन्धी प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

1(स) संस्था, जिन्हें शिक्षण कार्य का पूर्व में कम से कम 03 वर्ष (नर्सरी/प्राइमरी हेतु कम से कम 02 वर्ष) का अनुभव हो, वरीयता दी जायेगी।

1.2 आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवेदनों पर उपर्युक्त शर्तों के दृष्टिगत विचार हेतु निम्न नार्म्स निर्धारित किये गयेः–

1. शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

2. संस्था नियमानुसार सम्बन्धी प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। चूंकि प्राधिकरण की योजना क्रैच, नर्सरी, प्राइमरी, हाई स्कूल एवं डिग्री कालेज के भूखण्डों हेतु थी। अतः समिति द्वारा यह निश्चित किया गया कि क्रैच हेतु मान्यता अनिवार्य नहीं है, नर्सरी/प्राइमरी स्कूल हेतु प्राइमरी से लेकर इण्टर कालेज तक की मान्यता पात्र होगी, हाई स्कूल भूखण्ड हेतु हाई स्कूल/इण्टर कालेज की मान्यता पात्र होगी तथा डिग्री कालेज भूखण्ड हेतु डिग्री स्तर की मान्यता ही आवेदन की पात्र होगी।

3. स्कूल भूखण्ड के कुल मूल्य की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि हेतु संस्था द्वारा या तो बैंक साल्वेन्सी प्रस्तुत की गयी हो या एफ.डी.आर., एकाउन्ट बैलेंस आदि के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति प्रमाणित की गयी हो।

उपरोक्त तीनों नार्म्स को पूरा करने वाले आवेदनों पर ही आवंटन हेतु विचार किया गया है। यदि किसी स्कूल भूखण्ड हेतु मात्र एक ही आवेदक द्वारा निर्धारित नार्म्स को पूरा किया गया है तो उसके पक्ष में आवंटन की संस्तुति कर दी गयी है। जिन भूखण्डों हेतु एक से अधिक आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स को पूरा किया गया है उन प्रकरणों में दिनांक 07.06.2002 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वरीयता के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा परीक्षण किया गया। दिनांक 07.06.2002 को बोर्ड द्वारा वरीयता के सम्बन्ध में निम्न 03 निर्देश दिये गये :–

1. पुरानी पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं को, जिन्हें स्कूल चलाने का अधिक अनुभव प्राप्त है, उन्हें अनुभव के आधार पर नयी संस्थाओं की अपेक्षा वरीयता दी गयी है।
2. ऐसे आवेदकों को जो प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड के आस–पास के क्षेत्र में पूर्व से ही कोई स्कूल चला रहे हैं व अब स्कूल को अधिकृत भूखण्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं या स्कूल का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें अन्य की अपेक्षा वरीयता दी गयी है।
3. मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जून, 2002 में समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित वरीयतानुसार शिक्षण कार्य हेतु नयी संस्थाओं के आवेदन–पत्रों पर भी विचार किया जाय, जिससे नई संस्थाओं को शिक्षा में योगदान में अवसर प्रदान होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति के द्वारा निम्न 02 बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखते आवंटन के सम्बन्ध में अभिमत दिया गया है :–

1. संस्था द्वारा संलग्न की गयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर अच्छे ढंग से स्कूल बनाने/चलाने में सक्षम एवं स्कूलों की योजना एवं ख्याति को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं को वरीयता दी गयी है।
2. यदि कोई संस्था पूर्व में ही डिफाल्टर है तो उन्हें इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु वरीयता नहीं दी गयी है।

उपरोक्तानुसार 124 आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार आवंटन किया जाना उचित प्रतीत होता है :–

क्रम	भूखण्ड संख्या	स्कूल/संस्था का नाम
1.	इन्दिरापुरम् न्याय खण्ड–प्रथम, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1294 वर्गमी.	इण्डियन चाइल्ड स्कूल, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद
2.	इन्दिरापुरम् न्याय खण्ड–प्रथम, हाईस्कूल भूखण्ड, 7500 वर्गमी	दिल्ली वोकेशनल स्कूल सोसायटी, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली
3.	इन्दिरापुरम् न्याय खण्ड–द्वितीय, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 3799.26 वर्गमी.	विवेकानन्द शिक्षा संस्थान, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद
4.	इन्दिरापुरम् शक्ति खण्ड–द्वितीय, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 4012 वर्गमी.	कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, सिविल लाइन्स्, सुल्तानपुर
5.	इन्दिरापुरम्, शक्ति खण्ड–चतुर्थ, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2558.47 वर्गमी.	गुरूकुल एजुकेशन सोसायटी, डासना, गाजियाबाद
6.	इन्दिरापुरम्, शक्ति खण्ड–चतुर्थ, डिग्री कालेज भूखण्ड, 15640 वर्गमी.	सेठ आनन्द राम जयपुरिया एजुकेशन सोसायटी, कानपुर
7.	वैशाली सेक्टर–2, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1662 वर्गमी.	विक्टर एजुकेशनल सोसायटी, मौजपुर, दिल्ली
8.	वैशाली सेक्टर–2, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2000 वर्गमी.	नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली आफ मार थोमा चर्च, गोल मार्केट, नई दिल्ली

9.	कौशाम्बी, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2141.39 वर्गमी.	कमला अग्रवाल एजुकेशनल सोसायटी, पाण्डव नगर, दिल्ली
10	इन्द्रप्रस्थ पॉकेट–डी, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 5032 वर्गमी.	अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध होने के पश्चात आवंटन पर विचार किया जायेगा।
11.	इन्द्रप्रस्थ पॉकेट–ई, नर्सरी स्कूल भूखण्ड, 843.23 वर्गमी.	भूपति एजुकेशन सोसायटी, शाहदरा, दिल्ली
12.	ब्रज विहार, ई–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1000 वर्गमी.	संजीव मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, शालीमार गार्डेन, गाजियाबाद
13.	प्रताप विहार सेक्टर–11, ई–ब्लाक, क्रैच भूखण्ड, 313.75 वर्गमी.	सरदार पटेल प्राथमिक शिक्षा सदन, विजय नगर, गाजियाबाद
14.	शास्त्री नगर, बाग वाली कालोनी, नर्सरी स्कूल भूखण्ड, 546 वर्गमी.	भविष्य एजुकेशनल सोसायटी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद
15.	गोविन्दपुरम् डी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1575 वर्गमी.	हैप्पी आवर्स एजुकेशनल सोसायटी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद
16.	कर्पूरीपुरम् ए–ब्लाक, हाईस्कूल भूखण्ड, 6757.41 वर्गमी	नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली आफ मार थोमा चर्च, गोल मार्केट, नई दिल्ली
17.	स्वर्ण जयन्तीपुरम्, सी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 3304.81 वर्गमी.	सी.पी. आर्या पब्लिक स्कूल समिति, गायिजाबाद
18.	स्वर्ण जयन्तीपुरम्, डी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 3055.50 वर्गमी.	नानकी सेवा संस्थान, विजय नगर, गाजियाबाद
19.	स्वर्ण जयन्तीपुरम्, डी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2826.70 वर्गमी.	एजुकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाउन्डेशन, दिल्ली

समिति की संस्तुति दिनांक 20.05.2008 की प्रति एवं तुलनात्मक तालिका संलग्न है।

शासनादेश दिनांक 07 जुलाई, 1994 में स्कूलों हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति प्राप्त करते हुए प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार आवंटन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। तदनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्कूल भूखण्डों के आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

179

स्कूल भूखण्ड आवंटन हेतु दिनांक 20.05.2008 को हुई बैठक में हुए विचार–विमर्श के अनुसार समिति की संस्तुतियाँ

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 19 स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनांक 22.05.2006 से 21.05.2007 तक योजना प्रकाशित की गयी थी। इन स्कूल भूखण्डों के निस्तारण हेतु समिति की संस्तुति बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2007 को प्रस्तुत की गयी थी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु पुनः विज्ञापन निकाल कर नई दरों पर आवेदन–पत्र प्राप्त कर लिये जायें तथा दिनांक 22.05.2006 से दिनांक 21.05.2007 तक जो आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं उनसे नई दरों पर भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति मांग ली जाये। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के कम में दिनांक 20.08.2007 से दिनांक 20.09.2007 तक योजना प्रकाशित कर नये आवेदन–पत्र मांग लिये गये, जिसमें कुल 67 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया। पूर्व में दिनांक 22.05.2006 से 21.05.2007 तक 145 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था। इन आवेदकों से सहमति प्राप्त करने के बाद तथा नये आवेदकों को मिलाते हुये कुल 154 आवेदकों को उनके मूल प्रपत्रों सहित साक्षात्कार हेतु दिनांक 26.12.2007 से 29.12.2007 तक बुलाया गया। गोविन्दपुरम् योजना में पूर्व में निरस्त किये गये स्कूल भूखण्ड के आवेदक को भी मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 25.02.2008 को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। साक्षात्कार में कुल 127 आवेदकों ने भाग लिया। तदोपरान्त 03 आवेदकों ने अपनी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड ले लिया, इस प्रकार कुल 124 आवेदन–पत्रों पर समिति द्वारा विचार किया गया। साक्षात्कार उपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार हेतु समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गयी :–

योजना के विज्ञापन में पात्रता हेतु निम्न शर्तें रखी गयीं थीं:–

1(अ) शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

1(ब) संस्था नियमानुसार सम्बन्धी प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

1(स) संस्था, जिन्हें शिक्षण कार्य का पूर्व में कम से कम 03 वर्ष (नर्सरी/प्राइमरी हेतु कम से कम 02 वर्ष) का अनुभव हो, वरीयता दी जायेगी।

1.2 आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवेदनों पर उपर्युक्त शर्तों के दृष्टिगत विचार हेतु निम्न नार्म्स निर्धारित किये गये:–

1. शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

2. संस्था नियमानुसार सम्बन्धी प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। चूंकि प्राधिकरण की योजना क्रैच, नर्सरी, प्राइमरी, हाई स्कूल एवं डिग्री कालेज के भूखण्डों हेतु थी। अतः समिति द्वारा यह निश्चित किया गया कि क्रैच हेतु मान्यता अनिवार्य नहीं है, नर्सरी/प्राइमरी स्कूल हेतु

प्राइमरी से लेकर इण्टर कालेज तक की मान्यता पात्र होगी, हाई स्कूल भूखण्ड हेतु हाई स्कूल/इण्टर कालेज की मान्यता पात्र होगी तथा डिग्री कालेज भूखण्ड हेतु डिग्री स्तर की मान्यता ही आवेदन की पात्र होगी।

3. स्कूल भूखण्ड के कुल मूल्य की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि हेतु संस्था द्वारा या तो बैंक साल्वेन्सी प्रस्तुत की गयी हो या एफ.डी.आर., एकाउन्ट बैलेंस आदि के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति प्रमाणित की गयी हो।

उपरोक्त तीनों नार्म्स को पूरा करने वाले आवेदनों पर ही आवंटन हेतु विचार किया गया है। यदि किसी स्कूल भूखण्ड हेतु मात्र एक ही आवेदक द्वारा निर्धारित नार्म्स को पूरा किया गया है तो उसके पक्ष में आवंटन की संस्तुति कर दी गयी है। जिन भूखण्डों हेतु एक से अधिक आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स को पूरा किया गया है उन प्रकरणों में दिनांक 07.06.2002 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वरीयता के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा परीक्षण किया गया। दिनांक 07.06.2002 को बोर्ड द्वारा वरीयता के सम्बन्ध में निम्न 03 निर्देश दिये गये :–

1. पुरानी पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं को, जिन्हें स्कूल चलाने का अधिक अनुभव प्राप्त है, उन्हें अनुभव के आधार पर नयी संस्थाओं की अपेक्षा वरीयता दी गयी है।
2. ऐसे आवेदकों को जो प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड के आस–पास के क्षेत्र में पूर्व से ही कोई स्कूल चला रहे हैं व अब स्कूल को अधिकृत भूखण्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं या स्कूल का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें अन्य की अपेक्षा वरीयता दी गयी है।
3. मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जून, 2002 में समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित वरीयतानुसार शिक्षण कार्य हेतु नयी संस्थाओं के आवेदन–पत्रों पर भी विचार किया जाय, जिससे नई संस्थाओं को शिक्षा में योगदान में अवसर प्रदान होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति के द्वारा निम्न 02 बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखते आवंटन के सम्बन्ध में अभिमत दिया गया है :–

1. संस्था द्वारा संलग्न की गयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर अच्छे ढंग से स्कूल बनाने/चलाने में सक्षम एवं स्कूलों की योजना एवं ख्याति को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं को वरीयता दी गयी है।
2. यदि कोई संस्था पूर्व में ही डिफाल्टर है तो उन्हें इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु वरीयता नहीं दी गयी है।

उपरोक्तानुसार आवेदनों पर विचार करते हुए स्थलवार आवंटन हेतु समिति निम्नानुसार आवंटन के सम्बन्ध में अभिमत प्रकट करती है :–

1. **इन्दिरापुरम् न्याय खण्ड–प्रथम, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1294 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 10 आवेदकों में से निम्न 05 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं:–

1. जे.एम. शिक्षा समिति, मौजपुर, दिल्ली
2. माँ सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति, शास्त्री नगर, गाजियाबाद
3. भरतपुरिया शिक्षा समिति, वसुन्धरा, गाजियाबाद

180

4. इण्डियन चाइल्ड स्कूल, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद
5. सुमित्रा मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद

उपरोक्त 05 संस्थाओं में से जे.एम. शिक्षा समिति वर्ष 1988 से पंजीकृत है एवं समिति को वर्ष 1992 से मान्यता प्राप्त है तथा समिति द्वारा रू. 80.00 लाख की साल्वेन्सी दी गयी है। सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति वर्ष 2004 से पंजीकृत है। समिति की प्राइमरी स्तर की मान्यता वर्ष 2004 से एवं समिति द्वारा रू. 75.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। भरतपुरिया शिक्षा समिति वर्ष 2006 से पंजीकृत है। समिति को मान्यता वर्ष 2007 में ही मिली है एवं समिति द्वारा मात्र रू. 12.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। सुमित्रा मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी वर्ष 2003 से पंजीकृत है समिति की प्राइमरी स्तर की मान्यता वर्ष 2004 से एवं समिति द्वारा रू. 60.00 लाख की साल्वेन्सी दी गयी है। इण्डियन चाइल्ड स्कूल, गाजियाबाद वर्ष 1982 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 1989 से प्राइमरी स्तर की मान्यता प्राप्त है। समिति द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। उपरोक्त 05 संस्थाओं में इण्डियन चाइल्ड स्कूल, गाजियाबाद सबसे अनुभवी संस्था है एवं समिति इन्दिरापुरम् योजना में ही अपना स्कूल संचालित करती है। अतः अनुभव के आधार पर अन्य संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड इण्डियन चाइल्ड स्कूल, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

2. **इन्दिरापुरम् न्याय खण्ड–प्रथम, हाईस्कूल भूखण्ड, 7500 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 12 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं:–

1. श्रीमती भगवती देवी एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी, लक्ष्मी नगर, दिल्ली
2. दिल्ली वोकेशनल स्कूल सोसायटी, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली

उपरोक्त 02 संस्थाओं में से श्रीमती भगवती देवी एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी वर्ष 1994 से पंजीकृत है। समिति को वर्ष 1994 में ही 12वीं स्तर तक स्कूल चलाने की मान्यता प्राप्त हुई है एवं समिति द्वारा रू. 1.25 करोड़ की बैंक साल्वेन्सी तथा रू. 9.00 लाख की एफ.डी.आर. संलग्न की गयी है। जबकि दिल्ली वोकेशनल स्कूल सोसायटी वर्ष 1953 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 1978 से 12वीं स्तर तक की मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 8.00 करोड़ की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। अतः अनुभव के आधार पर दूसरी संस्था पर वरीयता देते हुए यह हाई स्कूल भूखण्ड दिल्ली वोकेशनल स्कूल सोसायटी, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

3. **इन्दिरापुरम् न्याय खण्ड–द्वितीय, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 3799.26 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 13 आवेदकों में से निम्न 05 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. महर्षि रमन एजुकेशनल सोसायटी, मयूर विहार, दिल्ली
2. पण्डित यादराम एजुकेशन सोसायटी, भजनपुरा, दिल्ली
3. जी.डी. एजुकेशनल सोसायटी, महरौली, नई दिल्ली
4. क्रेयेटिव एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी, प्रीति विहार, दिल्ली
5. विवेकानन्द शिक्षा संस्थान, सीलमपुर, दिल्ली

उपरोक्त 05 संस्थाओं में से महार्षि रमन एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 1995 से पंजीकृत है। संस्था द्वारा वर्ष 1998 में मान्यता प्राप्त की गयी है तथा रू. 100.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। संस्था मयूर विहार में अपना स्कूल संचालित कर रही है। पण्डित यादराम एजुकेशन सोसायटी वर्ष 1992 से पंजीकृत है। समिति को वर्ष 1993 से मान्यता प्राप्त है। समिति द्वारा रू. 60.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। समिति भजनुपरा, दिल्ली में स्कूल संचालित कर रही है। जी.डी. एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 2001 से पंजीकृत है। समिति को वर्ष 2005 में मान्यता प्राप्त हुई है तथा समिति द्वारा रू. 6.00 करोड़ की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। संस्था ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में अपना स्कूल संचालित कर रही है। क्रियेटिव एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी वर्ष 2002 में पंजीकृत है। संस्था को वर्ष 2006 में मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 100.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। विवेकानन्द शिक्षा संस्थान, वर्ष 2001 में पंजीकृत है। संस्था द्वारा 2003 में मान्यता प्राप्त की गयी है। संस्था द्वारा रू. 180.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है एवं संस्था इन्दिरापुरम् योजना में ही प्राइमरी स्कूल का संचालन कर रही है। विवेकानन्द शिक्षण संस्थान को स्कूल के विस्तार हेतु इन्दिरापुरम् योजना में ही भूमि की आवश्यकता है। अतः संस्था की विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए यह भूखण्ड विवेकानन्द शिक्षा संस्थान, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

4. **इन्दिरापुरम् शक्ति खण्ड–द्वितीय, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 4012 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 25 आवेदकों में से निम्न 06 आवदेकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. जे.के.जी. एजुकेशन सोसायटी, राज नगर, गाजियाबाद
2. सुगम एजुकेशनल सोसायटी, मधु विहार, पटपड़गंज, दिल्ली
3. श्रीमती सावित्री देवी जनकल्याण शिक्षा समिति, जिला–मॉट, मथुरा
4. महार्षि रमन एजुकेशनल सोसायटी, मयूर विहार, दिल्ली
5. एम.पी. सिंह फाउन्डेशन, योजना विहार, दिल्ली
6. कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर

उपरोक्त 06 संस्थाओं में से जे.के.जी. एजुकेशन सोसायटी वर्ष 2001 में पंजीकृत है। संस्था की मान्यता वर्ष 2004 में हुई है। संस्था द्वारा रू. 75.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। सुगम एजुकेशन सोसायटी वर्ष 1992 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 2000 से मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 1.00 करोड़ की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। श्रीमती सावित्री देवी जनकल्याण शिक्षा समिति वर्ष 2003 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 2005 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। महार्षि रमन एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 1995 से पंजीकृत है। संस्था द्वारा वर्ष 1998 में मान्यता प्राप्त की गयी है तथा रू. 100.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी दी गयी है। एम.पी. सिंह फाउन्डेशन वर्ष 2001 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 2004 से मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 5.00 करोड़ की बैंक साल्वेन्सी

181

उपलब्ध करायी गयी है। कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ चाइल्ड एजुकेशन वर्ष 1999 से पंजीकृत है तथा वर्ष 2002 से 12वीं कक्षा संचालित करते हैं। संस्था द्वारा रू. 2.00 करोड़ की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। इनके स्कूल में सर्वाधिक 2894 छात्र अध्ययनरत् हैं। जबकि अन्य संस्थाओं में 522 से लेकर 1626 तक छात्र अध्ययनरत हैं। संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है एवं संस्था ख्याति प्राप्त है एवं संस्था तत्काल स्कूल बनाकर चलाने में सक्षम है। अतः संस्था की ख्याति, वित्तीय स्थिति तथा सबसे बड़े स्कूल संचालित करने के अनुभव को देखते हुए अन्य संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

5. **इन्दिरापुरम्, शक्ति खण्ड–चतुर्थ, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2558.47 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 07 आवेदकों में से निम्न 01 आवेदक द्वारा ही निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. गुरूकुल एजुकेशन सोसायटी, डासना, गाजियाबाद

उपरोक्तानुसार इस भूखण्ड हेतु केवल एक ही संस्था द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं। संस्था वर्ष 2002 से पंजीकृत है एवं वर्ष 2006 से मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। अतः यह स्कूल भूखण्ड गुरूकुल एजुकेशन सोसायटी, डासना, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

6. **इन्दिरापुरम्, शक्ति खण्ड–चतुर्थ, डिग्री कालेज भूखण्ड, 15640 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 09 आवेदकों में से निम्न 05 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउन्डेशन, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली
2. सेठ आनन्द राम जयपुरिया एजुकेशन सोसायटी, कैन्टुन्मेन्ट, कानपुर
3. गुरू रामदास एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट टेक्नोलॉजी, राजपुर रोड, देहरादून
4. इन्टीग्रेटेड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, राजनगर, गाजियाबाद
5. जगन्नाथ गुप्ता एजुकेशनल सोसायटी, रोहिणी, दिल्ली

उपरोक्त 05 संस्थाओं में से रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउन्डेशन वर्ष 1986 में पंजीकृत है। संस्था को डिग्री कोर्स की मान्यत वर्ष 2003 में प्राप्त हुई है। संस्था द्वारा रू. 27.00 करोड़ का बैंक एकाउन्ट बैलेन्स उपलब्ध कराया गया है। गुरू रामदास एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट टेक्नोलाजी वर्ष 1982 से पंजीकृत है एवं संस्था को वर्ष 2003 से डिग्री कोर्स के संचालन की मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 20.00 करोड़ की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। इन्टीग्रेटेड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी वर्ष 1995 से पंजीकृत है एवं संस्था को वर्ष 2004 से डिग्री कोर्स हेतु मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 228.00 लाख का बैंक एकाउन्ट बैलेस

उपलब्ध कराया गया है। जगन्नाथ गुप्ता एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 1985 से पंजीकृत है एवं संस्था को वर्ष 1993 से डिग्री कोर्स चलाने हेतु मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 800.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी एवं रू. 331.00 लाख की एफ.डी.आर. उपलब्ध करायी गयी है। सेठ आनन्द राम जयपुरिया एजुकेशन सोसायटी, वर्ष 1981 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 2001 से डिग्री कोर्स संचालित करने की मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 570.00 लाख का बैंक एकाउन्ट बैंलेस एवं एफ.डी.आर. उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त 05 संस्थाओं में सेठ आनन्द राम जयपुरिया एजुकेशन सोसायटी, कानपुर सबसे ज्यादा अनुभवी संस्था है। अतः अनुभव के आधार पर अन्य संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह डिग्री कालेज भूखण्ड सेठ आनन्द राम जयपुरिया एजुकेशन सोसायटी, कानपुर के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

7. **वैशाली सेक्टर–2, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1662 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 07 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. मिनर्वा यूनिवर्सल एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी, झिलमिल, दिल्ली–95
2. महाराणा प्रताप एजुकेशनल सोसायटी, दिल्ली
3. विक्टर एजुकेशनल सोसायटी, मौजपुर, दिल्ली

उपरोक्त 03 संस्थाओं में से मिनर्वा यूनिवर्सल एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी वर्ष 1990 से पंजीकृत है एवं संस्था को वर्ष 2003 से मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 60.0 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। महाराणा प्रताप एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 1991 से पंजीकृत है एवं संस्था वर्ष 1996 से मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 40.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। विक्टर एजुकेशन सोसायटी, दिल्ली वर्ष 1989 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 1997 से जूनियर हाई स्कूल चलाने की मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी तथा रू. 5.20 लाख एफ.डी.आर. उपलब्ध कराया गया है। संस्था सबसे ज्यादा अनुभवी संस्था है एवं संस्था में सर्वाधिक 1354 छात्र अध्ययनरत हैं जबकि अन्य संस्थाओं में मात्र 350 व 378 छात्र अध्ययनरत हैं। अतः अनुभव के आधार पर अन्य संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड विक्टर एजुकेशनल सोसायटी, दिल्ली के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

8. **वैशाली सेक्टर–2, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2000 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 07 आवेदकों में से निम्न 04 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. विमल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, विश्वास नगर, दिल्ली
2. नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली आफ मार थोमा चर्च, गोल मार्केट, नई दिल्ली

3. सरदार पटेल मेमोरियल स्कूल, बाग भटयारी, गाजियाबाद
4. विवेकानन्द शिक्षा संस्थान, ओल्ड सीलमपुर, नई दिल्ली

उपरोक्त 04 संस्थाओं में से विमल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी वर्ष 1997 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1991 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। सरदार पटेल मेमोरियल स्कूल वर्ष 1984 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2001 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी हैं। विवेकानन्द शिक्षा संस्थान वर्ष 2001 सें पंजीकृत हैं। संस्था वर्ष 2003 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 180.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी हैं। नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली वर्ष 1966 से 12वीं कक्षा तक स्कूल चलाने की मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 400.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था के विभिन्न स्कूल पूरे भारतवर्ष में संचालित हो रहे हैं यह सभी स्कूल ख्याति प्राप्त है। संस्था की वित्तीय स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ है। अतः अनुभव के आधार पर अन्य संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

9. **कौशाम्बी, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2141.39 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 12 आवेदकों में से निम्न 03 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. कमला अग्रवाल एजुकेशनल सोसायटी, पाण्डव नगर, दिल्ली
2. लखपत शिक्षा समिति, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–92
3. सेन्ट देवाश्रम शिक्षा समिति, शाहदरा, दिल्ली

उपरोक्त 03 संस्थाओं में से लखपत शिक्षा समिति वर्ष 1987 से पंजीकृत हैं। संस्था को 1989 से मान्यत प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 100.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी हैं। संस्था दिल्ली इन्द्रप्रस्थ में अपना स्कूल संचालित करती है। सेन्ट देवाश्रम शिक्षा समिति वर्ष 1986 से पंजीकृत है। संस्था को वर्ष 1990 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी हैं। कमला अग्रवाल एजुकेशनल संस्था शाहदरा, दिल्ली में स्कूल का संचालन कर रही हैं। कमला अग्रवाल एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 2000 से पंजीकृत है। संस्था को वर्ष 2004 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 100.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी हैं। संस्था मधु विहार, पटपड़गंज, दिल्ली में अपना स्कूल संचालित करती हैं। कमला अग्रवाल एजुकेशनल सोसायटी अपने स्कूल को क्षेत्र में ही अधिकृत स्कूल भूखण्ड पर शिफ्ट करना चाहते हैं। अतः विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए कुछ भूखण्डों पर अपेक्षाकृत नयी संस्थाओं को अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत अन्य संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड कमला अग्रवाल एजुकेशनल सोसायटी, पाण्डव नगर, दिल्ली के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

10. **इन्द्रप्रस्थ पॉकेट–डी, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 5032 वर्गमी.**

इन्द्रप्रस्थ योजना का यह भूखण्ड योजना में अन्दर की ओर स्थित है जहां पर समुचित अवस्थापना सुविधाओं का फिलहाल अभाव है। चूंकि भूखण्ड का क्षेत्रफल अत्यधिक बड़ा है एवं अभी योजना में पर्याप्त आबादी नहीं हो पायी है। अतः उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पॉकेट में समुचित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध होने पर भूखण्ड का आवंटन किया जाय।

11. **इन्द्रप्रस्थ पॉकेट–ई, नर्सरी स्कूल भूखण्ड, 843.23 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 03 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. माँ सरस्वती शिशु शिक्षा समिति, भौपुरा, गाजियाबाद
2. भूपति एजुकेशन सोसायटी, शाहदरा, दिल्ली

इन्द्रप्रस्थ योजना पॉकेट–ई का यह भूखण्ड अपेक्षाकृत छोटा है तथा 36 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क के कार्नर का भूखण्ड है। इस भूखण्ड हेतु उपरोक्त 02 संस्थाओं में से माँ सरस्वती शिशु शिक्षा समिति वर्ष 2002 में पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2004 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 12.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी तथा रू. 3.25 लाख का एकाउन्ट बैलेंस उपलब्ध कराया गया है। भूपति एजुकेशन सोसायटी वर्ष 2001 से पंजीकृत है तथा संस्था को वर्ष 2003 से हाई स्कूल स्तर की मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 15.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी तथा रू. 6.80 लाख की एफ.डी.आर. उपलब्ध कराया गया है। भूपति एजुकेशन सोसायटी, दिल्ली ज्यादा अनुभवी संस्था है। अतः अनुभव के आधार पर दूसरी संस्था पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड भूपति एजुकेशन सोसायटी, शाहदरा, दिल्ली के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

12. **ब्रज विहार, ई–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1000 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 04 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. सर्वेन्टस् आफ द पियुपिल सोसायटी, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली
2. संजीव मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, शालीमार गार्डेन, गाजियाबाद

उपरोक्त 02 संस्थाओं में से सर्वेन्टस् आफ द पियुपिल सोसायटी वर्ष 1953 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1999 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 571.00 लाख की एकाउन्ट बैलेंस तथा एफ.डी.आर. उपलब्ध कराया गया है। संस्था ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में अपना स्कूल संचालित करती है। संजीव मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी वर्ष 2002 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2006 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 25.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था टी.एच.ए. क्षेत्र के जोन–4 में ही स्कूल

183

संचालित कर रही है। संस्था को स्कूल के विस्तार हेतु जोन–4 में ही स्कूल भूखण्ड की आवश्यकता है। अतः संस्था की स्कूल विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए यह स्कूल भूखण्ड संजीव मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, शालीमार गार्डेन, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

13. **प्रताप विहार सेक्टर–11, ई–ब्लाक, क्रैच भूखण्ड, 313.75 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 12 आवेदकों में से निम्न 07 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. नेशनल पब्लिक स्कूल समिति, हर्रा, मेरठ
2. एस.एस.बी. एजुकेशन सोसायटी, पुराना विजय नगर, गाजियाबाद
3. श्री साँई एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन, वेस्ट आजाद नगर, दिल्ली
4. इन्दिरा शिक्षा प्रसार समिति, विजय नगर, गाजियाबाद
5. सरदार पटेल प्राथमिक शिक्षा सदन, विजय नगर, गाजियाबाद
6. डेस्टीट्यूट वेलफेयर ट्रस्ट, नांगलोई, दिल्ली
7. निर्मल कल्चरल एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, शाहदरा, दिल्ली

उपरोक्त 07 संस्थाओं में से नेशनल पब्लिक स्कूल समिति वर्ष 1997 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1997 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 12.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था द्वारा मेरठ में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। एस.एस.बी. एजुकेशन सोसायटी वर्ष 1998 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2004 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 10.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। श्री साँई एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन वर्ष 2002 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2005 से मान्यता प्राप्त नहीं है तथा संस्था द्वारा रू. 5.91 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। इन्दिरा शिक्षा प्रसार समिति वर्ष 2003 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1994 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 25.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। सरदार पटेल प्राथमिक शिक्षा सदन वर्ष 1991 से पंजीकृत है। संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है एवं मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 20.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। डेस्टीट्यूट वेलफेयर ट्रस्ट वर्ष 1995 से पंजीकृत है। संस्था मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 7.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। निर्मल कल्चरल एण्ड एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 1989 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1992 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 15.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। उपरोक्त 07 संस्थाओं में से निर्मल कल्चरल एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, झिलमिल कालोनी, शाहदरा, दिल्ली एवं सरदार पटेल शिक्षा सदन, गाजियाबाद सबसे ज्यादा अनुभवी संस्थाएं है। उक्त दोनों संस्थाओं में से सरदार पटेल शिक्षा सदन, प्रताप विहार योजना के निकट विजय नगर योजना में स्कूल संचालित करते हैं तथा निर्मल कल्चरल एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, झिलमिल कालोनी, शाहदरा, दिल्ली में अपना स्कूल संचालित करते हैं। सरदार पटेल शिक्षा सदन को अपने स्कूल के निकट ही स्कूल के विस्तार हेतु

भूमि की आवश्यकता है। अतः संस्था की विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए दूसरी संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड सरदार पटेल प्राथमिक शिक्षा सदन, विजय नगर, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

14. **शास्त्री नगर, बाग वाली कालोनी, नर्सरी स्कूल भूखण्ड, 546 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 03 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. डा. राम मनोहर लोहिया शिक्षा समिति, साहिबाबाद, गाजियाबाद
2. भविष्य एजुकेशनल सोसायटी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद

उपरोक्त 02 संस्थाओं में से डा. राम मनोहर लोहिया समिति वर्ष 1998 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2004 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 12.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था वसुन्धरा योजना में अपना स्कूल संचालित कर रही है। भविष्य एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 2006 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2006 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 10.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था शाहपुर, बम्हैटा में अपना स्कूल संचालित कर रही है, जो कि शास्त्री नगर योजना से सटा हुआ क्षेत्र है। भविष्य एजुकेशनल सोसायटी अपने स्कूल को नजदीक में ही अधिकृत स्कूल भूखण्ड पर शिफ्ट करना चाहती है। अतः संस्था के विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए दूसरी संस्था पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड भविष्य एजुकेशनल सोसायटी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

15. **गोविन्दपुरम् डी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 1575 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 08 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. तुषार वेलफेयर सोसायटी, संजय नगर, गाजियाबाद
2. हैप्पी आवर्स एजुकेशनल सोसायटी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद

उपरोक्त 02 संस्थाओं में से तुषार वेलफेयर सोसायटी वर्ष 1999 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2003 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 49.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था प्रताप विहार योजना में अपना स्कूल संचालित कर रही है। हैप्पी आवर्स एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 2001 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2003 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 40.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी एवं रू. 7.00 लाख का एकाउन्ट बैलेंस उपलब्ध कराया गया है। संस्था गोविन्दपुरम् योजना में अपना स्कूल संचालित करती है। हैप्पी आवर्स एजुकेशनल सोसायटी को गोविन्दपुरम् योजना में ही अपने स्कूल के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता है। अतः विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए दूसरी संस्था पर वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड हैप्पी आवर्स एजुकेशनल

सोसायटी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

16. **कर्पूरीपुरम् ए–ब्लाक, हाईस्कूल भूखण्ड, 6757.41 वर्गमी**

इस भूखण्ड हेतु कुल 10 आवेदकों में से निम्न 03 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. सर्वेन्टस् ऑफ द पीयुपिल सोसायटी, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली
2. एवरेस्ट पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रबन्ध समिति, साहिबाबाद, गाजियाबाद
3. नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली आफ मार थोमा चर्च, गोल मार्केट, नई दिल्ली

उपरोक्त 03 संस्थाओं में से सर्वेन्टस् आफ द पियुपिल सोसायटी वर्ष 1953 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1999 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रू. 571.00 लाख की एकाउन्ट बैंलेस तथा एफ.डी.आर. उपलब्ध कराया गया है। संस्था ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में अपना स्कूल संचालित करती है। एवरेस्ट पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रबन्ध समिति वर्ष 1987 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2003 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली वर्ष 1966 से 12वीं कक्षा तक स्कूल चलाने की मान्यता प्राप्त है। संस्था द्वारा रू. 400.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था के विभिन्न स्कूल पूरे भारतवर्ष में संचालित हो रहे हैं यह सभी स्कूल ख्याति प्राप्त है। संस्था की वित्तीय स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ है। अतः अनुभव के आधार पर अन्य संस्थाओं पर वरीयता देते हुए यह हाई स्कूल भूखण्ड नार्दन इण्डिया जोनल एसेम्बली, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

17. **स्वर्ण जयन्तीपुरम्, सी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 3304.81 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 04 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. शान्ती देवी एजुकेशनल सोसायटी, नन्दग्राम, गाजियाबाद
2. सी.पी. आर्या पब्लिक स्कूल समिति, शास्त्री नगर, गाजियाबाद

उपरोक्त 02 संस्थाओं में से शान्ती देवी एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 1989 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1998 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 45.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था नन्दग्राम, गाजियाबाद में स्कूल संचालित कर रही है। सी.पी. आर्या पब्लिक स्कूल समिति वर्ष 1995 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2006 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रू. 30.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था डासना, गाजियाबाद में अपना स्कूल संचालित कर रही है जो कि स्वर्णजयन्तीपुरम् योजना के समीप है। सी.पी. आर्या पब्लिक स्कूल समिति अपने स्कूल को क्षेत्र में ही अधिकृत स्कूल भूखण्ड में शिफ्ट करना चाहती है। अतः संस्था के विस्तार/शिफ्ट की आवश्यकता को देखते हुए यह स्कूल भूखण्ड सी.पी. आर्या पब्लिक स्कूल समिति, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

18. **स्वर्ण जयन्तीपुरम, डी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 3055.50 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 08 आवेदकों में से निम्न 02 आवेदकों द्वारा ही निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. मदर मैरी एजुकेशनल सोसायटी, संजय नगर, गाजियाबाद
2. नानकी सेवा संस्थान, विजय नगर, गाजियाबाद

उपरोक्त 02 संस्थाओं में से मदर मैरी एजुकेशन सोसायटी वर्ष 1999 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 1999 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रु. 50.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। संस्था को प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002 में प्रताप विहार योजना में स्कूल भूखण्ड आवंटित किया गया था। संस्था द्वारा आवंटन के पश्चात कोई भी धनराशि प्राधिकरण में जमा नहीं करायी गयी। संस्था की मात्र पंजीकरण राशि रु. 25,000 ही जमा थी। अतः लगभग 06 वर्ष तक धनराशि जमा न किये जाने के फलस्वरूप डिफाल्टर होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त स्कूल भूखण्ड निरस्त कर दिया गया। नानकी सेवा संस्थान वर्ष 2001 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2005 से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा रु. 45.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी उपलब्ध करायी गयी है। पूर्व में मदर मैरी एजुकेशन सोसायटी के डिफाल्टर होने के कारण इस स्कूल भूखण्ड के आवंटन हेतु मदर मैरी एजुकेशन सोसायटी, गाजियाबाद पर विचार न करते हुए दूसरी संस्था नानकी सेवा संस्थान को वरीयता देते हुए यह स्कूल भूखण्ड नानकी सेवा संस्थान, विजय नगर, गाजियाबाद के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

19. **स्वर्ण जयन्तीपुरम, डी–ब्लाक, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2826.70 वर्गमी.**

इस भूखण्ड हेतु कुल 02 आवेदकों में से निम्न 01 आवेदक द्वारा ही निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं :–

1. एजुकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाउन्डेशन

उपरोक्तानुसार इस भूखण्ड हेतु केवल एजुकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाउन्डेशन वर्ष 2005 से पंजीकृत है। संस्था वर्ष 2005 से मान्यता प्राप्त है एवं संस्था द्वारा रु. 16.00 लाख की बैंक साल्वेन्सी एवं रु. 12.35 लाख का एफ.डी.आर. उपलब्ध कराया गया है। संस्था द्वारा ही निर्धारित नार्म्स पूरे किये गये हैं। अतः यह स्कूल भूखण्ड एजुकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाउन्डेशन, दिल्ली के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तुलनात्मक तालिका बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।

अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी

Location: Indirapuram Nyay Khand - I
Category: Primary School

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Area = 1294.00m2
Rate = 3600/m2
Amount = 46.58 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience: Other Institute	Experience: Recog upto	Experience: Recog Since	Student Strength 2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Financial: Solvency	Financial: Status	Project report	Remarks
1	Sarvodaya Educ. Society, Gzb	1998	Sarvodaya Model School, Gzb	Vth	2003	343	382	503			Not submitted		Submitted	F.S. not submitted
2	J.M. Shiksha Samiti, Delhi	1988	J.M. Convent School, Delhi	VIII th	1992	1231	1351	1478			80.00 Lakh		Submitted	eligible for consideration
3	Saraswati Shiksha Prasar Samiti, Gzb	2004	Happy Hours Academy, Indirapuram, Gzb.	Vth	2004	-				375	75.00 Lakh		Submitted	eligible for consideration
4	Tapendu Educ. Society, New Delhi	1999	Radiant International School, Patna	Xth	2005	-			750	927	100.00 Lakh	52.25 Lakh F.D.R.	Not Submitted	D.P.R. not submitted. Absent in interview
			Bhartiya Vidya Bhavan, Gzb.	XIIth	2007	-			830	949				
5	Mother Care Child Dev. Society, Delhi	2004	Sparrow Farm Play School, Noida.	Play School	Not Recog	-				70	Not Submit		Submitted	Not recognized. F.S. not sound
6	Bharatpuriya Shiksha Samiti, Gzb.	2006	LBS Vatika School, Vasundhara, Gzb	Vth	2007	-	281	309	357	242	12 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
7	Subhas lata Public School, Gzb	Applied	-	-	Applied	-					Not Submit		Submitted	Not recognized. Not registered. F.S. not submitted
8	Indian Child School, Gzb.	1982	Indian Child School, Gzb.	Vth	1989	-		479	490	500	50.00 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
9	Fare Academy, Gzb.	2004	Vina Pani Academy, Vaishali, Gzb.	Vth	2004	-				106	Solv not in proper form		Submitted	F.S. not sound
10	Sumitra Memorial Edu. Society, Gzb	2003	JPS Public School, Indrapuram, Gzb.	Vth	2004	-	-	-	286	-	60.00 Lakh		Submitted	eligible for consideration

उप अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Nyay Khand - I
Category: High School

Area = 7500.00m2
Rate = 3600/m2
Amount = 270 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Sri Bhagavati devi Edu. Society, Delhi	1994	Bal Bhawan Public School, Delhi	XIIth	1994	-	-	2395	-	-	1.25 Crore turnover	9.00 Lakh F.D.R.	Submitted	Eligible for consideration
2	Sai Jyoti Edu Society, Delhi	2007	Little Angel Public School, S. Nagar, Gzb.	V th	2007	-	653	1169	-	-	80.00 Lakh		Submitted	Not recognized for high school education
3	Punya Jyoti Educ. Society, Delhi	2003	Punyua Jyoti Public School, Delhi	XIIth	2004	-	703	919	-	-	50.00 Lakh		Submitted	F.S. not sound
4	North Point School Samiti, Dehradoon	1989	North Point School, Dehradoon	VII th	N.R.	-	-	211	195	207	Not submit		Not submit	Not recognized. F.S. not sound. D.P.R. not submitted. **Absent in interview**
5	Society for Educ. Excellence, Gzb	1999	ABS Engineering College, Gzb.	Engineering College	2004	-	-	-	-	2100	300 Lakh		Submitted	Not recognized for high school education
6	Jindal Charitable Society, Delhi	1995	Presidium, Ashok Vihar, Delhi	XII th	2004	-	-	-	-	-	Solv not in proper form		Submitted	F.S. not sound. **Absent in interview**
7	Delhi Vocational Society, New Delhi	1953	Summerfield School, N. Delhi	XII th	1978	-	-	-	-	4176	800.00 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
8	Vivekanand Shiksha Sansthan, Delhi	2001	Vivekanand Public School, Indrapuram, Gzb	Vth	2003	-	-	358	424	517	180.00 lakh		Submitted	Not recognized for high school education.

P.K. Shukla
अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

9	Sewa Deep Education Trust Gzb	2007			N.R.	-	-	-	-	144	Solv. not in proper form		Not Submitted	Not recognized. D.P.R. not submitted. F.S. not sound.
10	Shakuntalam Edu. & Medical Society, Delhi	2003	-	-	N.R.	-	-	-	-	-	Solv. not in proper form		Not Submitted	Not recognized. F.S. not sound
11	Pragyan Delhi	2006	-	IV th	N.R.	-	-	-	-	130	200.00 Lakh		Submitted	Not recognized.
12	Vir Abdul Hamid Shiksha Samiti, Badayun	2002	Vir Abdul Hamid J H School, Badayun	VIII th	2004	-	-	-	-	460	Not Submit		Not Submitted	F.S. not submitted. D.P.R. not submitted

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: *Indirapuram Nyay Khand - 2*
Category: *Primary School*

Area = 3799.26m2
Rate = 3600/m2
Amount = 136.77 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Mother Teresa Public Junior High School Noida	1996	Taposthali School Pratap Vihar	-	N.R.	-	-	-	154	-	10 Lakh		Not Submit	Not recognized. F.S. not sound. **Absent in interview**
2	B.M. Shiksha Samitit, Agra	1986	V.M. Jun High School, Agra.	V th	1974	-	950	950	950	-	18.00 Lakh		Submit	F.S. not sound
3	Jhum Kaur Edu. society & Welfare Society. New Delhi	**Consent for allotment on revised sector rate not submitted**												
4	Maharsi Raman Educ. Society, Delhi	1995	St. Raman School, Delhi	VIII th	1998	-	1145	1189	1216	-	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration
5	Pt. Yadram Educ. Society. Delhi	1992	Pt. Yadram P. School, Delhi	VIII th	1993-94	-	-	-	2038	-	60 Lakh		Submit	Eligible for consideration
6	Rishabh Educ. Society Delhi	1987	Rishabh P. School, Delhi	X th	2002	-	-	-	2250	-	Sol. not in proper form		Submit	F.S. not sound
7	Renaissance Educ. Society, Delhi	1999	Play School, Delhi	-	N.R.	-	-	45	67	-	104 Lakh		Submit	Not recognized
8	Sant Namdev Educ. Society, Delhi	1987	Rohela P School, Delhi	VIII th	1988	-	-	-	-	-	Solv. not in proper form		Submit	F.S. not sound. **Absent in interview**

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

188

9	Gee Dee Educat. Society, New Delhi	2001	KR Managalam School, Delhi	X th	2005	-	-	-	-	2033	600 Lakh		Submit	Eligible for consideration
10	Creative Educ. & Welfare Society, Delhi	2002	Creative Kids Public School, Delhi	Vth	2006	292	358	425	456	513	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration
11	Vivekanand Shiksha Sansthan, Delhi	2001	Vivekanand P School, Indrapuram Gzb.	Vth	2003	-	358	424	527	-	180 Lakh		Submit	Eligible for consideration
12	K.N. Educational Trust, Gzb.	2004	Reivera P School	II	Not Recognized	-	-	-	140	-	100 Lakh		Submit	Not recognized
13	Bhola Lal Smarak Nidhi, Allahabad	Required documents not submitted												

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Shakti Khand - 2
Category: Primary School

Area = 4012m2
Rate = 3600/m2
Amount = 144.43 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	J.K.G.Education Society, Gzb	2001	Bajaria Gzb	V th	1973	-	-	-	178	-	75 Lakh		Submit	Eligible for consideration
			Vijai Nag, Gzb	XII th	2004	-	-	-	1659	-				
			Indrapuram Sh. K. Gzb	V th	2004	-	-	-	701	-				
2	Srijan Shiksha Sanskriti Prasar Samiti, Gzb	2004	Renesa P. School, Vashali	V th	2007	143	151	-	-	-		A/c balance 0.04 Lakh	Submit	F.S. not sound
3	Silver Line Education Trust, Gzb	1999	Silver Line School Gzb affiliation since 2001 to 11	XII th	2003	753	849	882	1090	1172	Solv not in proper form		Submit	F.S. not sound
4	A.K. Children Academy, Gzb	2001	A.K. Children Academy, Sahibabad	VIII th	2002	-	-	-	491	-	20 Lakh		Submit	F.S. not sound
5	DR. Anand memorial Educ. Society Delhi	2003	VAPS Vidya Mandir, Bijnor	V th	2003	-154	153	169	-	-	25 Lakh (FDR)		Submit	F.S. not sound. **Absent in interview**
6	Bina Educ. Society, New Delhi	1991	Udgam, Delhi	Play School	2001	--	-	-	-	116	60 Lakh		Submit	F.S. not sound. **Absent in interview**
7	Prayas Edu. Health & Development Society, Gzb	**Consent for allotment on revised sector rate not submitted**												
8	Sugam Educ. Society, Delhi	1992	Sugam P. School, Delhi	V th Xth	2000 2006	-	345	390	417	522	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

9	Savitri Devi Jan Samiti, Mathura	2003	Savitri Devi Bal Vidya Mandir, Mathura	V th	2005	602	550	718	-	-	50 Lakh		Submit	Eligible for consideration
10	Happy English School Society, Deli	1998	Happy English School, Delhi	VIII th	1990	464	464	455	-	-	20 Lakh	10 Lakh Govt. Deposit	Submit	F.S. not sound
11	Darbari Lal Foundation, Delhi	**Consent for allotment on revised sector rate not submitted**												
12	Gulabrai Charitable Trust, New Delhi	1994	Vidya Shree, Delhi	Spl. School	Not recog.	-	-	100	-	-		6 lakh account balance	Submit	F.S. not sound and not recognized
13	mahirsi Raman Educational, Delhi	1995	St. Raman School, Delhi	VIII th	1998	-	1145	1289	1216	-	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration
14	Anubhav Educ. Trust, New Delhi	**Consent for allotment on revised sector rate not submitted**												
15	Design Carrier Foundation, Delhi	**Consent for allotment on revised sector rate not submitted**												
16	Shanti Gopal Sansthan, Chandoli	**Consent for allotment on revised sector rate not submitted**												
17	M.P. Singh Foundation, Delhi	2001	DPS, Meerut	XII th	2004	-	-	1232	1382	1626	5.00 Crore		Submit	Eligible for consideration
18	Hari Singh M Education Society, Noida.	2002	R.D. Public School, Noida	VIII th	2002	-	-	-	611	-	Solv not in proper form		Submit	F.S. not sound
19	Utkarsini Edu. Trust. LKO	2007			Not recog.	-	-	-	-	-	80+25 Lacs		Submit	Not recog.
20	K Nehru Inst of Educ. Sultanpur	1999	K. Nehru Bal Shiksha, Sultanpur	XIIth	2002	-	-	2503	2760	2894	200 Lakh		Submit	Eligible for consideration
21	Pt. Ganpat rai Found, Delhi	1992	Eastend P. School, Delhi	VIIIth	1998	-	-	-	-	288	Not Submitted		Submit	F.S. not submitted. **Absent in interview**
22	J.C. Educ. Welfare Society, Delhi	2003	-	Vth	Not recognized	-	-	-	-	215	40 Lakh	9.7 Lakh F.D.R. and A/C	Submit	Not recognized

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

23	Vidya B Educ. Society	2002	6 Schools in Delhi	Nursery	Not recog.	-	-	-	-	-	194 Lakh		Submit	Not recognized
24	Infant Jesus School Society, Saharanpur	1988	Infant Jesus School Saharanpur	X th	2007	-	-	-	-	1581	Solv not in proper form		Submit	F.S. not sound
25	USB Trust, New Delhi	2002	**Consent for allotment on revised sector rate not submitted**											

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Shakti Khand - 4
Category: Primary School

Area = 2558m2
Rate = 3600/m2
Amount = 92.09 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Gurukul the School, Gurukul Education Society, Gzb	2002	Gurukul the School, Gzb	Xth	2006	-	150	265	456	-	50 Lakh		Submit	Eligible for consideration
2	Divya Jyoti, Lucknow, U.P.	Consent for allotment on revised sector rate not submitted												
3	Jai Veer, New Delhi Educational Society, New Delhi	1989	Jai Veer, New Delhi Educational Society, New Delhi	V th	1996	144	120	120	-	-	10 Lakh	5.00 Lakh Govt. Bond	Submit	F.S. not sound
4	Samast Bharat Manav Kalyan Sansthan, Delhi -91	2001	Indian Public School, Bulandshahar.	V th	2006	-	-	1020	-	-	Not on bank letterhead		Submit	F.S. not sound
5	Narendra Chritable Trust, Delhi	1995	Narendra Public School, Delhi	Vth	2002	-	-	-	-	-	Solv not in proper form		Submit	F.S. not sound. **Absent in interview**
6	Urmila Devi Charitable Society, Gzb	2004	Willard Public School, Vasundhara	V th	Not Recog	-	-	412	-	-	50 Lakh		Submit	**Absent in interview**
7	Tapendu Educational Society, New Delhi	1999	Radiant International School, Patna	X th	2005	-	-	750	927	-	10 Lakh	FDR 52 Lakh	Not Submit	D.P.R. not submitted. **Absent in interview**
			Bhartiya Vidya Bhavan, Gzb	XII th	2007	-	-	830	949	-				

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

193

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Shakti Khand - 4
Category: Degree College

Area = 15640 M^2
Rate = 3600/m2
Amount = 563.04 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Giriraj Educational Welfare Society, Delhi	1998	VSPK International School, Delhi	XII th	2003	210	206	420	413	502	400 Lakh		Submit	Not recog. for degree courses
2	Ritanand Balved Education Foundation, New Delhi	1986	Amity UNiversity	Degree Course	2003	-	-	-	-	14718		2700 Lakh A/c balance	Submit	Eligible for consideration
3	Saket Education Society, New Delhi	2001	DPS, indrapuram, Gzb	XIIth	2005	1085	1886	2711	-	-	223 Lakh		Submit	Not recog. for degree courses
4	Seth Anand Ram Jaipuria Education Society, Kanpur	1981	SAJ Kanpur	XII th	1974	-	2264	2202	2170	-		570 Lakh (SB 8 FDR)	Submit	Eligible for consideration
			J. Inst of Mgmt	Degree College	2001	58	57	118	-	-				
			SAJ Gzb	XII th	2004	-	527	897	-	-				
			J. Inst of Mgmt, Gzb	Degree College	2004	-	-	-	-	-				
5	Guru ram Dass Educational Institute of Management Technology Dehradoon	1982	GRD Academy Dehradoon	XII th	2002	-	-	-	-	324	20 Crore		Submitted	Eligible for consideration
			GRD Academy Dehradoon	XII th	2002	-	-	-	-	863				
			GRD Degree college	Degree College	2003	-	-	-	320	-				
			GRD Management Technology	Degree College	2007	-	-	58	70	256				
6	Anubhav Educatinal trust, New Delhi	2006	Consent for allotment on revised sector rate not submitted											

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

7	Integrated Institute of Management, Gzb	1995	IAMT, GZB	BBA, BCA, Bed	2004	-	160	448	724	464	228 Lakh (Account Balance)		Not Submit	Eligible for consideration
8	Delhi Vocational School Society, New Delhi	1953	Summerfield, Delhi	XII th	1978	-	-	-	-	4176	30 Crore		Submit	Not recog. for degree courses
9	Jagannath Gupta Educational Society, Delhi	1985	JIMS, Rohini, Delhi	MCA, PGDBM	1993	-	-	-	600	-	800 Lakh	331 Lakh F.D.R.	Submit	Eligible for consideration
			JIMS, Delhi	PGDM, PGDBM	1997	-	-	-	180	-				
			JIMS, Vasant Kunj, Delhi	BBA, BCA	2003	-	-	-	600	-				
			JGIET, Jaipur	Engin.	2003	-	-	-	1200	-				

PK Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Vaishali Sector - 2
Category: Primary School

Area = 1662m2
Rate = 4000/m2
Amount = 66.48 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Delhi Jain Edu. Society, Delhi	1999	Vanasthali P School, Noida	VIII th Xth	2003 2007	383	390	387	454	-		11.68 Lakh A/c Balance	Submit	F.S. not sound
2	Minerva Universal Educational and cultural Society, Delhi-95	1990	Minerva Universal, P. School, Vaishali	VIIIth	2003	-	-	-	350	-	60 Lakh		Submit	Eligible for consideration
3	Bharati Educ. Society Delhi	2003	No other required documents											
4	Malva Edu. Society, Faridpur	1999	Malva Collgeg of Nursing Punjab	Degree	2007	-	-	-	-	-		15 Lakh (FDR) 13 Lakh A/c balance	Not Submit	Not recog. for primary education. D.P.R. not submitted
5	Angira Bharati Edu. Society, Delhi	2005	Mukherjinagar Delhi	IIIrd	N.R.	-	-	-	80	-	75 Lakh	10 Lakh A/c balance	Submit	Not recognized
6	Victor Education Society, Delhi	1989	Victor P School, Delhi	VIIIth X th	1997 2001	-	987	1083	1297	1354	50 Lakh	5.20 Lakh F.D.R.	Submit	Eligible for consideration
7	Maharana Pratap Educational Society, Delhi	1991	M.P. Model P. School, Delhi	VIII th	1996	-	-	-	378	-	40 Lakh		Submit	Eligible for consideration

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Vaishali Sector - 2
Category: Primary School

Area = 2000 m2
Rate = 4000/m2
Amount = 80.00 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Vimal Educat. Welfare Society, Delhi	1977	Punit P. School, Delhi	X th from 1991	1991	698	688	751	1245	-	50 Lakh		Submit	Eligible for consideration
2	Sardar Patel School, Gzb	1984	Sardar Patel School, Vijay Nagar, Gzb	VIII th	2001	402	397	390	-	-	50 Lakh		Submit	Eligible for consideration
3	Delhi Jain Educat. Society, Delhi	Consent for allotment on revised sector rate not submitted												
4	Northan India Zonal, Assembly, Delhi	1998	St. Thomas School, INdore	X th	1972	-	-	-	2374	-	400 Lakh		Submit	Eligible for consideration
			Mar Thomas H. Sec. School, Indor	XII th	1987	-	-	-	2107	-				
			CMH Sec School, Satna	XII th	1966	-	-	-	2118	-				
5	Charak Charitable Society, Delhi	1987	New I P School, Delhi	V th	N.R.	22	25	25	231	-	Solv not in proper form		submit	Not recog. F.S. not sound
6	Vivekanand Shiksha Sansthan, Delhi	2001	Vivekanand P School, Gzb	V th	2003	-	-	527	-		180 Lakh		Submit	Eligible for consideration
7	Arundhati Educ. Research Society, Delhi	2004	The Little Play School	-	Not recog.	-	-	-	-	-	20 Lakh		Submit	Not recognized

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Kaushambi
Category: Primary School

Area = 2141.39 m2
Rate = 4800/m2
Amount = 102.79 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Silver Line Educa. Trust, GZB	1999	Silver Line School GZB	XIIth	2002 upto 2011	753	849	882	1090	1172	Solv not in proper form		Submitted	F.S. not sound
2	Jan Kalyan Gram Udhyog Sewa Samiti, Bareilly	Consent for allotment on revised sector rate Not Submitted												
3	Prakash Lata Shiksha Sansthan, GZB	2006	Praksh Lata Public School, Ghaziabad	Vth	22-12-07	-	-	-	-	-	Solv not in proper form		Submitted	F.S. not sound
4	Handicapped Children's Rehabilitation Assoc, New Delhi,	2001	Spl School for Handicaps, Delhi	-	Not recog.	-	-	-	189	-	Solv not in proper form	38 Lakh A/c balance	Submitted	Not recog.
5	Devi Katyani Educa. Society, Delhi	2005	Gurukal Kids, Delhi	-	Not Reco.	-	-	-	105	-	115 Lakh		Submitted	Not recog.
6	Kamla Agrawal Educa. Society, Delhi	2000	Kamla Agrawal Public School Delhi	Vth	2004	252	328	389	453	518	100 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
7	Indra Kiran Ch Trust, Delhi	2001	Sonika Children Public School, Ghaziabad	Vth	2007	-	-	-	-	-	Solv not in proper form		Submitted	F.S. not sound
8	Lakhpat Shiksha Samiti Delhi	1987	Mayo Intern School Delhi	VIII Xth	1989 2005	-	-	-	806	-	100 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

9	Juneja Educa. & Welfare Trust, Nodia	2001	-	-	-	-	-	-	-	-		10 Lakh (FDR)	submitted	Not recog. F.S. not sound
10	Dev Mata Educa. Faridabad	1993	-	IVth	N.R.	-	-	-	400	-	Solv not in proper form		Submitted	Not recog. F.S. not sound **Absent in interview**
11	Narendra Charit Trust Delhi	1995	-	-	-	-	-	-		-	Solv not in proper form		Submitted	Not recog. F.S. not sound **Absent in interview**
12	St. Devasharm Shiksha Samati, Delhi	1986	St. Krishna Bodh P m School, Delhi	VIIIth	1990	-	-	-	1075	-	50 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव.) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

199

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indraprasth D-Block
Category: Primary School

Area = 5032 m2
Rate = 1600/m2
Amount = 80.51Lakh

S.N	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Anukram Educa. & Welfare Society	2004	Arya Shiksha Sadan School Loni	Vth	2005	-	-	-	-	-	sol. not in proper form		Submitted	F.S. not sound
2	Vaish Educa. Foundation, Delhi	1973	Sneha International School, Delhi	Xth	2006	-	-	85	182	397	5.00 crore	20.00 Lakh A/c balance	Submitted	Eligible for consideration
3	Arvachin Institute GZB	1989	Arvachin P.J High School, V Nagar GZB	Vth VIIIth	1992 2006	-	230	250	260	-	25 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

200

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indraprasth E-Block
Category: Nursery School

Area = 843.23 m2
Rate = 1600/m2
Amount = 13.49Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Sai Kripa Educa. Society, Delhi	2003	Shem Rocre	Nursery Play School	Not Reco.	-	-	-	-	95		Balance of a/c sbmtd 19 Lacs	Submitted	Not recog.
2	Ma Sarsvati Shishu Shiksha Samiti GZB	2002	Mata Saraswati Mandir GZB	Vth	2004	-	-	-	-	280	12 lacs	3.25 Lakh A/c balance	Submitted	Eligible for consideration
3	Bhaupati Educa. Society, Delhi	2001	Delhi Inter School	Xth	2003	-	-	-	-	667	15 Lakh	6.80 Lakh F.D.R.	Submitted	Eligible for consideration

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Brij Vihar E- Block
Category: Primary School

Area = 1000 m2
Rate = 2800/m2
Amount = 28.00 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Chandra Bhushan memorial, Delhi	1996	CB Memorial, Delhi	Diploma and B.Ed	2004	64	65	71	130	-	22 Lakh		Submitted	Not recog. for primary education
2	Servants of the people Society, New Delhi.	1953	BR Vidya Bhavan P School, Delhi	XIIth Xth	2001 1999	1863	1891	1948	-	-	571 Lakh (balance of a/c and F.D.R.)		Submitted	Eligible for consideration
3	Sanjiv Mem Educa. Society, GZB	2002	Sanjiv Memorial Junior high school, Shalimar Garden GZB	VIIIth	2006	-	-	-	-	430	25 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
4	Maharaja Agrasen Educa, Society, GZB	1997	Maharaja Agrasen P School Vasundhra	XIIth	2005	-	318	415	541	739		1.16 Lakh A/c balance	Submitted	F.S. not sound

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिवं

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Pratap Vihar Sec - 11, E-Block
Category: Crache

Area = 313.75 m2
Rate = 2000/m2
Amount = 6.28 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	R S G Educational & Society, GZB	1995	Noida G. Noida	Nursery School	N.R.	-	-	-	605	-	50 Lakh		Submtd	Registration expired 2005
2	Deep Sheekha Public School Samati, G.B. Nagar	2004	Deep Sheekha Public School G.B. Nagar	Vth	N.R.	-	-	-	131	-	5 Lakh		Submtd	**Absent in interview**
3	National Pubic School Samati, Meerut.	1997	National Pubic School Meerut.	Vth	1997	-	-	-	535	-	12 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
4	S.S.B. Education Society, GZB	1998	S.S.B. Education GZB	Vth	2004	237	279	295	-	-	10 Lack		Submitted	Eligible for consideration
5	Shri Sai Educa Welfare, Assoc, Delhi	2002	Tool Play School	Play School	N.R.	-	-	-	-	-	5.91 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
6	Indira Shiksha Prasar Samati, Ghaziabad	2003	Bloom Fifld P School, GZB.	Vth	2005	-	-	162	-	-	25 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
7	Kanta Maken, Gharitable Trust Ghaziabad	2007	-	Crache	N.R.	-	-	-	20	53	not in proper form		Submitted	F.S. not sound
8	Ach. Social & Educ. Society GZB	2002	Indo British Academy	Vth	2004	-	-	-	-	640	Not submitted		Not submitted	F.S. and DPR not submitted
9	Sardar Patel Shiksha Sadan GZB	1991	Sardar Patel Shiksha Sadan Vijai Nagar GZB	Vth	1994	-	232	268	288	-	20 Lakh		Submit	Eligible for consideration
10	Destitute Welfare Trust, Delhi	1995		Crache	N.R.	-	-	-	-	200	7 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
11	Nirmal Cult & Educa. Society, Delhi	1989	Panchshil P School, Delhi	VIIIth	1992	-	-	-	-	-	15 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
12	C.S Agrawal Mem Society Delhi	2007	Required document not Submitted											

P.K. Shukla — अवर अभि.(व्यव.) | सहा.अभि.(व्यव.) | अधि. अभि.(व्यव) | वित्त नियंत्रक | जिला विद्यालय निरीक्षक | विशेष कार्याधिकारी | सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Shastri Nagar Bagvali Colony
Category: Nursery

Area = 546 m2
Rate = 3200/m2
Amount = 17.47 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Dr. Ram Manohar Lohia, Ghaziabad	1988	Springdel P School Vasundhara, Ghaziabad	Vth	2004	258	266	275	-	-	12 lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	Bhavisya Educational Ghaziabad	2006	Bhavisya Educational Academy,Shahpur, Bamheta Ghaziabad	Vth	2006	320	415	530	-	-	10 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
3	Devmata Educa. Society, Faridabad	1993	St. Jojef Nur. School Faridabad	Nursery	N.R.	-	-	-	140	-	Solv not in proper form		Submitted	Not recog. F.S. not sound **Absent in interview**

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Govind puram D- Block
Category: Primary

Area = 1575 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 40.95 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Tushar Welfare Society, GZB	1999	CSHP P School, P Vihar GZB	VIIIth	2003	-	-	-	1041	-	49 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	Shikhar Educa. Siciety Ghaziabad		Consent for allotment on revisd sector rate Not submitted											
3	Happy hours Educational Society, GZB	2001	Happy ours School, GZB	Vth	2003	-	1138	1178	1203	-	40 Lakh	7 Lakh (balance of a/c sbmtd)	Submitted	Eligible for consideration
4	O.S.D. Samaj Seva & Bal Kalyan, GZB.	2005	Omas Children School, v Ngr GZB	Vth	2006	-	130	225	391	-	5 Lakh		Submitted	F.S. not sound
5	Alliens Educa. Society, Gurgaon	2007	-	-	Not recognized	-	-	-	-	-	Not Sbmtd		Submitted	Not recog. F.S. not submitted **Absent in interview**
6	G.H. Educa. Welfare Society, Khurja	2007	-	-	Not recognized	-	-	-	-	-		9.5 Lakh (FDR Statement sbmtd)	Submitted	Not recog. F.S. not sound **Absent in interview**
7	Bhagirath Seva Sansthan, GZB	1976	Bhagirath P HS School GZB	Xth XIIth	1997 2003		365	380	404	-	Solv not in proper form		Submitted	F.S. not sound
8	Progressive Public School, Ghaziabad	1988	Progressive Public School, Ghaziabad	VIIIth Xth	1993 2002	-	-	-	-	983	15 Lakh		Submitted	Solvency and DPR out dated not submitted at present. **Application consider on Hon'ble High Court order**

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Karpuri puram A- Block
Category: High School

Area = 6757.41 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 175.69Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Servants of the people society, Delhi	1953	VR Vidaya Bhavan P School, Delhi	XIIth Xth	2001 1999	1863	1891	1948	-	-		571 Lakh (Balance of a/c and FDR)	Submitted	Eligible for consideration
2	Everest Public School, Ghaziabad	1987	Everest Public School, Ghaziabad	Xth	2003	-	-	-	768	-	50 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
3	Shri Shani Nath Digamber Jain Shiksha Samiti., Ghaziabad	Consent for allotment on revised sector rate Not submitted												
4	Shailender Public School, Ghaziabd	Consent for allotment on revised sector rate Not submitted												
5	Rishabh Educa. Society Delhi	1987	RP School Delhi	Xth	2002	-	-	-	734	-	Solvency not in proper form	35 Lakh A/c balance	Submitted	F.S. not sound
			R Play School, Delhi	Nursery	-	-	-	-	198	-				
			R Institute Delhi	NIOS	-	-	-	-	375	-				
			Sai MP School	IV	-	-	-	-	943	-				

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव -

6	Silver Line Educa. Trust GZB.	1999	Silver Line School GZB	XIIth	2003	753	849	882	1090	1172	Solv not in proper form		Submitted	F.S. not sound
7	Northan India Zonal Assembly, New Delhi	1998	St. Thomas School, Ranchi	Xth	1972	-	-	-	2374		400 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
			Mar Thomas H. Sec School Indor	XIIth	1987	-	-	-	2107					
			CMH Sec School, Satna	XIIth	1966	-	-	-	2118					
8	Anubhav Educa. Trust, New Delhi	Consent for allotment on revisd sector rate Not submitted												
9	G.M. Educa. Foundation, Delhi	Consent for allotment on revisd sector rate Not submitted												
10	Sona Modern Educa. Society, Delhi	1997	Sona Modern P School, Delhi	VIIIth	2001	-	-	914	1412	1534	200 Lakh		Submitted	Not recognized for high school education

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Swarn Jayanti puram C- Block
Category: Primary School

Area = 3304.81 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 85.93 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Maa Ratni Delhi-94	1997	No other required document								7 Lakh			Not recog. F.S. not sound
2	V.D.S Educa. Society, GZB	2001	V.D.S. Convent, GZB	Vth	2006	-	108	181	214	-	Not Submitted	8.62 Lakh A/c Balance	Submitted	F.S. not sound
3	Shanti Devi Educa. Society GZB	1989	Shanti Bal Niketan, Nandgram Ghaziabad	Vth	1998	-	850	988	1201	-	45 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
4	C.P Arya Public School Samiti, GZB	1995	CP Arya Public School Dasna, Ghaziabad	Vth	2006	-	210	280	375	410	30 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Swarn Jayanti puram D- Block
Category: Primary School

Area = 3055.50 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 79.14 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Mother Marry Educa. Society, Ghaziabad	1999	Mother Marry P School, Vijaingr GZB	Vth	1999	545	571	575	584	-	50 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	Nanki Seva Sansthan, 628, Ghaziabad	2001	Dayal Conv School, GZB	Vth	2005	-	112	137	-	-	45 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
3	Arunoday charitable society Ghaziabad	2001	Arunoday Conv School, GZB	Vth	2004	-	-	-	351	-	12.50 Lakh		Submitted	F.S. not sound
4	Hanso Devi Charitable Society GZB	Consent for allotment on revised sector rate not submitted												
5	Manjusha Educa. Society GZB	1977	Silver bell School, GZB	Vth	Not Reco.	-	867	874	915	-	50 Lakh		Submitted	Not Recog.
6	Excellent Education Welfare Society, GZB	2000	Lovely P School, GZB	Vth	2005	273	277	261	-	-	4 Lakh		Submitted	F.S. not sound
7	Arjun Dev Foundation, Delhi	1994	Divya Jyoti P School Delhi	VIIIth	1998	322	358	398	-	-	9.00 Lakh		Submitted	F.S. not sound
8	Minu Gupta Educa. GZB	Consent for allotment on revised sector rate not submitted												

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Swarn Jayanti puram D- Block
Category: Primary School

Area = 2826.70 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 73.49 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Prarena Welfare & Educa. Trust, 1 GZB	Consent for allotment on revised sector rate not submitted												
2	Educa. & Infrastructure Foundation,	2005	Kamal Montessori J High School, Agra	VIIIth	2005	-	-	272	395	526	15 Lakh	12.35 Lakh FDR	Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Nyay Khand - I
Category: Primary School

Area = 1294.00m2
Rate = 3600/m2
Amount = 46.58 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	J.M. Shiksha Samiti, Delhi	1988	J.M. Convent School, Delhi	VIII th	1992	1231	1351	1478			80.00 Lakh		Submitted	eligible for consideration
2	Saraswati Shiksha Prasar Samiti, Gxb	2004	Happy Hours Academy, Indirapuram, Gzb.	Vth	2004	-				375	75.00 Lakh		Submitted	eligible for consideration
3	Bharatpuriya Shiksha Samiti, Gzb.	2006	LBS Vatika School, Vasundhara, Gzb	Vth	2007	-	281	309	357	242	12 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
4	Indian Child School, Gzb.	1982	Indian Child School, Gzb.	Vth	1989	-		479	490	500	50.00 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
5	Sumitra Memorial Edu. Society, Gzb	2003	JPS Public School,ndrapuram, Gzb.	Vth	2004	-	-	-	286	-	60.00 Lakh		Submitted	eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Nyay Khand - I
Category: High School

Area = 7500.00m2
Rate = 3600/m2
Amount = 270 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Sri Bhagavati devi Edu. Society, Delhi	1994	Bal Bhawan Public School, Delhi	XIIth	1994	-	-	2395	-	-	1.25 Crore turnover	9.00 Lakh F.D.R.	Submitted	Eligible for consideration
2	Delhi Vocational Society, New Delhi	1953	Summerfield School, N. Delhi	XII th	1978	-	-	-	-	4176	800.00 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Nyay Khand - 2
Category: Primary School

Area = 3799.26m2
Rate = 3600/m2
Amount = 136.77 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Maharsi Raman Educ. Society, Delhi	1995	St. Raman School, Delhi	VIII th	1998	-	1145	1189	1216	-	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration
2	Pt. Yadram Educ. Society. Delhi	1992	Pt. Yadram P. School, Delhi	VIII th	1993-94	-	-	-	2038	-	60 Lakh		Submit	Eligible for consideration
3	Gee Dee Educat. Society, New Delhi	2001	KR Managalam School, Delhi	X th	2005	-	-	-	-	2033	600 Lakh		Submit	Eligible for consideration
4	Creative Educ. & Welfare Society, Delhi	2002	Creative Kids Public School, Delhi	Vth	2006	292	358	425	456	513	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration
5	Vivekanand Shiksha Sansthan, Delhi	2001	Vivekanand P School, Indrapuram Gzb.	Vth	2003	-	358	424	527	-	180 Lakh		Submit	Eligible for consideration

P.K. Shukla
अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Shakti Khand - 2
Category: Primary School

Area = 4012m2
Rate = 3600/m2
Amount = 144.43 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	J.K.G.Education Society, Gzb	2001	Bajaria Gzb	V th	1973	-	-	-	178	-	75 Lakh		Submit	Eligible for consideration
			Vijai Nag, Gzb	XII th	2004	-	-	-	1659	-				
			Indrapuram Sh. K. Gzb	V th	2004	-	-	-	701	-				
2	Sugam Educ. Society, Delhi	1992	Sugam P. School, Delhi	V th Xth	2000 2006	-	345	390	417	522	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration
3	Savitri Devi Jan Samiti, Mathura	2003	Savitri Devi Bal Vidya Mandir, Mathura	V th	2005	602	550	718	-	-	50 Lakh		Submit	Eligible for consideration
4	mahirsi Raman Educational, Delhi	1995	St. Raman School, Delhi	VIII th	1998	-	1145	1289	1216	-	100 Lakh		Submit	Eligible for consideration
5	M.P. Singh Foundation, Delhi	2001	DPS, Meerut	XII th	2004	-	-	1232	1382	1626	5.00 Crore		Submit	Eligible for consideration
6	K Nehru Inst of Educ. Sultanpur	1999	K. Nehru Bal Shiksha, Sultanpur	XIIth	2002	-	-	2503	2760	2894	200 Lakh		Submit	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Shakti Khand - 4
Category: Primary School

Area = 2558m2
Rate = 3600/m2
Amount = 92.09 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Gurukul the School, Gurukul Education Society, Gzb	2002	Gurukul the School, Gzb	Xth	2006	-	150	265	456	-	50 Lakh		Submit	Eligible for consideration

P.K. Shukla
अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indirapuram Shakti Khand - 4
Category: Degree College

Area = 15640 M²
Rate = 3600/m2
Amount = 563.04 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Ritanand Balved Education Foundation, New Delhi	1986	Amity UNiversity	Degree Course	2003	-	-	-	-	14718		2700 Lakh A/c balance	Submit	Eligible for consideration
2	Seth Anand Ram Jaipuria Education Society, Kanpur	1981	SAJ Kanpur	XII th	1974	-	2264	2202	2170	-		570 Lakh (SB 8 FDR)	Submit	Eligible for consideration
			J. Inst of Mgmt	Degree College	2001	58	57	118	-	-				
			SAJ Gzb	XII th	2004	-	527	897	-	-				
			J. Inst of Mgmt, Gzb	Degree College	2004	-	-	-	-	-				
3	Guru ram Dass Educational Institute of Management Technology Dehradoon	1982	GRD Academy Dehradoon	XII th	2002	-	-	-	-	324	20 Crore		Submitted	Eligible for consideration
			GRD Academy Dehradoon	XII th	2002	-	-	-	-	863				
			GRD Degree college	Degree College	2003	-	-	-	320	-				
			GRD Management Technology	Degree College	2007	-	-	58	70	256				
4	Integrated Institute of Management, Gzb	1995	IAMT, GZB	BBA, BCA, Bed	2004	-	160	448	724	464	228 Lakh (Account Balance)		Not Submit	Eligible for consideration
5	Jagannath Gupta Educational Society, Delhi	1985	JIMS, Rohini, Delhi	MCA, PGDBM	1993	-	-	-	600	-	800 Lakh	331 Lakh F.D.R.	Submit	Eligible for consideration
			JIMS, Delhi	PGDM, PGDBM	1997	-	-	-	180	-				
			JIMS, Vasant Kunj, Delhi	BBA, BCA	2003	-	-	-	600	-				
			JGIET, Jaipur	Engin.	2003	-	-	-	1200	-				

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Vaishali Sector - 2
Category: Primary School

Area = 1662m2
Rate = 4000/m2
Amount = 66.48 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Minerva Universal Educational and cultural Society, Delhi-95	1990	Minerva Universal, P. School, Vaishali	VIIIth	2003	-	-	-	350	-	60 Lakh		Submit	Eligible for consideration
2	Victor Education Society, Delhi	1989	Victor P School, Delhi	VIIIth X th	1997 2001	-	987	1083	1297	1354	50 Lakh	5.20 Lakh F.D.R.	Submit	Eligible for consideration
3	Maharana Pratap Educational Society, Delhi	1991	M.P. Model P. School, Delhi	VIII th	1996	-	-	-	378	-	40 Lakh		Submit	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Vaishali Sector - 2
Category: Primary School

Area = 2000 m2
Rate = 4000/m2
Amount = 80.00 Lakh

S.N.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Vimal Educat. Welfare Society, Delhi	1977	Punit P. School, Delhi	X th from 1991	1991	698	688	751	1245	-	50 Lakh		Submit	Eligible for cor sideration
2	Sardar Patel School, Gzb	1984	Sardar Patel School, Vijay Nagar, Gzb	VIII th	2001	402	397	390	-	-	50 Lakh		Submit	Eligible for consideration
3	Northan India Zonal, Assembly, Delhi	1998	St. Thomas School, INdore	X th	1972	-	-	-	2374	-	400 Lakh		Submit	Eligible for consideration
			Mar Thomas H. Sec. School, Indor	XII th	1987	-	-	-	2107	-				
			CMH Sec School, Satna	XII th	1966	-	-	-	2118	-				
4	Vivekanand Shiksha Sansthan, Delhi	2001	Vivekanand P School, Gzb	V th	2003	-	-	527	-		180 Lakh		Submit	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Kaushambi
Category: Primary School

Area = 2141.39 m2
Rate = 4800/m2
Amount = 102.79 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Kamla Agrawal Educa. Society, Delhi	2000	Kamla Agrawal Public School Delhi	Vth	2004	252	328	389	453	518	100 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	Lakhpat Shiksha Samiti Delhi	1987	Mayo Intern School Delhi	VIII Xth	1989 2005	-	-	-	806	-	100 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
3	St. Devasharm Shiksha Samati, Delhi	1986	St. Krishna Bodh P m School, Delhi	VIIIth	1990	-	-	-	1075	-	50 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indraprasth D-Block
Category: Primary School

Area = 5032 m2
Rate = 1600/m2
Amount = 80.51Lakh

S.N	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Vaish Educa. Foundation, Delhi	1973	Sneha International School, Delhi	Xth	2006	-	-	85	182	397	5.00 crore	20.00 Lakh A/c balance	Submitted	Eligible for consideration
2	Arvachin Institute GZB	1989	Arvachin P.J High School, V Nagar GZB	Vth VIIIth	1992 2006	-	230	250	260	-	25 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

220

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Indraprasth E-Block
Category: Nursery School

Area = 843.23 m2
Rate = 1600/m2
Amount = 13.49Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Ma Sarsvati Shishu Shiksha Samiti GZB	2002	Mata Saraswati Mandir GZB	Vth	2004	-	-	-	-	280	12 lacs	3.25 Lakh A/c balance	Submitted	Eligible for consideration
2	Bhaupati Educa. Society, Delhi	2001	Delhi Inter School	Xth	2003	-	-	-	-	667	15 Lakh	6.80 Lakh F.D.R.	Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Brij Vihar E- Block
Category: Primary School

Area = 1000 m2
Rate = 2800/m2
Amount = 28.00 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Servants of the people Society, New Delhi.	1953	BR Vidya Bhavan P School, Delhi	XIIth Xth	2001 1999	1863	1891	1948	-	-	571 Lakh (balance of a/c and F.D.R.)		Submitted	Eligible for consideration
2	Sanjiv Mem Educa. Society, GZB	2002	Sanjiv Memorial Junior high school, Shalimar Garden GZB	VIIIth	2006	-	-	-	-	430	25 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

222

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Pratap Vihar Sec - 11, E-Block
Category: Crache

Area = 313.75 m2
Rate = 2000/m2
Amount = 6.28 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	National Pubic School Samati, Meerut.	1997	National Pubic School Meerut.	Vth	1997	-	-	-	535	-	12 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	S.S.B. Education Society, GZB	1998	S.S.B. Education GZB	Vth	2004	237	279	295	-	-	10 Lack		Submitted	Eligible for consideration
3	Shri Sai Educa Welfare, Assoc. Delhi	2002	Tool Play School	Play School	N.R.	-	-	-	-	-	5.91 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
4	Indira Shiksha Prasar Samati, Ghaziabad	2003	Bloom Fifld P School, GZB.	Vth	2005	-	-	162	-	-	25 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
5	Sardar Patel Shiksha Sadan GZB	1991	Sardar Patel Shiksha Sadan Vijai Nagar GZB	Vth	1994	-	232	268	288	-	20 Lakh		Submit	Eligible for consideration
6	Destitute Welfare Trust, Delhi	1995		Crache	N.R.	-	-	-	-	200	7 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
7	Nirmal Cult & Educa. Society, Delhi	1989	Panchshil P School, Delhi	VIIIth	1992	-	-	-	-	-	15 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

P.K. Shukla

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: *Shastri Nagar Bagvali Colony*
Category: *Nursery*

Area = 546 m2
Rate = 3200/m2
Amount = 17.47 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Dr. Ram Manohar Lohia, Ghaziabad	1988	Springdel P School Vasundhara, Ghaziabad	Vth	2004	258	266	275	-	-	12 lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	Bhavisya Educational Ghaziabad	2006	Bhavisya Educational Academy, Shapur, Bamheta] Ghaziabad	Vth	2006	320	415	530	-	-	10 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

224

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Govind puram D- Block
Category: Primary

Area = 1575 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 40.95 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Tushar Welfare Society, GZB	1999	CSHP P School, P Vihar GZB	VIIIth	2003	-	-	-	1041	-	49 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	Happy hours Educational Society, GZB	2001	Happy ours School, GZB	Vth	2003	-	1138	1178	1203	-	40 Lakh	7 Lakh (balance of a/c sbmtd)	Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Karpuri puram A- Block
Category: High School

Area = 6757.41 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 175.69Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Servants of the people society, Delhi	1953	VR Vidaya Bhavan P School, Delhi	XIIth Xth	2001 1999	1863	1891	1948	-	-		571 Lakh (Balance of a/c and FDR)	Submitted	Eligible for consideration
2	Everest Public School, Ghaziabad	1987	Everest Public School, Ghaziabad	Xth	2003	-	-	-	768	-	50 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
3	Northan India Zonal Assembly, New Delhi	1998	St. Thomas School, Ranchi	Xth	1972	-	-	-	2374		400 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
			Mar Thomas H. Sec School Indor	XIIth	1987	-	-	-	2107					
			CMH Sec School, Satna	XIIth	1966	-	-	-	2118					

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Swarn Jayanti puram C- Block
Category: Primary School

Area = 3304.81 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 85.93 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Shanti Devi Educa. Society GZB	1989	Shanti Bal Niketan, Nandgram, Ghaziabad	Vth	1998	-	850	988	1201	-	45 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	C.P Arya Public School Samiti, GZB	1995	CP Arya Public School Dasna, Ghaziabad	Vth	2006	-	210	280	375	410	30 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Swarn Jayanti puram D- Block
Category: Primary School

Area = 3055.50 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 79.14 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Mother Marry Educa. Society, Ghaziabad	1999	Mother Marry P School, Vijaingr GZB	Vth	1999	545	571	575	584	-	50 Lakh		Submitted	Eligible for consideration
2	Nanki Seva Sansthan, 628, Ghaziabad	2001	Dayal Conv School, GZB	Vth	2005	-	112	137	-	-	45 Lakh		Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

228

SCHOOL ALLOTMENT SCHEME - 2007

Location: Swarn Jayanti puram D- Block
Category: Primary School

Area = 2826.70 m2
Rate = 2600/m2
Amount = 73.49 Lakh

S. N. O.	Institution Name	Registered From	Experience			Student Strength					Financial		Project report	Remarks
			Other Institute	Recog upto	Recog Since	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	Solvency	Status		
1	Educa. & Infrastructure Foundation,	2005	Kamal Montessori J High School, Agra	VIIIth	2005	-	-	272	395	526	15 Lakh	12.35 Lakh FDR	Submitted	Eligible for consideration

अवर अभि.(व्यव.) सहा.अभि.(व्यव.) अधि. अभि.(व्यव) वित्त नियंत्रक जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष कार्याधिकारी सचिव

230

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

उपाध्यक्ष / अध्यक्ष महोदय

कृपया गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 115वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 21–5–2008 का कार्यवृत्त तैयार कर दिया गया है । कृ0 अनुमोदनोपरान्त हस्ताक्षर करने की कृपा करें ।

(राज कुमार सचान),
सचिव

24/

कृ० कु० द्विवेदी
उपाध्यक्ष

28/05/08

उपाध्यक्ष

29/5

सचिव.

O.S./C.C.

30.5.08

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 21–5–2008 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 115वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 21–5–2008 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/ सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1– श्री हरमिन्दर राज सिंह, अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– श्री एस0 के0 द्विवेदी, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।

3– श्रीमती आभा गुप्ता,अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू अर्जन)– जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के प्रतिनिधि ।

4– श्री एन0 आर0 वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ ।

5– श्री सत्येन्द्र सिंह गंगवार, अपर निदेशक–पेंशन–सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि ।

6– श्री एच0एस0सहारिया, अपर नगर आयुक्त, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के प्रतिनिधि ।

7– श्री वी0 विक्रमादित्य, अधीक्षण अभियन्ता– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि ।

8– श्री विजेन्द्र सिंह चौहान , सदस्य(गैर सरकारी)(नगर निगम,गाजियाबाद)गा0वि0प्रा।

8– श्री मुकेश गर्ग , सदस्य(गैर सरकारी)(नगर निगम,गाजियाबाद),गा0वि0प्रा0 ।

9– श्री हरिमोहन, सदस्य(गैर सरकारी)(नगर निगम,गाजियाबाद),गा0वि0प्रा0 ।

10– श्री प्रेमचन्द्र भारती, सदस्य(गैर सरकारी)(नगर निगम,गाजियाबाद),गा0वि0प्रा0 ।

बैठक प्रारम्भ से पूर्व अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का औपचारिक परिचय प्राप्त किया गया । तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई एवं विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
1–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 08–12–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 08–12–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से की गई ।
2–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 08–12–2007 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 08–12–2007 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या बोर्ड द्वारा अवलोकित की गई तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:–

			मद सं0–6 : कोयल इन्कलेव के तलपट मानचित्र की स्वीकृति की चर्चा के दौरान निर्देश दिये गये कि आम जनता को प्राधिकरण की योजनाओं का लाभ समय से मिले, इसके लिये आवश्यक है कि प्रथमतः अधिग्रहीत जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया जाये एवं तदोपरान्त योजना के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित कर निर्माण/विकास कार्य सम्पादित कराये जायें। मद सं0–19 : राष्ट्रीय राजमार्ग–24 से न्यू हालैण्ड फैक्टरी, नोएडा को जोडने वाले 6 लेन मार्ग के निर्माण की अवधि एक साल निर्धारित की जाये। मद सं0–20 : मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के कार्यो में यह देख लिया जाये कि जो कार्य पूर्व में चालू हालत में हैं व जिन्हें अभी कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें न कराया जाये। जिन पार्को में कार्य कराया जाना है, वहां पूर्व में क्या–क्या निर्माण है व क्या–क्या सामान उपलब्ध है, उसका सत्यापन एक समिति के माध्यम से कराते हुए रिकार्ड किया जाये। समिति में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा नामित प्राधिकरण के एक सदस्य को भी रखा जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि अनुपालन आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो कि अमुक मद पर कार्य/कार्यवाही पूर्व में कर ली गयी है, अमुक समयान्तर्गत कार्य/कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी या अभी इतने निर्धारित समयानुसार पूर्ण होने की सम्भावना है।
3–		गाजियबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–2008 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2008–2009 का प्रस्तावित आय–व्ययक ।	बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आय–व्ययक की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का पुनरीक्षित रू0 74642.78 लाख की आय व रू0 50819.00 लाख के व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 का प्रस्तावित रू0 117299.00 लाख की आय व रू0 22942.00 लाख के व्यय का

		आय–व्ययक (बजट) निम्न निर्देशों के साथ स्वीकृत किया गया :– 1– बजट यथार्थ पर आधारित हो। बजट की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाये। 2– लैण्ड बैंक को बढाया जाये। 3– शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले कार्यो, शहर की यातायात व्यवस्था, सौन्दर्यीकरण, दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण आदि हेतु धनराशि पहले से सुरक्षित कर ली जाये तदोपरान्त अन्य निर्माण व विकास कार्य किये जायें। 4– जो भी निर्माण व विकास कार्य किये जाने हैं, उनके प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जायें। 5– कम्पयूटराईजेशन के कार्यो हेतु क्रय की गयी हार्डवेयर के सत्यापन हेतु एक समिति गठित कर आख्या प्राप्त की जाये ।
4–	आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के लेखों की जॉच हेतु स्पेशल आडिट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अद्यावधिक बैलेन्स शीट तैयार किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये।
5–	निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर में हाईटैक टाऊनशिप स्कीम एवं इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप की प्रगति ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रगति आख्या अवलोकित की गयी। अभी तक हाईटैक सिटी के अन्तर्गत कोई भी कार्य स्थल पर प्रारम्भ नहीं हो सके क्योंकि अर्जन प्रस्तावों के विरूद्ध स्थानीय किसानों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में वाद किया हुआ है जिस पर यथास्थिति रखे जाने के निर्देश न्यायालय द्वारा दिये गये हैं । इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप योजनाओं के अन्तर्गत तीन विकासकर्ताओं द्वारा स्थल पर कार्य किया जा रहा है, उसकी फोटोग्राफी कराकर आगामी बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये । अन्य प्रकरणों में प्रगति धीमी होने के कारण निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम यह देख लिया जाये कि विकास प्राधिकरण, लाईसेन्सधारक व शासन स्तर से क्या–क्या कार्य/ कार्यवाही अपेक्षित थी और क्या–क्या कार्य/ कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है व

		किस स्तर पर कौन सी समस्या आ रही है, का अध्ययन कर लिया जाये जिससे कि उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। भविष्य में आवास बन्धु में प्रतिमाह आयोजित समीक्षा बैठक में भी हाईटैक व इन्टीग्रेटिड प्रस्तावों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये।
6–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों में गैस्ट हाऊस अनुमन्य किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उपविधि संख्या 1047/8–3–08–73विविध/07 दिनॉक 7 मार्च,2008 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अंगीकृत किया गया ।
7–	इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत कासिंग इन्फ्रा0 प्रा0लि0 कन्शॅर्सियम द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित डी0पी0आर0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत मै0 कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 कान्सॉर्शियम द्वारा लाईसेंस अनुज्ञा प्रणाली के अधीन प्रस्तुत पुनरीक्षित डी0पी0आर0 के अनुमोदन हतु शासनादेश द्वारा गठित समिति की बैठक दिनॉक 17–4–08 के कार्यवृत्त पर जो observation हैं, उन्हें लाईसेन्सधारक को अवगत कराते हुए उन पर कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त संशोधित डी0पी0आर0 पर विचार किये जाने हेतु पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा समिति की सहमति के उपरान्त डी0पी0आर0 अनुमोदित की जाये । यह भी निर्देश दिये गये कि डी0पी0आर0 में नगर निगम की जो जमीन है, वह नगर निगम के स्वामित्व में ही रहे तथा उस भूमि तक पहुँचने हेतु मार्ग उपलब्ध रहे ।
8–	गाजियाबाद महायोजना 2021 में प्रस्तावित मार्गों की चौडाई के निर्माण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	प्रश्नगत प्रकरण में गठित समिति द्वारा तीन प्रकरणों पर अपी आख्या प्रस्तुत की गई जिस पर बोर्ड द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :– (क) नूरनगर में सिंचाई विभाग द्वारा चूँकि 8 लेन का मार्ग बनाया जा रहा है, अतः समिति द्वारा

		प्रस्तावित महायोजना मार्ग के अंश भाग को समाप्त करने पर सहमति हुई । (ख) अवन्तिका योजना के अन्दर से जा रहे 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग को 30 मीटर आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार किये जाने की बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई । (ग) भाटिया पोट्रीज मार्ग के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्य, श्री विजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर अवैध कब्जे हैं जिन्हें हटाये जाने पर मार्ग बन सकता है । साथ ही यह भी अवगत कराया कि रेलवे द्वारा इस स्थल पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के लिये सर्वे हेतु धनराशि की मॉग की गई थी, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गयी है । स्थल निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये तथा पूर्व समिति की बैठक के क्रम में प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
9–	गाजियाबाद महायोजना 2021 में प्रदर्शित नान कन्फर्मिंग भू–उपयोग क्षेत्र में प्रधानतः आवसीय विकास के सन्दर्भ में आवासीय भू उपयोग ही मानते हुए निर्धारित क्रियायें अनुमन्यकिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सन्दर्भित क्षेत्र का विधिवत सर्वे करा लिया जाये जिसमें यह देखा जाये कि मौके पर कितना निर्माण है, क्या–क्या अवस्थापना सुविधायें है व निर्धारित विकास व शमन शुल्क अदा करने पर शमन की कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं आदि आदि ।
10–	पटेलनगर योजना के डी–ब्लाक में भवन संख्या डी–99 व डी–110 के बराबर में रिक्त भूमि में नियोजित क्योस्क की भूमि को आवासीय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में	बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रथमतः प्राधिकरण द्वारा विकसित पटेलनगर योजना में प्राविधानित सामुदायिक/शापिंग सेन्टर की सुविधायें पहले से हैं अथवा नहीं, इसका परीक्षण कर आगामी बोर्ड में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
11–	राजस्व ग्राम भूरगढी डासना में टैक्सटाईल प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भू उपयोग महायोजना 2021 के अनुसार कृषि से औद्योगिक में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। प्रस्ताव के सम्बन्ध में पहले अध्ययन कर लिया जाये तथा इस स्थल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने में भी निरीक्षण कर लिया जाये तथा अन्य फैक्ट्रीयॉ जो इस मार्ग या क्षेत्र में चल रही है, उनको सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सर्वे के पश्चात आगामी बोर्ड

		बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
12–	दिल्ली मेट्रो का दिलशाद गार्डन से नया बस अडडा गाजियाबाद तथा वैशाली से सी0आई0एस0एफ0 इन्दिरापुरम तक विस्तार ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। परियोजना में सहभागिता हेतु उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मध्य शासन स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये। इस बीच परियोजना का एक प्रजेन्टेशन भी सदस्यगणों के समक्ष किया जाये।
13–	कौशाम्बी योजना में सुविधाजनक दुकान उपलब्ध कराने हेतु तीन स्थानों पर भूखण्डों का आवासीय से व्यवसायिक भू उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
14–	गाजियाबाद शहर में ठाकुरद्वारा , हापुड फ्लाई ओवर को सडक के मध्य में बनाये जाने एवं फ्लाई ओवरकी लम्बाई 249 मीटर बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
15–	राजेन्द्रनगर आवासीय योजना में सबके लिये आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि ई0डब्लू0एस0 के भवन केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलें।
16–	एन0एच0–24 के किमी0 8.00 से किमी. 20.00 तक 4 लेन से 8 लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। चूंकि कार्यदायी संस्था, सडक, परिवहन और राजमार्ग विभाग हैं, अतः उनसे कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में टाईम शैडयूल प्राप्त कर लिया जाये।
17–	गाजियाबाद महायोजना 2021 में करैहडा गॉव के निकट से हिण्डन नदी को पार करते हुए मोरटी गॉव से होते हुए हिण्डन तटवर्ती बन्धा	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में जो भी प्रस्ताव मास्टर प्लान व इन्जीनियरिंग से

	सडक तक प्रस्तावित 45 मीटर चौडी सडक के निर्माण के सम्बन्ध में ।	सम्बन्धित हों, उनमें मुख्य अभियन्ता व मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे प्रस्तावों में मानचित्र व आगणन अवश्य प्रस्तुत किये जायें।
18–	मान्यवर श्री कॉशीराम जी शहरी समग्र विकास योजनान्तर्गत नगर निगम के चयनित वार्डों के संतृप्तिकरण की कार्ययोजना चरण द्वितीय में कराये जाने वाले कार्य ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
19–	किराये पर उठी सम्पत्तियों जो स्टाफ को आवंटित है, को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
20–	प्राधिकरण द्वारा निर्मित किराये के भवनों के निस्तारण की सीमा दिनॉक 31–3–2009 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
21–	आकॉक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति लि0 को इन्दिरापुरम योजना में आवंटित 7900 वर्ग मीटर एवं 5100 वर्ग मीटर भूमि के मूल्य की गणना 60 प्रतिशत सेलेबल एरिया पर किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
22–	उ0प्र0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में जारी सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाली जाये।
23–	नेहरूनगर एवं सूर्यनगर योजना में निर्मित महिला छात्रावास के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि छात्रावास की पूर्व निर्धारित नियम व शर्तो के अधीन अग्रिम 3 माह तक की लीज बढा दी जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इस बीच किसी सरकारी संस्था व प्राईवेट संस्था को दिये जाने हेतु नियम व शर्तो

		को अन्तिम रूप देते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। अधिकतम
24–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तहसीलदार/नायब तहसीलदार को भू–अर्जन सम्बन्धी कार्यों के निस्तारण हेतु नियत वेतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त दो वर्ष हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस बीच समय–समय पर कार्यो की समीक्षा भी की जाये।
25–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन खण्ड से सम्बन्धित कार्यों हेतु एक वाहन क्रय किये जाने विषयक ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
26–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिये लैण्ड बैंक बनाये जाने हेतु मेरठ रोड के पश्चिम साईड में भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि शासनादेशानुसार भूमि का चयन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जायें तथा अधिग्रहण किये जाने वाले क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण न होने पावें ।
27–	ग्राम मकनपुर के खसरा नम्बर 1342, 1343 एवं 1348 की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
28–	ग्राम मकनपुर के खसरा नं0 507, 518, 519, 520, 522, 523, एवं 533 क्षेत्रफल 5–0–0 बीघा तथा 508, 531, 534, 550 क्षेत्रफल 3–5–0 बीघा कुल क्षेत्रफल 8–5–0 बीघा की भूमि को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से समझौता करने के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
29–	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत ग्राम चिकम्बरपुर के खसरा संया 1/2, 2,5,6,7,/2,8/2,9/2 उपं 2,3,4.0 10 की लगभग 3773	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

	वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में ।	
30–	प्रताप विहार सैक्टर–11 के अन्तर्गत एच ब्लाक में चार मंजिले ई0डब्लू0एस0 भवनों के नियोजन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
31–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन कार्य/अतिक्रमण व्यवस्था हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
32–	राजेन्द्रनगर आवासीय योजना में सबके लिये आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु सैक्टर–2 में ई0एस0आई0 अस्पताल के पीछे खुला क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
33–	गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अर्न्तगत एस0ई0जैड0आई0टी0 हब एवं नालिज कारिडोर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त 1 (अ) डासना में दिल्ली–मुरादाबाद रेलवे लाईन पर आई0टी0 हब हेतु लगभग 850 एकड चिन्हित भूमि जिसका वर्तमान भू–उपयोग आंशिक रूप से संस्थागत ग्रीन व कृषि है जिसे आई0टी0 हब भू–उपयोग में परिवर्तित किया जाना है, को स्वीकार किया गया। (ब) राजस्व ग्राम मोरटा की लगभग 434 एकड भूमि जिसका वर्तमान भू–उपयोग महायोजना 2021 के अनुसार हल्का व लघु उद्योग है, को भी आई0टी0 हब हेतु स्वीकार किया गया। 2– राजस्व ग्राम मोरटा में उपरोक्त भूमि से लगी अन्य कृषि भू–उपयोग एवं संस्थागत ग्रीन भू–उपयोग की लगभग 970 एकड भूमि को एस0ई0जेड0 हेतु चिन्हित किया गया है, के स्थान

		पर एस0डी0जेड0 (स्पेशल डेवलपमेंट जोन) व इस भूमि का भू–उपयोग भी एस0डी0जेड0 भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उपरोक्तानुसार एस0डी0जेड0, आई0टी0 हब एवं नालेज कोरीडार (संस्थागत क्षेत्र) स्थापित किये जाने के फलस्वरूप गाजियाबाद महायोजना 2021 में यथोचित संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया।
34–	प्रताप विहार योजना में सैक्टर–12 के ब्लाक–ए के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
35–	गाजियाबाद नगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
36–	एक से अधिक भूखण्डों का अमलगेशन (सुपरटैक लिमिटेड) ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
37–	गाजियाबाद महायोजना –2021 में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में (बारातघर) ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
38–	गजानन एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
39–	वैशाली योजना के ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या–7 पर 2.5 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिए गए कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से अवस्थापना सुविधाओं के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये ।
40–	श्री दिगम्बर जैन सोसायटी द्वारा वैशाली योजना के भूखण्ड	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

	संख्या–1 में स्कूल के भूखण्ड के साथ लगी सामुदायिक केन्द्र हेतु आरक्षित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ।	
41–	संजयनगर योजना के अन्तर्गत बस टर्मिनल हेतु 7.50 मीटर चौडे पहुँच मार्ग का 12.00 मीटर किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
42–	अम्बेडकर रोड (महायोजना मार्ग) की चौडाई पूर्व में लागू महायोजनाओं के अनुरूप दर्शित किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
43–	श्री रोहित कुमार, अवर अभियन्ता की माता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
44–	प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये जाने वाली शैक्षिक उपयोग के भूखण्डों में प्रवेश हेतु प्राधिकरण स्टाफ का कोटा निर्धारित किये जाने एवं फीस में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
45–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात अभियन्ताओं को लैपटाप उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। निर्देश दिये गये कि सभी सदस्यगणों को प्रस्ताव दे दिया जाये, जिसके अनुसार उपस्थित सदस्यगणों को प्रस्ताव बैठक में उपलब्ध करा दिया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि वह अपने सुझाव 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। तदनुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु ~~अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया~~ ।

शासन को सन्दर्भित किया जाय।

2692

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(आर0 के0 सचान),
सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(एस0 के0 द्विवेदी),
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(हरमिन्दर राज सिंह),
अध्यक्ष– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ